खण्ड-388, अंक-3
बुधवार, 13 आश्विन, शक संवत् 1910
(5 अक्टूबर, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 388 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
	क–ग
उपस्थित सदस्य	ङ
प्रश्नोत्तर	1–118
जनपद बरेली की तहसील सदर में अतिवृष्टि से हुई क्षति एवं राहत कार्यों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118–119
जनपद फैजाबाद के सहकारी तथा निजी शीतगृहों में आलू सड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
इलाहाबाद नगर में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पम्पों के लगाये जाने में बिलम्ब होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119–120
प्रदेश में ब्लाक प्रमुखों के आगामी चुनाव में प्रधानों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद हरदोई में आंत्रशोथ एवं अतिसार की बीमारी फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
कानपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट के चुनाव में हुई अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा पुराने ट्रांसफार्मरों की नीलामी में कथित रूप से की गयी धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	122
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (जारी)	122–127
अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	127–128
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	128–129
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 तथा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में आपत्ति ..	129–130
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 (पटल पर रखा गया।)	130
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 (पटल पर रखा गया।) ..	130
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का बारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	130
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	130
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	131
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987–88) का पांचवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	121
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ((1987–88) का छटां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	131
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987–88) का सातवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	131

	पृष्ठ संख्यां
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1987–88) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	131–132
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	132
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 (स्वीकृत)	132-133
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाए	133–169
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प तथा भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	169–189
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 (जारी) ..	189–196
वित्तीय वर्ष 1988–89 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत)	197
वित्तीय वर्ष 1982–83 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत)	197
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 1988 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	197–200
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	201–216
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	216–218
विशेषाधिकार हनन/सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों की सूचना	218
श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा क्षेत्राधिकारी गुरसरांयगंज (फर्रुखाबाद) के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	218–219
श्री गोपालदास यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पंचम निर्माण शाखा जल निगम, इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	219–220
श्री मयंलकर सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा तहसील दार कैसरगंज (बहराइच) के विरुद्ध सदन को अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	220
श्री बदन सिंह ; सदस्य विधान सभा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग आगरा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	120–221
श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा, द्वारा थानाध्यक्ष झीझाना मुजफ्फरनगर आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	221–222
डा0 दिनेश जौहरी, सदस्य विधान सभा द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	222

पृष्ठ-संख्या

श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य विधान सभा द्वारा तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. 223

श्री विजय सिंह राणा आदि, सदस्य विधान सभा, द्वारा सिंचाई राज्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. 223–224

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी सदस्य विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी, इलहाबाद के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 224–225

श्री त्रिभुवन प्रसाद, सदस्य विधान सभा, द्वारा पुलिस उपाधीक्षक बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. 225

श्री शारदा प्रताप, सदस्य विधान सभा, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी सरोजनी नगर (लखनऊ) के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 225–226

कु0 कृष्णा रावत, सदस्य विधान सभा, द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. 226–227

श्री मनोहर लाल आदि सदस्य विधान सभा द्वारा परगनाधिकरी छाता (मथुरा) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. 227–228

श्री रिछपाल सिंह वंसल आदि सदस्य विधान सभा द्वारा विधान भवन गेट नं0 3 पर तैनात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 228–229

श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा (गाजीपुर) द्वारा लखनऊ के कतिपय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 229

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन (स्वीकृत) 230–231

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 231

नत्थियां 232–255

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री निथाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अच्युतानन्द तिवारी डा०	गोरखपुर	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	रतन स्वरूप राही, श्री ..	बुलन्दशहर
अफजल अन्सारी, श्री ..	गाजीपुर	रमाकान्त, श्री ..	आजमगढ़
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री ..	रायबरेली
अमर नाथ सिंह, श्री ..	फतेहपुर	राजवती देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
अमीर आलम खां, श्री ..	मुजफ्फरनगर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
आर० एन० पाठक, श्री	कानपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री ..	अलीगढ़
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	राम सजीवन, श्री	बांदा
किशोरी लाल सकलानी, श्री	देहरादून	राम सिंह, श्री	हमीरपुर
कुशल पाल सिंह, श्री ..	मथुरा	रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
कृष्ण दत्त उर्फ बालराज, श्री	फतेहपुर	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
गजराज सिंह, श्री ..	गाजियाबाद	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
गया प्रसाद वर्मा, श्री ..	इटावा	विजय सिंह राणा, श्री ..	आगरा
गुलाब सिंह, श्री ..	देहरादून	वीर बहादुर सिंह, श्री ..	गोरखपुर
गोपाल राम दास, श्री ..	अल्मोड़ा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री ..	उन्नाव	वीरेन्द्र सिंह, श्री ..	मुजफ्फरनगर
गौरी शंकर भइया, श्री ..	बलिया	शिव बालक पासी, श्री ..	रायबरेली
जय नारायण वर्मा, श्री	मेरठ	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री ..	आजमगढ़	सखावत हुसैन, श्री ..	गाजियाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री ..	सहारनपुर	सतीश अजमानी, श्री ..	खीरी
बलवीर सिंह यादव, श्री ..	मैनपुरी	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री ..	आजमगढ़	सीताराम निषाद, श्री ..	फैजाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री ..	उत्तरकाशी	सुनील शास्त्री, श्री ..	गोरखपुर
भोपाल सिंह, श्री ..	मेरठ	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री ..	रायबरेली
महाराज सिंह, चौधरी ..	इटावा	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
महावीर सिंह, श्री ..	सहारनपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री ...	गोरखपुर
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	हर्ष वर्धन, श्री ..	गोरखपुर
मान बहादुर सिंह, श्री	गोण्डा	हीरा सिंह बिष्ट, श्री ..	देहरादन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(व्यवधान के पश्चात्)

श्री मनोजर सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । प्रान्तीय नेता सदन ने अपनी रुचि के अनुसार अपनी मंत्री परिषद् का गठन तो कर लिया है, पर बहुत से चेहरे मान्यवर, ऐसे हैं जिन्हें हम पहचानते ही नहीं हैं । यह सदन भी उनसे परिचित नहीं है । तो आप ऐसे निर्देश दें कि सदन में उनका परिचय तो हो जाये । इस तरह की परम्परा संसद में भी है ।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह परम्परा पार्लियामेंट में भी है ।

सरकारी कर्मचारियों के सेवाविस्तार/पुनर्नियुक्ति संबंधी नीति

**1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी सेवाओं में अधिवर्षता आयु में शिथिलीकरण अथवा सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति संबंधी कोई नीति उ0 प्र0 शासन ने बना ली है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी हां ।

शासन की सामान्य नीति है कि अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्ति के उपरांत, जनहित में अति विशिष्ट मामलों को छोड़कर सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति स्वीकार न की जाए । केवल वर्ष 1942 के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले उन सेनानी कर्मचारियों, जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हों, को एक वर्ष का सेवा-विस्तार और उसकी समाप्ति पर एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति स्वीकार किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

यह अति विशिष्ट मामलों को तय करने के लिए सरकार ने कौन से मानक तय किए हैं ? इनकी जांच तथा इन पर निर्णय करने का अधिकार किसको दिया गया है, उसके लिए कौन अधिकृत हैं ?

श्री गौरी शंकर–

अति विशिष्ट मामलों में जो अत्यन्त प्राविधिक एवं वैज्ञानिक पद हैं तथा जिन पदों पर प्रतिस्थानी उपलब्ध होना सम्भव नहीं हो पा रहा है और जनहित में जिनकी पुनर्नियुक्ति या सेवा-विस्तार स्वीकार करना अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक हो, वे पद आते हैं । ऐसे मामलों में विशेषज्ञों के पदों पर कन्सलटैंट के रूप में अधिक से अधिक 2 वर्ष तक के लिए अनुबन्धात्मक रूप में कार्य करने के संबंध में कार्मिक विभाग के पूर्व परामर्श एवं सहमति के आधार पर विचार किया जाता है । दूसरे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके मामलों में एक वर्ष का सेवा विस्तार तथा उसकी समाप्ति पर एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति दिए जाने का प्राविधान है जिसका कि उल्लेख उत्तर में है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई मानक है जिसके आधार पर यह निर्णय होगा कि अमुक अति विशिष्ट मामला है या नहीं ? अति विशिष्ट मामलों में पक्षपात न हो, भ्रष्टाचार न हो, इस पर नियंत्रण करने के लिए शासन ने कुछ नियम निर्धारित किये हैं या नहीं ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, किसी अधिकारी/कर्मचारी जिसका रिटायरमेंट का समय पूरा हो गया, विभाग की तरफ से उसकी संस्तुति आती है कि कार्यकाल अच्छा रहा है, इसमें योग्यता है, उपयुक्त है, तो उन सब चीजों को देखा जाता है ।

मान्यवर, 2 अगस्त, 1984 को एक शासनादेश जारी हुआ, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कर्मचारियों की सेवा विस्तार का उल्लेख है, उन्हें अधिवर्षता आयु के उपरांत एक वर्ष का सेवा विस्तारण प्रदान किये जाने का उल्लेख है । फिर 18 मार्च, 1985 को शासनादेश हुआ है, यह भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरांत एक वर्ष का सेवा विस्तारण से संबंधित है । इसमें स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को शासनादेश दिनांक 2 अगस्त, 1984 में दी गयी शर्तों के साथ-साथ अन्यथा, लोकहित में, सेवा विस्तारण प्रदान किये जाने हेतु सर्वथा योग्य एवं उपयुक्त पाया जाय । मान्यवर, यह शासन की सामान्य नीति है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, वह संतोषप्रद नहीं है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि विभाग से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के लिये संस्तुति आती है, तो यह बतायें कि उसका निर्णय कौन करेगा ? दूसरे, 1942 के जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी कर्मचारी हैं, उनके लिये क्या शर्तें हैं, सेवा विस्तारण के संबंध में ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, 18 मार्च, 1985 के जी0 ओ0 में व्यवस्था की गयी है कि (1) संबंधित कर्मचारी वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल गये हों । (2) इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त हो, तथा (3) वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हों । अंत में यह भी व्यवस्था की गयी है कि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को शासनादेश दिनांक 2 अगस्त, 1984 में दी गयी शर्तों के साथ-साथ अन्यथा, लोकहित में, सेवा विस्तारण प्रदान किये जाने हेतु सर्वथा योग्य एवं उपयुक्त पाया जाय । अति विशिष्ट मामलों के प्रसंग शासन में आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें विवेक होता है । निश्चित रूप से विवेक पर ही इसका निर्णय होता है ।

कु0 अलमेलु अम्माल–

मान्यवर, सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति के कारण बेरोजगारी पर भी असर पड़ता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए अति विशिष्ट मामलों को भी स्थगित करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, उनका चिंतित होना स्वाभाविक है, बेरोजगारी की समस्या की उन्होंने बात कही । जैसा कि मैंने शासनादेश का उल्लेख किया उसमें यही है कि अति विशिष्ट, बिल्कुल तकनीकी और अपरिहार्य परिस्थिति में ही पुनर्नियुक्ति या सेवा विस्तारण का निर्णय लिया जाय । मान्यवर, कोई अधिकारी/कर्मचारी, जिसने 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, यदि बहुत ही अपरिहार्य और विशिष्ट परिस्थिति हुई तो पुनर्नियुक्ति दी जाती है । मान्यवर, सेवा विस्तार सामान्यतः दिया ही नहीं जाता है, केवल पुनर्नियुक्ति के ही प्रसंग ज्यादातर आ जाते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो विवेक की बात कही, वह अविवेक में बदल जाता है । इसका मैं एक दृष्टान्त देना चाहता हूं । श्री ए0 के0 सिंह, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 में काम करते थे । उन्होंने एक्स्टेंशन के लिए अपना आवेदन पत्र दिया । लेकिन उनको एक्स्टेंशन नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह आज अपने घर पर मरने की दशा में पड़े हुये हैं । मान्यवर, मैं सरकार से आश्वासन लेना चाहता हूं कि यह जो सेवा विस्तार की नियुक्तियां हो रही हैं, वह शुद्ध रूप से उन्हीं लोगों की हो रही हैं, जिनकी पहुंच है, जिनकी सिफारिश है । जिनका वास्तव में सेवा विस्तार होना चाहिए, उनका नहीं हो पा रहा है । मेरा दूसरा सवाल यह है कि एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है । आज सेवा निवृत्ति के बाद निहित स्वार्थ वाले लोग तिकड़म से अपने को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो रहे हैं । क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि सेवा निवृत्ति के बाद कोई पुनर्नियुक्ति नहीं होगी और यदि विशेष परिस्थितियों में होगी, तो उसके लिए कोई स्टेयरिंग कमेटी नियुक्त की जायेगी ? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनके 3-3 सी0 आर0 खराब हैं, उनको भी सेवा

निवृत्ति के बाद नियुक्त कर दिया गया है । यदि किसी की सेवा निवृत्ति के बाद उस केटगरी में, कोई उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहा है, तो उस पद को भरने के लिए ऐसी कमेटी बनायेंगे, जो सारे प्रकरण पर विचार करके तथा उसकी सर्विस को देखकर पुनर्नियुक्ति की बात करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने इस प्रश्न पर, जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं । शासन का शुरू से यही अभिप्राय रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है, यही कोशिश की जाती है कि वह इन सिद्धांतों पर दृढ़ रहे । मुझे पिछले 3 मास में यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुयी है, कि हमारे सम्मानित विधायकगण भी इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि चाहे उन पर कितना ही दबाव पड़े, उन्होंने काफी सीमा तक मर्यादा बरती है, मैं उनका आभारी हूं । मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस प्रदेश में ऐसा वातावरण बना सकेंगे, जिससे जो जो दबाव हम पर पड़ते हैं, हम उनको समझा सके, मना कर सकें । जो समिति वाली बात कही गयी, शायद समिति इस मामले को और पेचीदा कर देगी । लेकिन मैं विचार करूंगा कि इस पुनर्नियुक्ति के मामले में क्या नीति होनी चाहिए।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जो बातें अभी यहां पर कहीं गयी, वह बहुत अच्छी है लेकिन इससे समस्या का निदान नहीं होता । विशेष परिस्थितियों वाली जो बात कही गयी और मंत्री जी द्वारा स्वविवेक की बात कही गयी, उससे बड़ा घपला होता है । मान्यवर, आप सरकार को समझायें कि लोकतंत्र की सरकार में नियुक्ति जैसे मामले में विशेष परिस्थितियां नहीं होतीं । इसमें स्पष्ट रूप से कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि इन इन बातों के चलते हम पुनर्नियुक्ति करेंगे । अगर ऐसा नहीं है तो इसमें घपले होते रहेंगे चाहे कितना भी सद्भाव हो । मैं विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसी भावना उन्होंने प्रकट की है, उस भावना को देखते हुए इस पुनर्नियुक्ति को बिल्कुल बन्द कर देंगे । जहां तक मैं समझता हूं, जो राजनैतिक पीड़ित लोग हैं, केवल उन लोगों के लिए पुनर्नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए । क्या विशेष परिस्थितियों वाले कालम को खत्म करने पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य तो शासन की शोभा बढ़ा चुके हैं । वह भलीभांति जानते हैं कि स्वविवेक "डिस्क्रशन" भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, एक प्रशासकीय शब्द है, जिसको अनिवार्यतः सभी प्रशासनों में स्थान देना पड़ता है । मैं कहना चाहूंगा कि जिनके हाथ में शक्ति और सत्ता है वह स्वविवेक का इस्तेमाल विवेक से ही करें । मैं समझता हूं कि सभी लोग विवेक का ही प्रयोग करेंगे । मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं और आप लोग कोई सुझाव देना चाहें, हम उसका अवश्य लाभ उठायेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में कितनी विशिष्ट परिस्थितियों वाले लोग पुनर्नियुक्ति पर काम कर रहे हैं । अभी कल ही यहां देखा गया कि एक पेंशन वाला मामला आ गया था कि आजादी की लड़ाई में शामिल हुये बिना ही उनको पेंशन मिल रही है । इन विशिष्ट परिस्थितियों में कितने एप्वाइन्टमेन्ट हुए हैं, क्या ऐसी जानकारी देंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, तिवारी जी ने बहुत व्यापक प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने के लिए सूचना की आवश्यकता होगी । जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, शासन की सदाशयता पर शंका करने का कोई औचित्य नहीं है और जो नियम बने हुये हैं, उन्हीं का पालन करते हुये सेवा विस्तार दिया जाता है । अति विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा किया जा रहा है । ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आये, उसी को पुनर्नियुक्ति दे दी जाय ।

नेता, विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

अभी मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वविवेक व नियमों का हवाला दिया । श्री बीर बहादुर सिंह जब यहां पर मुख्य मंत्री थे, तो उनका स्वविवेक इस तरह कार्य करता था कि जिस अधिकारी से वह खुश रहते थे, उसे तुरन्त सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति दे देते थे । इसलिए मेरा कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के स्व-विवेक का सही इस्तेमाल हो सके, क्या वह इसके लिए विधान सभा की एक कमेटी, जिसमें विपक्ष का भी सदस्य हो, बनाने की कृपा करेंगे, जिससे कि वह यह देख सके कि जिसे सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति दी जा रही है, वह उचित है और स्वविवेक का सही इस्तेमाल किया जा रहा है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं उत्तर दिया कि इस तरह की समिति बनाने से और जटिलता बढ़ जायेगी । ऐसी स्थिति में विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों को जिन्हें सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति का लाभ दिया जाता है, वह इससे वंचित हो जायेंगे । समिति बन जाने से इसमें समय लगेगा इसलिए मेरी समझ में समिति बनाना उचित नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सेवा विस्तार का लाभ दिये जाने की शासन की नीति बनाई है । जैसा कि कल ही श्री कुरील जी का एक प्रकरण यहां पर आया । उन्होंने 1947 में सत्याग्रह आन्दोलन किया था और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का सार्टिफिकेट दे दिया गया और उन्हें पेंशन दे दी गयी । क्या इसी प्रकार जो 1948 में जेल गए हैं, और उन्होंने सार्टिफिकेट ले लिए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सेवा में विस्तार दिये जाने की सुविधा आप दे देंगे ? श्री गौरी शंकर जी तो पहले राजस्व मंत्री भी रहे हैं । हमारे यहां डी0 डी0 सी0 श्री पाण्डेय ने 15 हजार रुपए खर्च करके 3 महीने का सेवा विस्तार ले लिया। फिर पिछले 2 महीने से

वह इसी चक्कर में घूम रहा है अभी उसे सेवा विस्तार मिला कि नहीं मिला, यह मुझे नहीं मिला । यदि उसे मिल गया है तो क्या सेवा विस्तार उसे सशुल्क मिला या नि:शुल्क मिला ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, श्री मैनेजर सिंह जी इस सम्मानित सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं । सशुल्क व नि:शुल्क का उनके द्वारा जो उल्लेख किया गया है, वह उनके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं लगता है । सेवा विस्तार व पुनर्नियुक्ति के बारे में मूल उत्तर में ही कहा जा चुका है कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति दिए जाने का प्राविधान है । दूसरा, यह कि 1942 में जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल गये तथा मानसिक व शारीरिक रूप से वे स्वस्थ्य हैं, उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार तथा इसकी समाप्ति पर एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति किए जाने का शासनादेश है । इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो चीजों का उल्लेख किया है । पहला जनहित दूसरा विशिष्ट । इन दो शब्दों को परिभाषित नहीं किया है । पहले तो वह इनको परिभाषित कर दें । दूसरा, इन दो वर्गों के अन्दर आज तक कितने लोगों को पुर्ननियुक्ति व सेवा विस्तार दिया गया है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जनहित का आशय जनहित से है । माननीय श्री पाण्डेय जी भी उसे काफी समझते हैं । ऐसे परिस्थितियों का उच्चारण केवल प्राविधिक व वैज्ञानिक लोगों के लिए है । यदि इस सारे प्रयत्नों के बावजूद भी कोई प्रतिस्थानी नहीं आया उपलब्ध नहीं हुआ या सम्भव नहीं हो पा रहा है जनहित में पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार स्वीकार करना अपरिहार्य है । जनहित का आशय जनहित है और वह स्पष्ट है ।

बाराबंकी जनपद में शारदा पोषक नहर पर साइफन बनाने की मांग

**2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा पोषक नहर बनने के पूर्व जनपद के पश्चिमी भाग का पानी पूरब की ओर जाने हेतु नहर में 8 साइफनों के बनाने का प्रस्ताव था परन्तु कुल 4 साइफन ही बनाये गये हैं ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पर्याप्त मात्रा में साइफन न बनने के कारण जनपद का पश्चिमी क्षेत्र जिसमें विकास खण्ड देवा, निन्दूरा व फतेहपुर का क्षेत्र आता है वर्षा काल में जल भराव का शिकार हो जाता है ? यदि हां, तो मंत्री जी क्या पूर्व प्रस्तावित साइफन बनवाने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई उपमंत्री (श्रीमती हितैश कुमारी)–

जी हां ।

जी नहीं ।

विस्तृत अध्ययन करने पर यह पाया गया कि शेष चारों साइफनों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है । इसके बजाय प्रभावित क्षेत्रों को समीपवर्ती बड़े नालों से लिंक ड्रेन द्वारा जोड़ना अधिक प्रभावशाली एवं उपयुक्त है । अतः इन साइफनों को न बनाकर लिंक ड्रेन का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से कराया गया है जिससे समस्या का समाधान हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न के माध्यम से मैंने एक गम्भीर समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया था । मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ने इतनी बड़ी समस्या को इतने हल्के ढंग से नजर अन्दाज किया । बाराबंकी में शारदा पोषक नहर जो इन्दिरा कैनाल के नाम से जानी जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खुदकर एक बांध के रूप में बन गयी है और पश्चिम का पानी जो पूर्व की ओर प्राकृतिक रूप से चाहता था, वह अवरुद्ध हो गया है । यहां पर 8 साइफन प्रस्तावित थे । इसका उत्तर दिया जा रहा है कि विस्तृत अध्ययन के बाद पाया गया कि चार की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि वे चार कौन-कौन से स्थान थे, जहां पर नहीं बनाये जा रहे हैं ? दूसरी बात, कौन सी कमेटी ने या चीफ इन्जीनियर ने 8 साइफन प्रस्तावित किये थे ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

जब सर्वेक्षण हुआ था तब 8 साइफन बनाने का प्रस्ताव हुआ था । निर्माण के समय विस्तृत परीक्षण करने पर पता चला कि इनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो 4 साइफन बनाये गये हैं, वे वहां बनाये गये हैं जहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहाव है, जो 4 नहीं बनाये गये हैं वहां पर प्राकृतिक रूप से बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने अपने जवाब में ही साइफनों की आवश्यकता को कबूल कर लिया है । जब पानी भर जाता है तो भरे हुए पानी को निकालने के लिये साइफनों की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, 8 की स्वीकृति दी गयी थी, 4 को माना, 4 को काट दिया गया । जो पानी का भराव है, उसको निकालने के लिये माननीया मंत्री जी ने कहा कि ड्रेन पर्याप्त है । इसका मतलब पानी के भराव को स्वीकार कर लिया और ड्रेन को पर्याप्त समझ लिया । तो मान्यवर, जो चार साईफन काटे गये हैं, उनके बारे में उनकी आवश्यकता को स्वयं मंत्री जी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रही हैं, ऐसी स्थिति में उन चार साइफन को बनाये जाने के बारे में क्या मंत्री जी कोई आश्वासन देंगी ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

जितने साइफन पश्चिम से पूर्व की तरफ हैं, वे बना दिए गए हैं और जिनका बहाव पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है उनको न बना कर पानी निकालने के लिये ड्रेन बना दी गयी है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी को जो अधिकारियों ने समझा दिया है, वही वे कह रही हैं । लगभग 200 गांव जैसे विकास खण्ड देवा, निन्दूरा व फतेहपुर का क्षेत्र जिसमें आता है वहां की 50 एकड़ जमीन पानी से प्रभावित हो जाती है । इसीलिये नहर में 8 साइफन बनाये जाने का प्रस्ताव हुआ था जिसमें केवल 4 ही साइफन बनाये गये हैं । मंत्री जी कह रही है कि बाकी के लिये लिंक ड्रेन से पानी निकाल दिया जायेगा । लिंक ड्रेन के बाद भी उन्हें पानी साइफन के स्थान से ही निकालना होगा क्योंकि पानी ओवर फ्लो हो जायेगा । इसलिये मा0 मंत्री जी का उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है । पानी से प्रभावित क्षेत्र की फसल बरबाद हो रही है जल भराव के कारण से । तो मा0 मंत्री जी कोई नये सिरे से सर्वेक्षण करा कर, पूर्व के प्रस्ताव के अनुसार, चार साइफन के स्थान पर आठ साइफन के बनवाने का आश्वासन देंगी ? वहां दो नदियां हैं रेट व कल्याणी, ये चार साइफन केवल इन्हीं दोनों नदियों का पानी निकालते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण ही करेंगे या प्रश्न भी पूछेंगे ?

श्री मित्रसेन–

तो मैं कह रहा हूं कि वहां पर चार साइफन के स्थान पर आठ साइफन बनवाने के लिये क्या मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगी ?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बतला तो दिया है कि चार साइफन की आवश्यकता थी आठ की नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इन्दिरा निर्माण योजना का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद यह योजना स्वीकार की गयी थी । एक टेक्निकल हाई पावर कमेटी ने इसे स्वीकार किया था कि आठ साइफन की आवश्यकता है पश्चिम से पूर्व की ओर पानी ले जाने के लिये । अब यह जो लिंक ड्रेन की बात आयी है बीच में, इसे किस कमेटी ने स्वीकार किया था ? इसलिये मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप क्या पुनः इसे परीक्षण कराने के लिये तैयार हैं कि जल भराव कहां हो रहा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसका सर्वेक्षण आप किसी टेक्निकल कमेटी के द्वारा कराने के लिये तैयार हैं ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

माननीय सदस्य को मैंने पहले ही बतलाया कि परीक्षण के अनुसार इन चार साइफनों को बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह–

आप फिर वही बात पढ़ रही हैं । आप यह बतलाइये कि आप पुनः सर्वेक्षण कराने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

आवश्यकता होगी तो करा लेंगे ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये नई-नई मंत्री बनी हैं, इसकी हमें भी खुशी है लेकिन जरा प्रश्न को गम्भीरता से समझ कर आप सदन में उत्तर दें । प्रश्न साफ है कि 8 साइफन बनाने का प्रस्ताव था क्योंकि 200 गांवों की 50 एकड़ जमीन तमाम जल भराव के कारण प्रभावित हो जाती है और यह आठ साइफन बनाने के लिये एक हाई पावर कमेटी ने अपने प्रस्ताव की संस्तुति की थी । विस्तृत अध्ययन करने के बाद । अब किसने और कब यह चार साइफन काट दिये इसका उत्तर मान्यवर आप दिलवा दें ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण जिस जल भराव की बात कह रहे हैं उस पानी के निकालने के लिए 4 ड्रेनें बनायी गयीं हैं, अगर आप कहें तो उनके नाम भी हम आपको गिना दें, इसलिए अब उन 4 साईफन्स के बनान की आवश्यकता नहीं रही । वह ड्रेन्स जिनका हमने अभी ऊपर जिक्र किया वह यह हैं "आखरी ड्रेन" मताई ड्रेन इत्यादि इनसे जल भराव की समस्या को दूर करने के प्रयास जारी हैं । (शोर) वैसे जो आप कह रहे हैं, उसको भी देख लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपा करके आप इस मामले को पुनः दिखवा लें और अगर हो सके तो करवा भी दें नहीं तो फायनली जवाब दे दें ।

श्रीमती हितेश कुमारी–

जी मान्यवर, लिंक ड्रेन द्वारा जो पानी की निकासी की जा रही है, मैं उसको दिखवा लूंगी (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति बनाए रखें । माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो सुझाव दिया उसी के अनुसार मैंने मा0 मंत्री जी से कह दिया है । नत्थी "ग" प्रश्न सं0-1 श्री सूर्य प्रताप शाही ।

(शोर व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

रेशमी वस्त्रों एवं कालीनों के मूल्य वृद्धि पर सरकारी नियंत्रण की मांग

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में रेशमी वस्त्रों, बनारसी साड़ियों और भदोही में निर्मित कालीनों के मूल्यों में आकस्मिक ढंग से 25 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? इनके मूल्यों पर नियंत्रण के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)–

रेशमी वस्त्रों पर 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है तथा ऊनी कालीनों पर 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण कालीन बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी, रेशम धागे की कीमतों में वृद्धि एवं भदोही कालीन की विदेशों में बढ़ी हुई मांग है ।

प्रदेश में रेशम धागे की आवश्यकता की पूर्ति दूसरे प्रदेशों से जहां रेशम धागे का उत्पादन होता है से की जाती है इस वर्ष विदेश से रेशम धागे का आयात भी किया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गत वर्ष रेशमी वस्त्रों और भदोही में निर्मित कालीनों के मूल्यों में जो आकस्मिक ढंग से 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक मूल्यों में वृदिध हुयी है, जिसे मा0 मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि रेशमी वस्त्रों पर 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तथा ऊनी कालीनों पर 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुयी है और इस वृद्धि में हुए कारण को मा0 मंत्री जी ने बताया है कि कालीन बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी, रेशम धागे की कीमतों में वृद्धि एवं भदोही कालीन की विदेशों मे बढ़ी हुयी मांग इत्यादि है। तो मान्यवर मैं इस संबध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि पिछले सालों में जो रेशमी वस्त्रों, बनारसी साड़ियों तथा ऊनी कालीनों के तैयार करने में सेल्स टैक्स में छूट तथा सबसीडी बुनकरों व निर्माताओं को उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाती थी, उसके समाप्त किये जाने से यह जबर्दस्त मूल्य वृद्धि हुयी है और नम्बर दो यह कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए गत वर्ष से लेकर आज तक कितने रेशम धागों की आवश्यकता रही थी और उत्तर प्रदेश में कितना उत्पादन इस ओर रहा है, तीसरी बात यह कि इन रेशमी धागों की कीमतों में तथा ऊनी कालीनों की कीमतों में अंधाधुंध वृद्धि के कारण क्या हैं और इसके रोकने के अब तक आपने क्या प्रयास किये हैं ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, मैंने इन कारणों का उल्लेख स्पष्टतया अपने उत्तर में अलग-अलग कर दिया है कि रेशमी धागे बाहर से अर्थात दूसरे प्रदेशों से आयात होते हैं, कर्नाटक आदि स्थानों से साथ ही पिछले साल बनारस व आजमगढ़ के बुनकरों को अधिकतर यह रा-मैटीरियल कर्नाटक से ही मिलता है, परन्तु वहां पिछले वर्ष काफी सूखा पड़ा, जिसकी वजह से इनकी पैदावार कम हुयी, जिस कारण हमारा आयात कम हो पाया इन धागों का, इस कारण भी वृद्धि हुयी । इस कारण इसमें वृद्धि हुई है । 1987 में 650 का भाव था वह 1987-88 में एक हजार चला गया और जो 750 का भाव था वह 1100 पर चला गया और कच्चा माल बाहर से न आने के कारण और सूखा पड़ने के कारण कीमतों में वृद्धि हुई ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सेल्स टैक्स में सब्सीडी थी, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है, जिसके कारण वृद्धि मूल्यों में हो गयी । इस बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सब्सीडी रेशम वस्त्रों पर दी जाती थी क्या उसको समाप्त कर दिया गया है ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, यह कारण नहीं है । साड़ियों पर गुणवत्ता के आधार पर वृद्धि की गयी है । 650 की साड़ी करीब 750 की हो गयी है और 1100 की 1250 के करीब हो गयी है । मैं कहना चाहती हूं कि रेशम का कम आयात होने से सूखे के कारण यह बृद्धि हुई है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो सब्सीडी दी गयी थी वह चालू है या बन्द कर दी गयी है या वापस ले ली गयी है, इसी कारण मूल्यों में बृद्धि हुई है ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, मूल्यों में बृद्धि का कारण सेल्स टैक्स नहीं है । यह कारण नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो छूट दी गयी थी क्या वह जारी है, या बन्द कर दी गयी है ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, जहां पर आवश्यक है, जहां पर अनुमन्य है वहां पर सब्सीडी दी जा रही है और जहां पर अनुमन्य नहीं है, वहां पर नहीं देते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह ज्ञात हुआ कि रेशम का आयात किया जाता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस आयात को समाप्त करने के लिये प्रदेश में भी रेशम उत्पादन के बारे में जो संभावनायें हैं, उन को टटोलने का प्रयास करेंगी ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, पूरा प्रयास करूंगी कि रेशम का उत्पादन होने लगे । लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक आयात करना पड़ेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । मैं पुन: उसको दुहराऊंगा । प्रश्न यह है कि जो सब्सीडी दी जा रही है सेल्स टैक्स पर, वह क्या दी जा रही है या नहीं ? माननीय मंत्री मंत्री जी ने उसका यह उत्तर दिया कि जो अनुमन्य है वह दी जा रही है और अनुमन्य नहीं दी जा रही है । 1986-87 में जिन वस्त्रों पर सेल्स टैक्स की सब्सीडी अनुमन्य थी, क्या यही नियम आज भी लागू है ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, वही नियम लागू है । नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । मैं कहना चाहती हूं कि जहां पर यह अनुमन्य थी, वहां पर दी जा रही है और जहां पर अनुमन्य नहीं थी वहां पर नहीं दी जा रही है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आयात की कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि हो गयी है । बनारस और आजमगढ़ के बुनकर बेरोजगार हो गये हैं और भुखमरी के शिकार हो गये हैं, तो या आप भारत सरकार पर दवाव डालेगी कि यह आयात बढ़े ताकि बुनकरों को काम मिले ।

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, बुनकरों के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । 16 से 18 प्रति दहाड़ के बजाय 20 से 22 कर दी गयी है इसी कारण 20-25 तक की बृद्धि हो गयी है । वस्त्रों पर जो रिबेट दी जा रही है वह सब्सीडी नहीं है हटाई जा रही है, वह बरकरार है ।

श्री मूलचन्द–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी होने की वजह से उसकी कीमत बढ़ा दी गई है तो यह न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है ?

श्रीमती बेनी बाई––

पहले 16 से 18 तक थी और 20 से 22 कर दी गई है ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत सवाल हो गये ।

उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के न होने से करोड़ों का नुकसान

*2–श्री हृदय नरायन दीक्षित (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्मित लगभग 15 करोड़ के उत्पादों की बिक्री नहीं हो पा रही है जिससे 15 करोड़ रुपए की पूंजी की गतिशीलता रुकने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो 15 करोड़ रुपये के तैयार माल के न बिक पाने के कारण क्या है ? क्या विपणन का कोई सुस्पष्ट खाका उत्पादन के पूर्व तैयार नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई–

यह सही नहीं है कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा निर्मित 15 करोड़ के उत्पादों की बिक्री नही हो पा रही है जिससे 15 करोड़ रुपयों की गति-शीलता रुकने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाका तैयार किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

एक सदस्य–

इसमें रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

बाद में देखा जायेगा ।

मांट ब्रांच गंगा नहर कुरसंडा राजवाह में से नुनेरा आदि गांवों की भूमि सींचने के लिए माइनर निकालने के आदेश पर कार्यवाही

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि जनवरी, 1988 के प्रथम सप्ताह में उन्होंने मांट ब्रांच गंगा नहर कुरसंडा राजवाह में से नुनेरा, गुडेरा आदि गांवों की भूमि सींचने के लिए एक माइनर निकालने के आदेश प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर किये थे जिनको उसी तिथि में सचिव, सिंचाई के यहां भेज दिया गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और माइनर कब तक निकाल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

जी हां । मा0 विधायक का एक प्रार्थना-पत्र, मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश कि यदि माइनर बनाकर सिंचाई किया जाय तो उचित होगा, प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नकर्ता के प्रश्न में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराये जाने पर पाया गया कि कि प्रश्नगत ग्रामों का अधिकांश क्षेत्र नहरी कमाण्ड के अंतर्गत है और उन्हें सिंचाई सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध है । शेष क्षेत्र कमाण्ड के बाहर तथा ऊंचा होने के कारण नहर द्वारा सींच सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है । उक्त स्थिति से प्रश्नकर्ता को दिनांक 14-7-88 के पत्र द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नहरी कमाण्ड में वह क्षेत्र अवश्य है लेकिन टेल पर होने के कारण वहां की भूमि असिंचित रह जाती है। इसलिए मैंने ऐसे स्थान का जिक्र किया था जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा था कि माइनर निकलवा दी जाय । लेकिन विभागीय अधिकारी

इस सदन को और माननीय मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रश्नगत गांव है और उनको जो भूमि है उसका रकबा क्या है और उससे कितना रेवेन्यू सिंचाई विभाग को प्राप्त हो रहा है ?

श्रीमती हितेश कुमारी–

मान्यवर, मैंने जैसा कि पूर्व में बताया कि माननीय विधायक का एक प्रार्थना-पत्र जो उन्होंने मुख्य मंत्री जी को लिखा था उसमें यह आदेश हुये थे कि यदि माइनर बनाकर सिंचाई की जाय, यह नहीं था कि माइनर बनायी जाय ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि प्रश्नगत गांव का रकबा कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है । उन्होंने कहा कि यह नहरी कमान्ड में है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां कितनी भूमि सिंचित और कितनी असिंचित रह जाती है और उससे कितना रेवेन्यू मिल रहा है तथा कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए ? इससे सारी बात स्पष्ट हो जायेगी कि वहां पर कितनी भूमि सिंचित है । जब माइनर बन जायेगी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माइनर में पानी की आवश्यकता होगी और पानी न हो तो वह माइनर बेकार है ।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैंने इसके लिए जो स्थान प्रयोग किया है वह ऊंचे स्थान से किया है और अब जो माइनर की बात हो रही है वह निचले स्थान निकालने की बात कह रहे हैं ।

श्रीमती हितेश कुमारी–

इसका परीक्षण करा लेंगे ।

जनपद फैजाबाद में अधिक सवारियों के बैठाने के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण की मांग

*4–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में और विशेषकर फैजाबाद शहर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में सड़कों पर वाहनों में निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक सवारियों के बैठाने के परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और जनवरी, 1988 में केवल फैजाबाद में दो दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और इन दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

जनपद फैजाबाद में वाहनों में निर्धारित मात्रा से अधिक सवारियां बैठाने के फलस्वरूप होने वाली किसी सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। माह जनवरी, 1988 में फैजाबाद शहर में सड़क दुर्घटनाओं में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई

है । पुलिस जांच के अनुसार दुर्घटनाओं के लिए वाहन चालक दोषी है और ये लापरवाही एवं तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण हुई हैं । दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वाहनों की चैकिंग की जाती है और नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहनों का चालान किया जाता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

सान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग से चैकिंग कराते हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में इन्हीं दो विभागों के अधिकारियों की साजिस से सैकड़ों अनधिकृत वाहन फैजाबाद में चल रहे हैं और अनधिकृत होने के कारण ही वह तेज रफ्तार में भी चलाते हैं और निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां बैठाते हैं । अनधिकृत होने के कारण वह इन विभागों के लोगों को मोटी मासिक इनकम देते हैं । इस पर अंकुश लगाने पर वह क्या कर रहे हैं ?

दूसरा मेरा सवाल था कि फैजाबाद शहर और उसके आस-पास दर्जनों लोग मरे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 5 की सूचना मिली बाकी की जानकारी नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जनवरी, 1983 में फैजाबाद शहर और उसके 2, 3 कि0 मी0 के व्यास में कुल कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई, कहां-कहां पर हुई और लोग सड़क दुर्घटना में मारे गये ।

श्री प्रसाद कुमार–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसमें फैजाबाद शहर और उसके आस-पास की बात कही थी एक गोलमोल करके प्रश्न पूछा था अब वह कह रहे हैं कि शहर के दो तीन कि0 मी0 में कितने मरे । तो मैंने पूरे फैजाबाद को बता दिया कि 5 लोग सड़क दुर्घटना में मारे गये ।

जहां तक चैकिंग का सवाल है उसमें बता दूं कि 80 वाहनों की चैकिंग कर चालान किया गया जो निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को ले जा रहे थे । तीसरा अब हम क्या कर रहे हैं वह भी बता दूं कि ओवरलोडिंग तब होती है जब बसों की कमी होगी और जब समय से लोगों को परमिट नहीं मिल पाता है तो इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि आर0 टी0 ओ0 की बैठकें नियमित रूप से जो नहीं हो पाती थी वह नियमित रूप से हों ताकि लोगों को परमिट उपलब्ध करा दिये जायं । दूसरा बहुत से रूट्स पर स्थगन आदेश हुए थे, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको समाप्त कराया जाय और परमिट दिया जाय ताकि वाहन उपलब्ध हो सकें। कमी दूर करने के लिए यहां पर और 14 बसें दी जायं ताकि कमी दूर हो सके । माननीय सदस्य की भावनाओं को देखते हुए मैंने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में परिवहन और पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त रूप से ओवर लोडिंग की चैकिंग के लिए सघन अभियान चलाया जाय और फैजाबाद के लिए खासकर निर्देश दिए हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन्, यह बीमारी जिसकी तरफ माननीय तिवारी जी ने ध्यान आकृष्ट किया है यह फैजाबाद की ही नहीं है । गोरखपुर में भी यह समस्या है वहां नैपाल सीमा पर गोरखपुर में कम से कम 25, 30 बसें रोज चलती हैं जिनके पास कोई परमिट नहीं है,

गोरखपुर से नैपाल जाने के लिए बिचरौल, आनन्दनगर बराबर बसें चलती हैं जिनके पास परीमट नहीं है इसी तरह परसौल, गोरखपुर और नौतनवां में बिना परीमट के बसें चल रही है। जब बस खरीदी गयी हैं तो उनके परीमट क्यों नहीं दिये जाते हैं। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या प्रभावशाली कदम उठाने जा रहे हैं क्योंकि इससे करोड़ों रुपया शासन का कालाबाजार में चला जा रहा है?

श्री प्रमोद कुमार–

मैं माननीय ओझा जी को बताना चाहता हूं कि जहां बीमारी होगी वहां इलाज भी होगा। जहां तक सवाल गोरखपुर में अनधिकृत या ओवरलोडिंग वाली बसों का सवाल है वहां के लिए भी निर्देश दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक सघन कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं ताकि जो अवैध परीमट पर चल रहे वाहन हैं उनको रोका जा सके। परीमट समय पर न मिलने के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है। तो इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि आर0 टी0 ओ0 की बैठकें नियमित रूप से हों और भारत सरकार की भी जो नीति है उसमें भी नियमित करने का प्रयास किया गया है।

निकट भविष्य में इस बीमारी पर काबू पा लेंगे और किसी भी परिस्थीति में डग्गा मार बसों को चलने नहीं देंगे तथा ओवर लोडिंग नहीं होने दी जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, डग्गा मार बसें नहीं चलने देंगे लेकिन क्या इन्होंने आंकड़ा देखा है कि यात्रियों की संख्या किस अनुपात में बढ़ी है और आपकी बसों की संख्या किस अनुपात में बढ़ी है ? मैं जानना चाहता हूं कि जो रूट इन्होंने नोटीफाइड 16 (डी) के अंतर्गत कर लिया है उस पर तो इनकी बसें पूरी सवारियां ढो नहीं पाती हैं और न प्राइवेट मिनी बसों को ही परीमट जारी किया लेकिन यह आदेश कर दिया कि सामूहिक रूप से यात्री जो चाहें तो नोटीफाइड या डी नोटीफाइड रूट्स जो हैं वहां वाहन ले जा सकते थे उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया है । मान्यवर, जो रूट्स नोटीफाइड नहीं हैं, जहां रोडवेज बसें नहीं चल रही हैं तो मैं जानना चाहता हूं जिन रूट्स पर परीमट होल्डर बसें चलाते थे, जिस पर अब रोक लगाई है, क्या मंत्री जी उन रूट्स पर तत्काल रोडवेज की बसें चलायेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यदि जानकारी नहीं होती कि यात्रियों का अनुपात क्या है और बसों का अनुपात क्या है तो यह नहीं कहता कि परीमट को हम और अब लिबरल करने जा रहे हैं । मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कितनी परमिट और रोडवेज की बसें हैं वह कम हैं यात्रियों के अनुपात में, इसीलिए रोडवेज की बसें हम बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात परीमट नीति को हम और उदार बना रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि जहां रोडवेज की बसें चल रही हैं वहां प्राइवेट बसें चलाई जायं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जो बिना परीमट के अवैधानिक बसें चल रही हैं उनको नहीं चलने दिया जायेगा। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बसों की कमी को दूर करने का और अधिक प्रयास किया जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आपने रूटों को नोटीफाइड करके संख्या बढ़ाई है लेकिन बसों की संख्या घटी है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए आप क्या कोई विशेष अभियान चला करके बसों की संख्या को बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे और कब तक यह व्यवस्था कर देंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मूल प्रश्न के जवाब में स्पष्ट किया था कि रोडवेज में 1400 से अधिक बसें परिवहन बेड़े में सम्मिलित करने की योजना है जिससे बसों की संख्या बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा होगी। जहां तक विशेष अभियान का प्रश्न है तो इसका प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए चाहे प्रान्तीय सरकार से या केन्द्रीय सरकार से या स्वायत्त सेवी संस्थाओं से जो ऋण मिल सकता है वह लेंगे और उसके बाद बसों को बढ़ायेंगे और तब माननीय सदस्यों से पूछूंगा कि यदि उनके क्षेत्र में और बसों की आवश्यकता है तो स्पेशल बसें वहां चलायेंगे।

*5–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[दूसरे सोमवार में नियम 38(2) के ता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*6–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[दिनांक 3-10-88 को ता0 प्र0 सं0 6 द्वारा उत्तरित]

फर्रूखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराने की मांग

*7–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र जनपद फर्रूखाबाद में सिंचाई का साधन केवल नलकूप ही है और उस क्षेत्र के अधिकतर अस्थायी रूप से खराब हैं और 30 प्रतिशत स्थायी रूप से बन्द कर दिए गए हैं ? क्या सरकार अस्थायी रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को शीघ्र चलाने तथा स्थाई रूप से बन्द राजकीय नलकूपों के स्थान पर नए नलकूपों के लगाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)–

जी हां । मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यत: विकास खण्ड मोहम्मदाबाद तथा विकास खण्ड नवाबगंज का क्षेत्र आता है, जिसमें सिंचाई के मुख्य साधन राजकीय नलकूप ही हैं । मोहम्मदाबाद विकास खण्ड में 106 नलकूप तथा नवाबगंज विकास खण्ड में 29 नलकूप हैं । इस प्रकार मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र में 135 राजकीय नलकूप हैं । 135 राजकीय नलकूपों में से 24 नलकूप जीर्ण-शीर्ण पम्प सेटों की खराबी के कारण अस्थायी रूप से बन्द थे, जिसमें से 17 नलकूप नये पम्प सेट लगाकर दिनांक 20-4-88 तक चालू कर दिए गए हैं शेष जो 7

नलकूप अस्थाई रूप से खराब हैं उन नलकूपों में से 3 नलकूप अब चालू करा दिए गये हैं । शेष 4 नलकूप रबी फसल में सिंचाई हेतु माह अक्टूबर 1988 के अन्त तक चालू हो जायेंगे । तथा 11 नलकूप जो स्थाई रूप से बन्द थे उसमें से 5 नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं । शेष 6 नलकूप में से 5 का पुनः छिद्रण किया जा चुका है तथा ऊर्जीकरण होना शेष है । एक नलकूप जिसको अधिक गहराई तक छिद्रण किया जाना है उसका छिद्रण भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से कराया जाना प्रस्तावित है ।

श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि जो 24 राजकीय नलकूप अस्थायी रूप से बन्द थे, उनको ठीक कराया गया है, तो जो ठीक कराये गये 17 नलकूप हैं, वे कौन-कौन हैं, उनके क्या नम्बर हैं और वे किस गांव में हैं ? तीन नलकूप अब चालू करा दिये गये हैं, उनके भी नम्बर और ग्राम आप बताने का कष्ट करें ? इसके अलावा जो छिद्रण हेतु 5 नलकूप बताए गये हैं, वह कौन हैं, और जो एक का बाकी है, उसका कब तक छिद्रण करा लिया जाएगा ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, 24 नलकूप मैंने बताया है कि वह अस्थायी रूप से खराब थे, जिनमें से 17 नलकूप नये पम्प सेट्स लगाकर ठीक करा दिये गये हैं, उनके नम्बर 10, 11, 21, 42, 59, 40 और 68 आदि हैं । 22 कायमगंज के हैं । 7 नलकूप जो खराब पड़े थे, उनमें से 3 नलकूप, 135 फर्रुखाबाद, 16 कायमगंज व 3 कायमगंज के अब चालू हालत में करा दिये गये हैं । और 4 के बारे में मैंने बताया है कि यह रबी की फसल में चालू करा दिये जायेंगे, और जो बाकी 11 नलकूप के बारे में बताया है, उनके बारे में उत्तर पहले ही आ चुका है कि 5 नलकूप परित्याग हेतु हैं यानी यह नहीं बन सकते हैं और जो बन सकते हैं उसमें 56 कायमगंज का है और 20 व 21 इगादपुर-समचीपुर के हैं । 11 बन्द नलकूपों का विवरण इस प्रकार है । 8 फर्रुखाबाद, 27, 34, 136 व 163 फर्रुखाबाद का पुनः छिद्रीकरण कर दिया गया है, केवल उर्जीकरण करना बाकी है । इसके अतिरिक्त 17 कायमगंज का पुनः छिद्रण केन्द्रीय जल सवेक्षण संगठन द्वारा प्रस्तावित है, और 138 फर्रुखाबाद, 138 फर्रुखाबाद 18 कायमगंज, 179 फर्रुखाबाद, और 69 कायमगंज वाले खराब हो गये हैं, यह अब नहीं बन सकते हैं । दो और इसमें चालू कर दिये गये हैं 189 फर्रुखाबाद का और दूसरा है 60 कायमगंज, ग्राम जोहरी का । तो जितने ठीक हो सकते थे, वह सब करा दिये गये हैं । 4 रबी की फसल में ठीक हो जायेंगे । 5 पूरी तरह खराब हो गये हैं और 7 बाकी हैं, जिनका छिद्रण बाकी है ।

विद्युत विभाग का औद्योगिक इकाइयों आदि पर पचास हजार रुपए से अधिक बकाये की धनराशि की वसूली न किए जाने का कारण

श्री—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ऐसे कितने व्यक्ति और संस्थाएं एवं औद्योगिक इकाइयां हैं जिन पर बिजली का पचास हजार रुपए से अधिक का धन बकाया पड़ा है ? उनसे वसूली न होने का क्या कारण है ? क्या इस प्रकार की बकाया बड़ी वसूली ही परिषद् के घाटे का कारण बनती जा रही है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम अंतार दीक्षित)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने 1-2-88 को प्रश्न किया था कि ऐसी कितनी इकाइयां हैं जिन पर 50 हजार से अधिक का बिजली का बिल बकाया है ? हर महीने का बिल बनकर हर फैक्ट्री को पहुंच जाता है आज 1-2-82 से इतना समय हो गया और यह सूचना ही एकत्र कर रहे हैं यह तिवारी जी की गतिशील सरकार है ।

श्री अध्यक्ष—

आठ महीने से तिवारी जी तो नहीं हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

दो महीने तो हो गए हैं । मान्यवर, जैसे हिण्डालको है यह इतनी बड़ी कम्पनी है इसको इतनी बिजली दी जाती है, बड़े-बड़े जितने उद्योग समूह हैं वह एक पैसा भी बिजली का जमा नहीं करते हैं । करोड़ों रुपया उन पर बकाया है, तो क्या इनसे पैसा वसूलने की कृपा करेंगे ? किसान के ऊपर तो एक पाई भी रह जाती है तो उसे हवालात में बन्द कर दिया जाता है लेकिन बड़े-बड़े उद्योग समूहों पर करोड़ों रुपया बकाया होने पर भी वसूली नहीं की जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या मंत्री जी इसी सत्र में इसकी सूचना एकत्र कराकर बता देंगे ?

ऊर्जा मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए थे एक तो इन्होंने सूची मांगी थी और कहा इसमें वसूली न होने के क्या कारण हैं, तो इसमें हम कार्यवाही कर रहे हैं सूचना एकत्र करने में टाइम लगता है इसलिए यह उत्तर दिया गया है अगर सूची आप चाहते हों तो हम परसों भिजवा देंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

सूची से काम चलने वाला नहीं है वसूली न होने के कारण विद्युत परिषद् का घाटा बढ़ता जा रहा है, आप इन बड़े-बड़े उद्योग समूहों से पैसा क्यों नहीं वसूल करते हैं, जितने लोगों के पास पैसा बकाया है उनके नाम सदन में आने चाहिए । कांग्रेस पार्टी इनसे चन्दा लेने की वजह से पैसे की वसूली नहीं करती है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को और माननीय सदस्य को, हमारी पूरी कोशिश है कि एक-एक पैसे की वसूली की जाए इसमें कोई रियायत नहीं बरती जायेगी । हम एक-एक चीज का परीक्षण करवा रहे हैं आप आश्वस्त रहिए किसी बड़े आदमी पर कोई पैसा बकाया नहीं रहेगा ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

कितने उद्योगपति ऐसे हैं जिनके कनेक्शन काटे गए ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

1 अगस्त से लेकर प्रदेश भर में लगभग साढ़े पांच हजार डिस-कनेक्शन हुए हैं । पूरे प्रदेश में 3 हजार 241 लोग जेल भेजे गए हैं जिससे 1800 लोग लगभग ऐसे हैं जो उद्योगों से संबंधित हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

मंत्री जी कह रहे थे कि वसूली जल्दी करायेंगे अगर वह सत्य बोलते हैं तो क्या यह बतायेंगे कि वसूली कब तक कर ली जाएगी और वसूली न होने पर कनेक्शन काट दिए जायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने अभी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वसूली के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में डिसाफनेक्शन भी किए गए हैं और बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है । हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम बकाए की वसूली कर सकें । जिन मामलों में अदालतों से स्टे हैं उनमें स्टे को वैकेट कराकर धन की रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, वैसे तो तिवारी जी का यह थियेटर घटी दर पर चल रहा है इसलिए विश्वास नहीं होता है । आप समय बता दें कि कितने समय में वसूली हो जायगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई गलत बोलने का सवाल नहीं है । मैं जो कुछ कह रहा हूं वह जानकारी के आधार पर विश्वासपूर्वक कह रहा हूं कि वसूली के लिए पूरा प्रयास किया जायगा ।

श्री अमर चन्द्र–

अभी मंत्री जी ने बताया कि साढ़े 5 हजार विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से 5 लाख के ऊपर के बकाया के कितने लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं इसको बता दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस समय इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है । मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी करा दूंगा ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने पूछा था कि 5 लाख से ज्यादा बकायेदार किसानों लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं । आप यह बता दीजिए कि जिनके एक हजार या पांच सौ रुपए बकाया था उनमें से कितनों के कनेक्शन काटे गए हैं । हम बूढ़े हो गए, हमने हर सरकार के कार्य-कलापों को देखा है । हमेशा हिन्डालको पर बकाया ही रहा है । हमारे मंत्री कहते हैं कि हम वसूल कर रहे हैं, वसूली जरूरी होगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे लेकिन जब इनकी जेब में पड़ जाता है तो छोड़ देते हैं । तिवारी जी बैठे हैं बिजली विभाग इनके पास भी रहा होगा । हिंडालको का सन् 52 से लेकर क्या आज तक बकाया क्लियर हो गया ? सुशीला जी भी बैठी हैं बता दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय, मैंने इसके पहले बहुत विनम्रता से कहा कि इस बीच बिजली की चोरी करने वालों, ओवरलोडिंग करने वालों के बहुत से कनेक्शन काटे गए हैं । इसमें 3241 लोग जेल भेजे गए हैं। इसमें से 18 सौ लोग ऐसे हैं जो उद्योगों से संबंधित है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी तरफ से प्रयास हो रहा है । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने बड़े बड़े लोगों पर बकाया है उसको जरूर वसूल करेंगे मुरव्वत का सवाल नहीं है । जैसा कि राम शरण दास जी ने कहा कि जेब में चला जाता है तो छोड़ देते हैं तो आप आश्वस्त रहें जेब में नहीं जाने पायेगा आयेगा तो उधर भिजवा देंगे ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जो बकाया है उसमें से उद्योगों, सरकारी विभागों, किसानों पर कितना बकाया है ? कितने मामले ऐसे हैं जिनमें कोर्ट से स्टे हो गए हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्रीमन् यह प्रश्न इसमें नहीं था, लेकिन चूंकि सम्मानित सदस्य जानकारी चाहते हैं, इसलिए मैं बता देता हूं । श्रीमन् उद्योग पर 117 करोड़ रुपया बकाया है और यह जो डामेस्टिक है, उस पर 103 करोड़ रुपया बकाया है और निश्चित सूचना तो मेरे पास इस समय नहीं है, लगभग 84 करोड़ रुपया किसानों पर बकाया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी इस समय 12-10 हो रहे हैं, अभी नत्थी (ख) में कुछ सवाल और पूरा नत्थी (ग) बाकी है, आप चाहते हैं कि पूरा समय इसी पर ले लिया जाय और 12-20 तक यही प्रश्न चलेगा ?

फैजाबाद जनपद में खराब पड़े ट्रांसफार्मर के कारण क्षतिग्रस्त फसल का विवरण

*9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कितने ट्रांसफार्मर कितने दिनों से खराब पड़े हैं तथा उसके कारण बन्द पड़े नलकूपों और सिंचाई सुविधा न मिल पाने के कारण क्षतिग्रस्त फसल का विवरण क्या है ? इसके लिये दोषी लोगों को दण्डित करने और सभी खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को ठीक करा देने का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री राम आंतार दीक्षित—

जनपद फैजाबाद में जनवरी 1988 से अगस्त 1988 तक की अवधि में विभिन्न क्षमता के 197 ट्रांसफार्मर खराब हुये जिनमें से 187 को बदल दिया गया है । ट्रांसफार्मरों की खराबी के कारण बन्द हुये नलकूपों से फसल को हुयी क्षति का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है ।

इसके लिये कोई दोषी नहीं है । शेष 10 खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को नये ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही शीघ्र बदल दिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 197 ट्रांसफारमर खराब हुए, श्रीमन् हमने पूछा था कि जनपद फैजाबाद में कितने ट्रांसफारमर कितने दिनों से खराब पड़े हैं, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि 8 महीने में 197 ट्रांसफारमर खराब हुए । श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका जरा विवरण दे दें कि किस महीने में कितने ट्रांसफारमर इन आठ महीनों के बीच खराब रहे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आपके विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इन ट्रांसफारमरों को ठीक कराने में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं । श्रीमन्, माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि इन 197 खराब ट्रांसफारमरों को कब बदला गया और उससे कितने नलकूप चलते रहे ? यह विवरण श्रीमन् दे दें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री राम आंतार दीक्षित—

मान्यवर, जनवरी में 21 ट्रांसफारमर खराब हुए, फरवरी में 21 ट्रांसफारमर खराब हुए, मार्च में 31 ट्रांसफार्मर खराब हुए, अप्रैल, में 19 ट्रांसफारमर खराब हुए, मई में 18 ट्रांसफारमर खराब हुए, जून में 30 ट्रांसफारमर खराब हुए, जुलाई में 31 ट्रांसफारमर खराब हुए और अगस्त में 26 ट्रांसफारमर खराब हुए। इस प्रकार 197 ट्रांसफारमर खराब हुए । अब आपने जो यह प्रश्न किया है कि ये खराब ट्रांसफारमर कब-कब बदले गये, तो उसका विवरण इस प्रकार है :—

जनवरी में 19 ट्रांसफारमर बदले गये । फरवरी में 18 ट्रांसफारमर बदले गये । मार्च में 30 ट्रांसफारमर बदले गये । अप्रैल में 17 ट्रांसफारमर बदले गये । मई में 18 ट्रांसफार्मर बदले गये । जून में 29 ट्रांसफार्मर बदले गये । जुलाई में 28 ट्रांसफार्मर बदले गये और अगस्त में 24 ट्रांसफार्मर बदले गये । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जो 10 ट्रांसफारमर खराब थे वे भी सितम्बर में बदल दिये गये हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि 197 ट्रांसफार्मरों में से कुल कितने नलकूप प्रभावित होते हैं और वह कितने दिनों तक बन्द रहे हैं उन्होंने कहा कि फसल की क्षति का अंदाजा नहीं लगा सकता ? आप कृपया यह विवरण दिला दें कि 197 ट्रांसफार्मरों पर कितने ट्यूबवेल आधारित थे और वह कितने दिन बन्द रहे ?

श्री राम आँतार दीक्षित–

मान्यवर, प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि ट्रांसफार्मर के कारण बद पड़े नलकूपों और सिंचाई सुविधा न मिल पाने के कारण क्षतिग्रस्त फसल का विवरण क्या है तो मान्यवर, क्षतिग्रस्त फसल तो उर्जा विभाग देखता नहीं है यह तो राजस्व विभाग का काम है कि वह देखें कि कितनी फसल क्षतिग्रस्त हुई है । अगर माननीय विधायक यह सूचना चाहते हैं तो उन्हें उसकी सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है । मान्यवर, जो ट्रांसफार्मर खराब हुए है जो बिजली विभाग से संबंधित है वह सूचना हमारे पास उपलब्ध है, वह माननीया सदस्य को हम दे रहे हैं ।

रेशम उद्योग को बढ़ाने के लिये मास्टर प्लान

*10–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बड़ी मात्रा में रेशम बाहर से मंगाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या शासन प्रदेश में बड़े पैमाने पर रेशम उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार कर रहा है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्रीमती बेनी बाई–

जी हां ।

रेशम उद्योग के विकास की योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा ककून के उत्पादन को प्रोत्सहित करने हेतु ककून मूल्य में वृद्धि, रीलिंग इकाइयों की स्थापना एवं वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना सम्मिलित है । इस योजना को कार्यान्वित करने में सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड से सहयोग लिया जा रहा है और उनके माध्यम से विश्व बैंक की सहायता लेने का प्रयास भी किया जा रहा है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, बनारस और उसके आसपास प्रतिवर्ष लगभग ढाई हजार टन रा सिल्क की खपत होती है और प्रदेश में उत्पादित रा सिल्क 26-27 टन वार्षिक है और इतनी बड़ी मात्रा में हमें सिल्क आयात करना पड़ रहा है । इस बड़े पैमाने पर सिल्क का आयात करने की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश में सिल्क उत्पादन की कोई दूरगामी योजना क्या बनाई गयी है यदि बनाई गयी है तो वह क्या है और उसके ऊपर कितना बजट में प्रावीजन किया गया है ? उस योजना को मूर्तरूप देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इसका स्पष्ट जवाब दें ।

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, यह तो सत्य है कि हमारे प्रदेश में हमारी खपत ढाई हजार मैट्रिक टन है लेकिन उत्पादन 28 मैट्रिक टन धागे का किया जाता है । अब मान्यवर, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है प्रदेश में इस समय विशेष रूप से निजी क्षेत्र एवं वन विभाग की भूमि पर वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 88-89 में वन विभाग द्वारा लगभग 25 लाख शहतूत के वृक्ष लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है निजी क्षेत्र में भी 40 लाख शहतूत के वृक्ष लगाये जाने का लक्ष्य है और इसी तरह से रेशम उद्योग के विकास हेतु 300 सहकारी समितियों के गठन का भी प्रस्ताव है । इससे हमारी स्थिति में सुधार होगा और हमें आशा है कि हम जल्दी ही इसमें वृद्धि कर लेंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इस वार्षिक बजट में कितना प्राविधान किया गया है या आगे आने वाले बजट में कितना प्राविधान करने की योजना है ? मान्यवर, इस प्रदेश की जलवायु और यहां का वातावरण सिल्क उत्पादन के लिए उपयुक्त है लेकिन शासन की शिथिलता के कारण उत्पादन कम हुआ है तो माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि हमारे यहां जो आयात की समस्या है इतने बड़े सिल्क की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कौन सा मास्टर प्लान माननीय मंत्री जी ने तैयार किया है ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, इस योजना की जानकारी आपको दे दी है इसमें जो भी कदम उठाये गये हैं वह अगले बजट के उसमें बता दूंगी लेकिन इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिल्क की कीड़ों का उत्पादन तथा शहतूत के वृक्ष लगाने से सिल्क पैदा होगा इसके लिए सिल्क सेन्ट्रल बोर्ड है वह विश्व बैंक की पोषित परियोजना विचाराधीन है और उसमें अनुमानित 484 लाख रुपये की योजना प्रस्तावित है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रेशम के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हरदोई में कौन कौन सा प्रयास किया गया और क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगी कि जब वह कह रही हैं कि प्रदेश में रेशम के उद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा तो क्या इसके लिए अलग से रेशम निदेशालय स्थापित करने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती बेनी बाई–

सिल्क निदेशालय हमारा पहले से बना हुआ है जो पिछले साल से चल रहा है और इसमें पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि इसमें वृद्धि करें ताकि हमें बाहर से आयात न करना पड़े । मान्यवर, जो कदम हर जिले के लिए उठाये जा रहे हैं वही हरदोई के लिए भी उठाया जा रहा है उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, वैसे माननीय सदस्य जो सूचना दे देंगे उस पर गौर करेंगे ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, पूर्वान्चल के जिलों में रेशम उत्पादन को विकसित करने के लिए क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है यदि हां तो क्या फैजाबाद जिले का कोई आकंलन मंत्री जी के पास है ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, वैसे तो यह योजना अभी शहतूत के वृक्ष का 35 जिलों में चल रही है, उसकी एक लम्बी सूची है । यदि मा0 सदस्य चाहें तो उसको पढ़ सकती हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ में फ्लैटों के क्रय का विवरण

*11–**श्री गौरी शंकर भइया–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ में कितने फ्लैट्स के क्रय हेतु कितनी धनराशि आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश को दी गयी थी ? उसमें से कितने फ्लैट्स कब मिले और कितने फ्लैट्स मिलने बाकी हैं और क्यों? क्या उक्त कालोनी के बाकी फ्लैट्स लिये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ?. यदि नहीं, तो इस कारण शासकीय कोष को हुई हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[बुधवार, दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का पत्र

*1–**श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की शराब खोरी और विभाग के अधिकारियों में नशबन्दी लागू करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-12-87 का पत्र राजस्व मंत्री को मिल गया है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त मांग समेत सात सूत्री मांगों के समर्थन में 22 फरवरी, 88 को जनता पार्टी के 32 लोगों ने जिला मुख्यालय फैजाबाद पर गिरफ्तारी दी थी ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नोट:–नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जौनपुर जनपद के गांव गौरा में विद्युतीकरण की प्रगति की जानकारी

*2–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित श्री यदुनाथ सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव के प्रस्तावित विद्युतीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है? यदि हां, तो उसे कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

ग्राम का विद्युतीकरण मार्च 1989 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

संसाधनों की कमी के कारण विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

*3–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

[2 सर मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के मल्लावां में निर्मित सब स्टेशन को चालू करने की मांग

*4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां में निर्मित सब स्टेशन को चालू न किये जाने के क्या कारण है और इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इस सब-स्टेशन के अधिकांश कार्य एवं इससे संबंधित 33 के0 वी0 लाईन के निर्माण का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है । अतः यह सब-स्टेशन अभी तक चालू नहीं हो पाया है ।

सब-स्टेशन को वर्ष 1988-89 में चालू करने का प्रयास किया जायेगा । कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी ।

उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों की बाडी का निर्माण निगम के कार्यशालाओं में न कराकर अन्य फर्मों से कराये जाने का कारण

*5–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों की बाडी का निर्माण निगम की कार्यशालाओं से न कराकर आंध्र प्रदेश के प्राईवेट बिल्डरों द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि परिवहन निगम की 127 बसें जो कि बाडी बनने हेतु आंध्र प्रदेश भेजी गयी थी, गायब हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुख्य मंत्री ने इस प्रकरण की जांच कराने के आदेश किये है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

यह कहना सही नहीं है। सही स्थिति यह है कि परिवहन निगम की कानपुर में स्थित केन्द्रीय कार्यशाला तथा एेलन फारेस्ट कार्यशाला में निगम की पुरानी गाड़ियों पर रिनोवेशन के साथ नई बस बाडी का निर्माण भी कराया जाता है । इन दोनों कार्यशालाओं की पूरी क्षमता के उपयोग के बाद ही निगम की आवश्यकता को देखते हुए बाहर की फर्मों से नव-बाडी निर्माण करवाया जाता रहा है, जिसमें मे0 हैदराबाद आल्विन भी एक फर्म है जो प्राइवेट बाडी बिल्डर नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं की बिसौली तहसील में उद्योग लगाने की मांग

*6–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि बदायूं जनपद की तहसील बिसौली उद्योग शून्य है? यदि हां, तो क्या तहसील बिसौली (बदायूं) में कोई बड़ा उद्योग लगवाने की मंत्री जी घोषणा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, बदायूं जनपद की बिसौली तहसील उद्योग शून्य घोषित है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी शून्य तहसील में एक करोड़ रुपया अथवा उससे अधिक स्थायी पूंजी विनियोजन करके किसी उद्यमी द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रथम इकाई को विशेष पूंजी उपादान देने की योजना लागू की गई है जिससे शून्य तहसीलों की उद्योग शून्यता समाप्त हो सके। अभी तक किसी भी निजी उद्यमी से बिसौली में बड़ा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं प्राप्त हो सका है। शासन की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये बिसौली तहसील में किसी बड़े उद्योग की स्थापना हेतु शासन द्वारा घोषणा किया जाना सम्भव नहीं है।

मिर्जापुर जनपद स्थित हिन्डालको अल्यूमिनियम फैक्ट्री को विद्युत आपूर्ति तथा छूट

*7–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद स्थित हिन्डालको अल्यूमिनियम फैक्ट्री में कितने मेगावाट विद्युत आपूर्ति को वाणिज्यिक कार्यों हेतु संविदा है? क्या उसे आपात कालीन विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत भी विद्युत आपूर्ति की जाती है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में आपात कालीन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिमाह औसतन कितने मेगावाट विद्युत आपूर्ति की गयी और किस दर से? अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से उसी अवधि में किस दर से विद्युत आपूर्ति की गयी ?, हिन्डालको की दरों में छूट दिये जाने का कारण क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

(क) 20 मेगावाट।

(ख) जी हां। संविदा के अनुसार आपात कालीन विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्डालको

फैक्ट्री को 60 मेगावाट तक की विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। उसकी आंकलन वर्ष में खपत की अधिकतम सीमा 120 मिलियन यूनिट है।

(ग) गत दो वर्षों में आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिमाह 60 मेगावाट से कम ही विद्युत आपूर्ति की गई है जिसका विस्तृत विवरण संलग्नक "अ" में दिया गया है। इस आपात कालीन विद्युत आपूर्ति की दरें 1-2-86 से निम्नलिखित है:—

(क) डिमान्ड चार्ज—रु0 16.50 प्रति के0 वी0 ए0 प्रति सप्ताह। एच0 वी0-2 टैरिफ की दरों के साप्ताहिक आधार पर परिवर्तित करते हुए। बिल योग्य डिमान्ड पर

(ख) इनर्जी चार्ज—76 पैसे प्रति यूनिट

(ग) रिबेट— 132 के0 वी0 पर विद्युत आपूर्ति के लिए एच0 वी0-2 टैरिफ के अनुसार जो वर्तमान में 7.5 प्रतिशत है।

(घ) न्यूनतम डिमान्ड चार्ज—4,07,00,000/- रुपये प्रति वर्ष जो कि प्रति मास 33,91,667/- रु0 की दर से देय है।

उपरोक्त (क) व (ख) के अतिरिक्त ईंधन अधिभार तथा विद्युत कर अलग से चार्ज किया जाता है। अन्य वाणिज्यक उपभोक्ताओं को इसी अवधि में निम्न दर से विद्युत आपूर्ति की गई:—

(क) डिमान्ड चार्ज- बिल योग्य डिमान्ड पर रु0 66/- प्रति के0 वी0 ए0 प्रतिमाह।

(ख) इनर्जी चार्ज—70 पैसे प्रति यूनिट।

(ग) रिबेट/अतिरिक्त चार्ज—विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज के अनुसार एच0 वी0-2 टैरिफ के नियमानुसार।

(घ) न्यूनतम चार्ज—स्वीकृत भार का रु0 792/- प्रति के0 वी0 ए0 प्रति वर्ष जो कि 66 रु0 प्रति के0 वी0 ए0 प्रति मास की दर पर देय है।

उपरोक्त (क) व (ख) के अतिरिक्त ईंधन अधिभार तथा विद्युत कर अलग से चार्ज किया जाता है।

हिन्डालको को विद्युत आपूर्ति की दरों में कोई छूट नहीं दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 232 पर)

बुन्देल खण्ड एवं विंध्य के पठारी जनपदों में राजकीय नलकूपों की क्षमता कम करने की मांग

*8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय नलकूप को सफल माने जाने के लिए न्यूनतम क्षमता पन्द्रह हजार गैलन प्रति घन्टा पानी देने की निश्चित की गई है? यदि हां, तो क्या शासन बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के पठारी जनपदों में पानी के निचले जल स्तर एवं सिंचाई के सीमित साधनों को देखते हुए इस सीमा को कम करके न्यूनतम 5,000 गैलन प्रति घन्टा करने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित मोहन मीकिन्स ब्रूवेरीज को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

*9–श्री अर्जुन सिंह यादव व श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित मोहन मीकिन्स ब्रूवेरीज से निकलने वाला विषाक्त एवं प्रदूषित पानी से गोमती नदी को स्थायी छुटकारा दिलाने हेतु संस्थान को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मोहन मीकिन्स आस्वनी, लखनऊ, जिसके परिसर में ब्रूवेरीज भी स्थित है, द्वारा उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु पूर्ण शुद्धीकरण संयत्र स्थापित किया जा चुका है। अतः उक्त उद्योग को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में चम्बल डाल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जांच

*10–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में चल रही चम्बल डाल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो तो जांच अधिकारी कौन है और प्रक्रिया किस स्तर पर है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद में दादरी एवं नोएडा में अनियमित रूप से बनने वाली अद्यो-गिक इकाइयों को नियमित करने की मांग

*11–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0 टी0 रोड पर गाजियाबाद से दादरी से नोएडा रोड पर अनियमित रूप से बनने वाली औद्योगिक इकाईयों को नियमित करने के लिये किसी प्राधिकरण को बनाने का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है? यदि नही, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर अनाज की तस्करी के सम्बन्ध में पत्र

*12—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में भारत नेपाल सीमा पर अनाज की तस्करी के संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने रोकथाम हेतु वर्ष 1986 एवं 1987 में अनेक बार राज्य सरकार को पत्र लिखा था? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या था और उनके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

भारत नेपाल सीमा पर अनाज की तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 1986 एवं 1987 में कोई पत्र राज्य सरकार को नहीं लिखा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*13—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[4थे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ में पम्प नहर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

*14—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1988 जो लखनऊ जनपद के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के अन्तर्गत 20 वर्षों पूर्व निर्मित करायी गयी पम्प नहरों के जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

प्रश्नगत पम्प नहरें (लतीफ नगर तथा कल्लन खेड़ा) यद्यपि काफी पुरानी हैं परन्तु इनसे यथासम्भव अधिक से अधिक सिंचाई की जा रही है । सामान्य रख-रखाव हेतु धन का प्राविधान किया जाता है जो सिंचाई सुविधा बनाये रखने हेतु पम्प नहरों के सामान्य रख-रखाव में ही खर्च किया है । इन पम्प नहरों के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं, जिसमें आपरेटरों के आवासीय क्वार्टरों के सुधार हेतु भी धन का प्राविधान किया जा रहा है ।

*15—श्री मित्रसेन—

[5वें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इन्डोडच वाई लेटरल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित जनपद एवं योजना लागू करने में विलम्ब के कारण

*16—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने प्रदेश को इन्डोडच वाई लेटरल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 750 नये नलकूप निर्माण और 125 नलकूपों का नवीनीकरण तथा 215 पुराने नलकूपों को 18 घंटे विद्युत आपूर्ति लाइन से सम्बद्ध करने हेतु धन

दिया है ? यदि हां, तो उक्त योजना में प्रदेश के किन-किन जनपदों में कार्य आरम्भ किया गया तथा चयनित जनपदों के नाम क्या हैं और इस योजना को देरी से आरम्भ करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । 750 नलकूपों का निर्माण 125 नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा 200 वर्तमान राजकीय नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़े जाने का प्रस्ताव है ।

निम्नलिखित आठ चयनित जनपदों में उक्त कार्य कराया जाना है :–

1–बस्ती
2–गोण्डा
3–बहराइच
4–देवरिया
5–फैजाबाद
6–सुल्तानपुर
7–गोरखपुर
8–बलिया

नलकूपों के क्लस्टर चयन की कार्यवाही जनपद सुल्तानपुर फैजाबाद एवं देवरिया में प्रारम्भ कर दी गयी है ।

इस परियोजना का कार्य वर्ष 88-89 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था जिसकी अनुपालन में जनपद फैजाबाद, सुल्तानपुर एवं देवरिया में नलकूपों के क्लस्टर चयन की कार्यवाही की जा रही है । अतएव परियोजना को देरी से आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

टिहरी बांध निर्माण के लिये पत्थर व मिट्टी संग्रहीत किया जाना

*17–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध निर्माण के लिए पत्थर व मिट्टी किन किन जगहों से संग्रहीत की जायेगी? यदि पत्थर व मिट्टी डूब क्षेत्र से बाहरी स्थलों से संग्रहीत की जायेगी तो उन स्थानों के पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसे समाप्त करने की कोई योजना शासन के अधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

टिहरी बांध के निर्माण के लिये पत्थर व मिट्टी मुख्यत: दोबाटा तथा कोटी क्षेत्रों से प्राप्त की जायेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर बहुत कम मात्रा में मलदेवाल, डोबरा, तथा सिराई क्षेत्रों से भी प्राप्त की जायेगी । कुछ पत्थर स्पिलवे की खुदाई से भी उपलब्ध हो जायेगा।

दोबाटा जिससे 75% से अधिक सामग्री प्राप्त की जानी है, डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है । कोटी डूब क्षेत्र के बाहर है परन्तु यहां की जाने वाली खुदाई इतनी कम है कि इससे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । अन्य क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर ही खुदाई की जायेगी तथा वह भी बहुत ही कम मात्रा में जिससे पर्यावरण प्रभावित नहीं होगा ।

टिहरी बांध के सम्पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र के विकास एवं पर्यावरण के सुधार हेतु 138 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई है एवं इस योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण सुधार के उपाय किये जायेंगे ।

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर

*18–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर में दिनांक 21-12-87 से 31-1-88 तक 40 दिन की अवधि में 6 विद्युत ट्रांसफार्मर जिनकी क्षमता 160 के0 बी0 से 80 के0 बी0 ए0 तक थी, डैमेज हो गये थे, जिससे विद्युत परिषद् को लगभग 5 लाख रुपये की क्षति हुई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन ट्रान्सफार्मरों के डैमेज होने का मुख्य कारण ट्रान्सफार्मरों से तेल का बिलकुल गायब होना तथा गलत तरीके से लोड डालना व क्षमता से अधिक लोड डालना था ? यदि हां तो इस लापरवाही के कारण डैमेज हुए ट्रांसफार्मरों से विद्युत परिषद् को हुई क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*19–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[1ले शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खाद्य निगम तथा मार्केटिंग विभाग में कार्यरत सीजनल कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*20–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि खाद्य निगम तथा मार्केटिंग विभाग में कार्यरत सीजनल कर्मचारी जो 1973 से कार्यरत हैं तथा विभाग में कार्य करते हुए ही वह ओवरएज भी हो चुके हैं, ऐसे कर्मचारियों को अभी तक स्थाई न करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उन्हें शीघ्र ही स्थाई करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जनपद के जरी बुनकरों के आर्थिक उत्थान की योजना

1–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिहटा, परवाना, खानपुर, स्याना, जलालपुर, भड़कऊ, तलकपुर कला, अमरगढ़, दुलरुड़ा, बाघवाला, नवीननगर, जहांगीराबाद, जलीलपुर, गुगरासी, जनपद बुलन्दशहर में कितने परिवार हैं जो जरी की बुनाई के कार्य से अपना गुजारा करते हैं ? क्या उपरोक्त परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु उद्योग विभाग द्वारा कोई प्रभावशाली योजना स्वीकृत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई–

उल्लिखित ग्रामों के लगभग 701 बुनकर परिवार जरी एवं उससे संबंधित कार्य कर रहे हैं।

खानपुर, स्याना, दुलखड़ा तथा जहांगीराबाद में सहकारी समितियां पंजीकृत हैं । जिन परिवारों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के लाभार्थ चलाई जा रही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ब्याज उपादान योजना, हिस्सा पूंजी ऋण योजना आधुनिकीकरण योजना एवं प्रबंधकीय सहायता योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता नियमानुसार उपलब्ध कराई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद के ऐत्मादपुर क्षेत्र से गुजरने वाले सहपऊ बरहन राजबाहों तथा उनकी माइनरों की सफाई व मरम्मत कार्यों का सत्यापन

2–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र ऐत्मादपुर से गुजरने वाले सहपऊ बरहन राजबाहों तथा उनकी माइनरों की सफाई तथा मरम्मत के नाम पर वर्ष 1987-88 जो सूखे के वर्ष हैं, कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि सफाई तथा मरम्मत का कार्य सिर्फ कागजों में पूरा दिखाकर अधिकारियों तथा ठेकेदारों ने मिलकर लाखों रुपयों का घोटाला किया है? क्या मंत्री जी उन राजबाहों तथा उनकी माइनरों पर किये गये कार्यों का सत्यापन जिला अधिकारी, आगरा से कराकर दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूखे के वर्ष 1987-88 में विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र ऐत्मादपुर, जनपद आगरा में पड़ने वाली सहपऊ व बरहन राजबाहा प्रणालियों के आंशिक भाग की सफाई तथा मरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण इस प्रकार है:–

क्रमांक	नहर प्रणाली का नाम	माननीय विधायक जी के क्षेत्र में पड़ने वाली नहर की	
		लम्बाई कि0 मी0 में	वर्ष 87–88 में सफाई तथा मरम्मत पर हुआ व्यय (रुपया)
1	सहपऊ	56.88	1,56,730
2	बरहन	63.04	2,45,820

जी नहीं।

शासनादेश संख्या–3756/एमी/85-23-सिं-9-352, एसजी/85 दिनांक 19-10-85 के अधीन जिलाधिकारी, आगरा द्वारा गठित जांच समिति ने वर्ष 1987-88 में प्रश्नगत नहरों पर हुए सफाई के कार्यों को सन्तोषजनक पाया है। अतः अब पुनः जिलाधिकारी, आगरा द्वारा सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जनपद आगरा में निर्माणाधीन विरूनी खांडा नाला की खुदाई में व्यय

3–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के खांडा विरूनी नाले जिला आगरा की खुदाई में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और अब तक पूरा नाला न खुद पाने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र इत्मादपुर जनपद आगरा में निर्माणाधीन विरूनी खांडा (खांडा विरूना नहीं) नाला की खुदाई भूमि एवं पक्के कार्यों पर मार्च, 1988 के अन्त तक 48.76 लाख रु0 व्यय किया गया है। नाले के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के अध्याप्ति न होने के कारण पूरा नाला नहीं खुद पाया है।

भानपुर जनपद बस्ती में परिवहन निगम के बुकिंग क्लर्क श्री जंग बहादुर सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं उन पर कार्यवाही

4–श्री राम शरण दास–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुकिंग क्लर्क, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (श्री जंग बहादुर सिंह) भानपुर, जनपद बस्ती में गत 15 वर्षों से अपने ग्राम में ही नियुक्त हैं? क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि इस कर्मचारी के विरुद्ध थाना सोनहा, जनपद बस्ती में गत 3 वर्षों से कितने आपराधिक मुकदमें दर्ज हुए हैं और कितने न्यायालय में विचाराधीन हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री सूर्य नरायन पाण्डेय निवासी भानपुर दाबू के शिकायती पत्र दिनांक 24-4-87 तथा 17-11-87 प्राप्त हुआ है जिनमें उक्त कर्मचारी के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं? यदि हां, तो इस बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध विभागीय क्या कार्यवाही हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जनपद के नलकूप खण्ड (अनुरक्षण) डिवीजन प्रथम एवं द्वितीय में अंशकालीन नलकूप चालकों की नियुक्तियां

5–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के नलकूप खण्ड (अनुरक्षण) डिवीजन प्रथम व द्वितीय में अलग-अलग अंशकालिक नलकूप चालकों की नियुक्तियों एवं नियुक्तियों की संख्या के बारे में शासन के क्या निर्देश थे और अब तक कितनी नियुक्तियां की गयी हैं? उनमें सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग कितने लोग नियुक्त किए गए हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रत्येक नलकूप को चलाने के लिए नलकूप के ऊर्जीकरण की तिथि से अस्थायी पद सृजित करके नलकूप चालकों की नियुक्ति किये जाने के शासन के निर्देश थे।

अत: वाराणसी जनपद के नलकूप खण्ड (अनुरक्षण) डिवीजन प्रथम एवं द्वितीय अलग-अलग क्रमश: 84 व 68 नियुक्तियां की गयीं तथा उनमें सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग नियुक्त किये गये अंशकालीन नलकूप चालकों की संख्या निम्न प्रकार है :–

खण्ड का नाम	भरे गये पदों पर विभिन्न जाति के चालकों की नियुक्ति संख्या						योग
	सामान्य	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्प संख्यक	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	
1–नलकूप खण्ड–1 वाराणसी ..	44	25	13	शून्य	1	1	84
2–नलकूप खण्ड–2 वाराणसी ..	37	26	5	शून्य	शून्य	शून्य	68

जनपद बांदा के ग्राम देवखेरा जमुनिहा चौहार में विद्युत लाइन दुरुस्त करने की मांग

6–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा, तहसील नरैनी के ग्राम देवखेरा जमुनिहा चौहार में विद्युतीकृत होने के बावजूद भी खम्भों तथा तारों के टूट जाने से विद्युत व्यवस्था गड़बड़ हो गयी है? यदि हां, तो कब तक ठीक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, खम्भों व तारों के टूटने से नहीं वरन तार चोरी हो जाने से व्यवस्था खराब हो गई है।

तार इत्यादि उपलब्ध न होने के कारण इस लाइन को ठीक कराना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। सामान उपलब्ध होते ही इसे ठीक करा दिया जायेगा।

जनपद बस्ती में सरजू कैनाल परियोजना के अन्तर्गत भोजपुर पम्प कैनाल की सिंचन क्षमता व लागत की जानकारी तथा चकबंदी के खर्चे को सिंचाई विभाग द्वारा दिये जाने की मांग

7–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सरजू कैनाल परि-

योजना के अन्तर्गत भोजपुर पम्प कैनाल से निकलने वाली शाखायें कुल कितने एकड़ सिंचन क्षमता की होंगी तथा उनका कुल लागत मूल्य क्या है और अब तक उनको कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा उससे वे कब तक सिंचाई कार्य प्रारम्भ कर देंगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद बस्ती में सरयू परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन भोजपुर पम्प कैनाल (वास्तविक नाम उतरौला पम्प नहर) से निकलने वाली शाखायें एवं प्रणाली की प्रस्तावित सिंचन क्षमता 2,14,000 एकड़ है।

अनुमानित लागत रुपये 2,030.82 लाख है।

मार्च 1988 तक भोजपुर पम्प नहर के लिए लगभग 408 लाख रु0 की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

धन उपलब्ध होने पर जून 1990 से सिंचाई कार्य प्रारम्भ की जा सकती है।

8–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में जिन गांवों में सरजू कैनाल परियोजना के लिए सार्वजनिक कटौती से भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, उन गांवों के चकबन्दी के खर्चे को सिंचाई विभाग द्वारा जमा कराने का कष्ट करेंगे? क्या यह सही है कि यह भूमि गांव की कटौती से फ्री मिल रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चकबन्दी नियम/अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है।

जी हां।

जनपद बहराइच में कटरा लालबोझी मार्ग पर परशुराम नगर बाजार के पास पुल निर्माण

9–श्री राम सागर राव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में विकास खण्ड इकौना में कटरा लालबोझी मार्ग पर परशुराम नगर बाजार के पास दस वर्ष पूर्व पुल निर्माण आरम्भ किया गया था, जिसके अब तक पूर्ण न होने से आवागमन अवरुद्ध है? उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

वर्ष 1988-89 में विशेष रूप से धन उपलब्ध कराकर इस कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

सरयू नहर खण्ड काल्पीपारा, बहराइच के अवर अभियन्ता श्री जी0 पी0 गुप्ता का स्थानान्तरण

10–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर खण्ड काल्पीपारा, बहराइच के अधीनस्थ कार्यरत अवर अभियन्ता (श्री जी0 पी0 गुप्ता) सरयू नहर खण्ड 3 में कितने

वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या उनका स्थानान्तरण हुआ था ? यदि हां, तो स्थानान्तरण रोकने का प्रमुख कारण क्या है ? स्थानान्तरण कब तक के लिए रोका गया था ? सरयू नहर खण्ड–3 का पूर्व में क्या नाम था ? क्या यह सही है कि श्री गुप्ता को कार्यमुक्त किए जाने हेतु शासन स्तर से दो बार आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सरयू नहर खण्ड–3, बहराइच के अधीनस्थ कार्यरत अवर अभियन्ता, श्री जी0 पी0 गुप्ता, वहां पर दिनांक 4-4-79 से 19-5-88 तक कार्यरत रहे। श्री गुप्ता का स्थानान्तरण वर्ष 1986 में किया गया था। स्थानान्तरण जनहित में दिनांक 30-4-88 तक के लिए स्थगित किया गया था । सरयू नहर खण्ड–3, का पूर्व में शारदा सहायक, खण्ड–24, लखीमपुरखीरी नाम था।

श्री गुप्ता, अवर अभियन्ता, को सरयू नहर खण्ड–3, बहराइच से दिनांक 19-5-88 को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

जड़धनियां ड्रेन पडरौना, देवरिया हेतु अधिगृहित भूमि का मुआवजा

11–श्री बालेश्वर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जड़धनियां ड्रेन पडरौना, देवरिया की खुदाई कार्य 1984 में किया गया था? उक्त ड्रेन के खुदाई के कारण कुछ गांवों के किसानों को भूमि का मुआवजा दिया गया है तथा कुछ गांवों के किसानों के भूमि का मुआवजा अब तक बाकी है? बाकी मुआवजा अब तक न देने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी भूमि के मुआवजे के साथ ब्याज की धनराशि भी देने के आदेश देने का कष्ट करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

1–जी नहीं। इस ड्रेन की खुदाई का कार्य वर्ष 1980-81 में पूर्ण किया गया है।

2–जी हां, नाले की खुदाई में 12 ग्रामों की भूमि आ रही थी जिसमें से 2 ग्रामों का मुआवजा दे दिया गया है। शेष का दिया जाना है।

3–जिन दस गांवों का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है उन ग्रामों में चक-बन्दी चल रही थी जिससे नाले में ली गई भूमि अध्याप्ति नहीं हुई है । जैसे-जैसे धारा 52 का प्रकाशन हो रहा है, भूमि अध्याप्ति प्रकरणों की कार्यवाही की जा रही है।

4–वर्ष 1984 से मुआवजा बनाने की प्रक्रिया के अनुसार ब्याज सहित मुआवजा वितरित किया जाता है अतः इसके लिए अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

देवरिया जिले में स्थित मठिया राजबाहा द्वारा नहर से टेल तक पानी

12–श्री बालेश्वर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में स्थित मठिया राजबाहा द्वारा नहर से टेल तक किसानों को पानी मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। मिठ्या शाखा जो गण्डक नहर से निकलती है से प्रस्तावित नहरी क्षेत्र में रबी व खरीफ में पानी मिल रहा है।

दिनांक 28 अगस्त 87 को परगनाधिकारी टांडा जनपद फैजाबाद की अध्यक्षता में विद्युत आपूर्ति के संबंध में हुयी बैठक व कार्यवाही

13–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28-8-87 को परगना अधिकारी, टाण्डा, जिला फैजाबाद की अध्यक्षता में नगर विद्युत आपूर्ति के संबंध में नागरिकों व अधिकारियों की कोई बैठक हुई थी जिसमें उक्त संबंध में कोई प्रस्ताव पारित कर उसकी प्रतियां जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई थी? यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या प्रस्ताव पारित हुए थे? क्या मंत्री जी संबंधित प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। इस संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही संलग्न है।

इस विषय में निम्न कार्यवाही की गयी है ।

1–तीन नए एल0 टी0 विद्युत उपकेन्द्र बना दिए गए हैं ।

2–चार एल0 टी0 उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ा दी गयी है।

3–जहां-जहां पर आवश्यकता थी वहां बांस की फंटिया लगा दी गयी हैं एवं कमजोर तार बदल दिये गये हैं।

4–रोस्टरिंग को समय 10 से 11 व 4 से 5 बजे लागू कर दिया गया है।

5–इसके अतिरिक्त लाइन व विद्युत उपकेन्द्रों की कमियों को समय समय पर ठीक किया जाता है और विद्युत आपूर्ति नियमित रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

6–श्री एम0 क्यू0 खान, अवर अभियन्ता का कार्य क्षेत्र परिवर्तित कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 233 पर)

नगर बस सेवा, आजादनगर, कानपुर के टिकट एवं केबिल घोटाला काण्ड में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

14–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय नेता विरोधी दल विधान सभा का पत्र संख्या 3758/नीवद/विस/87 दिनांक 31-12-1987, जो परिवहन निगम के अन्तर्गत नगर बस सेवा आजादनगर, कानपुर के टिकट एवं केबिल घोटाला काण्ड में दोषी पाए गए अधिकारियों को निलम्बित किए जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

संदर्भित पत्र की प्राप्ति के पूर्व ही इस प्रकरण में जोनल लेखाधिकारी, मध्यांचल, लखनऊ द्वारा की गयी जांच के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को इस मामले में दोषी पाया गया:–

1––श्री टी0 सी0 सोनकर	. . . .	क0 के0 प्रभारी
2––श्री एस0 एन0 शर्मा . .	. . . .	. . ,, ,,
3––श्री ओ0 पी0 नाई . .	. . . .	. . जेसी/बीसी
4––श्री आर0 डी0 चौरसिया	. . . .	. . ,, ,,
5––श्री जे0 के0 भार्गव . .	. . . .	. . ,, ,,
6––श्री ए0 एन0 महेश्वरी	. . . .	. . ,, ,,
7––श्री आर0 के0 पाण्डेय	. . . .	. . ,, ,,
8––श्री बी0 बी0 सिंह . .	. . . .	. . वरि0 के0 प्र0

तत्पश्चात् इसी मामले की विशेष सम्परीक्षा जांच कराई गयी, जिसमें निम्न अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये:––

1––श्री वी0 पी0 लाल . .	. . . .	. . सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
2––श्री पी0 एन0 अवस्थी,	. . . .	. . जेसी/बीसी
3––श्री मोहम्मद इलियास	. . . .	. परिचालक
4––श्री बी0 डी0 अग्निहोत्री	. . . .	. जेसी/बीसी
5––श्री जी0 पी0 निगम . .	. . . .	. लेखाकार

उपरोक्त कर्मचारियों/अधिकारियों में से श्री ओ0 पी0 नाई तथा श्री जे0 के0 भार्गव को (निलम्बित) कर शेष कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किया गया । श्री वी0 पी0 लाल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को आरोप-पत्र देने की कार्यवाही अंतिम चरण में है । श्री लाल को एक अन्य मामले में निलम्बित भी किया जा चुका है ।

श्री वी0 पी0 लाल, स0 क्षे0 प्र0 को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों के मामलों में श्री बी0 सी0 जैन, सेवा-निवृत्त जिला जज द्वारा जांच की जा रही है । श्री जैन द्वारा जांच पूर्ण करने के उपरान्त ही दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

बलिया जनपद में दोहरी घाट मुख्य नहर व उसकी शाखाओं में टेल तक पानी व्यवस्था की मांग

15–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में दोहरी घाट मुख्य नहर और उसकी शाखाओं से किसानों को सिंचाई के लिए पानी न मिलने से किसानों को भारी क्षति हो रही है तथा जिन किसानों को पानी उपलब्ध नहीं होता है उनसे भी जबरन सिंचाई शुल्क का चार्ज लगाया जाता है? क्या सरकार दोहरी घाट मुख्य नहर

व उसकी शाखाओं में प्रारम्भ से अन्त तक पानी सुनिश्चित करने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

सिंचाई कर केवल उन्हीं कृषकों पर लगाया गया है जिन्होंने नहर के पानी से सींच की है।

बलिया जनपद की इन नहरों के अन्त तक पानी पहुंचाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद में केन नहर अतर्रा ब्रांच की सर्विस रोड की मरम्मत

16–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में बह रही केन नहर अतर्रा ब्रांच की सर्विस रोड पनगरा कोठी से लेकर ग्राम थर्मल तक भीषण रूप से क्षत विक्षत एवं टूटी फूटी है जिससे अधिकांश जगह नहर की पटरियों को टूटने का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस टूटी-फूटी पटरी को अविलम्ब ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

केन नहर अतर्रा ब्रांच की सर्विस रोड पनगरा कोठी से ग्राम धनैल तक जीप चलाने योग्य है तथा नहर की पटरियों की उक्त रीच में स्वत: टूटने की संभावना नहीं रहती है। इस सर्विस रोड की मरम्मत वार्षिक रख-रखाव हेतु उपलब्ध धनराशि के आधार पर कराई जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर आगामी वर्षों में भी करायी जायेगी।

केन प्रखण्ड बांदा अतर्रा ब्रांच के महुटा राजबहा की टेल में पानी न पहुंचने पर भी सींच टैक्स वसूलने के संबंध में श्री सुदामा गर्ग के पत्र पर कार्यवाही

17–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग, 021728 दिनांक 15-10-87 बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम महुटा के श्री सुदामा गर्ग के पत्र के साथ केन प्रखण्ड बांदा अतर्रा ब्रांच के महुटा राजबहा की टेल में पानी न पहुंचने पर भी सींच टैक्स वसूलने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या इस मामले की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-10-87 जो बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम महुटा के श्री सुदामा गर्ग के पत्र संख्या-627 की सींचकर मुक्त करने के संबंध में प्राप्त हुआ । इस प्रार्थना-पत्र पर जांच की गयी । जांच से विदित हुआ कि विगत खरीफ 1395 फसली में महुटा राजबहा पर ग्राम महुटा के चक संख्या-627 पर श्री सुदामा गर्ग के नाम कोई सींच दर्ज नहीं है और न ही उस पर सींच कर लगाया गया है ।

18—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सिंचाई विभाग द्वारा बाहर की फर्मों से खरीददारी

19—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त बिक्रीकर ने शासनादेशों के आधार पर एक परिपत्र सं0-विध-1-(1) (ए-3)-83-646-मुख्यालय दि0 31-7-82 सचिव, सिंचाई विभाग के पास इस अनुरोध से भेजा था कि उनके अधीनस्थ विभाग भविष्य में सारी खरीद प्रदेश के बिक्रीकर विभाग से पंजीकृत फर्मों से ही करें, ताकि सरकार को बिक्रीकर राजस्व की प्राप्ति हो सके ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या 1-8-82 के बाद उनके विभाग ने प्रदेश की बाहर की फर्मों से खरीद की ? यदि हां, तो किन-किन वर्षों में कितने-कितने रुपयों की और क्यों की ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत परिपत्र में इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया गया है कि भविष्य में सारी खरीद प्रदेश के बिक्रीकर विभाग से पंजीकृत फर्मों से ही करें ताकि सरकार को बिक्रीकर राजस्व भी प्राप्त हो सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में अर्जुन जलाशय के लिए श्री डस्वा आदि की अध्यापित भूमि

20—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री डस्वा पुत्र पीरू व चिरका पुत्र लल्ला ग्राम रगूपुरा कदीम तहसील चरखारी, जिला हमीरपुर ने 10-10-86 को अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड बांदा को प्रार्थना पत्र भेज कर शिकायत की है कि अर्जुन जलाशय के लिए अध्यापित की गयी जमीनों के पट्टे इस वर्ष उनको नहीं दिए गये जबकि उनको दो अन्य सह खातेदारों को पट्टे दिए गये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

सर्व श्री इस्वा पुत्र पीरू तथा चिरका पुत्र लल्ला से कोई भूमि आध्यापित नहीं की गयी । अतः इनको उक्त जमीन पट्टे पर देने का प्रश्न नहीं उठता । श्री भैया लाल पुत्र हरवंश काछी तथा श्री मुनियां पुत्र पुना काछी संविभाग ने भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा, भूमि अध्याप्ति की थी । श्री भैया लाल तथा श्री मुनियां की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसों की भूमि पट्टे पर दी गई है ।

छोटी गण्डक नदी पर बेलवा घाट एवं कप्तानगंज घाट पर पुलिया बनाने का प्रस्ताव

21—श्री जनार्दन प्रसाद आभ्रू तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनता पार्टी के शासन काल में छोटी गण्डक नदी की कोई योजना विभाग ने तैयार की थी, जिसके तहत बालाबाबा के घाट (पकड़यार-बिशुनपुर) बेलवा घाट एवं कप्तानगंज घाट पर पुलिया बनाने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो अब तक पुल न बनवाए जाने के क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जनपद की महराजगंज तहसील में प्रतिबंधित दिनों में शराब बेचने की शिकायत पर कार्यवाही

22–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की महराजगंज तहसील में प्रतिबंधित दिन प्रत्येक माह की पहली एवं सातवीं तारीख तथा सार्वजनिक अवकाश के दिन भी शराब बेचने की शिकायती प्रश्नकर्ता सहित अनेक जन-प्रतिनिधियों ने किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में तत्काल कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नकर्ता ने मा0 आबकारी मंत्री जी को सम्बोधित हस्ताक्षर रहित पत्र दिनांक 20-8-87 में यह शिकायत अंकित है कि शराब की दुकानें प्रतिबंधित दिन प्रत्येक माह की पहली तथा सात तारीख एवं त्यौहार के दिन भी खुली रहती हैं । उक्त पत्र की प्रति-लिपि आबकारी आयुक्त को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु भेज दी गयी थी ; प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2-5-88 को महराजगंज की देशी मदिरा की दुकान नं0 1 खुली पायी गयी । चूंकि दिनांक 1-5-88 को रविवार होने के कारण सार्वजनिक अवकाश दिवस था, अतः नियमानुसार आगामी कार्य दिवस दिनांक 2-5-888 को दुकान बन्द रहनी चाहिए थी । इस अनियमितता के लिए अनुज्ञापी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

जनपद देवरिया के पडरौना स्थित सुबास चौक के पास स्थित शराब की दुकान हटाने की मांग

23–श्री बालेश्वर–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–देवरिया के पडरौना स्थित सुबास चौक के पूरब तरफ देशी शराब की दुकान हटाने के लिए तमाम प्रार्थना-पत्र दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकान को हटाने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन चालकों/कर्मचारियों को स्वेच्छा से अवकाश लेने के आदेश के सम्बन्ध में जानकारी

24–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवहन चालकों तथा अन्य कर्मचारियों को मौखिक अथवा लिखित रूप में कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि वे स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त कर लें ? यदि हां, तो किनको और किन परिस्थितियों में ? इस प्रकार समय से पूर्व अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को होने वाली

हानि से बचाने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं ।

निगम स्तर पर चालकों तथा अन्य कर्मचारियों को ऐसा कोई लिखित अथवा मौखिक आदेश नहीं दिया गया है कि वे स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त कर लें ।

मध्य गंगा कैनाल को आगरा कैनाल से मिलाने के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

25–श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें मध्य गंगा कैनाल को हाथरस ब्रांच के हैड से यमुना पर एक्विडिक्ट बनाकर उसे सीधा आगरा कैनाल से मिलाने के संदर्भ में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या और यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता की मांग पर इसका सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

माननीय सदस्य के पत्र में उल्लिखित सुझाव का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है । अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मध्य गंगा परियोजना में प्राविधानित जल प्रयोग से अतिरिक्त जल उपलब्धता एवं तकनीकी परीक्षण के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जाना संभव होगा ।

सिंचाई विभाग की रिवर डायवर्जन स्कीम

26–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियन्ता सिंचाई के पत्र संख्या–151/आई0पी0सी0-6/45-2/पी दिनांक 1-4-1987 में उल्लिखित "रिवर डायवर्जन स्कीम" क्या है क्या सम्पूर्ण योजना को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ द्वारा प्रसारित कार्यालय ज्ञाप संख्या–151/आई0पी0सी0-6/यू-2/पी-2031 दिनांक 1-4-87 में उल्लिखित "रिवर डाईवर्जन स्कीम" का तात्पर्य ऐसी योजनाओं से है जिनके द्वारा नदी के पानी को नहरों के माध्यम से सिंचाई के उपयोग हेतु ले जाया जाता है । इस नाम की कोई एक विशेष योजना नहीं है जिसे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा सके ।

उतरौली चुंगी नाके के पास शहर जनपद गोण्डा की विद्युत लाइन शिफ्टिंग की कथित योजना

27–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला चुंगी नाके के पास शहर जनपद-गोण्डा की 11 के0 वी0 नं0-9 की विद्युत लाइन शिफ्टिंग की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और इस लाइन को हटाने में कुल कितना खर्च आयेगा तथा हटाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग आदि के शिविरों में सलेक्शन ग्रेड के पद पर प्रोन्नति प्रक्रिया

28–श्री महाराजा सिंह चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा अन्य मुख्य अभियन्ताओं के शिविरों में सलेक्शन ग्रेड के पद पर स्थापित पदों पर अभी तक प्रोन्नति की प्रक्रिया क्यों नहीं आरम्भ की गई है और इसे कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में एडहाक आशुलिपिक/लिपिकों को हटा कर चयनित आशुलिपिकों को रखने की मांग

29–श्री महाराज सिंह चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि सिंचाई विभाग में बिना परीक्षा पास किये ही एडहाक बेसिस पर कितने आशुलिपिक/लिपिक कार्यरत हैं ? उन्हें हटाकर चयनित आशुलिपिकों को कब तक रखा जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद द्वारा 86 में ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण आशुलिपिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करना

30–श्री महाराज सिंह चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल इलाहाबाद द्वारा आशुलिपिकों की परीक्षा का आयोजन 1986 में किया गया था ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि कार्यालय आदेश संख्या 7345 ई0 दि0 अक्तूबर, 14, 1987 द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत कितने अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और नियत तिथि के समाप्त हो जाने के बाद कितने उनके निम्न स्तर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आदेश दिये गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

ग्यारह अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । नियत तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् वर्ष 1986 में आयोजित परीक्षा के आधार पर तैयार की गयी सूची में से वरिष्ठता क्रम में नीचे के ग्यारह अभ्यर्थियों को कार्यालय द्वारा संख्या 5589/इ–4 दिनांक:–13-7-88 द्वारा नियुक्ति दिए जाने के आदेश दिए गये ।

इलाहाबाद के मंझनपुर क्षेत्र में कलेस्टर टवाइंटो ग नलकूप लगाया जाना

31–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की नीतिनुसार विश्व बैंक द्वारा लगाये जा रहे नलकूप कलस्टर प्वाइन्ट युक्त क्षेत्र में ही पहले प्राथमिकता के आधार पर लगाये जाने वाले सुनिश्चित हुए थे ? यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर जनपद इलाहाबाद में अभी कितने कलस्टर प्वाइंट अवशेष हैं जिस पर नलकूप लगाये जाने हैं ? क्या यह सही है कि कलस्टर प्वाइंट रहित स्थानों पर भी नलकूप लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो मंझनपुर में कलस्टर प्वाइंट पर कब तक नलकूप लगा दिये जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा से हसनपुर मार्ग पर रात्रि बस सेवा की मांग

32–श्री जगवीर सिंह तथा श्री कुशलपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में मथुरा से हसनपुर (त0 माट) में कितनी बसें वर्ष 1984, 84-85 तथा 85-86 में नाइट सर्विस करती थीं और अब कितनी बसें नाइट सर्विस कर रही हैं ? क्या यह सही है कि लम्बे समय से, नाइट सर्विस करने वाली बसों को बन्द करने से इस क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा हो गई है ? बड़ी बसों के स्थान पर छोटी बसें भी चल रही हैं ? यदि हां, तो यह मथुरा हसनपुर मार्ग पर जनता की सुविधा हेतु पुरानी व्यवस्था लागू करने तथा दोपहर के समय बसें चलाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

मथुरा हसनपुर मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा नाईट सर्विस का अभी संचालन नहीं किया गया । वर्ष 1984 में हसनपुर (त0 माट) में एक रात्रिवास करती थी । परन्तु दिनांक 17-11-84 से उक्त बस सेवा को नेवली पचहरा तक बढ़ा देने के कारण अब उक्त बस हसनपुर में रात्रिवास नहीं करती है ।

इस व्यवस्था से जनता को कोई असुविधा नहीं है ।

जी नहीं ।

हसनपुर की जनता को और अधिक सुविधा देने के दृष्टिकोण से वर्तमान में उक्त बस सेवा एक चक्र दोपहर में संचालित की जा रही है ।

गंगा बैराज के सहायक अभियन्ता श्री बी0 पी0 सिंह के विरुद्ध नरौरा (बुलन्दशहर) के नागरिकों की शिकायत पर कार्यवाही

33–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 जुलाई, 1987 को जनपद बुलन्दशहर के कस्बा नरौरा के नागरिकों ने गंगा बैराज के सहायक अभिन्ता (प्रथम) श्री बी0 पी0 सिंह के अनियमित कार्यों, घोटालों के विरुद्ध सत्याग्रह तथा अनशन किया था ? यदि हां, तो नरौरा के नागरिकों तथा भ्रटाचार निरीक्षक कमेटी के लोगों की मुख्य मांगें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । जनपद बुलन्दशहर के कस्बा नरौरा के नागरिकों ने गंगा बैराज के सहायक अभियंता (प्रथम) श्री बी0 पी0 सिंह के विरुद्ध दिनांक 27-7-87 से 5-8-87 तक क्रमबद्ध अनशन किया था ।

नरौरा के नागरिकों की तथा भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी की मुख्य मांगें सहायक अभियन्ता की कार्यवाही एवं अनियमिताओं संबंधी थीं । यह मांगें संलग्नक–1 पर संलग्न हैं ।

इन मांगों पर सिंचाई विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा जांच की गयी । जांच में आरोप सत्यापित नहीं हुये ।

अश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 236-237 पर)

परिवहन मुख्यालय से संबंध स्टाफ कार एवं टैक्सियों की लाग बुक न भरी जाने की शिकायत

34–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में मुख्यालय से संबंध स्टाफ कार एव टैक्सियां करीब 80 हजार कि0 मी0 चलायी गयीं जिसका लाग बुक नहीं भरा गया ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ तथा इसका दायित्व किन-किन अधिकारियों पर है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

वर्ष 1986-87 में मुख्यालय से संबंध स्टाफ कारें 7, 19, 761 कि0 मी0 एवं टैक्सियां 3, 81, 890 कि0 मी0 चलायी गयीं । स्टाफ कारों एवं टैक्सियों की लाग बुक भरी हुई है । वर्ष 86-87 में स्टाफ कारों पर रुपया 10, 18, 715.96 एवं टैक्सियों पर रुपये 5, 25, 539.92 का कुल व्यय, जिसमें पेट्रोल एवं मरम्मत सम्मिलित है, किया । मुख्यालय के सभी अधिकारियों को गाड़ियों के माइलेज का लेखा-जोखा उपलब्ध है । अतएव दायित्व निर्धारण एवं कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद में सिकन्दरा स्थित परिवहन चैक पोस्ट हटाने के कारण

35–श्री विजय सिंह राणा–

क्या परिवहन मंत्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 1987 के चौथे सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 73 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद सिकन्दरा स्थित परिवहन चेक पोस्ट हटा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यह चेक पोस्ट कब स्थापित की गयी थी ? चेक पोस्ट खोले जाने के कारण क्या थे और हटाये जाने के कारण क्या थे ? क्या यह सही है कि चेक पोस्ट अनाधिकृत रूप से कार्यरत था ? यदि हां, तो चेक पोस्ट जिसके आदेश से स्थापित की गयी और नहीं, तो चेक पोस्ट हटाई क्यों गयी ? उक्त पोस्ट कितने दिन वहां चली तथा कुल कितनी आय हुई और वह आय किस खाते में जमा हुई ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां । आगरा जनपद में सिकन्दरा स्थित चेकपोस्ट दिनांक 22-5-85 को हटा दी गयी है ।

यह चेकपोस्ट आगरा-मथुरा मार्ग पर वाहनों के अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए दिनांक 7-4-73 को स्थापित की गयी थी । साथ ही जिन वाहनों का कर सीमा पर स्थापित चेकपोस्ट पर नहीं जमा हो पाता था, उनका कर भी इस चेकपोस्ट पर वसूल कर लिया जाता था । आगरा-मथुरा मार्ग पर अनधिकृत संचालन के बन्द होने से इस चेकपोस्ट की आवश्यकता नहीं रह गयी थी, अतः इसे हटा दिया गया ।

जी नहीं ।

चेकपोस्ट परिवहन आयुक्त के आदेश से अनधिकृत संचालन की रोकथाम के लिए स्थापित की गयी और अनधिकृत संचालन बन्द हो जाने पर हटा दी गयी ।

यह चेकपोस्ट अप्रैल, 1973 से दिनांक 22-5-85 तक चली और इससे वर्ष 1974-75 से दिनांक 22-5-85 तक कुल रु0 36,22,310.41 की प्राप्तियां हुई । विभिन्न करों के रूप में प्राप्त धनराशि संबंधित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सरकारी कोष में जमा करायी गयी है ।

हरदोई के ग्राम बल्लीपुर में अंशकालीन नलकूप चालक की नियुक्ति की शिकायत

36–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बल्लीपुर ब्लाक अहिरौरी, जनपद हरदोई के नलकूप संख्या 153 पर अंश कालीन नलकूप चालक के पद पर उसी ग्राम सभा के किसी उपलब्ध अभ्यर्थी की नियुक्ति न करके दूसरी ग्राम सभा के अभ्यर्थी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी अवैध नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, ग्राम सभा बल्लीपुर, ब्लाक अहिरौली, जिला हरदोई के नलकूप सं0 153 हरदोई समूह पर कूप के निकटतम ग्राम बभनाखेड़ा के अभ्यर्थी की नियुक्ति

की गई है, जो नियमानुसार है । प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के ज्ञाप सं0-460-नि-12/164 बी-2587 डब्लू0, दिनांक 18-2-82 में निहित अंश-कालीन कूप चालकों के संबंध में दिये गये मार्गदर्शक निर्देशों के अनुपालन में है ।

नियुक्ति नियमानुसार एवं उचित की गई है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर के ताल्लुकेदार बाबू खां तथा बाबू बहादुर खां के निवास स्थान गढ़ी को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग

37–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिसुरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के ताल्लुकेदार बाबू खां तथा बाबू बहादुर खां के निवास स्थान गढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम, 1857 में भाग लेने के कारण अंग्रेज शासकों ने तोप से उड़ा दिया था जिसके अवशेष अभी तक बाकी हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ग्राम बिसूरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के ताल्लुकेदार बाबू गुलाब खां तथा बाबू बहादुर खां का निवास स्थान गढ़ी में था । अब यह स्थान पुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है । वह केवल एक मिट्टी के टीले के आकार में सम्प्रति अवशेष है । पुरातत्व की दृष्टि से उक्त स्थल संरक्षित घोषित किया जाने का राष्ट्रीय स्मारक बनाये जाने योग्य नहीं पाया गया ।

अधिशासी अभियंता, अलीगढ़ खण्ड, गंगा नहर, अलीगढ़ द्वारा बिना पूर्वानुमति कार्य कराने के संबंध में शिकायत पर कार्यवाही

38–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियंता, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर अलीगढ़ ने आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजनान्तर्गत 1984-85 में बिना पूर्वानुमति के 6 लाख रुपये का कार्य कराकर उसमें घोटाला किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा इनके द्वारा इस योजना में कराये गये कार्यों की सतर्कता जांच कराकर इनके घोटाले को प्रकाश में लाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1984-85 में प्रश्नगत योजना के अधीन तत्कालीन अधिशासी अभियंता, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ ने 2.42 लाख रुपये के ऐसे कार्य कराये जिनका प्राविधान स्वीकृत परियोजना में नहीं था ।

प्रश्नगत अधिशासी अभियंता को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । सतर्कता अधिष्ठान की जांच प्रारम्भिक जांच है और इस जांच के उपरान्त किसी

कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी करनी पड़ती है जबकि शासन द्वारा पहले ही प्रश्नगत अधिशासी अभियंता के विरुद्ध विधिवत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । अतः अब सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराये जाने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सिंचाई विभाग में अवर अभियंता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची

39–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विभागीय नियमावली, 1970 के पैरा-22 की टिप्पणी का उल्लंघन करते हुए अवर अभियंता (यांत्रिक) की वर्तमान वरिष्ठता सूची बनाई गई है जिसमें उन लोगों को भी समाविष्ट कर दिया गया है जिन्होंने लोक सेवा आयोग से अनुमोदन के बाद 1954 से 1973 तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1954 से 1973 तक लोक सेवा आयोग से अनुमोदित सीधी भर्ती के अवर अभियन्ताओं तथा वर्ष 1975 तक अनुमोदित प्रोन्नति श्रेणी के अवर अभियंताओं को सम्मिलित करते हुए अवर अभियंता (यां0) की पारस्परिक वरिष्ठता सूची निर्गत कर इस पर आपत्तियां मांगी गयी थी । प्राप्त आपत्तियों पर विचारोपरान्त वरिष्ठता सूची को अंतिम (फाइनल) किया जायेगा इस प्रकार नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

40–श्री रणजीत–

[मा0 सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण हटाया गया]

उत्तरकाशी जिले में मनेरी भाली परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण एवं लागत तथा विद्युत उत्पादन की जानकारी एवं पुनर्निर्माण योजना तथा परियोजना की असफलता के कारण

41–श्री राम सजीवन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जिले में मनेरी भाली परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कब और कितनी लागत से पूरा हुआ तथा उसमें विद्युत उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कितना उत्पादन हुआ ? क्या ज्यादातर अवधि में विद्युत उत्पादन एक दम ठप्प रहता है और अरबों रुपयों की परियोजना पूर्णतया असफल है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

3×30 मेगावाट की मनेरी भाली प्रथम चरण परियोजना से अक्टूबर, 1984 से सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आई।

वर्ष 1984–85 से वर्षवार विद्युत उत्पादन के लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन निम्नवत् है:—

वर्ष	विद्युत उत्पादन का लक्ष्य (मिलियन यूनिट)	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1984–85	385	114
1985–86	439	217
1986–87	350	299
1987–88	320	341

जी नहीं, परियोजना असफल नहीं है।

42—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जिले में मनेरी भाली परियोजना प्रथम चरण में सत्तर लाख रुपयों की लागत से मरम्मत कार्य कराने के बावजूद परियोजना सफल नहीं हुई ? क्या यह भी सही है कि परियोजना को सफल बनाने के लिए पुनः बत्तीस करोड़ रुपये की परिव्यय प्रस्तावित है ? यदि हां, तो पुनः करोड़ों रुपये के खर्च करने के बाद परियोजना की सफलता की क्या गारन्टी है ?

श्री लोकपीत त्रिपाठी—

मनेरी भाली प्रथम चरण परियोजना के क्षतिग्रस्त रोटरों की मरम्मत कराने के उपरांत मशीनें पूरी क्षमता से उत्पादन करने में सक्षम एवं सफल रही हैं । वर्ष-1987-88 में 320 मि0 यू0 के लक्ष्य के समक्ष 341 मि0 यू0 का विद्युत उत्पादन किया गया है ।

परियोजना असफल नहीं है अतः इसको सफल बनाने के लिए पुनः 32 करोड़ रुपये खर्च करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

43—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना का सर्वेक्षण डिजाइन तथा निर्माण कार्य किन-किन इंजीनियरों ने किया था ? परियोजना की असफलता के लिए उन्हें दोषी क्यों नहीं ठहराया गया तथा दण्डित क्यों नहीं किया गया ? वे लोग इस समय कौन-कौन से पदों की जिम्मेदारियां वहन कर रहे हैं ? करोड़ों रुपये बरबाद करने के लिए दोषी इंजीनियरों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? क्या पूरे प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जायेगी ?

श्री लोक पीत त्रिपाठी—

इस परियोजना के सर्वेक्षण डिजाइन एवं निर्माण कार्य पर सिंचाई विभाग एवं विद्युत परिषद् के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत रहे ।

अप्रैल 1988 में 90 मेगावाट की मशीनों ने पानी की उपलब्धता होने पर 96 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन लगातार कई दिनों तक किया है ।

अतः परियोजना असफल नहीं है और किसी के विरुद्ध जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

ड्रेनेज विभाग, बस्ती को बन्धे एवं नहरों के अनुरक्षण हेतु धन

44—श्री धनराज यादव—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 289 अनुरक्षण हेतु ड्रेनेज विभाग, बस्ती को चालू वर्ष में अभी तक तक बन्धे एवं नहरों हेतु अलग-अलग कितना-कितना धन प्रशासन से प्राप्त हुआ है एवं किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया है ? यदि धन नहीं उपलब्ध कराया गया तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1988-89 में ड्रेनेज प्रखण्ड, बस्ती को बांध एवं नहरों के अनुरक्षण हेतु 2245 मद (289) के अंतर्गत 3.0 लाख रुपये नहरों हेतु तथा 4.0 लाख रुपये बांधों हेतु आवंटित हुआ नहरों हेतु मिली धनराशि से गत वर्ष बानगंवा व जमींदारी नहरों में हुई सिल्ट सफाई का भुगतान किया जा रहा है तथा बांधों हेतु मिली धन-राशि से करमैनी बेलोती बांध के कि0मी0 7—6 से 8—2 तक हुई कटान को रोकने के कार्य कराये गये हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले बर्डपुर जमींदारी नहरों की पुनर्निर्माण योजना

45—श्री धनराज यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3-12-87 को गोरखपुर की मण्डलीय बैठक में प्रश्नकर्ता ने मा0 मुख्य मंत्री जी से बस्ती जिले के बर्डपुर जमींदारी नहरों की पुनर्निर्माण कराने की मांग की थी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुनर्निर्माण हेतु धन आबंटन हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती ने किन-किन नहरों के पुनर्निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार किया एवं कितने रुपये का प्राक्कलन बनाया गया तथा उसकी स्वीकृति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस कार्य हेतु सूखा राहत में धन मांगने के निर्देश दिए थे । बर्डपुर के पास नेपाल सीमा पर स्थित दस सागरों के पुनरोद्धार हेतु 8.40 लाख रु0 तथा इनसे निकलने वाली तीन प्रमुख नहरों अर्थात सिसवा न्यरा लालसरैया व रामगढ़ के पुनरोद्धार हेतु 10.90 लाख रु0 के प्राक्कलन तैयार किये गये । इन कार्यों हेतु सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग से धन उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य नहीं किया जा सका ।

राम गंगा कमाण्ड परियोजना, अलीगढ़ के उप राजस्व अधिकारी द्वारा बिना पूर्वानुमति मकान बनाने पर कार्यवाही

46–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप राजस्व अधिकारी, अलीगढ़ राम गंगा कमाण्ड परियोजना ने शासन की पूर्वानुमति के बिना मुजफ्फरनगर में 3 लाख रुपए की लागत से अपनी पत्नी के नाम एक मकान बनवाया है ? यदि हां, तो शासकीय नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलिया जनपद में विकास खण्ड वार शराब की दुकानें व आय

47–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में देशी शराब, अंग्रेजी शराब व ताड़ी की कितनी-कितनी दुकानें विकास खण्ड वार चल रही हैं तथा उनसे आबकारी विभाग को वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 में कितनी-कितनी आय हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विकास खण्ड सीयर व नगरा में कहां-कहां वैध दुकानें कार्यरत हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद बलिया में कुल 18 विकास खण्ड हैं, जिनमें संलग्न विवरण के अनुसार देशी शराब की 42 दुकानें, अंग्रेजी शराब की 4 दुकानें तथा ताड़ी की 111 दुकानें चल रही हैं। इन दुकानों से देशी शराब, विदेशी शराब व ताड़ी से निम्न प्रकार राजस्व प्राप्त हुआ:–

वर्ष	देशी शराब (रु0 में)	विदेशी शराब (रु0 में)	ताड़ी (रु0 में)
1984–85	50,50,000	1,05,000	4,09,890
1985–86	61,00,000	1,12,000	4,42,000
1986–87	68,00,000	1,26,000	4,64,000

2–विकास खण्ड सीयर में देशी की दो अनुज्ञापित दुकानें (सीयर नं0 1 व सीयर नं0 2) हैं, विदेशी शराब की एक अनुज्ञापित दुकान है तथा ताड़ी की 14 अनुज्ञापित दुकानें (सहिया, तुर्तीपुर, बांसपीर, बहोरवा, अवायें, अजायब का पुरा, बसहिया, सीयर नं0–1, सीयर नं0–2, फरसाटार, चनायल, पशुहारी, चरोवा, शाहकुण्डेल तथा तिरनई) हैं ।

3–विकास खण्ड नगरा में देशी शराब की दो अनुज्ञापित दुकानें (नगरा व सलेमपुर) तथा ताड़ी की अनुज्ञापित 8 दुकानें (नगरा, डिहवा, सलेमपुर, छितौना, किशोरगंज, मुहम्मदपुर पुरसिया, खरूआंव तथा पांडपुर) में हैं ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 238 पर)

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड को शासन द्वारा आर्थिक सहायता तथा विभिन्न मदों में व्यय का व्यौरा

48—श्री मूलचन्द—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड को पिछले 5 वर्षों में विकास के लिए शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ? यदि हां, तो उसे किन-किन मदों में खर्च किया गया ? कितना सामान टेण्डर द्वारा खरीदा गया और कितना सामान बिना टेण्डर के खरीदा गया ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

शासन द्वारा प्रदत्त सहायता का खर्च निम्न मदों में किया गया :—

(1) कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि पर ।

(2) संस्थाओं/समितियों/विभागीय रिवेट दावों के भुगतान हेतु ।

(3) बोर्ड की योजनाओं के प्रचार-प्रसार, विज्ञापन एवं प्रदर्शनी आदि के आयोजन पर ।

(4) वाहनों के क्रय पर ।

(5) भवन निर्माण/वर्कशेड निर्माण ।

(6) कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु ऋण ।

(7) मधुमक्खी पालन में लगी समितियों को तकनीकी सहायता, उपकरण क्रय सहायता ।

(8) मशीनों का क्रय ।

(9) ऊन क्रय, चर्खा क्रय ।

(10) कच्चा माल क्रय ।

(11) पर्वतीय क्षेत्र की योजनाओं के प्रचार-प्रसार, विज्ञापन एवं गोष्ठियों का आयोजन ।

ऊन योजना की मशीनों का क्रय टेण्डर के आधार पर लिया गया शेष सामान अनुमोदित दर पर सरकारी विभाग अथवा स्थापित संस्थाओं जिनसे टेण्डर लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से अनुमोदित/प्रमाणित हैं ।

हथकरघा उत्पादन केन्द्र जेतपुर, बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही

49—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 नवम्बर, 1985 को जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कस्बा जेतपुर के निवासियों द्वारा हथकरघा उत्पादन केन्द्र में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती बेनी बाई–

जी हां ।

शिकायती पत्र निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को मूलरूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था । परन्तु दुर्भाग्यवश उक्त शिकायती-पत्र हथकरघा निदेशालय में गुम हो गया एवं पूर्ण प्रयास के बावजूद उपलब्ध नहीं हो सका । उक्त परिस्थिति मा0 सदस्य विधान सभा को आठ अर्ध0 सा0 पंजीकृत पत्र क्रमशः दिनांक 24-12-87, 23-1-88, 19-2-88, 2-88, 22-4-88, 13-6-88, 23-7-88 एवं 9.9.88 को भेजकर शिकायती-पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । मा0 सदस्य शिकायती-पत्र की प्रति व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया परन्तु शिकायती-पत्र की प्रति उपलब्ध न हो सकी । वर्णित स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ की कालोनियों की पूलिंग का आधार एवं औचित्य

50–श्री दाऊद नन्द अंचल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ की कितनी कालोनियों को एक-एक पूल में रखा गया है ? क्या एक पूल में रखी गयी कालोनियों में समान आवासीय व्यवस्था, साज-सज्जा एवं उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो पूलिंग किये जाने का आधार एवं औचित्य क्या है ? क्या सरकार अलग-अलग पूल में रखी गयी प्रत्येक कालोनी के पूल का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्रेणी एक के पूल में 11 कालोनियां ।

श्रेणी दो के पूल में 6 कालोनियां ।

श्रेणी तीन के पूल में 5 कालोनियां ।

श्रेणी चार के पूल में 9 कालोनियां ।

श्रेणी पांच के पूल में 5 कालोनियां ।

श्रेणी छः के पूल में 4 कालोनियां हैं ।

जी नहीं ।

अलग-अलग समय पर निर्मित होने के कारण आवासों के मासिक किराए में हुई असमानता को समाप्त करने के लिये पूलिंग किया गया ।

अलग-अलग पूल में रखी गयी कालोनियों का विवरण संलग्न है :–

(देखिये परिशिष्ट 'ङ' आगे पृष्ठ 239-241 पर)

उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायकों के विनियमितीकरण की मांग

51–श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-5-1983 तक उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के कितने स्थायी और कितने अस्थायी पद सृजित थे ? क्या स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के पद पर 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत उक्त कर्मिकों को अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पद पर विनियमित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उ0 प्र0 सचिवालय में दिनांक 1-5-1983 को प्रवर वर्ग सहायक के 1145 स्थाई पद तथा 81 अस्थाई पद सृजित थे।

विनियमितीकरण स्थायी पदों के विरुद्ध लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। संगत सेवा नियमावली के अधीन प्रश्न में उल्लेखानुसार विनियमितीकरण नहीं किया जा सकता।

सिंचाई खण्ड, गोण्डा के स्व0 ठेकेदार छोटे लाल की पत्नी को भुगतान

52–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले में सिंचाई खण्ड, गोण्डा में श्री छोटे लाल ने ठेका का कार्य (डम्पीज कार्य) महुआ टेढ़वा उतरौला जिला गोण्डा में वर्ष 1984-85 में एग्रीमेन्ट नं0-2 ए ई के अन्तर्गत किया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री छोटे लाल की मृत्यु 21-10-86 को हो गयी थी? यदि हां, तो मृतक की पत्नी श्रीमती सयरा उर्फ रेतुन्निसा ग्राम तिलत्रड़िया खुर्द, पो0 हल्लौर, जिला बस्ती ने दिनांक 29-10-86 से मार्च, 1988 तक प्रार्थना पत्र देकर अधिकारियों से भुगतान करने का अनुरोध किया था तथा इस सम्बन्ध में सिविल जज, बस्ती ने दिनांक 22-2-88 को रु0 32,488 के भुगतान का निर्णय दिया था? यदि हां, तो क्या उन्हें इसका भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

जी हां।

दिनांक 10-3-88 को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

जी नहीं, सिविल जज बस्ती ने उक्त निर्गत प्रमाण-पत्र में प्रार्थिनी द्वारा सूचित किये गये धनराशि रु0 32,488/- के भुगतान का निर्णय नहीं दिया था बल्कि उक्त धनराशि को प्राप्त करने हेतु जायज वारिस होने का प्रमाण-पत्र ग्रान्ट किया था।

माप पुस्तिका में अंकित मापों के अनुसार मृतक श्री छोटे लाल द्वारा रु0 23,042/- का कार्य कराया गया था जिसमें से नियमानुसार आयकर जमानत आदि की आवश्यक कटौती करने के पश्चात् रु0 18,841/- का चालू भुगतान चेक सं0-61/205939, दिनांक 31-3-1988 द्वारा किया जा चुका है। प्रश्नगत बीजक को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 व वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1983-84 में लेखा परीक्षकों की आपत्तियों पर कार्यवाही

53–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 बी-27 सर्वोदय नगर, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1983-84 जो 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के उक्त निगम के खाते पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन में दिनांक 26-12-85 को 12 आपत्तियां गबन तथा अनियमितता की लगायी गयी हैं वह आपत्तियां क्या हैं और उसका क्या निस्तारण हुआ? उसमें कौन-कौन लोग दोषी

पाये गये हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? श्री वी0 के0 गुप्ता कृते पाण्डे एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पार्टनर ने जो आपत्तियां की हैं उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

लेखा परीक्षकों द्वारा लगायी गयी 12 आपत्तियों का विवरण एवं उनके निस्तारण की स्थिति ''संलग्नक''† में उल्लिखित है ।

कवल हजरतगंज (लखनऊ) स्थित गंगोत्री प्रदर्शन कक्ष में रु0 4.00 लाख के सम्भावित गबन के मामले में, जिसमें गुप्तचर विभाग द्वारा तथा विभागीय जांच की जा रही है, प्रदर्शन कक्ष के तत्कालीन प्रबन्धक को निलम्बित किया गया है । शेष आपत्तियां लेखों के रख-रखाव एवं प्रक्रिया विषयक से संबंधित हैं, जिनकी पुनरावृत्ति न करने के लिये संबंधित कर्मचारियों को सचेत कर दिया गया है ।

निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1983-84 सदन के पटल पर भी प्रस्तुत किया जा चुका है ।

देहरादून जनपद के उत्तराखण्ड मारबल उद्योग के पंजीकरण में दोहरी नीति के कारण ब्याज मुक्ति की मांग

54–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि जनपद देहरादून में मेसर्स उत्तराखण्ड मारबल उद्योग का अस्थायी पंजीकरण दिनांक 10-2-81 को सामान्य जिला केन्द्र द्वारा पंजीकरण संख्या-20/16/00682 द्वारा किया गया था और उ0 प्र0 वित्त निगम द्वारा दिनांक 25-3-82 तथा 2-4-86 को इस उद्योग को ऋण स्वीकृत करते हुए उपरोक्त तिथियों से ब्याज लगाना आरम्भ कर दिया ? क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबन्धक ने अपने पत्रांक 1908/पंजी-स्थायी/86-87 दिनांक 20-2-87 के द्वारा उपरोक्त मारबल उद्योग को पंजीकृत न कर सकने की सूचना दी थी ? यदि हां, तो इस सम्पूर्ण प्रकरण में सरकार की दोहरी नीति के लिए कौन उत्तरदायी है ? इस हेतु उपरोक्त मारबल उद्योग को ब्याज मुक्त कर ऋण में कमी करने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के उपखण्ड बांसी के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही

55–श्रीमती कमला साहनी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के ड्रेनेज खण्ड प्रथम में कार्यरत सहायक अभियंता जो उपखण्ड बांसी में हैं, के खिलाफ गत दो वर्षों में जो रहा एवं बांसी में फर्जी बोल्डर के घोटाले की जांच हुई ? क्या जांच में वे दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

---

†छापा नहीं गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ड्रेनेज खण्ड–1 बस्ती जनपद के बांसी उपखण्ड में वर्तमान में श्री आर0 के0 सिन्हा, सहायक अभियन्ता दिनांक 3-7-88 से कार्यरत हैं और इनके विरुद्ध गत दो वर्षों में बंजरहा एवं बांसी में फर्जी बोल्डर के घोटाले में न तो जांच हुई है और न ही उल्लिखित तिथि के अनुसार प्रश्न ही उठता है ।

जनपद बस्ती के ड्रेनेज खण्ड–प्रथम के उपखण्ड बांसी में दिनांक 1-7-88 के पूर्व श्री ए0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता कार्यरत रहे जिनके विरुद्ध उल्लिखित तिथि से पूर्व गत दो वर्षों के अन्तर्गत बोल्डर के संबंध में निम्नांकित माध्यमों से प्रारम्भिक जांच कराई गयी है :–

1–प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई विभाग

2–श्री कन्हैयाराम अधिशासी अभियन्ता एवं श्री आर्य कुमार सहायक अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, द्वितीय, बस्ती

3–श्री मौजी लाल यादव, अधिशासी अभियन्ता

4–श्री बाल किशन एवं महावीर प्रसाद अधिशासी अभियन्ता ।

5–श्री बाल किशन, अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड प्रथम, बस्ती ।

क्रमांक–1 से 3 तक अंकित प्रारम्भिक जांच के आधार पर प्रकाश में आए प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर संबंधित सहायक अभियन्ता को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच प्रारम्भ कर दी गयी है जबकि क्रमांक 4 व 5 में संबंधित जांच रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता (गण्डक) के विचाराधीन है एवं तत्संबंधी जांच परिणाम अन्तिम होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में 1979 में नगरपालिका एवं टाउन एरिया के चुनाव हेतु मतपत्र के लिए रखा कागज

56–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में 1979 में नगरपालिका एवं टाउन एरिया निर्वाचन हेतु मत पत्र छापने के लिए 54 रिम कागज (42×60 से0 मी0 आकार का) निर्वाचन कार्यालय आजमगढ़ को दिया गया था परन्तु निर्वाचन न होने से मत पत्र नहीं छपे ? यदि हां, तो क्या वे कागज जिला निर्वाचन कार्यालय के स्टाफ में आज भी उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, आजमगढ की आख्या के अनुसार वर्ष 1979 से रखा उक्त कागज खराब हो गया था और कार्योपयोगी नहीं रह गया था ।

लखनऊ की राजकीय कालोनी तालकटोरा स्थित भवन संख्या एफ–1778/80 की मरम्मत में विलम्ब

57–श्री विश्राम दास–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कालोनी तालकटोरा स्थित भवन संख्या एफ 1778/80 के मूल अध्यासी द्वारा उक्त भवन की जीर्णशीर्ण अवस्था को देखते हुए मरम्मत हेतु राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पत्र संख्या-91/32 4-87/8-8 टी के/88, दिनांक 20-1-88 द्वारा अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड 3 को निर्देशित किया था ? यदि हां, तो अब तक कार्य सम्पादित न होने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या भवन की मरम्मत कराकर इतने विलम्ब के लिए दोषी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया था कि आवास संख्या एफ–1778/80, तालकटोरा कालोनी में जो कार्य नियमानुसार अनुमन्य हो, उन्हें सम्पादित करा दिया जाय तथा मरम्मती कार्य के संबंध में यदि आवश्यक हो, तो आगणन शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय ।

आवास में सीलन दूर करने एवं वाह्य मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है । आवास की दीवारों एवं छतों पर प्लास्टर करने हेतु प्राप्त आगणन पर वित्त विभाग के परामर्श से परीक्षण किया जा रहा है । मरम्मत का कार्य सम्पादित होने के उपरान्त पुताई का कार्य करा दिया जायेगा । इस संबंध में विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, अतः उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राप्ती नदी के तट पर निर्माणाधीन बांध में सहेरी घाट गांव की ली गयी मिट्टी का मुआवजा

58–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राप्ती नदी के दाएं तट पर निर्माणाधीन बांध में सहेरी घाट गांव की रबी की खड़ी फसल काट कर खेतों से मिट्टी ली गई है ? यदि हां, तो किनकी कितने मूल्य की फसल तथा कितनी-कितनी मिट्टी ली गई और प्रत्येक को कितनी क्षतिपूर्ति की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अनुबंधी की विशिष्टियों एवं विशेष शर्तों के अनुसार ठेकेदार को मिट्टी का प्रबन्ध स्वयं करना था । बांध का निर्माण माह जनवरी/फरवरी 88 में हुआ है । ठेकेदार ने फसल कटवा कर मिट्टी बांध के निर्माण हेतु ली थी । ग्राम सेहरी घाट बांध का निर्माण का कार्य सात अनुबंधी द्वारा कराया गया है । ठेकेदारों के साथ जो अनुबंध हुआ है उसकी विशिष्टियों एवं विशेष शर्तों की कण्डिका 6 के अनुसार बन्धे पर मिट्टी की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं करेगा । ठेकेदार को यह प्रमाण-पत्र देना होगा

कि मिट्टी अथवा भूमि अथवा फसल के मुआवजे का भुगतान ठेकेदार ने संबंधित व्यक्ति/संस्था को कर दिया है अथवा संबंधित व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति नहीं है । इसकी पुष्टि में ठेकेदार संबंधित व्यक्ति/संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र लेकर जो कि ग्राम प्रधान अथवा लेखपाल या सरपंच द्वारा सत्यापित हो, इस कार्यालय में प्रेषित करेगा ।

ठेकेदार ने कृषकों को फसल एवं मिट्टी के मुआवजे हेतु जो धन दिया है उसकी प्राप्ती ग्राम प्रधान से सत्यापित कराकर दी है जिसके अनुसार कुल 13.29 एकड़ भूमि से मिट्टी ली गई है और कुल 25,530.00 रुपयों कृषकों को उपरोक्त हेतु दिया गया है । विभाग द्वारा सीधे कृषकों को क्षतिपूर्ति नहीं की गई है ।

59–श्री हीरश्चन्द्र, हरीश जी–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

बस्ती जिले में बांसी-इटावा विस्कोहर राजमार्ग पर राजकीय बसों में वृद्धि की मांग

60–श्री हीरश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में बांसी-इटावा विस्कोहर राजमार्ग पर विगत वर्ष कितनी रोडवेज की तथा कितनी प्राइवेट बसें चलती थी ? अब इस वर्ष दोनों प्रकार की कितनी बसें चल रहीं हैं ? क्या रोडवेज की बसों को इस मार्ग से हटा लेने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या रोडवेज की बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

बांसी-इटावा विस्कोहर अराष्ट्रीकृत मार्ग जो बांसी-इटावा बलरामपुर वर्गीकृत मार्ग का भाग है पर गत वर्ष नौ प्राइवेट बसें तथा दो परिवहन निगम की बसें संचालित थीं ।

इस वर्ष नौ प्राइवेट बसों में से दो बसों के स्थायी परमिट समाप्त हो गये थे परन्तु जनहित को ध्यान में रखते हुए उनके स्थान पर दो अस्थायी परमिट समय-समय पर जारी कर दिये गये हैं । इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की भांति उक्त मार्ग पर 9 प्राइवेट बसों तथा दो परिवहन निगम की बसों के संचालन हेतु परमिट वैध है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि उक्त मार्ग अराष्ट्रीयकृत है, अतः निगम की सामान्य नीति के अनुसार उक्त मार्ग पर निगम की बसों की संख्या बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जनहित को ध्यान में रखते हुए पहले से परमिट पर चल रही परिवहन निगम की दो बसों को नहीं हटाया गया है ।

ललितपुर जनपद के ग्राम समोगर का सर्वेक्षण कर धातु दोहन करने की मांग

61–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के ग्राम समोगर में नहर के खुदाई में चमकीला खनिज मिला है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त स्थान में मिला खनिज लेड है तथा खनिज मात्रा में 85 प्रतिशत है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान का सर्वेक्षण कराकर उक्त धातु दोहन भू-वैज्ञानिकों के माध्यम से कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । 82 प्रतिशत लेड पाया गया था ।

उक्त स्थल का वर्ष 1985 से ही सर्वेक्षण कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के भूवैज्ञानिकों द्वारा करवाया जा रहा है । सर्वेक्षण कार्य जारी है परन्तु अभी कोई खनिज भण्डार नहीं पाये गये हैं । अतः इनके दोहन का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर जनपद के विरधा विकास खण्ड के बालाबेहट पठारी क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण की मांग

62–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के विरधा विकास खण्ड के बालाबेहट पठारी क्षेत्र में कुल कितने गांव है जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त पठारी क्षेत्र के एक भी गांव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विद्युतीकरण कब तक करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कुल 16 ग्राम हैं (जिनमें एक ग्राम गैर आबाद है) । विद्युतीकरण किसी गांव में नहीं हुआ है ।

जी हां ।

इन ग्रामों का विद्युतीकरण निकट भविष्य में संभव नहीं है ।

जिला विद्युत सलाहकार समिति ने पूर्व में 1986-87 में इन ग्रामों को चयनित किया था । 31-8-87 को वर्ष 1987-88 के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा के समय इन गांवों को वित्तीय कमी के कारण चयन नहीं किया गया ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा संचालित संशोधित न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में (आर0 एम0 एन0 पी) ग्राम बालाबेहट तथा चतरा घाट तक 11 के0 वी0 मुख्य लाइन स्वीकृत है । अन्य 13 आबाद गांवों के विद्युतीकरण हेतु 16 रु0 की आवश्यकता होगी, जिससे स्पर लाइनें/एल0 टी0 लाइनें तथा सब-स्टेशन बनेंगे । कुल

27 लाख रु0 की आवश्यकता होगी । धन पर्याप्त न होने के कारण यह कार्य शीघ्र आरम्भ नहीं किया जा सकेगा ।

63–65–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

[दिनांक 3-10-88 को अता0 प्र0 सं0 190, 191 एवं 192 द्वारा उत्तारित]

डेरा ड्रेन योजना एटा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जलेसर में सिरसा आदि नदियों की खुदाई

66–श्री प्रेम पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में सिरसा, सैंगर अरिन्द एवं अवा नदी की खुदाई डेरा ड्रेन योजना एटा द्वारा होनी थी ? यदि हां, तो कब तक सिरसा (सैंगर) व अन्य नदियों की खुदाई हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

एटा जनपद में सिरसा, सैंगर अरिन्द एवं अवा नदी की खुदाई का कार्य ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है । इस पर सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है । सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर ही यह निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा कि कार्य कब होगा ।

मोती झील सचिवालय कालोनी, लखनऊ में खिड़कियों की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल बनवाने की मांग

67–श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी ऐशबाग लखनऊ में वहीं पर स्थित विद्युत कालोनी की भांति खिड़कियों की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल बनाने का प्रस्ताव 1985 से शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उक्त कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता 39 वां खण्ड तथा अस्थायी अनुरक्षण खण्ड-3 के अधिशासी अभियन्ता की लापरवाही की शिकायत एवं सचिवालय कालोनियों में सीलन

68–श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता 39 वां खण्ड तथा अस्थायी अनुरक्षण खण्ड–3 के अधिशासी अभियन्ता की गलत नीतियों के कारण लखनऊ स्थित रामनगर, राजाजीपुरम एवं मोतीझील सचिवालय कालोनियों की स्थिति नारकीय हो गयी है जहां सफाई एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या

सरकार इन कालोनियों में सफाई एवं सुरक्षा तथा सीलन के रोग को दूर करने हेतु कोई आदेश करने पर विचार करेगी और दोषी अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को सरकार इस लापरवाही के लिये दंडित करना चाहेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सा0नि0वि0 द्वारा भवन अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं । भवन के भीतर की सफाई एवं भवन के बाहर के मार्गों की सफाई एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व सा0 नि0 वि0 का नहीं है

सफाई एवं सुरक्षा का कार्य सा0 नि0 वि0 द्वारा नहीं कराया जाता है । सीलन रोकने के लिये आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जनपद की अकबरपुर तहसील के ग्रामों को बाढ़ से बचाने हेतु तालाबों एवं नालों की खुदाई के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

69–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-87 जो जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तहसील के ग्राम में बाढ़ से बचाव तथा तालाबों व नालों के खोदाई के सम्बन्ध में था जो संख्या 655 एम0 एम0/87/23 सि06/314 बाढ़/87 द्वारा शासन को प्राप्त हो गया है में उल्लिखित बिन्दा एवं सियरा तालाबों विकास खण्ड जलालपुर, तहसील अकबरपुर से निकलने वाले नालों के खुदाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार हो गया है ? यदि हां, तो खुदाई कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित विकास खण्ड जलालपुर तहसील अकबरपुर के बिन्दा ताल एवं सियरा ताल ड्रेन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा परियोजना प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अपर जिला अधिकारी फैजाबाद को प्रेषित किया जा चुका है । परियोजना की स्वीकृति के बाद भूमि तथा धन उपलब्ध होने पर इन ड्रेनों के निर्माण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

लखनऊ की महानगर व बादशाहनगर स्थित सचिवालय कालोनी के तृतीय श्रेणी के भवनों के आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी की मांग

70–श्री जगमोहन सिंह यादव तथा श्री बाबू राम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित महानगर व बादशाह नगर स्थित सचिवालय कालोनी में वर्ष 1986-87 में तृतीय श्रेणी के कितने भवन नये सिरे से आवंटित किये गये हैं अथवा परिवर्तन स्वरूप आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि इन आवंटियों द्वारा शासन के आवंटन की पात्रता न होने के कारण अनियमित रूप से उच्च प्राथमिकता के आधार पर भवन आबंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण जिसमें सेवा अवधि एवं संस्तुतिकर्ता का उल्लेख हो सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

71–श्री महेन्द्र भाटी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मुरादाबाद के विद्युत वितरण उप खण्ड अमरोहा की कार्यशाला में वर्ष 85-88 के बीच ट्रांसफार्मर लगाने का फर्जी यात्रा-भत्ता

72–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विद्युत वितरण उपखण्ड अमरोहा की कार्यशाला में पहली अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1988 तक कितने नये ट्रान्सफार्मर दिए गए तथा वह ट्रान्सफार्मर कितनी-कितनी क्षमता के थे और वह ट्रान्सफार्मर किस-किस ग्राम में और किन-किन तिथियों में लगाये गये ? क्या यह सही है कि ट्रान्सफार्मर लगाने का फर्जी यात्रा भत्ता कर्मचारियों ने विभाग से वसूला है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच किसी अन्य विभाग द्वारा कराई जायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विनोद कुमार गर्ग अधिशासी अभियन्ता पब्लिक नलकूप अनुसंधान नियोजन परिकल्प एवं आपूर्ति यूनिट-3 का लगातार 10 वर्षों से लखनऊ में बने रहने का कारण

73–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जनपद में अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता कितने वर्षों तक रह सकते हैं ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार गर्ग पब्लिक नलकूप अनुसंधान नियोजन परिकल्प एवं आपूर्ति यूनिट तीन, लखनऊ में विगत लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो एक जगह पर 10 वर्षों तक रहने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार वर्तमान पद/स्थान पर अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता 3 वर्ष तथा विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष तक रह सकते हैं।

श्री विनोद कुमार गर्ग, अधिशासी अभियन्ता के पद पर पब्लिक नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन परिकल्प एवं आपूर्ति यूनिट-3, लखनऊ में दिनांक 1-7-83 से दिनांक 7-8-88 तक कार्यरत रहे हैं तथा सहायक अभियन्ता के पद पर लखनऊ में विभिन्न खण्डों में कुल मिलाकर दिनांक 12-8-72 से दिनांक 30-6-83 तक कार्यरत रहे ।

जनहित में ।

लखनऊ जनपद के गोमती नदी पिपराघाट बन्धें को शारदा सहायक परियोजना तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

74—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1988 जो लखनऊ जनपद के गोमती नदी पिपराघाट बन्धे को शारदा सहायक परियोजना तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

बन्धे के प्रस्ताव पर सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम बंथरा में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की मांग

75—श्री शारदा प्रताप—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के ग्राम बंथरा में एक सब स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त सब स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

महाप्रबन्धक कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है ।

जनपद आगरा के ग्राम अकोला पर बस स्टैण्ड खोले जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

76—श्री विजय सिंह राणा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम अकोला पर बस स्टैण्ड खोले जाने के संबंध में प्रश्न कर्ता का कोई पत्र उन्हें मिला ? यदि हां, तो इस संबंध में कोई निर्णय अभी तक लिया गया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां ।

निगम बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 14-5-87 में यह निर्णय लिया गया है कि डिपो स्टेशनों को छोड़कर अन्य जगहों पर निगम द्वारा फिलहाल बस स्टेशन/बस स्टैन्ड नहीं बनाये जायेंगे ।

अकोला पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहां पर निगम की बसें रूक कर यात्रियों को चढ़ाती-उतारती है ।

77—श्री विजय सिंह राणा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बांदा जनपद के ग्राम हस्तम में राजकीय नलकूल लगवाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

78–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ए/83/सि0/87, दिनांक 30-10-87 बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के ग्राम हस्तम के श्री कल्लू प्रसाद यादव के साथ राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो नलकूप लगने की सर्वे रिपोर्ट क्या है तथा पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

पत्र पर प्राथमिक जांच नलकूप निर्माण खण्ड, बांदा द्वारा करायी गई जिसके अनुसार ब्लाक महुआ का ग्राम हस्तम नहर के कमाण्ड क्षेत्र में आता है । नहर कमाण्ड क्षेत्र में राजकीय नलकूप के निर्माण का प्राविधान नहीं है ।

जनपद बांदा के ग्राम कोलाबल रायपुर के पास बह रही केन नदी से लिफ्ट पम्प कैनाल की व्यवस्था की मांग

79–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के गांव कोलाबल रायपुर के पास बह रही केन नदी से इस क्षेत्र के असिंचित भूमि की सिंचाई सुविधा के लिए लिफ्ट पम्प कैनाल की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

केन नदी में रबी में जल उपलब्ध नहीं हो पायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत कताई मिल कम्पनी न0 1 व 2 के विभिन्न कताई मिलों में सहायक इंजीनियर और शिफ्ट इंजीनियर की वेतन दरों में असमानता

80–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अंतर्गत कार्य करने वाली कताई मिल क0 न0 1 व 2 के विभिन्न कताई मिलों में सहायक इंजानियर और शिफ्ट इंजीनियर के सामान्य पदों पर सामान्य कार्य करने वालों की वेतन दरों में असमानता है ? वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों का अकबरपुर, बाराबंकी, मऊनाथ भंजन तथा रायबरेली में वेतन दरों का ब्यौरा क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

वर्तमान में अकबरपुर, बाराबंकी, मऊनाथ भंजन तथा रायबरेली में सहायक मिल इंजीनियर और शिफ्ट इंजीनियर के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को देय वेतन का विवरण निम्नानुसार है:–

सहायक इंजीनियर–1375/- से 1750/-

शिफ्ट इंजीनियर–950 से 1065/-

जनपद फैजाबाद के ग्राम बेलाँउआ के श्री दिनेश को विद्युत दुर्घटना में दिया गया मुआवजा

81—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड अकबर पुर के ग्राम बेलाँउआ बरियारपुर में 2 मई, 87 को बिजली का कोई तार टूट गया था और 21 मई, 1987 को उसी टूट कर गिरे हुए तार से करेन्ट लगने से दिनेश पुत्र राम लखन हरिजन का एक हाथ कट गया ? यदि हां, तो इस शिकायत पर दिनेश को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

श्री दिनेश पुत्र श्री राम लखन निवासी बेलाँउआ बरियारपुर जिला फैजाबाद को उनकी विद्युत दुर्घटना के मामले में रुपये 5000/- की अनुग्रह क्षतिपूर्ति की स्वीकृति परिषद् के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-4-88 द्वारा कर दी गयी है ।

यूपिका में कार्यरत सेल्स अटेन्डेन्ट/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही

82—श्री विजय सिंह राणा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूपिका में कार्यरत सेल्स अटेन्डेन्ट/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 1-12-1986 के पूर्व से कार्यरत हैं, का विनियमितीकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उपरोक्त समस्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण कर दिया जायेगा ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

विनेयमितीकरण शीघ्र करने की कार्यवाही की जा रही है ।

अवर अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण, उप खण्ड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

83—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमुना सिंह, सहसचिव जिला कौंसिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद का, अवर अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण, उप खण्ड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, फैजाबाद द्वारा किए गए भ्रष्टाचार व उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति की जांच विषयक पत्र दिनांक 21-10-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

संबंधित अधिकारी को जांच हेतु आदेश दिए गए हैं । जांच की आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

उ0 प्र0 निर्यात निगम लिमिटेड में अनुसूचित जाति/जनजाति की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण की उपेक्षा

84—श्री सुरेश चन्द्र तथा श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0, बी-27 सर्वोदय नगर, कानपुर मुख्यालय स्तर से शासन द्वारा स्थापित उद्योग ब्यूरो द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटा पूरा किए जाने के हितार्थ समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हुए वित्तीय वर्ष 1985-86, 86-87 तथा माह फरवरी, 1988 तक अलग-अलग वेतनमानों में कुल कितने पदों पर आरक्षित कोटा को पूर्ण करने के लिए अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया और कुल कितने अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त वर्षों में अलग-अलग वेतनमानों में निर्यात निगम को आवेदन-पत्र भेजे ?

85—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 में वित्तीय वर्ष 1985-86, 86-87 तथा माह फरवरी, 1988 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रोन्नति में आरक्षण के शासनादेशों का अनुपालन करते हुए, कुल कितने विभागीय कर्मचारियों को श्रेणी चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय तथा प्रथम में अलग-अलग पदों एवं वेतनमानों में विभागीय प्रोन्नति की गयी ? यदि नहीं, तो क्या शासनादेशों की उपेक्षा करने पर शासन स्तर से उचित कार्यवाही करने पर विचार हो रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 242 पर)

राजकीय मुद्रणालय, रामनगर जिला वाराणसी के कर्मचारियों की भविष्य निधि पास बुक तैयार होना

86—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, जिला वाराणसी से संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि पास बुक बनाने के लिए पारितोषिक धनराशि संबंधित लिपिक को दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब और अभी तक पास बुक न बनने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी से संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि पासबुक बनाने के लिए संबंधित लिपिक को जनवरी, फरवरी एवं मार्च 1987 का पारितोषिक का भुगतान दिनांक 23-12-86 के आदेश द्वारा किया जा चुका है । अवशेष महीनों के पारितोषिक के भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है । उक्त मुद्रणालय के समस्त कर्मचारियों के भविष्य निधि का लेजर और पासबुक बनाये जा चुके हैं ।

जनपद जालौन के बसीठ गांव में कु0 संगीता की बिजली के तारों से मृत्यु तथा मुआवजा

87–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87 के मध्य में जालौन जिले की कोंच तहसील के बसीठ गांव के रामबाबू की 14 वर्षीय पुत्री संगीता की मृत्यु सड़क पर पड़े बिजली के सजीव उच्च वोल्टेज वाले तारों के छू जाने से हुई थी ? यदि हां, तो पीड़ित परिवार की अभी तक क्षति पूर्ति क्यों नहीं दी गयी और कब तक अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति दे दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

कु0 संगीता के पीड़ित परिवार को रु0 1,000/- की अन्तरिम सहायता तथा रुपए 5,000/- की क्षतिपूर्ति राज्य विद्युत परिषद् द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

ललितपुर जनपद के भारी उद्योगों को विशेष छूट देने की मांग

88–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में ऐसे कितने उद्योग हैं जिनसे भारी ब्याज दण्ड के रूप में वसूला जा रहा है तथा उद्यमियों की प्रार्थना पर कितने लोगों का दण्ड ब्याज माफ किया गया है? क्या प्रदेश में भारी उद्योगों को दी जाने वाली विशेष छूट के समान इस जनपद में भी इन उद्योगों को छूट दी जावेगी तथा कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती बेनीबाई–

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वितरित ऋणों पर ललितपुर जनपद में किसी भी उद्योग से दण्ड के रूप में भारी ब्याज की वसूली नहीं की जा रही है तथा जनपद में किसी भी व्यक्ति को उक्त ऋणों पर दण्ड ब्याज माफ नहीं किया गया है।

पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के लिए सुविधाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके अनुसार ललितपुर के औद्योगिक इकाइयों को भी विशेष सुविधायें तथा प्रदेश में कच्चे माल की वितरण की नीति के अनुसार कच्चे माल की सुविधा उपलब्ध है।

ललितपुर जनपद में बांधों एवं नहरों के सीपेज रोकने के संबंध में कार्यवाही

89–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के गोविन्द सागर बांध, जामनी बांध, रोहनी बांध, लजनाम बांध, शहजहाड़ बांध तथा नहरों के सीपेज रिसाव में कुल कितनी भूमि आती है ? इन नहरों, उप नहरों के सीपेज को रोकने पर कोई कार्यवाही चल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ललितपुर जनपद के गोविन्दसागर बांध, जामनी बांध और रोहणी बांध में रिसाव से कोई भूमि प्रभावित नहीं है। सजनम बांध से 45 हेक्टेयर तथा शहजाद बांध की बांयी व दायीं नहरों के रिसाव से 35 हेक्टेयर विभागीय भूमि प्रभावित हुई है।

सजनम बांध के रिसाव को रोकने हेतु बांध के नीचे की ओर अतिरिक्त ड्रेनों का निर्माण कराया जा रहा है। इस बांध की मुख्य नहर की भराई के भागों में रिसाव रोकने हेतु लाइनिंग करना प्रस्तावित है। शहजाद बांध की नहरों के रिसाव को रोकने के लिए अधिक भराई भागों में नहरों की लाइनिंग व सीपेज नालियों का निर्माण कराया जा रहा है।

ललितपुर जनपद के देवगढ़ तीर्थ स्थल एवं पर्यटन स्थल को अन्य जिलों से राज्य परिवहन निगम द्वारा जोड़े जाने की मांग

90–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के देवगढ़ तीर्थ स्थल एवं पर्यटन स्थल को उक्त प्रदेश के अन्य जिलों से राज्य परिवहन द्वारा जोड़े जाने का विचार शासन का है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर जनपद के सभी मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं और उन पर निजी बसों का संचालन है। ऐसे अराष्ट्रीयकृत श्रेणी के मार्गों पर निगम बसों का संचालन प्रस्तावित नहीं है।

झांसी से मदनपुर मार्ग पर प्राइवेट बस परमिट देने की मांग

91–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी से मदनपुर वाया तालबेहट बांसी वार बानपुर महरौनी मडावरा होते हुए उक्त मार्ग एवं झांसी से इसी मार्ग पर बानपुर से टीकमगढ़ आने के लिए प्राइवेट बस मालिकों को उक्त मार्गों पर परमिट देने का शासन का कोई विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह मार्ग बन कर तैयार है?

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं,

झांसी से मदनपुर वाया तालबेहट बांसी, वार, बानपुर, महरौली, भडावरा मार्ग वर्गीकृत नहीं हैं। दूसरा मार्ग झांसी-टीकमगढ़ वाया बानपुर अन्तर्राज्यीय मार्ग है तथा उ0 प्र0 एवं मध्य प्रदेश राज्य के बीच लागू पारस्परिक यातायात समझौता में सम्मिलित नहीं है। अतः इन मार्गों पर परमिट स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

उक्त दोनों मार्गों में से केवल झांसी-मदनपुर मार्ग ही निर्मित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अवर अभियन्ता श्री एस0 एन0 द्विवेदी के विरुद्ध श्री जमुना सिंह के पत्र पर कार्यवाही

92–श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीतीकरण उपखण्ड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अन्तर्गत कार्यरत अवर अभियन्ता श्री एस0 एन0 द्विवेदी द्वारा श्री राम प्रताप सिंह निवासी ग्राम गौरा, पोस्ट गयासपुर, विकास खण्ड तारुन, जनपद फैजाबाद के नलकूप विद्युतीकरण के लिए मौके पर 55 मीटर लाइन बनाकर कागज में 175 मीटर दिखाया गया? क्या इस सम्बन्ध में जमुना सिंह सह-सचिव, भा0 क0 पा0 फैजाबाद का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 13-10-87 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, फैजाबाद को मिला था और श्री सिंह ने प्रभावी कार्यवाही के लिए दिनांक 10-11-87 से 12-11-87 तक अनशन किया था? क्या अनशन समाप्त कराने हेतु प्रश्नकर्ता को संबंधित अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1862/कैम्प दिनांक 12-11-87 द्वारा कोई आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दोषी अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, नलकूप विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट में 175 मीटर की लाइन दर्शाई गई और वास्तव में केवल 55 मीटर लाइन ही बनी।

जी हां।

जी हां।

दोषी अवर अभियन्ता के विरुद्ध जांच कराने के उपरान्त उनको चेतावनी दी गई है कि भविष्य में वह कोई भी त्रुटिपूर्ण इस्टीमेट न बनायें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

टूल रूम प्रशिक्षण संस्थान, अमौसी, लखनऊ में गलत वेतन निर्धारण संबंधी आपत्ति

93–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टूल रूम प्रशिक्षण संस्थान, अमौसी, लखनऊ की विशेष लेखा परीक्षण संख्या लख0 जि0 सं0 अधि0/वि0 प्र0-124 दिनांक 14-8-85 एवं लख0 जि0 सं0 अधि0/ट-267 दिनांक 21-1-86 की रिपोर्ट में संस्थान के कुछ कर्मचारियों को अवैधानिक अतिरिक्त भुगतान संबंधी क्या अनियमितता पायी गयी तथा उक्त रिपोर्ट पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

टूल रूम प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ की कथित विशेष लेखा परीक्षण रिपोर्ट में संस्थान के कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन निर्धारण हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया को गलत बताया गया है और कहा गया है कि गलत वेतन निर्धारण के कारण इन

कर्मचारियों/अधिकारियों को अधिक वेतन आदि भुगतान हो रहा है । इस आपत्ति के संबंध में संस्थान से रिपोर्ट प्राप्त की गयी है । इस रिपोर्ट पर वित्त विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग का परामर्श लेकर परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।

टाउन एरिया घुघली, गोरखपुर में सस्ते गल्ले की दुकान का अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आवंटन

94–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि टाउन एरिया घुघली, गोरखपुर में पहले जब दुकानों के लिए विज्ञापन हुआ तो एक दुकान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी ? क्या यह सच है कि उक्त आरक्षित दुकान जिस व्यक्ति को दिया गया है वह कमकर है जो अनुसूचित जाति का नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त दुकान को निरस्त कर किसी अनुसूचित जाति को आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत स्थान में श्री प्रमोद कुमार खरवार के नाम सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित की गयी है जो अनुसूचित जाति के हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जनपद में छदान माइनर के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति

95–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में छदान माइनर के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति का कोई प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पत्र संख्या 1175 दिनांक 17-2-86 द्वारा भूमि अध्याप्ति निदेशालय सिंचाई विभाग में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि अध्याप्ति प्रकरण को गजट में नोटीफिकेशन हेतु प्रेस में भेजा गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी/सहायक उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी, हां ।

भूमि अध्याप्ति हेतु धारा 4(1) की विज्ञप्ति अधिसूचना सं0 609/आई0 एस0 ए0/जौनपुर/509/86 दिनांक–8-4-88 द्वारा जारी हो चुकी है तथा गजट में प्रकाशन हेतु भेजी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद कमिश्नरी का भूमि अध्याप्ति प्रकरण संबंधी प्रस्ताव का निस्तारण

96–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अध्याप्ति निदेशालय सिंचाई विभाग में दिनांक 1-1-84 से 1-1-85 तक इलाहाबाद कमिश्नरी के भूमि अध्याप्ति प्रकरणों से संबंधित कुल कितने पत्र विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त हुए तथा क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्राप्त पत्रों में से कुल कितने पत्रों का निस्तारण कर दिया गया और कितने पत्रों को निस्तारित किया जाना अवशेष है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

दिनांक 1-1-84 से 1-1-85 तक इलाहाबाद कमिश्नरी के भूमि अध्याप्ति प्रकरणों से सम्बन्धित कुल 117 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन सभी प्रस्तावों का निस्तारण कर दिया गया है ।

रिर्पटरी कम्पनी (रंग मण्डल) के मुख्यालय, पदाधिकारी, द्वारा व्यय किया गया धन एवं किए गए आयोजनों की जानकारी की मांग

97–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री को विदित है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न अंचलों में प्रचलित लोक नाटक के वास्तविक रूप में जीवित रखने, रंग मंच को सही दिशा देने व पिछड़े अंचलों में ससंगत नाट्य शिविरों का आयोजन तथा नाट्य कला को सुव्यवस्थित एवं बहुमुखी विकास आदि के उद्देश्य से एक रिर्पटरी कम्पनी (रंग मण्डल) की स्थापना सन् 87-88 में शासन ने की है ? यदि हां, तो इस कम्पनी का मुख्यालय कहां पर है ? इसके पदाधिकारी कौन-कौन हैं तथा अब तक इस कम्पनी पर कितना खर्चा किया गया है ? जिस उद्देश्य से यह कम्पनी बनाई गई है उस दिशा में अब तक क्या क्या उपलब्धियां इस कम्पनी ने की है ? जनपद टिहरी गढ़वाल में उक्त रंग मण्डल ने क्या कोई आयोजन किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

2–वर्तमान वित्तीय वर्ष 1988-89 में पदों के सृजित करने की कार्यवाही की जा रही है और पदों के स्वीकृत के पश्चात पदाधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र की जायगी । शासन द्वारा मार्च, 1986 में रंग मण्डल हेतु 1.90 लाख रुपया तथा मार्च, 1988 में 1.57 लाख रुपया स्वीकृत किये गये हैं । वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही रंग मण्डल कार्य करना प्रारम्भ कर देगा । इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में बनाने का निश्चय है ।

3–रंग मण्डल की स्थापना नहीं हुई है । अतः कहीं भी आयोजन सम्भव नहीं हो पाया है ।

पूर्णरूप से रंग मण्डल स्थापित होने के पश्चात टेहरी गढ़वाल एवं अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।

पर्वतीय क्षेत्र की लोक परम्पराओं को सुरक्षित रखने तथा धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में आयोजित होने वाले नृत्यों को सहायता देने की मांग

98–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जनपदों में (जो सन् 60 से पहले एक ही जनपद था) प्रचलित लोक नृत्य जैसे ढोले, सागर, रासा, मंडाण जागर, पवाड़ा पाण्डल नृत्य जो लोक गीतों के साथ-साथ बहुत प्राचीन काल से लोकानुरंजन करते आ रहे हैं, को सजाने सवांरने के लिए व सूरक्षित रखने के लिए विभाग ने क्या-क्या प्रयास किये हैं ? क्या धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में अयोजित होने वाले नृत्यों को किसी प्रकार की सहायता जनापदों को दी जाती है? यदि हां, तो गत 87-88 में टिहरी गढ़वाल को कितनी धनराशि शासन द्वारा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की लोक परम्पराओं को संरक्षित करने के संबंध में इनके व्यापक रूप के सर्वेक्षण, अध्ययन, शोध एवं अभिलेखीकरण हेतु लोक कला संस्थान की स्थापना की गयी है ।

जी नहीं ।

विभाग में इस प्रकार की कोई सहायता देने की योजना नहीं है ।

99–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[परिषद् के दैनिक प्रशासन से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर की विद्युत कार्यशाला में वेल्डर के पद पर कार्यरत श्री गिरीश शर्मा पर लगाये गये कथित आरोप

100–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर की विद्युत कार्यशाला वेल्डर के पद पर कार्यरत श्री शर्मा लगभग 16 वर्षों से अमरोहा नगर की विद्युतशाला में ही कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1976 में यह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बन्दी बनाये गये थे ? यदि हां, तो फिर इतने वर्षों तक अमरोहा नगर की विद्युत कार्यशाला में रखे जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि इनके स्थानान्तरण माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 1987 में तीन बार दिनांक 7-8-87 पत्रांक 3055, दिनांक 4-9-87 पत्रांक 3460 व दिनांक 29-12-87 को किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुरादाबाद से इनका स्थानान्तरण हो गया था ? यदि हाँ, तो क्या रिलीव होने के बाद भी पुनः चार्ज दे दिया गया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1975 में गिरीश चन्द्र शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में बन्दी बनाया गया था ।

चूंकि फरवरी, 1976 में विशेष न्यायालयधीश, मुरादाबाद द्वारा मामले की विवेचना के पश्चात् श्री गिरीश चन्द्र शर्मा को निर्दोष पाया गया था । इस कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री गिरीश चन्द्र शर्मा के स्थानान्तरण पर विचार करते समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त पत्र पर विचार किया गया।

श्री शर्मा का पूर्व स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया था और उनको कार्य-मुक्त नहीं किया गया । अतः पुनः चार्ज देने का प्रश्न नहीं उठता ।

101–हाजी मोहम्मद हयात–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 189 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

बमरौली कटरा फीडर जनपद आगरा को पुनः अण्डर टीकिंग को दिये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

102–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बमरौली कटरा फीडर जनपद आगरा को पुनः अण्डर टीकिंग को दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता की प्रार्थना पर मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा दिये गये आदेशों का पालन कराया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बमरौली कटरा फीडर अब तक ग्रामीण फीडर था। इसे शहरी क्षेत्र में लेने हेतु निर्णय ले लिया गया है । अधीक्षण अभियंता, विद्युत प्रदेय उपक्रम, आगरा ने उपक्रम के अधिशासी अभियंता को फीडर के रखरखाव तथा उस आने वाले उपभोक्ताओं की गिलिंग करने के आदेश दिनांक 16-8-1988 को दे दिये हैं एवं तद्नुसार व्यवस्था की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के सिंचाई खण्ड के बरौली नहर की कोठी स्थित एक कर्मचारी के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता उन्नाव द्वारा दिये गये कथित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

103–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के सिंचाई खण्ड के बरौली नहर की कोठी स्थित एक कर्मचारी के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) उन्नाव ने मा0 राज्य मंत्री जी के निजी सचिव को उक्त कर्मचारी के विरुद्ध एक पत्र माह मई, जून, 88 में लिखा है ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता के पत्र में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1-कर्मचारी बरौली कोठी पर 18 वर्षों से लगातार कार्यरत था । पूरी सेवा अवधि में उसका आचरण एवं कार्य दोषपूर्ण व शासकीय हितों के विपरीत रहा है ।

2-इस अवधि में कर्मचारी का स्थानान्तरण 3/4 बार किया गया किन्तु प्रत्येक बार राजनैतिक प्रभाव से स्थानान्तरण निरस्त कराने में सफल होते रहे ।

3-काश्तकारों की शिकायत पर पुलिस जांच कराये जाने पर पुलिस आख्या में यह बताया गया है कि कर्मचारी को बरौली कोठी पर रखा जाना उचित नहीं है ।

4-विभागीय जांच में भी कर्मचारी को बरौली कोठी पर रखा जाना शासकीय हितों के विपरीत पाया गया ।

कर्मचारी का स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड, उन्नाव से पब्लिक नलकूप रिंग्स खण्ड, कानपुर को किया जा चुका है और उसे दिनांक 1-9-88 को कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

104 से 106-श्री बिहारी लाल दोहरे-

[मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के कारण हटाये गये]

कतिपय सचिवालय कालोनियों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (जिनकी सेवा 10 वर्षों से कम है) को सरकारी आवास दिये जाने के औचित्य की जानकारी

107-श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)-

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी आवास पाने के लिए मौलिक योग्यता क्या है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1986-87 व 88 में महानगर, बादशाहनगर, रामनगर व मोतीझील सचिवालय कालोनियों में भवन पाने वाले अभ्यर्थियों की अधिकांश की सेवा 10 वर्ष से भी कम है ? यदि हां, तो उन्हें किन परिस्थितियों में सरकारी आवास दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम अन्तर्गत जलालपुर छिबरामऊ विद्युत लाइन के जीर्णोद्धार तथा विद्युतीकृत गांवों की संख्या की जानकारी

108-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अंतर्गत जलालपुर छिबरामऊ विद्युत लाइन के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इस लाइन के सम्बद्ध किन-किन गांवों को विद्युतीकरण दिखाया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

7.30 कि0मी0 लम्बी के0 वी0 जलालपुर छिबरामऊ लाइन का 2.40 कि0मी0 भाग जलालपुर से चूलियापार तक चालू है । शेष 4.90 कि0मी0 चूलियापुर से छिबरा-

मऊ तक की लाइन का पूरा तार चोरी हो गया था एवं 22 सीमेंट के खंभें टूट गये थे । लाइन के इस भाग का जीर्णोद्धार न करने का मुख्य कारण उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन न लेना है । इस लाइन से ग्राम डफरापुर, म्योरा, दसैनामऊ एवं छिबरामऊ का विद्युतीकरण किया गया था परन्तु इनमें किसी ने कनेक्शन नहीं लिया ।

बाढ़ खण्ड फैजाबाद तथा गण्डक डिवीजन 15 गोरखपुर के ठेकेदारों के बकाये धन का भुगतान

109–श्री सुख पाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ खण्ड फैजाबाद तथा गण्डक डिवीजन 15 गोरखपुर द्वारा कितना कितना धन किस-किस ठेकेदार का जमानत तथा अन्य प्रकार के बकाये का मार्च 1988 तक भुगतान नहीं किया गया था ? इस विलम्ब के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मार्च 1988 तक बाढ़ खण्ड फैजाबाद तथा इसके उत्तराधिकारी गण्डक नहर निर्माण खंड 15, गोरखपुर में ठेकेदारों से काटी गई जमानत तथा अन्य प्रकार के बकाये की धनराशि अभिलेखानुसार निम्न प्रकार है–

अ–ठेकेदारों की जमानत की धनराशि :

(1) जो 3/88 तक वापसी हेतु देय थी	8.02 लाख रु0
(2) जो वापसी हेतु देय नहीं थी ।	2.45 लाख रु0
	10.47 लाख रु0

ब–अन्य प्रकार के अवशेष 10.66 लाख रु0

उपरोक्त ठेकेदारवार विवरण माननीय सिंचाई मंत्री जी के व्यर्यालय कक्ष में देखा जा सकता है

उपरोक्त में से मार्च, 1988 के पश्चात 1.70 लाख रु0 जमानत की राशि व 8.24 लाख रु0 का भुगतान अन्य मदों का हो चुका है ।

जिस खण्ड में लगभग 150 लाख रुपये के कार्य एक वर्ष में होते हैं उसमें वर्ष के अन्त में लगभग 10 प्रतिशत की देनदारी रुकना अप्रत्याशित नहीं है । इस प्रकार मार्च, 1988 के अन्त में 10.66 लाख रुपये के कार्यों पर व 8.02 लाख रुपये की वापसी हेतु देय जमानत की धनराशि अधिक नहीं कही जा सकती है । इसके लिए व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है । 3/88 तक की देनदारियों के भुगतान यथा सम्भव इस वर्ष कर दिया जायेगा ।

जनपद सीतापुर के ग्राम सैलूमऊ के मृतक श्री छोटे कुन्नू सिंह पुत्र श्री शिव राज सिंह के आश्रितों को आर्थिक क्षतिपूर्ति किये जाने की जानकारी

110–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सैलूमऊ तहसील एवं जिला सीतापुर के श्री छोटकन्नू सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह की मृत्यु दिनांक 19-2-888 को बिजली के

टूटे तार से छू जाने के कारण हो गई ? यदि हां, तो मृतक के आश्रित को अब तक क्या आर्थिक क्षति पूर्ति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

मृतक श्री छोटकन्नू सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह निवासी ग्राम सैलूमऊ जिला सीतापुर के वैध आश्रितों को परिषद् कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6-7-88 द्वारा रुपये पांच हजार की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत कर दी गयी है ।

जनपद ललितपुर के कतिपय विकास खण्ड वार विद्युतीकृत तथा शेष ग्रामों की संख्या

111–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के विकास खण्ड मड़ावरा, महरौनी, बार तथा विरधा के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? उपरोक्त विकास खण्डों में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण अवशेष है ? क्या इन गांवों में इस वर्ष तक या 2 वर्षों में विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दिनांक 31-3-88 तक विकास खण्ड मड़ावरा में 31, महरौनी में 45, बार तथा विरधा में क्रमशः 44 एवं 46 ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर कर दिया गया है । उपरोक्त विकास खण्डों में क्रमशः 88, 50, 42 तथा 94 ग्रामों का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-88 की स्थिति के अनुसार शेष है। इन अवशेष 274 ग्रामों का विद्युतीकरण सीमित संसाधनों के कारण दो वर्षों में किया जाना संभव नहीं है ।

मेसर्स तिरूपति प्लाइवुड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 लखीमपुर खीरी को पिकअप द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध श्री दिनेश टन्डन संयोजक उ0 प्र0 युवा जनता बेरोजगार सेना के शिकायती पत्र पर जांच

है ?

112–श्री अशोक बाजपेई–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स तिरूपति प्लाइवुड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 लखीमपुर खीरी को पिकअप द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध श्री दिनेश टन्डन संयोजक उ0 प्र0 युवा जनता बेरोजगार सेना ने दिनांक 11-5-87 एवं 16-7-87 को शिकायती पत्र प्रबन्ध निदेशक (पिकअप) को दिये थे जिसमें अनियमित ढंग से ऋण स्वीकृत किये जाने एवं संस्था के निदेशकों द्वारा किये गये आर्थिक अपराधों के संबंध में जानकारी दी गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सर्वश्री तिरूपति प्लाइवुड प्रोडक्ट्स (प्रा0) लि0 लखीमपुर खीरी को पिकअप द्वारा मार्च 1987 में ऋण स्वीकृत किये जाने के पश्चात दिनांक 11 मई, 1987 को श्री दिनेश टन्डन, संयोजक उ0 प्र0 युवा जनता बेरोजगार सेना से एक शिकायती पत्र पिकअप को प्राप्त हुआ था ।

उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में नियम के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पिकअप द्वारा जांच की गयी । इस प्रसंग में दुबारा निष्पक्ष जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है । मामले में दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है ।

राजकीय कताई मिल नं0 1 अकबरपुर फैजाबाद में गोली काण्ड के पश्चात् समझौते के बाद कर्मचारियों की संख्या, मिल की क्षति एवं दोनों पक्ष के अभियुक्तों के नाम की जानकारी

113–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 79 में राजकीय कताई मि0 नं0 1 अकबरपुर जनपद फैजाबाद में मुख्य अधिशासी के पद पर श्री आर0 पी0 गुप्त कार्यरत थे ? क्या उस अवधि में कोई श्रमिक अशांति हुयी थी जिसमें गोलीकांड की घटना हुयी थी ? यदि हां, तो इस श्रमिक अशांति को समाप्त करने के लिए मा0 श्रम मंत्री के साथ उ0 प्र0 सचिवालय में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के पश्चात् कितने श्रमिकों को पुनः काम कर वापस लिया गया और इस अवधि में उत्पादन की कितनी क्षति पहुंची है ? गोलीकाण्ड के दोनों पक्ष के अभियुक्तों के नाम क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 30-10-79 को श्रम मंत्री के समक्ष श्रमिक पक्ष और प्रबन्धकों के मध्य एक समझौता हुआ था । उक्त समझौते की धारा-6 के परिपालन में 32 श्रमिकों को पुनः कार्य पर वापस रख लिया गया था । दिनांक 14-4-79 को हुई श्रमिक अशान्ति के कारण 2081 के0 जी0 उत्पादन की क्षति हुई थी ।

गोली काण्ड के पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा प्रथम सूचना दर्ज कराई गई थी जिसमें पक्षों द्वारा निम्नलिखित को अभियुक्त बनाया गया था ।

प्रबन्धकों द्वारा दर्ज रिपोर्ट	श्रमिक पक्ष द्वारा दर्ज रिपोर्ट
1—श्री अकबर हुसैन बाबर	1—श्री आर0 सी0 गुप्ता
2—श्री पी0 जेटली	2—श्री शरद
3—श्री फकरुल हसन,	3—श्री रंजित यादव
4—श्री दीन मोहम्मद	4—श्री वीरेन्द्र यादव
5—श्री गुलाम रसूल	5—श्री भगौती सिंह
6—श्री रमा शंकर	
7—श्री राज नारायण तिवारी	
8—श्री रामवहाल सिंह,	
9—श्री गौरी शंकर उपाध्याय	
10—श्री गिरजा शंकर उपाध्याय	
11—श्री रमा शंकर उपाध्याय	
12—श्री ओम कृष्ण श्रीवास्तव	
13—श्री ओम प्रकाश सिंह	

14—श्री अकबर हुसैन बाबर—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य लखनऊ की गलत प्रविष्टियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

115—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ की जानकारी में कोई ऐसा प्रकरण भी आया है कि जिसके अनुसार उन्हीं के कार्यालय की कैश बुक में कुछ समय पूर्व उन्हीं के स्टाफ द्वारा गलत प्रविष्टियां की गयीं ? यदि हां, तो अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तद्विषयक प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । दोषी कर्मचारी की उनकी चरित्रपंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित किये जाने का दण्ड दिया जा चुका है ।

जनपद फैजाबाद के सजांवा गांव के पास माइनर पर पुलिया निर्माण की टेक्निकल आडिट से जांच की मांग

116—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

प्रथम सत्र 88 के तीसरे बुधवार के प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नगत पुलिया की मरम्मत के नाम पर केवल ईंटें बिछाकर रास्ते को चालू कर दिया गया है और उसमें सीमेन्ट या गारे का नाम मात्र के लिये भी प्रयोग नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप ईंटें अभी से उखड़कर इधर हो रही है और रास्ता किसी भी समय दुबारा बन्द हो सकता है ? यदि

हां, तो प्रश्नगत पुलिया के मरम्मत कार्य की टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुलिया की पुरानी स्लैब के स्थान पर ह्यूम पाइप लगाकर पुलिया का पुर्न-निर्माण माह अप्रैल-मई 88 में करा दिया । पुलिया की रैम्प पर ईंटों का खड़न्जा लगाया गया है जिसमें सीमेन्ट तथा गारा लगाने की आवश्यकता नहीं है । रास्ता दुबारा बन्द हो जाने की कोई संभावना नहीं है ।

विभाग में कराये गये कार्यों की टेक्निकल आडिट सेल द्वारा समय-समय पर जांच की जाती रहती है । प्रश्नगत पुलिया की जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक खण्ड-25 द्वारा सफाई एवं खुदवाये गये ड्रेनों की संख्या तथा व्यय धन एवं प्रगति रिपोर्ट की जानकारी

117–श्री राम चन्द बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक खण्ड 25 द्वारा वित्तीय वर्ष 87-88 में किन-किन ड्रेनों की सफाई की गई तथा कौन-कौन सी नई ड्रेनें खुदवाई गई ? सफाई व नई ड्रेनों की खुदाई में किन-किन ड्रेनों पर कितना पैसा खर्च किया गया तथा क्या मजदूरों को गल्ला दिया गया ? क्या उक्त काम की पैमाईश 15 जून, 88 के पूर्व करा ली गयी थी तथा कार्य पूरा करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी बाराबंकी अथवा अपर जिलाधिकारी परियोजना को भेज दी गई है ? यदि हां, तो कब? क्या यह सही है कि उक्त सभी कार्य सब-स्टैन्डर्ड कराये गये हैं तथा बड़े पैमाने पर धन की लूट की गई है? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वांछित सूचना संलग्नक में दर्शाई गई है । व्यय का विवरण भी संलग्नक में दर्शाया है ।

जी हां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं सूखा राहत मद में जो कार्य कराये गये हैं उनमें मजदूरों को खाद्यान्न वितरित किया गया है ।

जी हां ।

जी हां । वित्तीय वर्ष 1987-88 की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 23-4-88 का अपर जिलाधिकारी परियोजना के कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापा नहीं गया ।

राजकीय नलकूप खण्ड लखनऊ के लिये विद्युत सामग्री की आपूर्ति की जानकारी

118–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप खण्ड लखनऊ के लिए विद्युत सामग्री की आपूर्ति किस एजेन्सी के द्वारा और कौन-कौन सी मार्क की होती है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नलकूप खण्ड, लखनऊ की विद्युत सामग्री की आपूर्ति प्रमुख रूप से अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय राज्य एवं भण्डार-आपूर्ति मण्डल, उ0 प्र0 लखनऊ के माध्यम से कराई जाती है, जो मानक फर्मों द्वारा निर्मित एवं आपूर्ति की जाती है । तुरन्त व आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति खण्ड में सक्षम अधिकारी द्वारा मानक वस्तुओं के स्थानीय स्टाकिस्ट/विक्रेताओं से प्राप्त की जाती है, जिनका विवरण/मेक संलग्न तालिका में दर्शाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 243-244 पर)

जनपद टिहरी गढ़वाल में इन्स्ट्रूमेन्टेशन फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित किये जाने की मांग

119–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में सार्वजनिक उद्योग स्थापित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या यह सत्य है कि टिहरी गढ़वाल में इंस्ट्रूमेन्टेशन फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विभाग द्वारा कार्य किया गया था ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

टिहरी गढ़वाल के मुनी की रेती क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व भारत सरकार के उपक्रम इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि0, कोटा ने एक इकाई स्थापित करने में रुचि दिखायी थी जिसके स्थापनार्थ राज्य सरकार के द्वारा सक्रिय रूप से प्रयास किए गए तथा स्थान का चयन भी किया गया था किन्तु उक्त इकाई द्वारा टेहरी गढ़वाल में लगाई जाने वाली योजना को कोटा में ही लगाना अधिक उपयुक्त पाया गया ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी बांध से होने वाले लाभ का विवरण एवं विस्थापित लोगों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति करने की मांग

120–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद को टिहरी बांध से क्या-क्या लाभ होने की अपेक्षा है ? क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि टिहरी बांध से उत्पन्न होने वाली विद्युत को उक्त बांध से विस्थापित होने वाले लोगों को मुफ्त उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

टिहरी गढ़वाल जनपद में निर्माणाधीन टिहरी बांध परियोजना से जनपद को अनेक लाभ होंगे । इस परियोजना पर होने वाले व्यय से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ संचारयोजन के अवसर में वृद्धि होंगी । बांध के निर्माण के फलस्वरूप बने जलाशय में मत्स्य पालन एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास के अवसर उपलब्ध होंगे । विद्युत की उपलब्धता से क्षेत्र में उद्योगों का विकास होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी ।

टिहरी बांध से उत्पन्न होने वाली विद्युत को उक्त बांध के निर्माण से विस्थापित होने वाले लोगों को मुफ्त दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में इन्स्ट्रूमेन्टेशन फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित गौरी की अध्याप्ति की गयी भूमि के मुआवजा की मांग

121–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि बाबतपुर राजवाहा शारदा सहायक में गांव बरही नेवादा परगना पन्द्रह जिला वराणसी के सामू पुत्र गौरी की जमीन गाटा सं0 769 व 778 ले ली गयी और आज तक मुआवजा नहीं दिया गया ? क्या यह सही है कि सामू ने अधिशासी अभियंता शारदा सहायक जौनपुर को एक प्रार्थना पत्र 16-1-85 को दिया था ? यदि हां, तो अब तक जमीन की पैमाइश कर मुआवजा न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त मय ब्याज के मुआवजा देने का आदेश देगी ? क्या सामू ने सहायक अभियन्ता चतुर्थ शाखा सहायक खण्ड 38 बड़ागांव वाराणसी को भी 14-8-87 को प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । गाटा सं0 769 से 0.03 एकड़ भूमि ली गई है परन्तु गाटा सं0 778 से कोई भूमि नहीं ली गई ।

जी हां । श्री सामू का प्रार्थना-पत्र दि0 16-1-85 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड जौनपुर को प्राप्त हुआ था । शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत बाबतपुर राजबाहे के निर्माण हेतु ग्राम बरही नेवादा परगना पंद्रह जिला वाराणसी में भूमि अध्याप्ति हेतु गाटा सं0-769 व 778 का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन वाराणसी को अधिशासी अभियंता सिंचाई प्रखण्ड, जौनपुर द्वारा दिनांक 3-5-85 को प्रेषित किया गया प्रेषित प्रस्ताव पर धारा 4(1) व 6(1) की विज्ञप्तियां दिनांक 6-5-85 से शासन द्वारा जारी की गई तथा इसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 11-5-85 को हुआ। भूमि अध्याप्ति संशोधित अधिनियम 1984 के संदर्भ में दिनांक 8-10-1988 को धारा 6(1) के अंतर्गत निर्गत विज्ञप्ति को निरस्त कर धारा 6(1)के अंतर्गत नई विज्ञप्ति निर्गत हुई जिसका प्रकाशन दिनांक 7-3-87 को राजकीय गजट में हो गया है । इसी बीच भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के अन्तर्गत पूर्व में धारा 4(1) के अन्तर्गत निर्गत विज्ञप्ति

की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण नये सिरे से भूमि अध्यापित के प्रस्ताव बनाये गये हैं । संशोधित प्रस्ताव जिसमें अब केवल गाटा सं0 769 का 0.03 एकड़ क्षेत्र अर्जित किया जाना है विज्ञप्तियां निर्गत होने पर भूमि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के मोतीलाल वगैरह की शारदा सहायक खण्ड 38 बाबतपुर राजवाहा में अध्यापित की गयी भूमि के मुआवजे की मांग

122—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 38 बाबतपुर राजवाहा में मोती लाल वगैरह गांव बरही नेवादा प0 पन्द्रह ल0 व जिला वाराणसी के आ0 सं0 857 व 858 जो आबादी और बैनामा की जमीन है उसका मुआवजा अब तक दिया गया ? क्या यह सही है कि मोती लाल ने बैनामा के कागज के साथ प्रार्थना पत्र अधि0 अभि0 जौनपुर को 16-1-85 व सहायक अभियंता खण्ड 3 बड़ा गांव वाराणसी को 14-8-87 को दिया ? यदि हां, तो मुआवजा अब तक न देने का कारण क्या है तथा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । आराजी सं0 857 से 0.085 एकड़ भूमि ली गई है जिसका मुआवजा नहीं दिया जा सका है । आराजी सं0 858 से कोई भूमि नहीं ली गई है ।

दिनांक 16-1-86 को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु दिनांक 16-1-85 को ग्राम बरही नेवादा के कुछ कृषकों का सामूहिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर श्री मोतीलाल के भी हस्ताक्षर थे ।

दिनांक 14-8-87 को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

धारा—4/1/व 6/1/के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशित होने पर भूमि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

राजकीय नलकूप गोताल पट्टी ग्राम खेड़ा वाराणसी की नाली की स्वीकृति न होने के संबंध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

123—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप गोताल पट्टी नं0 जी0 नं0 82 ग्राम खेड़ा परसपुर परगना भदोही, त0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की नाली हेतु प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग (विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, लखनऊ) के यहां से फाइल संख्या 461/87 दिनांक 23-7-87 को स्वीकृति हेतु विशेष सचिव सिंचाई विभाग उ0 प्र0 को भेज दी गयी है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति आज तक क्यों नहीं दी गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर जल्द से जल्द कार्यवाही करेगी ताकि नाली का निर्माण हो सके ?

श्री सांकृत्यायन त्रिपाठी–

जी हां । विशेष सचिव (सिंचाई) ने जुलाई, 1987 में ही अनुमोदन प्रदान कर दिया था ।

प्रश्न से संबंधित प्रकरण में धारा-16 के अंतर्गत 6 (1) की विज्ञप्ति संख्या-1321/आई0 एल0 ए0/वाराणसी/481/87, दिनांक 17-8-87 जारी करके भूमि अध्याप्त निदेशालय के पत्र संख्या-1562/आई0 एल0 ए0, दिनांक 20-8-87 को राजकीय प्रेस, इलाहाबाद को गजट में प्रकाशन हेतु भेजी गई जिसका प्रकाशन गजट में दिनांक 26-3-88 के पृष्ठ संख्या 647 पर हुआ है ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

टिकैत राय लखनऊ में नवनिर्मित सचिवालय कालोनी में आवासों का आवंटन

124–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि टिकैत राय लखनऊ में नवनिर्मित सचिवालय कालोनी में तीन कमरों के आवासों का आवंटन राज्य सम्पत्ति विभाग अनुभाग–2 द्वारा अपात्र कर्मचारियों को किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या सरकार तीन कमरे वाले आवासों को पाने वाले सभी कर्मचारियों के सेवाकाल जन्मतिथि विभाग आदि का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं । समस्त आवंटन नियमानुसार किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

सूचना अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक होने के कारण ऐसा सम्भव नहीं है ।

नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद के रिंग यूनिट नं0 9 तथा उससे सम्बन्धित इक्यूपमेंट यूनिट पर व्यय धनराशि की जानकारी

125–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद के रिंग यूनिट नम्बर-9 तथा उससे संबंधित इक्यूपमेन्ट यूनिट पर कितनी धनराशि डिफेक्ट रिपोर्ट, मस्टररोल, कार्य आदेश एवं स्टाफ में खर्च किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1987-88 में नलकूप निर्माण खण्ड, मुरादाबाद के रिंग यूनिट नम्बर-9 तथा उससे सम्बन्धित इक्यूपमेन्ट यूनिट पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है :–

		रु0
(1)	डिफेक्ट रिपोर्ट पर . . .	180855.00
(2)	मस्टर रोल पर	शून्य
(3)	कार्यादेशों पर . . .	16864.05
(4)	स्टाक पर	210995.00
	कुल व्यय यूनिट नल0–9 पर	4008714.05

ललितपुर जनपद के सौरई में खाद का कारखाना लगाये जाने की मांग

126–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद जो कि एक उद्योग शून्य जनपद है उसमें कोई भारी उद्योग स्थापित कराने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ललितपुर जनपद में सौरई में प्राप्त होने वाले राक फास्फेट से जनपद में सौरई में ही खाद का कारखाना बनाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ललितपुर जनपद उद्योग शून्य जनपद नहीं है । ललितपुर में एक फास्फेट के आधार पर एलीमेंटल फासफोरस तथा इसके डिराइवेटिव्स उद्योग की परियोजना लगाने हेतु प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 (पिकप) को भारत सरकार से दिनांक 27-1-88 को आशय-पत्र प्राप्त हुआ है ।

परियोजना वर्ष 1990 तक लग जाने की सम्भावना है । रांक फास्फेट पर आधारित खाद कारखाना प्रस्तावित नहीं है । केवल खनिज उच्चीकरण संयंत्र लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिसका परीक्षण किया जा रहा है । इस संयंत्र का लगाया जाना परियोजना की तकनीकी एवं आर्थिक उपयुक्तता पर निर्भर करता है । अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त संयंत्र कब तक लगेगा ।

127–श्री हरिशंकर तिवारी–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 191 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

128–श्री हरिशंकर तिवारी–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 189 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में जिला स्तरीय कार्यालयों में होने वाली रिक्तियों की सूचना स्थानीय विधायकों को उपलब्ध कराया जाना

129–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों में होने वाली रिक्तियों की सूचना स्थानीय विधायकों को शासनादेश संख्या 696/कार्मिक-2/79 दिनांक 6 जून, 1979 के अनुपालन में उपलब्ध करायी जाती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रश्नगत शासनादेश का संज्ञान जिला स्तर पर क्षीण हो जाने के कारण वर्तमान में उक्त का अनुपालन नहीं हो सका है । इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री मथुरा प्रसाद तिवारी अवर अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड फैजाबाद के स्थानान्तरण आदेश का निर्गमन

130–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा के तृतीय सभा 1987 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के संदर्भ में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी और मथुरा प्रसाद तिवारी का स्थानान्तरण आदेश कब निर्गत किया गया, उसका समय से पालन न किए जाने तथा कार्य अवमुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

तृतीय सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 90 के उत्तर के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं था ।

श्री मथुरा प्रसाद तिवारी, अवर अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड फैजाबाद का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता (जल-विद्युत) के पत्र सं0 1938-ई-11/2 बी-144 एस, दिनांक 30-5-88 द्वारा निर्गत किया गया ।

श्री तिवारी को समय दिनांक 12-7-88 को कार्यमुक्त कर दिया गया था । परन्तु श्री तिवारी का पुत्र जो फैजाबाद में कक्षा 12 का छात्र है उसकी शिक्षा में व्यवधान न उत्पन्न हो, इसे दृष्टिगत करते हुए उक्त स्थानान्तरण आदेश को दिनांक 31-3-89 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां नगर पालिका में फर्जी विद्युतीकरण का आरोप

131–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की नगर पालिका मल्लावां में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो मोहल्ला-बन्दीपुर एवं कुछ अन्य स्थानों पर मात्र खम्भे गिराकर ही विद्युतीकरण दिखा देने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । नगर पालिका मल्लावां का विद्युतीकरण कई वर्ष पूर्व हो चुका है और पंखा-बत्ती, औद्योगिक एवम् निजी नलकूप के अनेक कनेक्शन चल रहे हैं ।

मोहल्ला-बन्दीपुर, खजुहा एवं मोहिद्दीनपुर में कुछ नये आवेदनकर्ताओं के पंखा-बत्ती का कनेक्शन देने हेतु एल0 टी0 लाइन को बढ़ाने का कार्य किया जाना है परन्तु वांछित मात्रा में आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण लाइन बढ़ाने का कार्य सम्भव नहीं हो सका है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स की कम्पनी नं0 1 व 2 के श्रमिकों के वेतन में असमानता एवं दोनों कम्पनियों के श्रमिकों का पदनुसार न्यूनतम मूल वेतन की जानकारी

132–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स की कम्पनी नं0 1 व 2 के श्रमिकों के वेतन समान न होने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी दोनों कम्पनियों के श्रमिकों का पदानुसार न्यूनतम मूल वेतन बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम से संबंधित उ0 प्र0 राज्य कताई मिल कम्पनी नं0 1 व कम्पनी नं0–2 के श्रमिकों के वेतन समान न होने का कारण यह है कि कम्पनी नं0–1 की मिलें कम्पनी नं0–2 की मिलों की अपेक्षा अधिक पुरानी है तथा कम्पनी नं0–1 के मिलों के श्रमिकों को जो कि काफी पुराने हैं वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप कम्पनी नं0–2 के श्रमिकों, जो कि बिल्कुल नये हैं, को कम वेतन मिलता है । उ0 प्र0 राज्य कताई मिल कम्पनी नं0 1 तथा उ0 प्र0 राज्य कताई मिल कम्पनी नं0–2 के श्रमिकों का पदानुसार न्यूनतम वेतन निम्न प्रकार से हैं :–

1–उ0 व0 राज्य कताई मिल नं0-न्यूनतम वेतन रु0 961.43

2–उ0 प्र0 राज्य कताई मिल नं0 2 मेजा, बांदा रु0 850.53
रसड़ा, (बलिया), जौनपुर रु0 835.20

जनपद सुल्तानपुर के दुर्घटनाग्रस्त श्री राम नेवाज पाण्डे को अविलम्ब क्षतिपूर्ति की मांग

133–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नेवाज पाण्डे नि0 ग्रा0 सदरपुर पो0 चोरमा, जनपद सुल्तानपुर की दिनांक 30 जून, 1986 को बिजली के गिरे तार से हुयी दुर्घटना में उसका बांया हाथ बेकार हो गया है ? यदि हां, तो जांच होने के पश्चात् क्षतिपूर्ति देने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्षतिपूर्ति कब तक और कितनी दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

क्षतिपूर्ति देने का कार्यवाही आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही प्रारम्भ कर दी गयी एवं कोई विलम्ब नहीं हुआ

अनुग्रह क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु परिषद् द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र पेमेन्ट करा दिया जायेगा ।

बस्ती जिले के टाउन एरिया तेतरी बाजार में स्वीकृत ट्रांसफार्मरों को लगाने की मांग

134–श्री धनराय यादव–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के परिक्षेत्र में टाउन एरिया तेतरी बाजार में 250-250 के0 वी0 ए0 के दो ट्रान्सफार्मर लगे हैं, किन्तु विद्युत भार की अधिकता के कारण लगे दोनों ट्रान्सफार्मर के सक्षम न होने के कारण एक ट्रान्सफार्मर पेट्रोल पम्प के पास तथा दूसरा डाकबंगला तथा गोवरहवा बाजार के पास लगाना स्वीकृत है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि बौद्ध तीर्थ कपिलवस्तु के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधा हेतु निर्मित पर्यटक आवास तथा जल निगम द्वारा लगाये गये नलकूप से जल आपूर्ति हेतु विद्युत की अधिक मांग है, जिसकी आपूर्ति सुव्यवस्थित ढंग से करना आवश्यक है ? यदि हां, तो स्वीकृत दोनों ट्रान्सफार्मर कब तक लगा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो इन्हें लगाने में क्या कठिनाई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बस्ती जिले के टाउन एरिया तेतरी बाजार में 400 के0 वी0 ए0 का एक ट्रांसफार्मर डिग्री कालेज में तथा 250 के0 वी0 ए0 का एक ट्रांसफार्मर 33 के0 वी0 उप केन्द्र पर लगा है । एक 250 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर पेट्रोल पम्प के पास तथा दूसरा ट्रान्सफार्मर गोवरहवा बाजार के पास लगाना स्वीकृत है ।

जी हां । पेट्रोल पम्प के पास 250 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर 20-6-88 को लगा कर चालू कर दिया गया है । गोवरहवा बाजार के लिए ट्रांसफार्मर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है । उपलब्ध होते ही इसे लगा दिया जायेगा ।

जनपद पीलीभीत के अवसरा ग्राम के सुरक्षा हेतु पत्थर के स्पर बनाये जाने की मांग

135–श्री धनराय यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के ग्राम नांद सिमरिया के निवासियों का दिनांक 16-10-87 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग के समय कृषि मंत्री उ0 प्र0 शासन को हजवा महल पीलीभीत में प्रश्नकर्ता ने प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के ग्राम अपसरहा के नदी पश्चिम से लगातार कई वर्षों से काट रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त गांव के पश्चिम की तरफ से पत्थर के स्पर बनवाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 16-10-87 को प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद पीलीभीत के ब्लाक ललौरी खेड़ा में अवसरा नाम की प्राकृतिक नदी घुमाव-दार रास्ते से लगभग उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा अधिक बाढ़ के समय प्रत्येक वर्ष अपने तट के दायी तथा बायी ओर के ग्रामों को क्षति पहुंचाती है ।

सुरक्षा हेतु जो सर्वेक्षण किया गया है जिसके आधार पर पत्थर की छोटी ठोकरें बनाने की आवश्यकता हो सकती है । तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनु-मोदन के उपरांत ही इसका निर्माण सम्भव हो पायेगा ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनिश्यारी में टसर विकास परियोजना को व्यापक बनाये जाने की मांग

136–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनिस्यारी में कालामुनी-धार के पास टसर विकास योजना विगत कई वर्षों से लागू है? यदि हां, तो इस परियोजना के द्वारा अपेक्षाकृत सुगमता से प्राप्त खरसू के पेड़ों में टसर कीट पालन की सफलता और इसकी व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए, उपरोक्त स्थान पर ही टसर कीट के अंडे पैदा करने के लिए सरकार ने 15 फरवरी, 1988 व उसके बाद क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई–

जी हां । टसर विकास योजना वर्ष 1984-85 से जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनिश्यारी में कार्यरत है ।

फरवरी, 1988 के पूर्व इस योजना का एक केन्द्र मुनिश्यारी में कालामुनिधार के पास नई बस्ती में कार्यरत था । फरवरी, 1988 के बाद मुनिश्यारी विकास खण्ड के ग्राम-ठीलम में भी दूसरा केन्द्र स्थापित कर ग्रामीणों से कीट पालन कार्य आरम्भ भी करवाया गया है । मुनिश्यारी में भी टसर कीट के बीज पैदा करने की कार्यवाही की जा चुकी है, मुनिश्यारी क्षेत्र में टसर अण्डों की आपूर्ति हेतु टसर अण्डों के उत्पादन हेतु बीजागार की स्थापना के लिये 2.40 लाख रुपये की योजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पिथौरागढ़ के द्वारा ग्राम विकास विभाग को स्वीकृत हेतु भेजी गई हैं ।

मुनिश्यारी क्षेत्र में उपलब्ध टसर के वृक्षों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने हेतु एक योजना राज्य सरकार के पर्वतीय विकास विभाग के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले के बरौली नहर कोठी पर तैनात कथित कर्मचारी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

137–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के बरौली नहर की कोठी पर तैनात किसी कर्मचारी के विरुद्ध माह जनवरी, फरवरी 88 में हुई जांच में

पुलिस, अगर अभियंता (सिंचाई मौरावां) व अन्य तमाम अधिकारियों ने अपनी जांच में कर्मचारी को दोषी माना है और पुलिस ने कर्मचारी को उक्त स्थान में रखे जाने का विरोध किया है ? यदि हां, तो क्या विभिन्न संलग्नकों सहित सचिव सिंचाई को प्रश्नकर्ता का पत्र मार्च, 88 के आखिरी सप्ताह में मिला है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

कर्मचारी का स्थानान्तरण प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–7549/ई-4ख, दिनांक 30-8-88 द्वारा सिंचाई खण्ड, उन्नाव से पब्लिक नलकूप रिंग्स खण्ड कानपुर को कर दिया गया है तथा कर्मचारी को दिनांक 1-9-88 को कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

अधिशासी अभियन्ता गंगा नहर मुजफ्फर नगर के विरुद्ध घोटाले की जांच

138–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधि0 अभि0 गंगा नहर मुजफ्फरनगर श्री सुरेश चन्द्र गिरी के विरुद्ध करोड़ों रुपये के घोटाले एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री रेवती रमण सिंह नेता जनता विधान मण्डल दल ने 29 दिसम्बर, 87 एवं श्री सत्य पाल यादव नेता विरोधी दल ने 1 जून , 88 को अलग-अलग शिकायती पत्र लिखे थे ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत मामले में श्री रेवती रमण सिंह, नेता जनता विधान मंडल दल का शिकायती पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 87 तो प्राप्त हुआ है लेकिन श्री सत्यपाल यादव, नेता विरोधी दल का पत्र दिनांक 1-1-88 प्राप्त नहीं हुआ है

श्री रेवती रमण सिंह, नेता जनता विधान मण्डल दल ने अपने पत्र के साथ श्री रमेश चन्द्र त्यागी, ग्राम व पोस्ट-घलौली जिला-सहारनपुर द्वारा प्रेषित परिपत्र एवं आरोप-पत्र संलग्न करके आवश्यक कार्यवाही कर दोषी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की मांग की थी । श्री रमेश चन्द्र त्यागी के उपर्युक्त परिपत्र एवं आरोप पत्र शासन में पहले भी मिल चुका था और उस पर जांच कराकर जांच आख्या शासन को भेजने के लिए दिनांक 3-11-1987 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को आदेश दिया जा चुका था । अतः इस पर अलग से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । बाद में एक अन्य शिकायती -पत्र पर विचार करने के उपरांत शासनादेश दिनांक 12-9-88 द्वारा प्रश्नगत मामले में प्राप्त सभी शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक प्रशिक्षक को सौंप दी गयी है जिसमें प्रश्नगत शिकायतें भी शामिल हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नगत अधिकारी श्री सुरेन्द्र चन्द्र गिरी, प्रभारी सहायक अभियन्ता को गंगा नहर खण्ड, मुजफ्फरनगर से स्थानान्तरित कर दिया गया है और शिकायतों की प्राविधिक जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उद्योग बन्धु द्वारा जनपद तथा ब्लाकों में उद्योगों की स्थापना

139—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "उद्योग बन्धु" नामक उनके अधीनस्थ विभाग ने प्रदेश में वर्ष 1985 से अक्टूबर 1987 तक कितने बड़े उद्योगों की समस्याओं का निदान किया और प्रदेश में उद्योग शून्य जनपदों में कितने उद्योगों की स्थापना करायी और कितनी समस्याओं का समाधान लघु उद्योगों का उक्त समय और वर्षों में किया तथा कितने लघु उद्योगों को प्रदेश के विकास खण्डों में स्थापित करवाया ? यदि नहीं, तो क्यों और उद्योग बन्धु पर होने वाले वार्षिक व्यय क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1985 (दिनांक 17-12-85) से अक्टूबर, 87 तक उद्योग बन्धु द्वारा 245 बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों की समस्या का निदान किया गया और शून्य जनपदों में 44 बृहत एवं मध्यमस्तरीय उद्योगों की स्थापना में सहयोग दिया गया । अक्टूबर, 1987 में लघु उद्योग बन्धु की स्थापना के पश्चात से दिनांक 13 सितम्बर, 1988 तक 126 लघु उद्योगों की समस्याओं का निदान किया गया । उदयोग बन्धु द्वारा प्रदेश के विकास खण्डों में लघु उद्योगों की स्थापना का कार्य नहीं किया जाता है । वित्तीय वर्ष 1987-88 में उद्योग बन्धु पर रु0 13.66 लाख व्यय किया गया । उद्योग बन्धु पर होने वाला औसत वार्षिक व्यय रु0 12.24 लाख रहा है।

सिंचाई विभाग के संबंध में श्री कुशल पाल सिंह विधायक के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

140—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुशल पाल सिंह विधायक का सिंचाई विभाग के संबंध में एक शिकायती पत्र संख्या - 536 दिनांक 25-5-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । जांच की कार्यवाही के लिए प्रमुख अभियन्ता को भेज दिया गया है ।

इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन उपखण्ड (द्वितीय) लखनऊ में कार्यरत एस0 डी0 ओ0 को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

141—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन उपखण्ड (द्वितीय) लखनऊ में वर्ष 1983 से 1985 तक कार्यरत एस0 डी0 ओ0 के विरुद्ध वर्ष 1983-

84 एवं 1984-85 में गबन एवं भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें प्रमाणित होने पर उन्हें दण्डित किया गया था तथा सत्यनिष्ठा रोक दी गयी थी ? क्या अब उसी अधिकारी को पदोन्नति देकर अधिशासी अभियन्ता बनाये जाने की कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानें खोलने हेतु समिति का गठन

142–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र दिनांक 5-12-86 को खाद्य रसद विभाग के सचिव द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों की नियुक्ति करने के लिए गठित की गयी समिति के विषय को लेकर प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

विचारोपरान्त समिति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जनपद बांदा में पयस्वनी नहर परियोजना का सर्वे प्लान को स्वीकृति

143–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के पयस्वनी नहर परियोजना का सर्वे-प्लान कब तैयार हुआ ? क्या उसके लिए 1975-76 और 76-77 के राज्य के आय व्ययक में धन का प्राविधान कर दिया गया था ? यदि हां, तो मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकार से स्वीकृति लेने और परियोजना को निर्मित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये ? क्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अकाल सूखाग्रस्त इलाके के सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पयस्वनी नहर परियोजना का सर्वे प्लान 1975 में तैयार हुआ था ।

जी नहीं ।

पयस्वनी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के मध्य 13-1-1977 को एक अनुबन्ध हुआ था । उक्त अनुबन्ध के अनुसार प्राक्कलन बना कर केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु वर्ष 1982 में भेजा गया । केन्द्रीय जल-आयोग ने योजना की स्वीकृति न प्रदान करके यह सुझाव दिया कि पहले दोनों प्रदेशों के मध्य 1977 में हुये पयस्वनी नदी के जल के बंटवारे के अनुबन्ध को इस सीमा तक संशोधित करा लिया जाय ताकि उपलब्ध जल का आधा-आधा भाग मिल सके । केन्द्रीय जल-आयोग के द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार 1977 के अनुबन्ध को संशोधित किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से सहमति

मांगी जा रही है, परन्तु मध्य प्रदेश इसके लिये सहमत नहीं है । इस विषय को मध्य क्षेत्रीय परिषद् की तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 29-7-86 को अनुपूरक कार्यसूची में सम्मिलित कराया गया था, परन्तु इस योजना के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हो सका । मध्य प्रदेश द्वारा 1977 के अनुबन्ध को संशोधित किये जाने पर सहमति देने तथा केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग से पयस्वनी की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

बुन्देलखण्ड के बांदा जनपद के सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई सुविधा हेतु कई योजनायें प्रस्तावित हैं ।

यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लि0 सदर मण्डी चौराहा आगरा विषयक आपत्तियां

144–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि0 यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लि0 सदर मण्डी चौराहा आगरा के 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालय महालेखाकार उ0 प्र0 वाणिज्य सम्प्रेक्षण विंग सहकारिता भवन लखनऊ ने 9-4-86 को मुख्य-मुख्य क्या आपत्तियां लगाई हैं ? उनका क्या निस्तारण किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक की टिप्पणी, जिसमें आपत्तियां उल्लिखित हैं, तथा उसके सन्दर्भ में निगम के निदेशक मण्डल का स्पष्टीकरण, जिसमें आपत्तियों के निस्तारण की बिन्दुवार स्थिति दी गयी है, संलग्नक में अवलोकनीय है ।

श्रम निगम का वर्ष 1983-84 का प्रसंगगत वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 7 मार्च, 1988 के उपवेशन में सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया था और उस पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की बैठक में भी विचार किया जा चुका है ।

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 'ज' आगे पृष्ठ 245–246 पर)

नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद को इण्डियन आयल डिपो से डीजल की आपूर्ति

145–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड मुरादाबाद में एक अप्रैल, 87 से 31-3-88 तक कितना डीजल इन्डियन आयल डिपो मुरादाबाद से प्राप्त किया गया और रिग यूनिट नं0-9 के अवर अभियन्ता को कितना आवंटित किया गया और वह कहां खर्च हुआ ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नलकूप निर्माण खण्ड, मुरादाबाद में 1 अप्रैल, 1987 से 31-3-88 तक 290 किलोलीटर डीजल तेल इण्डियन आयल डिपो मुरादाबाद से प्राप्त किया गया ।

रिग यूनिट नं0 9 के अवर अभियन्ताओं श्री दिनेश प्रसाद देवली तथा श्री आनन्द कुमार को क्रमशः 7.05 किलोलीटर तथा 42.02 किलोलीटर डीजल तेल आवंटित

किया गया डीजल तेल रिग मशीनों द्वारा राजकीय नलकूपों के छिद्रण, कम्प्रेसर मशीनों द्वारा राजकीय नलकूपों के विकसन तथा राजकीय नलकूपों के निर्माण सम्बन्धी सामान को ढोने हेतु ट्रकों व ट्रैक्टरों पर खर्च किया गया ।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय क्षेत्र में कम वोल्टेज होने के कारण

146–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद, में सादियाबाद बघाड़ा, तोपखाना, ढरहरिया, चांदपुर, चांदपुर सलोरी, शुतुरखाना, गल्ला बाजार, नेवादा कृष्णनगर कीटगंज, बक्शी कला दारागंज, मेंहदौरी, रसूलाबाद, हौलीघर आदि क्षेत्रों में कम वोल्टेज होने के कारण क्या है और शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या और कब तक सुधार हो जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत मो0 सादियाबाद, बघाड़ा, तोपखाना ढरहरिया, चांदपुर, चांदपुर सलोरी, शुतुरखाना, गल्ला बाजार, नेवाहा, बक्सी कलां, दारागंज, मेंहदौरी, रसूलाबाद, हौली-घर आदि मोहल्लों में सामान्य रूप से कम वोल्टेज नहीं है । इन मोहल्लों के अन्तिम छोरों पर कम वोल्टेज की समस्या है जिस का मुख्य कारण अधिक संख्या में नव निर्मित भवनों से लाइन पर अधिक भार का बढ़ना है । साथ ही साथ कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग करना भी है । कृष्णानगर व कीटगंज मोहल्लों में कम वोल्टेज की समस्या का मुख्य कारण पुरानी एल0 टी0 लाइन में अधिक भार पड़ना रहा है ।

इन मोहल्लों की वोल्टेज समस्या को दूर करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये गये हैं जैसे एक फेज को तीन फेज में बदलना, पुराने तारों को अधिक क्षमता वाले तारों से बदलना एवं 11 के0 वी0 की लाइन बनाकर ट्रांसफार्मर लगाना आदि ।

मोहल्ला शुतुरखाना तथा गल्ला बाजार में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है । जिससे कम वोल्टेज की समस्या कम हो गयी है । कृष्णानगर व कीटगंज मोहल्लों के पुराने तार बदल दिये गये हैं जिससे अब वोल्टेज की समस्या नहीं है।

सादियाबाद, बघाड़ा, ढरहरिया में 11 के0 वी0 लाइन बनाकर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है जो शीघ्र चालू हो जाने की आशा है । मेंहदौरी तथा रसूलाबाद मोहल्लों में भी लाइन एवं ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किया जा रहा है जिसके शीघ्र ऊर्जीकृत होने पर इस क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या में सुधार होगा ।

शेष मोहल्लों में भी सुधार हेतु वांछित कार्यवाही की जा रही है । शीघ्र सुधार की सम्भावना है ।

जनपद फैजाबाद की ड्रेनों की सफाई व निर्माण में फर्जी भुगतान की कार्यवाही

147–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987 में शारदा सहायक खण्ड 43-फैजाबाद द्वारा विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर फैजाबाद की किन-किन पुरानी ड्रेनों की सफाई तथा किन-किन नयी ड्रेनों का निर्माण कराया गया ? प्रत्येक की सफाई

एवं निर्माण कार्य में अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या यह सही है कि मस्टर रोल में अंकित मजदूरों में अनाज के रूप में कोई मजदूरी नहीं दी गई है और सफाई तथा निर्माण के नाम पर फर्जी भुगतान हुए है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वांछित सूचना संलग्नक में दर्शाई गई है । व्यय का विवरण भी संलग्नक में दर्शाया गया है ।

जी नहीं । मस्टर रोल में अंकित मजदूरी का नियमानुसार नकद तथा खाद्यान्न मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 247–248 पर)

जनपद झांसी के प्रखण्ड में कार्यरत चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण

148–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले के विभिन्न प्रखण्डों में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जिन्हें विभाग में दैनिक वेतन पर कार्य करते हुए लगभग तीन से पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष हो गये हैं ? ऐसे कर्मचारियों की सेवायें अब तक नियमित न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उनकी सेवायें नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

झांसी जिले में सिंचाई विभाग के विभिन्न प्रखण्डों में चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हैं जिन्हें विभाग में दैनिक वेतन पर कार्य करते हुए लगातार लगभग तीन से पांच वर्ष या उससे अधिक समय हो गया हो तृतीय श्रेणी मे जीप चालक के पद पर एक कर्मचारी नियमित पद स्वीकृत न होने के कारण दैनिक वेतन पर पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यशील है ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का कोई नियम नहीं है।

जनपद बांदा के असिंचित क्षेत्र में राजकीय नलकूपों की स्थापना

149–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ए/25/सि/87 दिनांक 8-9-87 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के असिंचित क्षेत्र गांवों में सिंचाई सुविधा हेतु राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? क्या पत्र लिखित गांवों में राजकीय नलकूप लगवाने हेतु सर्वे कराकर टेस्ट बोरिंग करवायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाली मशीन से राजकीय नलकूप लगवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वेक्षण

150–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 223 दिनांक 18 जून, 1987 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम नेदुवा के पास से बागे नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

151–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के केन नहर से वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

152–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 275/सि0/87 दिनांक 27-7-87 सिंचाई विभाग के संयुक्त सचिव (श्री देवेन्द्र सिंह) को उनके अर्द्ध शा0 प0 सं0 3182/87 सि0 87 सिंचाई 4–28 वी0 आई0 पी0/87 दिनांक 23-6-87 के संबंध में बांदा जनपद के बांदा ब्रांच केन नहर से अंलहा रजबहा से क0 नं0 2 से सिंचाई व माइनर निकालने तथा सींच वसूली के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराने पर पाया गया कि अलिहा रजबाहा के कुलावा नं0-2 पर ग्राम बांसी और प्रेमपुर की कुल 179 एकड़ कृषि योग्य भूमि पर खरीफ में 50 एकड़ और रबी में 45 एकड़ सींच प्रस्तावित है । पिछले 5 वर्षों की औसत सींच खरीफ में 120 एकड़ तथा रबी में 69 एकड़ है । इससे स्पष्ट है कि कुलावे पर प्रस्तावित सींच से कहीं अधिक सींच की जा रही है । रजवाहे में अपने प्रस्तावित क्षेत्र की सिंचाई करने हेतु पानी उपलब्ध नहीं है । अतः किसी नई माइनर का निकाला जाना औचित्यपूर्ण नहीं है । इसके अतिरिक्त केन नहर में रबी की फसल हेतु अतिरिक्त जल भी उपलब्ध नहीं है । किसी असिंचित क्षेत्र की सींच कर की वसूली विभाग द्वारा नहीं की जा रही है ।

आबकारी गोदाम निरीक्षक श्री पी0 बी0 लाल शहर गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

153–श्री जनार्दन प्रसाद भोभा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री रमा शंकर शाही जनता पार्टी नेता गोरखपुर ने उन्हें सम्बोधित अपने शिकायती पत्र दिनांक 12-3-88 में आबकारी गोदाम निरीक्षक श्री पी0 बी0 लाल शहर गोरखपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की

तालिका देकर जांच की मांग की है ? यदि हां, तो आरोप क्या है एवं उनकी जांच तत्काल न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में श्री पी0 बी0 लाल के विरुद्ध गृह जनपद गोरखपुर में तैनाती, पद का दुरुपयोग करके लाखों रुपये का काला धन जमा कर मोहल्ला दाऊदपुर में विशाल भवन का निर्माण कराने, गोदाम से अवैध तरीके से हजारों रुपयों की शराब बेचने का धन्धा चलवाने, एक भ्रष्ट लापरवाह कुख्यात कर्मचारी होने के कारण एक जगह न टिक पाने और निलम्बन व जांच का सिलसिला हर जगह चलने, उप आबकारी आयुक्त को 10,000/- रुपये मासिक देने, शाम 5.00 बजे के बाद सरकारी गोदाम से सैकड़ों लीटर शराब चोरी से निकलवाने और उसे बेचकर अवैध कमाई करने, जनपद के कुख्यात माफिया संगठन से गठबंधन होना, स्वर्गीय सीमान्त गांधी के निधन के दिन शराब गोदाम से निकासी देना आदि आरोप लगाये गये हैं ।

जांच कराई गई ।

उन्नाव डिपो में आय वृद्धि का अनुपात

154–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव डिपो की माह जनवरी, फरवरी, 87 में क्या आय थी ? इन्हीं महीनों में सन् 88 में क्या आय हुई ? क्या बढ़ती आबादी और यात्रियों के घनत्व को देखते हुए एक साल बाद इन्हीं माहों में आय बढ़ी है ? यदि हां, तो वृद्धि का अनुपात क्या है ? यदि आय नहीं बढ़ी है तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

उक्त डिपो की माह जनवरी, फरवरी 87 में रु0 11,13,567-00 तथा रु0 12,59,112-55 की क्रमशः आय थी ।

इन्हीं महीनों में सन् 1988 में क्रमशः रु0 15,99,008-75 तथा रु0 16,80,908-30 आय हुयी ।

जी हां ।

जनवरी 87 की तुलना में जनवरी 88 में आय में 43.59 प्रतिशत एवं फरवरी 87 की तुलना में फरवरी 88 में 33-50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण

155–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों–बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर में लिफ्ट सिंचाई की बड़ी छोटी सभी प्रकार की नई योजनाएं बनाने पर रोक लगा दी गई है ? क्या यह भी सही है कि जमुना नदी पर कोई बड़ी योजना नहीं लगाई जाती और छोटे बड़े नदी नालों पर 20 क्यूसिक से कम की नई योजनाएं लगाने पर प्रतिबंध लगा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो वर्ष

1988-89 में कौन-कौन सी बड़ी लिफ्ट योजनायें प्रस्तावित हैं? क्या बांदा जिले की करवी तहसील में जमुना, बागें, पयस्वनी व बाल्मीकि नदियों पर नई लिफ्ट योजना का सर्वे-प्लान तैयार किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या उन नदियों में लिफ्ट योजनाओं के सर्वे-प्लान तैयार कराकर उनका निर्माण शीघ्र किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

जी हां । शासनादेश सं0-6438 स0 ख0-72-23-सिं0-5, दिनांक 13-11-72 द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसी पम्प नहरें, जिनमें जून से फरवरी तक निरन्तर 25 क्यूसेक डिस्चार्ज न मिले, न बनाई जायें क्योंकि वे लाभप्रद न होंगी । यमुना नदी पर कार्यरत चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता वृद्धि योजना तैयार करा ली गयी है जो अभी स्वीकृत नहीं है । वर्ष 1988-89 में कोई लिफ्ट योजना प्रस्तावित नहीं है ।

जी नहीं ।

बाघैन नदी पर बाघेन बांध परियोजना एवं पयस्विनी नदी पर पयस्विनी बैराज योजना प्रस्तावित है । कोई लिफ्ट योजना अभी प्रस्तावित नहीं है ।

प्रमुख अभियंता कार्यालय लखनऊ में चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की मृतक कर्मचारी आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति

156–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रमुख अभियंता कार्यालय लखनऊ में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें मृतक कर्मचारी का आश्रित होने के कारण उनकी प्रार्थना पर प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक पद पर की गयी एवं तदुपरान्त वरिष्ठ लिपिक पद पर कर दी गयी ? वर्तमान समय में प्रमुख अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्होंने मृतक कर्मचारी आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप "वरिष्ठ लिपिक" पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया किन्तु उन्हें कनिष्ठ लिपिक के पद नियुक्ति दी गयी जबकि इसी प्रकार के प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है? एक स्थिति में दो प्रकार के निर्णय किस नियम के अन्तर्गत लिए गए?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

केवल एक कर्मचारी ऐसा है जिसे मृतक आश्रित होने के कारण उनकी प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यालय ज्ञाप संख्या 10534/ई-4, दि0 23-11-81 द्वारा की गयी थी। उस समय उसने अपनी शैक्षिक योग्यता बी0 ए0 बताई थी परन्तु बी0ए0 की डिग्री प्रस्तुत नहीं की थी जिसके कारण उसे कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्त किया गया बाद में कर्मचारी द्वारा बी0 ए0 की डिग्री प्रस्तुत की तब उसे कार्यालय ज्ञाप संख्या-190/ई-4, दि0 12-1-83 द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया।

ऐसे तीन कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप वरिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था परन्तु उन्हें कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति दी गयी।

मिनिस्ट्रीरियल एसोसियेशन कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिं0 वि0, उ0 प्र0 की मांग थी कि वरिष्ठ लिपिक पद पर सीधी भर्ती बन्द कर दी जाए क्योंकि इससे विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति में काफी नुकसान होता है उक्त के परिपेक्ष्य में दिनांक 2-4-84 को विभागीय अधिकारियों से संघ के पदाधिकारियों के साथ हुए समझौते के पश्चात् किसी को सीधे वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं प्रदान की गयी।

157–श्री गजराज सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अस्थायी प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया

158–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अस्थायी प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर भर्ती की क्या प्रक्रिया है? इससे सम्बन्धित कार्यकारी आदेश की प्रतिलिपि अथवा नियमावली के सुसंगत नियम का उद्धरण सदन को उपलब्ध कराने का कष्ट सरकार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के अस्थाई पद लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 के क्षेत्रान्तर्गत नहीं आते हैं। कालान्तर में स्थायी हो गये प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग से चयन कराया जाता है। इस प्रकार प्रवर वर्ग सहायक के अस्थाई पदों पर किसी कार्यकारी आदेश/नियमावली के अधीन सीधी भर्ती नहीं की जाती है। प्रोन्नति द्वारा इन पर काम चलाऊ व्यवस्था की जाती है अतएव कार्यकारी आदेश अथवा नियमावली के उद्धरण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्त अवर वर्ग सहायकों की सूची

159–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायक के पद पर (क) स्थायी (ख) अस्थायी (ग) क्वालिफाइंग (घ) आफिसियेटिंग (च) नियमित (छ) मौलिक (ज) प्लेस्ड एवं (झ) अनप्लेस्ड प्रकार की तैनाती की गयी है ? यदि हां, तो इन सभी प्रकार की नियुक्तियों को अलग-अलग सरल एवं सुबोध भाषा में परिभाषित करने का कष्ट सरकार करेगी?

जब प्लेस्ड एवं अनप्लेस्ड कन्डीडेट की हैसियत से प्रदेश में कहीं और नियुक्तियां नहीं की गयी है तो मात्र सचिवालय में ही इस प्रकार की नियुक्तियां करने का औचित्य क्या है ?

क्या सरकार उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों की अद्यतन वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

तैनातियां प्रश्न में उल्लेखानुसार नहीं की जातीं। पद या तो स्थायी होते हैं या अस्थायी, जिनके विरुद्ध नियुक्तियां की जाती हैं। स्थायी नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी का अपने पद पर धारणाधिकार होता है। अस्थायी नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी का पद पर धारणाधिकार नहीं होता। क्वालीफाइंग तैनाती नाम की कोई तैनाती नहीं होती। उ0 प्र0 सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1982 के नियम 14(2) में विभागीय अभ्यर्थियों के लिये विशेष परिस्थितियों में क्वालीफाइंग परीक्षा आयोजित करने का प्राविधान है, जिसके माध्यम से विभागीय अभ्यर्थी नियमित नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग से अनुमोदित होते हैं। निम्न पदों के धारकों को उच्चतर पदों पर नियमित व्यवस्था होने तक काम चलाऊ तौर पर व्यवस्थित किये जाने की व्यवस्था को आफिशियेटिंग व्यवस्था कहा जाता है। नियमित नियुक्ति से तात्पर्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई नियुक्ति से है। स्थायी पद के विरुद्ध मूल पद धारक मौलिक पद के धारक कहलाते हैं। प्लेस्ड और अनप्लेस्ड नाम की भी कोई तैनातियां नहीं होतीं। बोलचाल की भाषा में प्लेस्ड और अनप्लेस्ड से अभिप्राय क्रमशः स्पष्ट रिक्तियों एवं दीर्घकालीन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारियों से है।

खण्ड (1) के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में कतिपय कर्मचारियों द्वारा ज्येष्ठता का प्रश्न विवादित किये जाने के कारण अद्यतन वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराये जाने में विलम्ब होता है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों का विनियमितीकरण

160–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-3-1981 तक उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के कितने स्थायी और कितने अस्थायी पद सृजित थे तथा क्या ये पद अब भी विद्यमान हैं ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में दिनांक 31-3-81 तक स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के रूप में ऐसे कितने अवर वर्ग सहायक कार्यरत रहे जिन्हें दिनांक 31-3-81 को स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के रूप में कार्य करते हुए 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि हो चुकी थी? क्या ये स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के पद पर अनवरत रूप से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के पद पर 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत उक्त कार्मिकों को अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पद पर विनियमित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विनियमित किये जाने के उपरान्त इन स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायकों को क्या उस तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी जिस तिथि से स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायकों से स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के रूप में वे कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उ0 प्र0 सचिवालय में दिनांक 31-3-81 तक प्रवर वर्ग सहायक के 1101 स्थाई पद तथा 93 अस्थाई पद सृजित थे। दिनांक 8-6-88 की स्थिति के अनुसार उनकी संख्या क्रमशः 1100 तथा 27 थी। दिनांक 31-3-81 को स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के रूप में 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों की संख्या 596 थी। दिनांक 8-6-88 की स्थिति के अनुसार इनमें से केवल 285 अवर वर्ग सहा-

यक स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के रूप में कार्यरत थे । विनियमितीकरण स्थाई पदों के विरुद्ध लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है । संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अधीन प्रश्नानुसार ज्येष्ठता नहीं प्रदान की जा सकती ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पद हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाना

161–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक का पद लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 की परिधि से बाहर है? यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय के अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पद पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अन्तिम बार अधियाचन कब भेजा गया था?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, प्रवर वर्ग सहायक के अस्थाई पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं। अतएव आयोग को अधियाचन भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रुद्रपुर डिपो में श्री राजबहादुर मिश्र को पुनः सेवा में लेने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

162–श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जे0 सी/बी0 सी0 रुद्रपुर डिपो श्री राजबहादुर मिश्र को पुनः सेवा का अवसर दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-1-1988 माननीय राज्य मंत्री परिवहन विभाग के इस निर्देश के साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक को भेजा गया था कि 15 दिन में पत्रावली भेजने व मा0 विधायक को वस्तुस्थिति से अवगत करायें ?यदि हां, तो उक्त निर्देश दिनांक 4-1-88 का अनुपालन न होने पर माननीय राज्य मंत्री परिवहन ने दिनांक 10-3-88 को सचिव परिवहन को 15 दिन में पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में राज्य मंत्री परिवहन विभाग के कार्यालय से जारी पत्र सं0-732/बी0 आई0 पी0/एस0 एम0/ई0 टी0 सी0, 88, दिनांक 12-3-88 पर क्या कार्यवाही की गई ? माननीय मंत्री जी के आदेश के बावजूद प्रश्नकर्ता को कार्यवाही से अवगत न कराने का कारण क्या है?

श्री प्रमोद कुमार–

पूर्व जे0 सी0/बी0 सी0 रूद्रपुर डिपो श्री राजबहादुर मिश्र को पुनः सेवा का अवसर दिये जाने विषयक माननीय विधायक का पत्र दिनांक जनवरी शून्य 88 तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री परिवहन के निर्देश दिनांक 4-1-88 के साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक को नहीं भेजा गया था वरन प्रबन्ध निदेशक लखनऊ को भेजा गया था।

माननीय विधायक ने अपने उपरोक्त पत्र में यह अवगत कराया था कि श्री राज बहादुर मिश्र की नियुक्ति नैनीताल क्षेत्र के रूद्रपुर डिपों में की गयी थी। उन्होंने अपने पत्र में बरेली तथा आगरा क्षेत्र के साथ इटावा डिपों का भी संदर्भ दिया था अतएव सर्व प्रथम क्षेत्रीय प्रबन्धक नैनीताल से सूचना उपलब्ध की गयी । तत्पश्चात बरेली एवं आगरा से सूचना मांगी गयी। तीन क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करने में समय लगना स्वाभाविक था। इसी

बीच माननीय विधायक का दूसरा पत्र दिनांक 10-3-88 प्राप्त हुआ। संबंधित क्षेत्रों से सूचनाए प्राप्त होने पर माननीय विधायक को निगम के पत्र संख्या-4001 सी0ई0एन0टी0/88/20 रेप/88, दिनांक 22-8-88 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

जनपद एटा में कतिपय माइनरों की टेल पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था

163–श्री प्रेमपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में गोथुआ, सकरौली, सोना कोल्बीपुर, पुन्हरा नूह उडेरी माइनरों की टेल पर पानी नहीं पहुंचता? क्या इन माइनरों की टेल पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद एटा, विधान सभा क्षेत्र जलेसर में अप्रैल, 1988 से अगस्त, 1988 तक सकरौली राजवाह (माईनर नहीं) नूह राजवाह (माइनर नहीं) गोथुआ, सोना (सोना, कोल्बीपुर नहीं) तथा उडेरी माइनरों की टेलों पर पानी पहुंचा है। पुन्हेरा (पुन्हरा नहीं) माइनर की टेल पर पानी नहीं पहुंचता।

टेलों पर कम पानी पहुंचने का कारण पानी की कम उपलब्धि की वजह से नहरों के ऊपरी भाग में कृषकों द्वारा अनधिकृत कटिंग करना है जिन्हें रोकने के लिए प्रयास किया जाता है तथा आगे भी प्रयास किया जायेगा।

राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

164–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के कितने ऐसे अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता हैं जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच चल रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के एक अधीक्षण अभियन्ता, 14 अधिशासी अभियन्ता, 13 सहायक अभियन्ता एवं 9 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच चल रही है।

विद्युत परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध विजीलेंस जांच

165–श्री सुखपाल पाण्डे–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् के 225 अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेन्स की जो जांच चल रही थी तथा 136 मामलों की जांच पूरी होकर परिषद् एवं शासन के विचाराधीन थी, पर अब तक क्या निर्णय लिया गया? कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और कितने अधिकारियों की जांच सतर्कता विभाग कर रहा है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती मुखलिसपुर पम्प कैनाल के आडिट में आपत्ति

166–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती मुखलिसपुर पम्प कैनाल के आडिट वर्ष 1982-83 एवं 83-84 तथा 84-85 में बीस लाख बासठ हजार के प्राक्कलन पर बिना स्वीकृति के कार्य कराये जाने तथा कुआनों पम्प नहर के पम्प हाउस के लिए एक लाख रुपया अनियमित व्यय तथा कुआनों नदी के अस्थायी बैरियर के मरम्मत में एक लाख का अनियमित व्यय के संबंध में आडिट आपत्तियां की गयी थी? यदि हां, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। ड्रेनेज खण्ड, द्वितीय, बस्ती की वर्ष 1982-83 की लेखा निरीक्षण रिपोर्ट में 30.62 लाख रुपये के व्यय बिना प्राक्कलन स्वीकृत के किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है। वर्ष 1983-84 के लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन में कुआनों पम्प नहर के प्रस्तावित पम्प हाउस के निर्माण हेतु कुओं की गलाई के कार्य पर लगभग एक लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय तथा कुआनों नदी पर अस्थायी बैरियर की मरम्मत में लगभग एक लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय पर आपत्ति की गयी है। वर्ष 1984-85 के लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रश्नगत बिन्दुओं पर आपत्तियां नहीं उठाई गयी हैं।

लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों का उत्तर अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण मंडल, गोरखपुर द्वारा महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है जिसमें आपत्तिगत कार्यों का औचित्य दर्शाया गया है। इन उत्तरों पर महालेखाकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। आपत्तिगत व्यय को उन विशेष परिस्थितियों में, जिनमें ये कार्य कराये गये, ठीक माना गया है अतएव इनके लिए दोषी मानकर किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

167–श्री यदुनाथ सिंह–

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ में बख्शी तालाब का चिनहट में राजकीय नलकूपों की नालियों का निर्माण

168–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी तालाब और चिनहट में स्थित किन-किन राजकीय नलकूपों में वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88 में कितनी कितनी नालियों और पाइप लाइनों का निर्माण किया गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी तालाब और चिनहट में स्थित राजकीय नलकूपों की वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में पाइप लाइनों एवं नालियों का निर्माण, संलग्न सूची के अनुसार कराया गया है।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 249-250 पर)

पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगीकरण हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वित्तीय कठिनाइयों के कारण सुविधाएं न दिया जाना

169–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) शक्ति भवन विस्तार चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग लखनऊ के द्वारा मा0 विधायक श्री पुष्कर सिंह रौथाण को लिखे गये पत्रांक–104/एच0 सी0/दिनांक जनवरी 12, 1987 के द्वारा सूचित किया गया था कि शासनादेश संख्या–11340/भाउ/18–11 दिनांक 16-1-86 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण हेतु दी जाने वाली सुविधायें, राज्य विद्युत परिषद् वित्तीय कठिनाइयों के कारण, देने में असमर्थ है? यदि हां, तो इस वित्तीय पक्ष को सोचे बिना शासनादेश जारी करवाने तथा शासनादेश जारी होने पर उसे क्रियान्वित न करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम अक्खा नगला जनपद मुरादाबाद के कृषकों को ट्रांसफार्मर न दिये जाने की शिकायत पर जांच

170–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बिधान सभा के तीसरे सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–44 के उत्तर के संदर्भ में विद्युत विभाग के एस0 ई0 प्रथम की जांच पूर्ण हो जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच पूरी हो गई है और प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र में भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप भी सिद्ध हो गये हैं? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी व अधिकारी के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विधान सभा के तीसरे सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या–44 के उत्तर के अनुसार जांच कराने एवं जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी प्रस्तावित थी।

जी हां। जांच पूरी हो गयी है और प्रश्नकर्ता के पत्र में भ्रष्टाचार संबंधी आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में खारी नदी पर ग्राम पिनानी, रामनगर पर बन्धा बनाया जाना

171–श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में खारी नदी पर ग्राम पिनानी, रामनगर पर बन्धा (छोटा बैराज) बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 13 अप्रैल, 1988 का कोई पत्र मिला? यदि हां, तो पत्र पर मुख्य मंत्री जी ने क्या आदेश किये हैं और आदेशों के परिपालन हेतु क्या प्रक्रिया ग्रहण की गई है? क्या विभागीय आख्या, संस्तुति, सर्वेक्षण तथा मानचित्र तैयार हुए अथवा नहीं? यदि हां, तो योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री, ने परीक्षण करवा कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के आदेश दिये हैं। तद्नुसार स्थल का परीक्षण एवं सर्वेक्षण कार्य किया गया। सर्वेक्षण उपरान्त साध्यता रिपोर्ट बनाई गई है। साध्यता रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। साध्यता रिपोर्ट पर विस्तृत विवेचना के उपरान्त योजना बनाये जाने पर निर्णय लिया जायेगा और इसके बाद ही कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

सिंचाई विभाग में कार्यरत संगणकों को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

172–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के ड्राइंग अधिष्ठान में कार्यरत संगणकों को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति में ऐसे लोगों की अवहेलना की जा रही है जिनकी बिना किसी डिप्लोमा या सर्टीफिकेट के होते हुए प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति हुई थी और बाद में संगणक के पद पर पदोन्नति दी गई थी? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी सभी संगणकों को केवल वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नति देने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

निर्गत संख्या–345/दो-88/23-सिं-2/26/85, दिनांक 5-2-1988 द्वारा प्रख्यापित "यू0 पी0 सर्विस आफ इंजीनियर्स क्लास टू इरीगेशन ब्रांच (अमेन्डमेन्ट) रूल्स, 1988" के प्रस्तर 5 (vi) के अनुसार सिंचाई विभाग के वही स्थाई संगणक सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पात्र हैं, जिनके पास डिप्लोमा है तथा जिन्होंने विभाग में कम से कम 7 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली हैं। इस प्रकार केवल वरिष्ठता के आधार पर उन संगणकों की प्रोन्नति पर विचार करना संभव नहीं है जो उपरोक्तानुसार प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं हैं।

जनपद जालौन के कोंच आस्थान का विद्युतीकरण

173–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक आस्थान कोंच के विद्युतीकरण हेतु उद्योग विभाग द्वारा विद्युत विभाग को कितने वर्ष पूर्व कितना धन दिया गया था? अब तक कोंच (जालौन) के औद्योगिक आस्थान का धन प्राप्त होने के बाद भी विद्युतीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इसका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

औद्योगिक आस्थान कोंच (जालौन) के विद्युतीकरण के लिए एक स्वतंत्र 11 के0 वी0 फीडर का प्राविधान किया गया था जिसके लिए उद्योग विभाग द्वारा सितम्बर, 1984 में रु0 3·15,198·00 विद्युत विभाग को दिया गया था। उक्त औद्योगिक आस्थान के विद्युतीकरण हेतु 11 के0 वी0 लाइन का निर्माण वर्ष 1984-85 में ही पूर्ण कर दिया गया था। चूंकि विद्युत का उपयोग वहां लगने वाली औद्योगिक इकाइयों को ही करना था और किसी भी इकाई का प्रार्थना-पत्र विद्युत संयोजन हेतु प्राप्त नहीं हुआ था, अतः वहां के लिए प्राप्त 630 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर चिरगांव (झांसी) भेज दिया गया जहां ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित थी। अब कुछ औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने पर जून, 1988 में एक 250 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर औद्योगिक आस्थान कोंच में लगा दिया गया है जिस पर वर्तमान समय में लगभग 150 के0 वी0 ए0 भार है।

जनपद झांसी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

174–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासकीय का दिनांक 17 मई, 1986 का पत्र माताटीला बांध प्रखण्ड, झांसी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही गम्भीर अनियमितताओं एवं राजकोष सम्पत्ति के दुरुपयोग की जांच कराये जाने विषयक संलग्नक सहित उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी पत्र में संलग्न शिकायती पत्र एवं उसकी बिन्दुवार जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र पर जांच तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ, सिंचाई कार्य, झांसी के माध्यम से करायी गयी। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सम्पादित जांच में शिकायती पत्र में अंकित आरोपों में से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हो सका।

इस रिपोर्ट को तथा प्रश्नगत शिकायती-पत्र को माननीय सदन के पटल पर रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में आकर प्रश्नगत अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं।

जनपद लखनऊ के शारदा नहर के सब डिवीजन में निर्मित ड्रेनों का फर्जी भुगतान

175—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ डिवीजन शारदा नहर के सब डिवीजन 6 के अंतर्गत सेक्शन गोसाइगंज में वर्ष 1987-88 में निर्मित ड्रेनों का कार्य अवर अभियन्ता (श्री आर0 के0 सिंह) ने सांमचित्र एवं स्पेशीफिकेशन के विपरीत कराकर लाखों रुपये का फर्जी भुगतान कराया है? क्या मंत्री जी उक्त कार्य की जांच सतर्कता/टी0 ए0 सी0 द्वारा अविलम्ब कराकर दोषी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के उपखण्ड-6, के अन्तर्गत गोसाईगंज अनुभाग में वर्ष 1987-88 में ड्रेनों के निर्माण का जो कार्य श्री आर0 के0 सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा कराया गया है, वे सभी स्वीकृत लम्बछिन्नक तथा मानचित्र एवं स्पेशीफिकेशन के अनुसार कराये गये हैं। फर्जी भुगतान का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

अतः किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग में कार्यरत शोध अधिकारियों का स्थाईकरण

176—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन शोध अधिकारी के सात स्थाई पद उपलब्ध हैं और उनके विरुद्ध स्थाईकरण हेतु कुछ पात्र व्यक्ति कार्यरत हैं? यदि हां, तो कितने और कब से? क्या इन पदों पर स्थाईकरण हेतु प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और इन पदों पर पात्र व्यक्तियों का स्थाईकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

पदों के स्थायीकरण के पश्चात् से ही वर्तमान में कार्यरत 6 अधिकारी स्थायीकरण के पात्र हैं तथा उसी समय से अधिकारियों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। इस संबंध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाते ही अधिकारियों का स्थायीकरण कर दिया जायेगा।

177—श्री गजराज सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अस्थायी प्रवर वर्ग सहायकों के पद एवं उन पर प्रोन्नति

178—श्री गजराज सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अस्थायी प्रवर वर्ग सहायकों के पदों की संख्या 1-7-1988 को कितनी है तथा इन पदों पर कितने अवर वर्ग सहायक एवं कितने टंकक की प्रोन्नति की गयी है? सेवा नियमावली के अनुसार अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर किस-किस संवर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति की जा सकती है? अवर वर्ग

सहायक एवं टंकक संवर्ग के अतिरिक्त अन्य संवर्ग के कितने-कितने कर्मचारी अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नत हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में दिनांक 1-7-1988 को प्रवर वर्ग सहायक के अस्थायी पदों (संवर्गीय) की संख्या–113 थी । इन पदों पर 29 अनुमोदित अवर वर्ग सहायक तथा 78 संवर्ग के कार्मिक कार्यरत थे । संगत सेवा नियमावली मे अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर प्रोन्नति का प्राविधान नहीं है । दिनांक 1-7-1988 की स्थिति के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक के अस्थायी पदों पर अवर वर्ग सहायक एवं टंकक संवर्ग के अतिरिक्त जूनियर ग्रेड क्लर्क संवर्ग के 5 कार्मिक कार्यरत थे ।

सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर्स (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची

179–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर्स (यांत्रिक) की कोई वरिष्ठता सूची है ? यदि नहीं, तो वरिष्ठता सूची कब तक प्रकाशित होगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1954 से 1973 तक लोक सेवा आयोग से अनुमोदित सीधी भर्ती के अवर अभियन्ताओं तथा वर्ष 1975 तक अनुमोदित प्रोन्नति श्रेणी के अवर अभियंताओं को सम्मिलित करते हुए अवर अभिन्ता (यांत्रिक) की प्रोविजिनल वरिष्ठता सूची प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय डाक संख्या–4440/ई–3, दिनांक 4-7-84 द्वारा निर्गत कर इस पर आपत्तियां मांगी थीं । प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है तथा नियमानुसार अन्तिम (फाइनल) वरिष्ठता सूची यथा शीघ्र निर्गत कर दी जायेगी ।

मुख्य अभियंता (बेतवा) झांसी को माइनर बाँदा के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही हेतु निर्देश

180–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का माइनर बरगहना कुलाबा नं0–6 से माइनर बाँदा के निर्माण कराये जाने विषयक पत्र संख्या–462/87 दिनांक एक दिसम्बर, 87 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अभी तक की गई है ? क्या शासन उक्त माइनर के निर्माण के आदेश करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

इस संबंध में मुख्य अभियंता (बेतवा) झांसी को जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये है ।

पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् बरेली के कार्यालय के किराये का भुगतान

181—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् बरेली का कार्यालय वर्तमान में किस भवन में है तथा क्या यह सत्य है कि उक्त भवन के किराये का भुगतान मार्च, 1987 से नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या इस संबंध में सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति उ0 प्र0 का पत्र दिनांक 11-12-1987 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही अब तक की गयी है? यदि हां, तो क्या तथा कब? यदि नहीं, तो क्यों? इस सम्बन्ध में कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है तथा अवशेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता बरेली का कार्यालय भवन सं0 79-कानूनगोयान, जोशीटोला, बरेली में स्थित है ।

जी हां, क्योंकि मकान मालिक ने इसका बीजक प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए उनसे कई बार आग्रह भी किया जा चुका है।

जी हां।

अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के पत्र दिनांक 11-12-87 के साथ श्री एल0 पी0 सक्सेना का पत्र दिनांक 5-12-87 की प्रति भी प्राप्त हुई थी, जिसमें श्री सक्सेना ने मार्च 87 से अपने भवन का किराया रु0 1.50 प्रति वर्ग फुट की वर्तमान दर के स्थान पर रु0 2.00 प्रतिवर्ग फुट की दर से बढ़े हुए किराये के भुगतान की मांग की थी। इस मांग पर आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है। किराया बढ़ाये जाने के संबंध में परिषद के संगत आदेशों के अनुरूप कुछ औपचारिकतायें पूर्ण करना आवश्यक है जिसके पूर्ण होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने पर तथा भवन स्वामी द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है केवल प्रशासनिक औपचारिकताएं पूर्ण की जानी है तथा भवन स्वामी द्वारा किराये का बीजक प्रस्तुत किया जाना है जिसपर भुगतान किया जा सकेगा।

प्रदेश के आबकारी विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों का निलम्बन तथा नियुक्ति

182—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के आबकारी विभाग में बहुत से अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित करके या आरोप पत्र देकर उन्हें उनके पुराने स्थानों पर ही तैनात रखा गया है, जिससे उन्हें अपने विरुद्ध साक्ष्य नष्ट करने का अवसर मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

एक आबकारी निरीक्षक को निलम्बन के उपरान्त उसके पुराने नियुक्ति के स्थान पर ही तैनात रखा गया जो जांच होने पर दोषी नहीं पाया गया ।

चार आबकारी निरीक्षकों व एक उप आबकारी निरीक्षक को आरोप पत्र देने के उपरान्त उनके पुराने नियुक्ति के स्थान पर तैनात रखा था। इन पांचों कर्मचारियों के विरुद्ध अभिलेखीय साक्ष्य नष्ट करने की कोई सम्भावना नहीं थी। आरोप पत्र जारी करने के पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि आरोप पत्र में वर्णित अभिलेखीय साक्ष्य पूर्णरूप से सुरक्षित हैं जिससे उनके नष्ट किये जाने की सम्भावना नहीं रहती।

श्री अवधेश राय तत्कालीन अवर अभियन्ता सिंचाई बस्ती के विरुद्ध कार्यालय ज्ञाप

183–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता श्री वार्ष्णेय ने यह आदेश दिया था कि श्री अवधेश राय तत्कालीन अवर अभि0 बस्ती को वित्तीय अनियमितता के कारण 6 वर्ष तक प्रभारी कार्य न दिया जाए ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि बस्ती से देवरिया मण्डल नहर निर्माण खण्ड पंचम में स्थानान्तरित होने के बाद उस खण्ड के सभी पांच अवर अभियंताओं का कार्य स0 अभि0 श्री ए0 के0 जैन ने इन्हें ही दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या–2143/ई0–2-क, दिनांक–7-7-87 के प्रस्तर 4(5) द्वारा यह आदेश दिया था कि श्री अवधेश राय, अवर अभियन्ता (सिविल) की पद स्थापना शासनादेश संख्या–1583/23–सिं0–1-87-342/85, दिनांक–7-3-87 द्वारा निर्धारित न्यूनतम 6 वर्ष की अवधि के अतिरिक्त अकार्यकारी पदों पर कम से कम 5 वर्ष के लिए और की जायेगी । आदेश 6 वर्ष के लिए नहीं थे ।

ड्रेनेज खण्ड बस्ती से गण्डक नहर निर्माण खण्ड–5 देवरिया में स्थानान्तरित होने के बाद श्री अवधेश राय को इस खण्ड के पांच अवर अभियंताओं का कार्य सहायक अभियंता श्री ए0 के0 जैन द्वारा नहीं दिया गया है ।

184–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[प्रश्न एवं संदर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा में सिंचाई विभाग तृतीय के सहायक अभियन्ता श्री कुलजीत सिंह के भ्रष्टाचार एवं गबन के विरुद्ध शिकायती पत्र

185–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बांदा जनपद के सिंचाई विभाग तृतीय के सहायक अभियंता श्री कुलजीत सिंह के भ्रष्टाचार एवं गबन के विरुद्ध शिकायती पत्र श्री सन्तोष कुमार सिंह सदस्य, विधान सभा के संलग्न पत्र के साथ श्री युवराज सिंह उपाध्यक्ष कांग्रेस (आई) जनपद बांदा का पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1986 के

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायती पत्र का पूरा विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या शिकायती पत्र की जांच एस0 ई0 स्तर के ऊपर के किसी अधिकारी से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

शिकायती पत्र का पूरा विवरण संलग्न शिकायती-पत्र में दिया गया है ।

इसकी जांच अधीक्षक अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा द्वारा की गयी ।

प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे प्रश्नगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच मुख्य अभियंता स्तर के किसी अधिकारी से कराकर आख्या तथा संस्तुति शासन को भेज दें। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 251-253 पर)

जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये कार्यों पर खर्च धनराशि का विवरण

186–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव खण्ड शारदा नहर के अंतर्गत माधोगंज एवं एस0 पी0 कोट सेक्सनों में विगत तीन वर्षों के भीतर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कौन-कौन कार्य कराये गये और इन कार्यों पर अलग-अलग योजनानुसार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव में माधोगंज एवं एस0 पी0 कोट अनुभाग के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों तथा व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 254-255 पर)

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) संगठन क्षेत्र में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी दम्पत्तियों द्वारा मकान किराया आहरण

187–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) संगठन क्षेत्र में तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी ऐसे कार्यरत हैं जो मय दम्पत्ति के मकान किराये भत्ते के रूप में सरकारी धन का आहरण कर रहे हैं और क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्तमान समय में मुख्य अभियन्ता (शा0 स0) संगठन में तृतीय श्रेणी के केवल दो कर्मचारी ऐसे कार्यरत हैं जो मय दम्पत्ति के मकान किराये भत्ते का आहरण अलग-

अलग कर रहे हैं । इनमें से एक कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक, बाराबंकी प्रखण्ड, शारदा नहर बाराबंकी मुख्यालय (पंचम) उपखंड लखनऊ स्वयं और उनकी पत्नी अलग-अलग मकानों में लखनऊ में रहते हैं । दूसरा कर्मचारी वरिष्ठ लिपिक, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ अपने पति के साथ एक ही मकान में रहती हैं तथा दोनों अलग-अलग मकान किराये भत्ते का आहरण कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों का विनियमतीकरण

188–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ, में ऐसे कितने कनिष्ठ लिपिकों (तत्कालीन नैत्यिक कोटि लिपिक) को वर्ष 1977 एवं वर्ष 1983 में विनियमित किया गया जिनकी नियुक्ति बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाये, बिना विभागीय परीक्षा लिए की गयी थी ? क्या ऐसे कर्मचारियों को वरिष्ठता सम्बन्धी सभी लाभ विनियमित हो जाने अथवा नियमित नियुक्ति हो जाने के उपरान्त से ही दिए जा रहे हैं ? ऐसे कर्मचारियों के नाम तथा वर्तमान पद क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1977 में किसी भी कनिष्ठ लिपिक का विनियमितीकरण नहीं किया गया । वर्ष 1983 में तीन कनिष्ठ लिपिकों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 के तहत किया गया था ।

ऐसे कर्मचारियों को वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ शासनादेशों में निहित प्रक्रिया के अनुसार ही प्राप्त होंगे ।

वर्ष 1983 में विनियमित किये गये कर्मचारियों के नाम व पद निम्नवत् हैं :–

1–श्री सुरेश कुमार दुबे,	कनिष्ठ लिपिक
2–श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला,	तदैव
3–श्रीमती प्रेमा देवी	तदैव

इनमें से श्रीमती प्रेमा देवी का स्वर्गवास हो चुका है ।

श्री विद्याराम मिश्र द्वारा राजकीय नलकूप संख्या 32 छिबरामऊ, फर्रुखाबाद की पक्की गूल काटने के सम्बन्ध में कार्यवाही

189–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री विद्याराम मिश्र फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ शासन द्वारा पत्र सं0–794/टी0 एम0/87-23 सि-5, दिनांक 29-10-87 को श्री गिरीश चन्द्र, वैयक्तिक सहायक नलकूप (मध्य) कृते प्रमुख अभियन्ता सि0 वि0 द्वारा पत्रांक–जी-85/नलकूप मध्य/शिकायत/लखनऊ दि0 नवम्बर, 21 वर्ष 1987 अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु व मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? क्या शासन शीघ्र जांच पूर्ण करवाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । श्री विद्याराम मिश्रा द्वारा राजकीय नलकूप सं0–32 छिबरामऊ की पक्की गूल की पटरी को खेत नं0–194 मौजा नोली पर काटकर अपने खेत में मिलाने पर इनके विरुद्ध दफा 70 कैनाल एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गयी थी । श्री विद्याराम पर मुकदमा स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट, नलकूप खण्ड, फर्रुखाबाद के न्यायालय में चला जिस वाद पर हुए निर्णय में न्यायालय द्वारा 50 रु0 का अर्थदण्ड दिया गया था। इसके बाद भी श्री मिश्रा ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील सहायक सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद के न्यायालय में की। न्यायाधीश के न्यायालय से उक्त निर्णय के विरुद्ध की गयी अपील खारिज कर दी गयी थी । अतएव मामले में जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उन्नाव के कस्बा पुरवा रजबहा पर पुल का निर्माण

190–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के कस्बा पुरवा सन्निकट पुरवा रजबहा पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में पीरजादी गढ़ी मुहल्ले के श्री अलख निरंजन लाल के प्रार्थना-पत्र के साथ ही हृदय नारायन विधायक का पत्र दिनांक 12-1-88 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जनता के कष्टों को देखते हुए उक्त रजबहा पर पुल निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं? यदि नहीं, तो इस छोटे से पुल को बनवाने में क्या कठिनाई है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में पुरवा राजबहे के मील 1-2-0 पर पुल के निर्माण का अनुरोध किया गया है। चूंकि उक्त स्थल के ऊपर की ओर मील 1-0-95 पर तथा नीचे की ओर मील 1-4-165 पर अर्थात वांछित स्थान से लगभग 2 फर्लांग नीचे पहले से पुल निर्मित है अतः वांछित पुल के निर्माण का कोई औचित्य नहीं पाया गया है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड नरैनी में सिंचाई व्यवस्था हेतु योजनाएं

191–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के विकास खण्ड नरैनी के अन्तर्गत रेन्ज और बाघेन नदी के मध्य गांवों के लिए सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन की क्या-क्या योजनायें हैं? इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं? क्या इन योजनाओं को राज्य स्तर से धन आवंटित करके अविलम्ब कार्य रूप में परिणित किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बांदा जनपद के विकास खण्ड नरैनी के अन्तर्गत रेन्ज और बाघेन नदी के मध्य गांवों के लिये सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

जल संसाधन संगठन से जल उपलब्धता की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत तथा सर्वेक्षण के पश्चात ही बाघेन नदी की डिस्चार्ज को दृष्टि में रखते हुये ही किसी प्रस्ताव के बनाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा में गोवर्धन नाले को पूर्ण कराया जाना

192–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में पुनर्स्थापन कार्यों की कथित अनियमितताओं की जांच वर्ष 1985 में किन-किन एजेन्सियों से करायी गयी? क्या यह सही है कि कुछ विभागों द्वारा वर्षा काल में ही जांच की गयी जबकि नियमानुसार वर्षाकाल उपरान्त ही नालों की जांच की जा सकती है ? यदि हां, तो अनियमित रूप से जांच करवाने के लिए कौन दोषी है ? क्या मंत्री जी उक्त नाले के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

गोवर्धन नाले की पुनर्स्थापना कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच विभागीय तकनीकी जांच समिति तथा जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा गठित समिति के माध्यम से करायी गयी । इस मामले से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध श्री अजीत सिंह विधायक तथा श्री पी0 एल0 मिश्र, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (आई) मथुरा के शिकायती पत्र क्रमशः दिनांक 5-7-85 तथा 1-6-85 में वर्णित आरोपों पर शासन द्वारा खुली सतर्कता जांच भी आदेशित की गयी जिसमें जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय जांच समिति द्वारा जुलाई 85 से अक्तूबर 85 तक जांच की गयी । जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा की गयी जांच की अवधि मई से जून 85 है । वर्षाकाल के उपरान्त ही नालों की जांच किये जाने का कोई नियम नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन नाले में पुनर्स्थापन कार्यों की जांच

193–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब किसी अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, तो मथुरा जनपद में गोवर्धन नाले में पुनर्स्थापन के कार्यों की वर्ष 1985 में सतर्कता जांच से पूर्व संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का

क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि शासकीय नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही करके अविश्वसनीय आधारों पर अनुशासनिक कार्यवाही से कर्तव्यनिष्ठ राजकीय सेवकों का उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत मामले के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जिन आरोपों पर विभागीय प्रारम्भिक जांच की जा चुकी है और जिनके बारे में अनुशासनिक जांच की गयी है, उनसे संबंधित आरोपों की खुली सतर्कता जांच शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है और अनुशासनिक जांच के आधार पर ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है । चूंकि इन आरोपों के बारे में कोई सतर्कता जांच अब प्रचलित नहीं है अतः संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नियमानुसार संगत है । सतर्कता जांच अन्य आरोपों के संबंध में आदेशित है ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद कानपुर के इलैक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत अवर अभियन्ता तथा अन्य सवर्ग के अधिकारियों का सामूहिक स्थानान्तरण की मांग

194–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में अवर अभियंता तथा उससे ऊपर के कितने अधिकारी अलग-अलग संवर्गों में 8 वर्षों से अधिक समय से नियुक्त है ? उनके इतने लम्बे अवधि तक एक स्थान पर नियुक्त रखने का कारण क्या है ? क्या सरकार भारी मात्रा में विद्युत चोरी तथा इन अधिकारियों/कर्मचारियों के दीर्घकाल के नियुक्ति अवधि को देखते हुए सामूहिक रूप से स्थानान्तरण का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में 53 अवर अभियंता, 10 सहायक अभियंता एवं 6 अधिशासी अभियंता 8 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं । कानपुर नगर का विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य भूमिगत केबिल पर आधारित है । इसका पावर हाउस काफी पुराना है तथा इसकी कार्य-प्रणाली भी अन्य पावर हाउसों से भिन्न है जिसके लिये अनुभवी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तैनाती आवश्यक है। दीर्घकालीन तैनाती के आधार पर सामूहिक रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरण करना कार्य के हित में नहीं होगा ।

जनपद बांदा की नरैनी तहसील के ग्राम बिलगांव के किसानों को असफल बोरिंग का मुआवजा

195–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद बांदा में तहसील नरैनी क्षेत्र में स्थित ग्राम बिलगांव में दो राजकीय नलकूप वर्ष 85 में लगाये गये हैं ? क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि इन नलकूपों द्वारा बहुत गहराई तक से पानी खींच लिये जाने के कारण सिंचाई के लिए की जा रही बोरिंग असफल हो रही है जिसके कारण उन किसानों के सामने जिन्होंने बैंकों से ऋण लेकर बोरिंग कराई है बैंकों का ऋण अदा करने का भी घोर संकट पैदा हो रहा है ? क्या सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र से बोरिंग फेल हो जाने का पूरा पैसा देने का जो वायदा किया था उसके अनुसार उक्त वायदा के अनुसार बिलगांव के किसानों को जिनकी बोरिंग फेल हो गई है पूरा रुपया देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद बांदा के तहसील नरैनी क्षेत्र में स्थित ग्राम बिलगांव में सिंचाई हेतु कोई राजकीय नलकूप नहीं लगा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में बिजली के तार टूट जाने से पूसे पुत्र जुम्मन के लड़के की मृत्यु की क्षतिपूर्ति

196–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर स्थित ग्राम कड़हर में दिनांक 24 अगस्त, 1987 को बिजली के तार टूट जाने से पूसे पुत्र जुम्मन के लड़के के लिपट जाने से उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई ? इस मृत्यु के बदले कोई क्षतिपूर्ति या आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना प्राप्त की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद में बालू खुदान से राजस्व की प्राप्ति

197–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में गाजियाबाद जनपद के ग्राम रायपुर, असगरपुर और चकबसंतपुर में कितनी बालू का खुदान किया गया है तथा इससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि खुदान की गयी बालू की मात्रा की जांच की क्या व्यवस्था है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

गाजियाबाद जनपद के ग्राम रायपुर, असगरपुर तथा चकबसंतापुर में विगत तीन वर्षों में 2, 90, 940 घनमीटर बालू का खुदान हुआ है तथा इससे रुपया 10, 18, 325/– रायल्टी के रूप में राजस्व की प्राप्ति हुई । खुदान की गयी बालू की मात्रा के जांच का कार्य जिला स्तर के राजस्व अधिकारियों तथा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर लिया जाता है ।

जनपद लखनऊ में पार्क रोड स्थित भवन का आवंटन

198–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पार्क रोड स्थित भवन खण्डों को विधायक निवास घोषित कर दिया गया है और उसे विधायक निवास संख्या 6 कहा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पार्क रोड स्थित भवन संख्या–जे–2 के आवंटन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र मई 87 व नवम्बर, 87 व दिसम्बर 87 में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त भवन विधायक को आवंटित न कर उसी भवन खण्ड जे–5 में रह रहे अधिकारियों को आवंटित करने का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी पुनः विचार कर और यह तथ्य दृष्टिगत रखते हुए कि जे–2 जिस अधिकारी को आवंटित किया गया है उनके नाम तो पहले से ही जे–5 आवंटित है और वह उसमें रह रहे हैं जबकि प्रश्नकर्ता द्वारा चिकित्सीय सलाह के अनुसार ई-8 में रहना सम्भव नहीं हो पा रहा है ? क्या उक्त आवास प्रश्नकर्ता सदस्य को आवंटित करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं, पार्करोड कालोनी में 60 आवास मा0 विधायकों के लिए आरक्षित है और उन्हें विधायक निवास नं0–6 कहा गया है । शेष आवास अधिकारी आवास हैं ।।

प्रश्नकर्ता सदस्य के जुलाई 87, नवम्बर 87 व दिसम्बर 87 के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

फलैट सं0–जे–2 विधायक निवास का अंग न होने के कारण ही अधिकारी को आवंटित किया गया है ।

आवंटी अधिकारी को जे–2 उनके द्वारा अध्यासित आवास जे–5 के परिवर्तन स्वरूप आवंटित किया गया था । आवंटी चूंकि फिजिकली जे–2 में निवास कर रहा है अतः फिलहाल जे–2 का मा0 सदस्य के पक्ष में आवंटन संभव नहीं है ।

जनगणना के छटनी शुदा कर्मचारियों को खपाने हेतु समय सीमा

199–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के छटनी शुदा जनगणना कर्मचारियों को खपाने के संबंध में उ0 प्र0 सरकार द्वारा जो शासनादेश निर्गत किया गया था उसका समय समाप्त हो गया है किन्तु उसका समय पुनः जुलाई, 1990 तक बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि में इन कर्मचारियों को खपाने के बजाय समय सीमा में वृद्धि करने का क्या औचित्य है ? क्या सभी छटनी शुदा कर्मचारियों को खपाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, समय 11 फरवरी, 1990 तक बढ़ाया गया है, ताकि शेष कर्मचारियों को खपाये जाने हेतु मार्ग उपलब्ध रहे । केन्द्रीय सरकार के जनगणना विभाग के सभी छटनी शुदा कर्मचारियों को खपाने का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है । अतः इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जन गणना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों को खपाने की योजना

200–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या सरकार ने जनगणना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों को जिला मुख्यालयों तथा विभागों में शीघ्र खपाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं । कारण ऊपर स्पष्ट किया गया है ।

(समय 12·20)

जनपद बरेली की तहसील सदर में अतिवृष्टि से हुई क्षति एवं राहत कार्यों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज कुल 29 सूचनाएं हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अब नियम 301 शुरू हो गया है । इसको जब खत्म कर लूं तब उठाइयेगा । आज नियम 301 में कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका द्वारा 7 स्वीकार हुई हैं । (1) श्री जयदीप सिंह बरार, (2) श्री मित्रसेन, (3) श्री अनुग्रह नारायण सिंह, (4) श्री मनोहर लाल, (5) श्री अशोक बाजपेयी, (6) श्री फजलुल बारी, (7) श्री राज किशोर सिंह ।

यदि आप सब सहमत हों तो ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायं ।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री जयदीप सिंह बरार–

[मान्यवर, सदर तहसील जनपद बरेली के बाढ़ तथा अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत सहायता देने में भारी अनियमितताएं की जा रही हैं । जिन गरीबों के मकान दो महीने पूर्व गिरे थे उन्हें आज तक प्रशासन द्वारा सहायता नहीं दी गयी है। तहसील के भ्रष्ट कर्मचारी घूस के खातिर किसानों से कई-कई चक्कर मुख्यालय के लगवा रहे हैं । पिछले सप्ताह ग्राम पहुंचा बुजुर्ग के किसानों को परेशान होकर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) के घर धरना देना पड़ा तब जाकर जिलाधिकारी ने उन्हें राहत सहायता अनुदान अविलम्ब देने के निर्देश दिये । घूस लेकर कई ग्रामों जैसे ग्राम मण्डनपुर में चार वर्ष गिरे हुए मकानों के लिए राहत अनुदान दे दिया परन्तु घूस देने में असमर्थ उसी ग्राम के इस वर्ष की अतिवृष्टि से बेघर हुए किसानों को दुत्कार दिया । शासनादेश के मुताबिक क्षेत्रीय विधायक को राहत अनुदान वितरण कार्यक्रम की सूची उपलब्ध कराने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया ।

मैं मांग करता हूं कि राहत सहायता वितरण में देर करके राहत को परेशानी में बदलने तथा वितरण में भारी अनियमितताओं की जांच क्षेत्रीय विधायकों का सहयोग प्राप्त करके स्वयं जिलाधिकारी बरेली द्वारा करायी जायें ।]

जिला फैजाबाद के सहकारी तथा निजी शीत गृहों में आलू सड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन–

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के सहकारी तथा निजी शीत गृहों में क्षमता से अत्यधिक आलू भण्डारण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर किसानों का बीज का आलू सड़ जाने और जम जाने के कारण लाखों रुपये की क्षति हुई है। किसानों से शीत गृह मालिकान भण्डारण के पूर्व ही अग्रिम धनराशि जमा करा लिये हैं । निकासी के समय निर्धारित रेट से अधिक धनराशि जमा करने के पश्चात् ही आलू की निकासी कर रहे हैं । निकासी में किसान सड़ा तथा जमा आलू लेने के लिए बाध्य कर दिया गया है । उन्हें न तो किराया वापस किया जा रहा है और न ही शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जा रही है । इससे आलू उत्पादक किसान बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट में पड़ गये हैं । करोड़ों रुपये का लाभ कमाने वाले शीत गृह मालिकान लाखों किसानों की तबाही और बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है । सहकारी शीत गृह भदरसा और पगलाभारी तथा निजी शीत गृह लक्ष्मी वंशल, राजे, दर्जनों जनपद के शीत गृहों में आलू सड़ने के कारण किसानों में भारी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है और वे आन्दोलित हैं।

अतएव मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाकर बड़े पैमाने पर जांच कराकर किसानों की क्षति पूर्ति किये जाने की मांग करता हूं ।]

इलाहाबाद नगर में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पम्पों के लगाये जाने में विलम्ब होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[मान्यवर, सूखा राहत योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर में हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं । नगर में लगभग 600 हैंडपम्प स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक 1/3

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

भी नहीं लगाये गये हैं । हैण्डपम्पों के लगवाने में व्यापक धांधली की गयी । जिससे अधिकांश में बालू आ रही है । हरिजन बस्तियों, मलिन बस्तियों, अल्लापुर, मम्फोर्डगंज, रामप्रियरोड, कमलानगर, गणेशनगर, बेरहना, तालाबनवलराय, नयपूरा, बेलीगांव, चांदपुर सलोरी, सादियाबाद, बघाड़ा, ढरहरिया, ओम गायत्रीनगर, कीटगंज, मटियारा, अलोपी बाग, दारागंज, गायरगंज, मिंटोरोड, सिविल लाइन्स, कोहिरगढ़वा, तुलारामबाग, साहबलिया बाग, मधवापुर, तेलियरगंज, मंहदौरी, चिल्ला, भुलई का पूरा, स्वराज्यनगर, म्योराबाद, लाल की सराय, सिलखाना, रसूलाबाद, मऊसरैंया, नवादा, नसीबपुर, बख्तियारी आदि क्षेत्रों में हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं । विद्युत संकट अत्यधिक है । जल संस्थान नलकूप बन्द हो गये हैं । कुम्भ मेले में करोड़ों तीर्थयात्री दुनिया के कोने-कोने से आयेंगे । विद्युत आपूर्ति बाधित होने में केवल हैण्डपम्प ही सहारा होंगे ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल स्वीकृत हैण्डपम्पों को लगाये जाने, कुम्भ मेले और जर्जर विद्युत व्यवस्था को ध्यान में रखकर 500 हैण्डपम्प और लगाये जाने तथा ठीक से हैण्डपम्पों को न लगाये जाने के लिए दोषी व्यक्तियों, अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में ब्लाक प्रमुखों के आगामी चुनाव में प्रधानों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल–

[सान्यवर, दिनांक 16 अक्टूबर, 1988 को प्रदेश में ब्लाक प्रमुखों के चुनाव होने जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश पुलिस इन चुनावों में दल विशेष हेतु अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रधानों का अपहरण अभी से करना प्रारम्भ कर दिया है । दिनांक 25-9-88 को सम्पन्न हुए बी0 डी0 सी0 के अनुमेलन से भी पुलिस ने प्रधानों को एक दिन पहले से थानों में बिठा रखा तथा 25 तारीख को साथ में लाकर मनमुताबिक वोट दिलवाये । उदाहरण के लिए उन्नाव के बांगरमऊ, फतेहपुर, चौरासी व सरौंसी की पुलिस ने एक दिन पहले से प्रधानों को बुलाकर थाने में बिठा रखा था । कानपुर तैनात उन्नाव निवासी श्री रविशंकर त्रिपाठी सी0 ओ0 (सिटी) प्रथम रोज कानपुर से उन्नाव आकर प्रधानों को अपने प्रभाव में लाकर आतंकित कर रहे हैं । मैंने इसी संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री तथा मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार को दिनांक 23-9-88 को प्रदेश में पर्यवेक्षक भेजने की मांग की थी । यदि पुलिस का नाजायज हस्तक्षेप व आतंक समाप्त न हुआ तो दिनांक 16-10-88 को होने वाले ब्लाक प्रमुखों के चुनाव निष्पक्ष न हो सकेंगे ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद हरदोई में आंत्रशोथ एवं अतिसार की बीमारी फैलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक वाजपेयी–

[मान्यवर, हरदोई जनपद में अतिसार एवं आंत्रशोथ से काफी गांव प्रभावित हैं । अभी तक इस महामारी को रोकने का कोई कारगार कदम नहीं उठाया गया है । विकास क्षेत्र पिहानी एवं विकास क्षेत्र टोंडरपुर के लगभग 20-20 गांव मलेरिया से बुरी तरह प्रभावित हैं । यदि इसका समुचित उपचार न किया गया तो यह मलेरिया महामारी के रूप में बदल जायेगी । जिला स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान इस ओर निरन्तर आकर्षित करने के बावजूद भी कोई सघन कार्यवाही नहीं की गयी ग्रामीण सुदूर अंचलों में प्राथमिक उपचार का भी कोई बन्दोबस्त नहीं हैं । आवश्यकता है कि इस महामारी को रोकने के लिये युद्धस्तर पर कार्यवाही की जाये तथा आवश्यक दवाओं की समुचित मात्रा में व्यवस्था की जायें ।

अत: लोक महत्व के सुनिश्चित विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर शासन से मांग करता हूं कि समय रहते इस महामारी को रोकने के लिये समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें ।]

कानपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट के चुनाव में हुई अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फजलुल बारी–

[मान्यवर, इस वर्ष कानपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट के चुनाव में कुछ लोगों ने निहित स्वार्थ के तहत रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कान्सटीचुवेन्सी में सत्रह मत जाली प्रपत्र दाखिल करके अपने दो आदमियों को गलत ढंग से निर्वाचित कराने का प्रयास कराया । उसमें एक मृतक प्रोफेसर एस0 एस0 दीक्षित जिनका 12 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है का भी मत डलवाया गया जिससे पवित्र शिक्षा संस्थान को घोर आघात पहुंचा है । इन्हीं मुद्दों को लेकर कानपुर विश्वविद्यालय की शिक्षक संघ एवं चतुर्थ श्रेणी संघ में घोर असंतोष व्याप्त हैं जिससे न केवल शिक्षा संस्थान की मर्यादा एवं पवित्रता दूषित हुई है बल्कि कर्मचारियों का रोष और आक्रोष उनको संघर्ष के पथ पर ले गया है जिससे शान्ति व्यवस्था के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है ।

अत: सदन के संज्ञान में कानपुर विश्वविद्यालय की कोर्ट के चुनाव में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सरकार से मांग करता हूं कि इस अनियमितता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा पुराने ट्रांसफारमरों की नीलामी में कथित रूप से की गयी धांधली के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

[मान्यवर, एक ओर जहां ट्रासफार्मरों के अभाव में प्रदेश के हर जनपद में किसानों में बेचैनी व्याप्त है वहीं दूसरी ओर उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद्, मरम्मत करने योग्य ट्रान्सफार्मरों को कन्डम करार देकर नीलामी करने के जिस अभियान की प्रदेश व्यापी शुरुआत की है, उसके करीब 120 करोड़ रुपये की इस नीलामी में लाखों के घपला व हेराफेरी की सम्भावना व्यक्त की जा रही है । परिषद् ने क्षति-ग्रस्त या जले हुए ट्रान्सफार्मरों को गैर आर्थिक करार देकर नीलाम करने जैसी घपले की योजना शुरुआत परिक्षण के तौर पर जो लखनऊ व बरेली जोन में शुरू की अब यह अभियान पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है ।

सूत्रों के अनुसार विद्युत परिषद् के पास सम्प्रति करीब 30 करोड़ रुपये के क्षतिग्रस्त जले हुए ट्रान्सफार्मरों की सर्वे रिपोर्ट तैयार है, जिसके तहत सर्वे तो हो चुके कन्डम घोषित ट्रान्सफार्मर नीलाम होंगे और लाखों रुपये की हेराफेरी होना निश्चित है । विद्युत परिषद् ने इस परीक्षण अभियान को सफल स्वीकार कर प्रदेश के सभी विद्युत वितरण खण्डों को पत्र लिखकर सभी जले क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर स्टोर डिवीजन को हस्तान्तरित कर दिये जाने का निर्देश जारी किया है ।

उक्त मामला अत्यन्त गम्भीर है अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर शासन से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री गौरी शंकर भइया, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन, श्री गोपीनाथ, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अकबर हुसैन बाबर तथा श्री सुखपाल पाण्डे की 90 दिन का सत्र और उस पर सरकार से वक्तव्य दिलवाये जाने के बारे में है, दूसरी सूचना श्री शफीकुर्रहमान वर्क की बाराबफात की छुट्टी की मंजूरी दिये जाने के बारे में है, तीसरी सूचना श्री शारदानन्द अंचल, श्री बालेश्वर, श्री बलराम यादव, श्री रामजनम, श्री पारस नाथ यादव तथा श्री गोपीनाथ वर्मा की श्री रमाकांत, एम0 एल0 ए0 को पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाए जाने के बारे में है, चौथी सूचना डा0 दिनेश जौहरी की सैय्यद मोदी की हत्या के संबंध में किये गये प्रश्न को मंजूर न किये जाने के बारे में है, पांचवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री मैनेजर सिंह की भूतपूर्व विधायक श्री मोहम्मद अयूब के निधन की सूचना सदन को न दिये जाने के बारे में है, छठीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की पी0 एल0 ए0 के बारे में है और सातवी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की जिला देवरिया में उद्घाटन समारोह में गन्ना राज्य मंत्री संकटा प्रसाद जी को दरोगा द्वारा रोके जाने और राष्ट्रीय झण्डे के बारे में अपमानजनक शब्द कहने के बारे में है ।

नो :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आप सभी से नम्रतापूर्वक बताना चाहूंगा कि जितनी सूचनाएं हैं, कोई भी नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आ रहा हूं । रवीन्द्र नाथ तिवारी जी आप एक वरिष्ठ नेता हैं । विद्वान हैं, बेहतर वकील हैं और मुझसे ज्यादा कानून के जानने वालों में से हैं । कोई नियम का उल्लंघन नहीं है, कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, 90 दिन का उपवेशन न हो तो उसके संबंध में औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठा पाऊंगा तो किस नियम में उठा पाऊंगा । हमारा एक प्रस्ताव चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का 4 सितम्बर से लम्बित चल रहा है । उसको दूसरे मामलों पर अग्रता मिलनी चाहिए थी, नियमों के अनुरूप । इसको औचित्य के रूप में नहीं उठा पाऊंगा तो किस नियम में उठा पाऊंगा ? यह बता दें । यदि यह औचित्य के रूप में नहीं उठ सकता तो फिर यह औचित्य का प्रश्न समाप्त कर देना चाहिए । श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं खुदही कोशिश करता हूं कि औचित्य के रूप में ऐसी बात न कहूं, जो औचित्य की परिधि में न आती हो । पिछला सत्र 34 दिन का हुआ है । अब 5 दिन का सत्र हो रहा है । आप 90 दिन के उपवेशन की व्यवस्था कर दें, तो न यहां कोई अव्यवस्था होगी और न कोई हुड़दंग होगा । मान्यवर, प्रदेश में कितनी समस्या हैं, कहां तक उनका जिक्र करूं । पुलिस जुल्म, डकैती, हत्यायें और दूसरी तरफ बाढ़, सूखा है, इसके अतिरिक्त जिला योजना में फंड के आवंटन में भेदभाव हुआ है, इन सारे मामले को कैसे उठाया जाय ? आप 90 दिन के उपवेशन के लिए सरकार को बाध्य कीजिए । वर्तमान सत्र में इन सारे मामलों को उठा पाना संभव नहीं दीखता । दोनों पक्षों को वार्ता कराके, चाहे अपने चैम्बर में ही कराके, आप इस संबंध में एक निश्चित वक्तव्य सदन में सरकार का दिलवा दें । ताकि सारे लोग अपने क्षेत्रों की चर्चा कर सकें ।

4 सितम्बर, 1985 का मेरा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव है, नियम 104 के अंतर्गत दिया हुआ है, 4 सितम्बर, 1985 से अब तक लम्बित होता गया है । कार्य मंत्रणा समिति में बराबर जाता है लेकिन कभी एजेंडे पर नहीं लग पाता । अब कारण क्या है ? पूर्व की स्थिति यह है कि इस बारे में 9 अप्रैल, 1972 तथा 15 जून, 1972 को भी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया था । चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में पहली बार 8 जून, 1971 को एक अध्यादेश बनाकर भारत सरकार को भेजा गया था । 28-7-76 को भारत सरकार ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पूर्व शुगर इन्डस्ट्री इनक्वायरी कमीशन, भार्गव कमीशन, की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सर-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार द्वारा निर्णय लेने तक प्रतीक्षा करना उचित होगा । यह कहकर निरस्त कर दिया । उसके बाद अप्रैल 1977 में 1972 के प्रस्ताव के आधार पर दुबारा भेजने का निर्णय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने लिया । 23 अप्रैल, 1977 को भारत सरकार को फिर पत्र लिखा गया कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । इनका भी प्रस्ताव गया लेकिन वहां कोई निर्णय नहीं हुआ । आज परिस्थिति यह बदल गयी है, कि इनके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको प्राइवेट मिल मालिकों ने अगले चुनाव के लिये 25 करोड़ रु0 देने का वचन दिया है, उन्होंने उन पर दबाब डाला है कि इस प्रस्ताव को सदन में न लाया जाय ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, सरकार की साजिश के तहत ही यह प्रस्ताव नहीं आ पा रहा है, इस लम्बित प्रस्ताव पर चर्चा को रोका जा रहा है । अब मान्यवर, इसे औचित्य के रूप में न उठाऊं तो फिर किस नियम में उठाऊं ? मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि किस नियम के अधीन, किस परम्परा के अधीन, 4 सितम्बर, 1985 से लम्बित मेरे प्रस्ताव को अन्य प्रस्तावों के साथ ग्राह्यता नहीं मिल रही है ? उस पर बहस नहीं करायी जा रही है ? आपका इस पर संरक्षण चाहता हूं, आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी सदन के 90 दिन के उपवेशन पर व्यवस्था चाह रहे थे या शुगर पालिसी पर बोल रहे थे ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा एक प्रस्ताव लम्बित चल रहा है, उसकी बाबत मैंने कहा । मैंने 90 दिन के उपवेशन की भी बात कही । समय की कमी का बहाना लेकर, 4 सितम्बर, 1985 से लम्बित प्रस्ताव पर सदन में बहस नहीं करने दिया जा रही है । इसीलिए मेरा यह औचित्य का प्रश्न था ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, बात सदन के उपवेशन की थी उसको लेकर पूरा भाषण ही हो गया उसमें शुगर पालिसी की भी बात आ गयी ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपाध्यक्ष जी आप बैठें । माननीय बख्श जी कुछ कह रहे हैं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने उठाया है वह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है इस पर आपका निर्णय आवश्यक है । मान्यवर, नियमों में यह है कि 90 दिन का उपवेशन होना चाहिए, उसमें डिफलयरकट निर्देश नहीं है । मान्यवर, इधर पिछले कई वर्षों से 90 दिन से आधे दिन भी सदन नहीं चलता है । जब बैठकें नहीं होंगी, तो फिर यह सब अव्यवस्था सामने आयेगी और उससे उधर की और इधर की दोनों पक्षों की बेइज्जती होती है । लोकतंत्र में विधान सभा को भी कट करते जायं और 4–5 दिन में ही निपटा दें, तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है । जो इस पूरे प्रदेश में होता है, उस पर हम यहां चर्चा करते हैं, इधर से सवाल उठते हैं और उधर से जवाब दिया जाता है । 90 दिन कम से कम सदन चलेगा, इसके लिए आपका निर्णय होना आवश्यक है, इसके लिए आपका स्पष्ट निर्देश गवर्नमेंट का होना चाहिए । जो जन विरोधी कार्य यह सरकार कर रही है, उसके लिए इनको विधान सभा में फेल करना पड़ेगा, डर से काम नहीं चलने वाला है । मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–**

अध्यक्ष जी, यह बराबर प्रयास रहा है कि सदन को अधिक से अधिक दिनों तक कराया जाये । पिछले दिनों आपने देखा कि कार्य दिन सदन चला और इस साल भी आपने देखा कि मानसून सेशन बुलाया गया है, अभी जाड़े का सेशन बाकी है । नियमावली में जो प्राविधान किया गया है, वह साधारणतया: किया गया है, लेकिन पूरी तरह से सरकार इस बात का प्रयास करती रही है कि सत्र को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चलाया जाये । जितना बिजनेस है, जितना काम है, उसको पूरा हो जाने के बाद यह देखा जाता है कि माननीय सदस्यों की इसमें रुचि नहीं रहती है । बहुत से ऐसे मौके पड़े हैं, जब कोरम की कमी पड़ी । विधेयकों को पास करना होता है, अध्यादेश को पास करना होता है, जनता की समस्यायें होती हैं, इन सबको ध्यान में रखकर सत्र बुलाया जाता है । भविष्य में इस बात का प्रयास रहेगा कि सेशन को अधिक से अधिक दिनों तक चलायें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका का नियंत्रण नौकरशाही के ऊपर है, प्रशासन तंत्र के ऊपर है । आपकी पीठ से बराबर निर्देश प्रशासन तंत्र को दिया जाता रहा है कि जन प्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जायें । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी, गन्ना मंत्री श्री संकठा प्रसाद शास्त्री और गृह राज्य मंत्री के साथ देवरिया जिले में गन्ना शोध संस्थान का उद्घाटन करने गये थे । रास्ते में एक दरोगा खड़ा था, जिन मंत्री जी की गाड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

को रोक दिया, उन्होंने उस दरोगा से कहा कि मैं तुम्हारे विभाग का ही राज्य मंत्री हूं, लेकिन उसने उनको, जाने नहीं दिया । जिला कलेक्टर से भी कहा गया । मान्यवर, यह कैसे दरोगा को लगाया गया है, जो मंत्री तक से दुर्व्यवहार करता है । जिला मजिस्ट्रेट ने भी मंत्री जी के निवेदन को सुना नहीं । मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किन नियमों के अंतर्गत विधान सभा के अंदर इस प्रश्न को उठाया जाये । मान्यवर, मंत्री जी शासन के प्रतीक है और शासन के प्रतीक के ऊपर इस विधायिका का नियंत्रण है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है, जो अत्यंत शर्मनाक है । माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर उपस्थित थे । अगर इस तरह की घटनायें होती रहेंगी तो किस तरह लोगों का विश्वास लोकतंत्र में जमेंगा । मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया के उस जिला मजिस्ट्रेट, उस दरोगा तथा पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । मान्यवर, मैं अपनी व्यवस्था चाहता हूं कि किन नियमों के तहत इस तरह के प्रश्नों को सदन में उठाया जाये ?

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत तो यह आता नहीं है और संकठा प्रसाद जी को तो कोई शिकायत नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, उनको शिकायत है, उन्होंने मुख्य मंत्री को लिखकर दिया, आई0 जी0 को लिखकर दिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ? इस तरह की रोज घटनायें होती हैं, और सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने और श्री तिवारी जी ने आपको एक पत्र लिखा था, जिसके माध्यम से हमने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का एक प्रश्न उठाया था। उस पर मैं बोलना चाहता था। मुझे आप दो मिनट सुन लेते।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो पहले ही अर्ज कर दिया है कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। श्री शफीकुर्रहमान बर्क जी की सूचना को मैंने सरकार को भेज दिया है। जहां तक श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की सूचना का संबंध है, मैं सोच रहा हूं कि इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द कर दूं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

मान्यवर, हजरत मोहम्मद साहब का बर्थ डे जो हर साल चांद की तारीख 12 रबी उलाबक को पड़ता है, को गीजटेड छुट्टी होनी चाहिए। इस देश में मुसलमानों की 20 करोड़ की आबादी है। आज तक हजरत मोहम्मद साहब की बर्थ डे पर गीजटेड छुट्टी नहीं होती है, यह एक अफसोसजनक बात है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह तो दिया कि इसे सरकार को भेज दिया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक घोर वित्तीय अनियमितता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा तो सही कि इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा––

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है, उस पर कार्यवाही करने हेतु तो आप शासन को भेज दें।

श्री अध्यक्ष–

कह तो रहा हूं कि कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं। शेष सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया।

अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो सिंचाई मंत्री जी से संबंधित है । माननीय सिंचाई मंत्री जी विदेश गये हैं और उनके नाम से आज यहां प्रश्न दिया गया है। इसका जो उत्तर दिया गया है उसमें लिखा गया है कि "उपरोक्त ठेकेदार बार विवरण माननीय सिंचाई मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है। मान्यवर, जबकि मैंने आपके माध्यम से सदन के अन्दर सूचना मांगी थी उत्तर में कहा जा रहा है कि कक्ष में सूचना दी जायेगी। आपने भी कई बार यही व्यवस्था दी है कि यहीं पर उत्तर दिया जाय। आप इस पर व्यवस्था दें कि सदन में ही उत्तर आना चाहिए।

इसकी सूचना दिलायी जाय। माननीय मंत्री जी आज प्रदेश में नहीं हैं, उनके दस्तखत से झूठा बांटा गया है।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, जब समिति में आयेंगा तो आपको पूरा मौका मिलेगा।

जो माननीय सुखपाल पाण्डे जी ने उठाया है, ऐसे निर्णय हो चुके हैं कि अगर कोई प्रश्न का विस्तार से उत्तर है तो आपको माननीय मंत्री जी के कक्ष में जाने की तकलीफ दी जा सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री सुखपाल पाण्डे–

उत्तर न दें, उसकी कापी तो दिलवाने के आदेश दें।

(श्री मित्रसेन के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो कहा कि अगर कोई विस्तृत जवाब है तो आपको तकलीफ दी जा सकती है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

कापी तो दिलवा दें जवाब की।

श्री अध्यक्ष–

हां, कापी मिल सकती है।

अब मद संख्या–3, सचिव, विधान सभा पढ़ेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मद संख्या–3, जो सचिव महोदय पढ़ने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में एक वैधानिक आपत्ति है।

अौचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (क्रमागत)

(श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होने से व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, श्री रमाकान्त यादव विधायक को जेल में बन्द कर रखा है फर्जी मामले बनाकर। उनको हक बनता है कि सदन में आयें और जनता की समस्याओं को सदन के सामने रखें। पूरे क्षेत्र की जनता का हक मारा जा रहा है। उन्होंने जी0 एन0 सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विधान सभा में सवाल उठाया था। अपर पुलिस अधीक्षक के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। उसी वजह से पुलिस ने जलन की भावना से माननीय विधायक श्री रमाकान्त को दारुलशफा से गिरफ्तार किया और आजमगढ़ जेल में फर्जी मुकदमें बनाकर बन्द किया है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायगा।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, लिखा नहीं जा रहा है । आप बैठें ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, आप स्वयं देखें यह एक विधायक का मामला है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को निर्देशित कर दीजिये कि माननीय विधायक के खिलाफ झूठे मुकदमें हैं। आप ही रिहा करा दीजिये। विधायकों के साथ ऐसा काम हो रहा है तो हमारे पास कौन सा दरवाजा है, हम कहां जायं? मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं और मान्यवर, आप तो यहां के मालिक हैं, आप उनसे कह दें कि जो झूठे मुकदमें हैं उनको वापस करा दिया जाय, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वाजिब बात ही कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम शरण दास जी, जो बात आप कह रहे हैं, यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। अब आपने अपनी बात को कह दिया है, इस संबंध में अब मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा।

उत्तर प्रदेश की बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1988 तथा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मद संख्या 3 पर जो बिन्दु कार्यसूची में है उसे सचिव, विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए (1) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा (2) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखने जा रहे हैं। इससे पूर्व कि वे इसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करें, मेरी एक संवैधानिक आपत्ति है और मैं समझता हूं कि इस संबंध में आप कोई समुचित व्यवस्था देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में स्पष्ट दिया हुआ है जिसको कि मैं यहां पर उद्धृत करता हूं कि " दि लेजिस्लेटिव काउन्सिल आफ एवरी स्टेट हैविंग सच काउन्सिल सैल एज सून एज मे बी चूज टु मेम्बर आफ दि काउन्सिल टु बी रिस्पेक्टबीली चेयरमैन एण्ड डिप्टी चेयरमैन दे यर आफ एण्ड सो आफटेन एज दि आफिस आफ चेयरमैन आर डिप्टी चेयरमैन बीकम्स वैकेन्ट दि काउन्सिल सैल चूज एनअदर मेम्बर टु वी चेयरमैन आर डिप्टी चेयरमैन एज दि केस में वी।" इसमें कहा गया है कि जहां कहीं विधान परिषद् है वहां चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव एज सून एज पासिबल यानी कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी उन्हें इलेक्ट किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 182 के संबंध में मुझे कहना है कि इसका हमारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में कतई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुपालन नहीं हुआ है। वहां कोई डिप्टी चेयरमैन नहीं है और वर्तमान चेयरमैन इलेक्टेड नहीं है, चूजेज नहीं हैं। ऐसी विधान परिषद् से विधेयक पारित होने के बाद यहां सहमति के लिए जो रखे जा रहे हैं इस पर हमारी संवैधानिक आपत्ति है क्योंकि यह असंवैधानिक है और इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

उस सदन में क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, कोई आदमी एक डाकुमेन्ट भेज दें और कह दें कि यह विधान परिषद् से आया है, जबकि वह लीगली इलेक्टेड नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसके बारे में यहां क्यों उठा रहे हैं, यह तो वहां पर उठाया जाना चाहिए?

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1988 †

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश श्री बद्री नाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988†

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का बारहवां प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का चौदहवां प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) का पांचवां प्रतिवेदन†

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे मद संख्या 8 और 9 के बारे में एक आपत्ति है और वह यह है कि जो समितियों के प्रतिवेदन पर यहां हम लोग विचार करने के लिये प्रस्ताव करते हैं, हमारा प्रस्ताव है कि सभी समितियों के प्रतिवेदनों पर यहां विचार होना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) का छठां प्रतिवेदन

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) का सातवां प्रतिवेदन †

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1987-88) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री तेज बहादुर गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1987-88) का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर यह जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होते हैं, इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह सरकार अपनी कमियों और खामियों को छिपाने के लिए इन समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने का अवसर नहीं देती है, इस संबंध में मैं पहले भी लिखित रूप में दे चुका हूं और अब यह जो नेता सदन कल जबर्दस्ती हो गये हैं, यही कम से कम कोई समय इसके लिए निर्धारित करें ताकि जो बजट हम लोग देते हैं उसका क्या हुआ और इसके प्रयोग में जो कमियां और खामियां होती हैं उन पर विचार कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता सदन जबर्दस्ती क्यों हो गये, कल इस बात का यहीं निर्णय हुआ है तब हुए हैं तो इसे जबर्दस्ती क्यों कह रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इस आपत्ति जनक शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मा0 उपाध्यक्ष जी इस पर विचार करायेंगे या नहीं, इसकी कोई व्यवस्था तो दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, इसे कार्य-मंत्रणा समिति के बीच रख देंगे, जैसा होगा, वहां हो जायेगा तय ।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

हरिजन एवं समाज कल्याण उप मंत्री (श्री शैलेन्द्र कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित प्रशासकीय बोर्ड में, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार, विधान सभा के तीन सदस्यों का जिसमें से एक महिला होगी, का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

†दिनांक 12 अक्तूबर, 1988 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 1988 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुर:स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अंतर्गत 25 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से पहली श्री राम शरण दास की है जो थाना बड़गांव , जनपद सहारनपुर की पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग से दो छात्रों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना सर्वश्री अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास यादव, कुंवर रेवती रमण सिंह, राकेशधर त्रिपाठी, भोला सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह की इलाहाबाद जनपद की गिरती कानून व्यवस्था के संबंध में है और तीसरी सूचना श्री बदन सिंह जी की है जो जनपद आगरा के डोकी थाने के ग्राम छक्कू में एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की हत्या किये जाने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की तहसील मोहम्मदी , जिला खीरी में पुलिस द्वारा की गयी पिटाई से एक युवक की मृत्यु हो जाने के संबंध में है . . .

पाचवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री मैनेजर सिंह, श्री विजय सिंह राणा की जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम रसीदपुर कनेटा व दतौजी एवं जौनपुर आदि ग्रामों में जमींदारों का आतंक के बारे में है। छठीं सूचना श्री अकबर हुसेन बाबर, श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री मित्र सेन, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ की बस्ती जिला जेल में निहत्थे सत्याग्रहियों पर की गयी लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री औसान सिंह, श्री किशन लाल, श्री धनराज यादव, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री देवेन्द्र सिंह की गाजीपुर जनपद के देवकली ग्राम में डकैतों द्वारा 8 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या किये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की लखनऊ महानगर में पायी जाने वाली लगभग 40 अज्ञात लाशों से जनता में व्याप्त भय के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की कार्यकारिणी में अनेक वरिष्ठ साहित्यकारों द्वारा दिये गये त्याग-पत्र से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है । दसवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी की ज्योली इन्टर कालेज अल्मोडा की छत गिरने से 100 से अधिक बच्चों के घायल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की हल्दीघाटी, जौहर तथा शिवाजी महाकाव्य के रचयिता पं0 श्याम नारायण पाण्डेय की सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा के सम्बन्ध में है । बारहवीं सूचना श्री सरदार सिंह, श्री कनक सिंह की हिन्दी के विख्यात

कवि निर्भय हाथरसी के साथ अलीगढ़ पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है । तेरहवीं सूचना श्री जयदीप सिंह बरार की निजी नलकूपों पर नये विद्युत कनेक्शनों के जारी न होने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप की जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा नागरिकों के साथ किये जा रहे अत्याचार के सम्बन्ध में, है। पन्द्रहवीं सूचना श्री किशन लाल दिलेर, श्री जगवीर सिंह की हाथरस काण्ड में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, है । सोलहवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राकेश धर त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम सिसवा बाजार, गोरखपुर से चीनी मिल अधिकारियों द्वारा चीनी को तस्करी किये जाने के सम्बन्ध में, है। सत्रहवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की जनपद फतेहपुर थाना खागा की पुलिस द्वारा नागरिकों की, की गई पिटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है । अठारहवीं सूचना श्री गोपी नाथ वर्मा की उत्तर प्रदेश में शीत गृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादकों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है । उन्नीसवीं सूचना श्री मनोहर लाल की कानपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है । बीसवीं डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा जनपद की मुख्य नहर केन तथा उसकी माइनर नहरों में पानी न आने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में है। इक्कीसवीं सूचना मो0 आजम खां, श्री हाजी मो0 हयात, श्री फसीउर्रहमान खां उर्फ मुन्नन खां, श्री फजलुल बारी, श्री गोपाल दास यादव की प्रयाग पुर बस अड्डे तथा प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से यात्रियों को उतार कर पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, है। बाईसवीं सूचना श्री अशोक बाजपेई की ट्रकों की हड़ताल से प्रदेश का जन जीवन अस्त व्यस्त होने के संबंध में है । तेइसवीं सूचना श्री चन्द्रभान मौर्य की नीलगायों द्वारा किसानों की फसल उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौबीसवीं सूचना श्री सुन्दर लाल की प्रदेश की विभिन्न सरकारी नौकरियों तथा अर्ध सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोटा पूरा न होने के सम्बन्ध में और पच्चीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की बस्ती जेल में बन्द सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में हैं ।

इस तरह से 25 सूचनाएं हैं । इनमें समय बहुत हो जाता है । आप थोड़े समय में अपनी बात कह दें जिससे जल्दी-जल्दी हो जाय ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, 3-10-1988 को हमारे जनपद सहारनपुर में थाना बड़गांव में एक ऐसी घटना घटी है, जिसके बारे में हम यहां पर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, लगभग 11 बजे कुछ स्कूल के छात्र बस में एक गांव में चढ़े और रास्ते में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कन्डक्टर और ड्राइवर से उनकी कुछ कहा सुनी हो गयी कि यहां पर उतरना है । उसके बाद ड्राइवर ने थाना बड़गांव के सामने जाकर बस रोक दी और थानेदार से शिकायत की। वहां पर विनोद कुमार एक थानेदार है वह एक लड़के को वहां से थाने में ले गये और उसकी वहां पर जमकर पिटाई की और ऐसी पिटाई की जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। उसकी टांग भी तोड़ दी गई। उसी के पास एक कालेज और है। जब उसके लड़कों को यह बात मालूम हुई तो वे भी वहां पर आ गये । जब वहां पर लड़कों की भारी भीड़ हो गई तो पास ही में समलाना में एक दूसरा स्कूल है उसके छात्र भी वहां पर आ गये । यह सब देखकर पुलिस ने एकदम फायरिंग शुरू कर दी जिससे 5, 6 लड़कों को गोलियां और छर्रे लगे । इन्हीं गोलियों से दो लड़के मर गये । जब वहां पर ज्यादा हंगामा हुआ तो पुलिस ने वायर लेस से सहारनपुर से पी0 ए0 सी0 बुला ली । उसके बाद वहां पर पुलिस पी0 ए0 सी0 ने लड़कों के ऊपर लाठी चार्ज किया, बाजार में दुकानदारों और सौदा खरीदने वाले लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया । इस तरह से पी0 ए0 सी0 ने जो वहां पर नंगा नांच किया, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । लड़कों की जितनी पिटाई वे कर सकते थे, उन्होंने किया । रास्ता चलने वालों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर लाठी चार्ज किया और उनकी सम्पत्ति को लूट लिया । इस तरह की वहां पर घटना हुई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी । वहां पर इससे चारों तरफ के स्कूल और कालेज बन्द हो गये हैं । वहां पर इससे चारों तरफ के स्कूल और कालेज बन्द हो गये हैं। वहां पर बड़गांव थाने के पास कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है। लोग बाजार में आ जा नहीं सकते हैं। यह दर्दनाक घटना वहां पर हो गई है । दो छात्रों को मार दिया गया है, एक लड़के की टांग टूट गई है, सौदा खरीदने वाले लोग पीटे गये हैं और इनकी सरकार चलती रहे, उसके लिये मैं क्या कहूं, मान्यवर, आप ही कह सकते हैं । श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज सदन की कार्यवाही रोककर इस घटना पर चर्चा करा दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

*श्री किरन पाल सिंह–

श्रीमन्, इस घटना का असर न सिर्फ सहारनपुर के छात्रों पर ही पड़ा है लेकिन मेरठ और बुलन्द शहर के छात्रों ने भी बहिष्कार किया है । बिना किसी उत्तेजना के पुलिस द्वारा फायरिंग की गई है न चेतावनी दी गई है और न आंसू गैस छोड़ी गई है । छात्रों के ऊपर सीधे गोली चलाई गई है । छात्रों की पीठ पर गोली चलाई गई है । भागते हुये छात्रों के ऊपर गोली चलाई गई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है । . . . (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इसलिये आपसे निवेदन है कि इस मामले में आप सदन में आज काम रोककर चर्चा करा दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री महावीर सिंह राणा–

पी0 ए0 सी0 ने प्रिंसिपल के घर में घुसकर उसकी पिटाई की और उसकी बीवी को बेइज्जत किया । इस संबंध में 8 तारीख को उस थानेदार के खिलाफ गृह राज्य मंत्री को लिखा गया था कि उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय, उसके स्थानान्तरण के आदेश हुये। उस दरोगा की वजह से छात्रों में हमेशा आतंक फैला रहा। इस घटना में दो छात्रों की मृत्यु वहां पर हो गई । मेरा कहना यह है कि उस दरोगा को सस्पेंड किया जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

(श्री सईदुज्जमा के खड़े होने पर)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लड़कों की हत्या हो गयी है । माननीय मुख्य मंत्री बैठे हैं और गृह मंत्री बैठे हैं उनको इस पर बोलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उत्तेजित न होइये, उनको पहले जवाब देने दें उसके बाद जो कहना हो कहें ।

श्री मित्रसेन–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(गृह मंत्री के खड़े होने पर तालियां बजने पर)

श्री राम शरण दास–

तालियां बजा रहे हैं शर्म आनी चाहिये वहां लड़कों की हत्या हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

वह नये मंत्री हैं इसलिए तालियां बजा रहे हैं (व्यवधान) आप लोग शान्त रहें ।

श्री मित्रसेन–

माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि यहां पर कार्यस्थगन प्रस्ताव उपस्थित हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री और संबंधित मंत्री यहां बैठे हैं उनको मुखातिब होना चाहिये । लेकिन मुख्य मंत्री जी बाजार लगाये हुये हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी चले गये हैं गृह मंत्री जी खड़ी हैं बोलने के लिये (मेजों की थपथपाहट)

*गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

मान्यवर, आपने सही कहा, मैं नयी मंत्री हूं इसलिये तालियां बजा दीं। मुझे माननीय सदस्यों से सीखना है । मान्यवर, जहां तक इस प्रश्न की गंभीरता का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन आपने एक पक्ष बता दिया हमारी जानकारी के आधार पर कुछ और बातें हैं इसमें बारीकी से देखना होगा । मैं मदन की भावना से सहमत हूं छात्र हमारे बच्चें हैं जिन पर देश का भविष्य

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आधारित है । मुझे भी अध्यापिका रहने का अवसर मिला है । सहारनपुर की घटना के संबंध में केवल यह बताना चाहती हूं कि हमें लोगों की सूचना के आधार पर घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई है (व्यवधान) हमने उपनिरीक्षक विनोद कुमार को निलम्बित कर दिया है। 6 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं (व्यवधान) इसकी गंभीरता को देखते हुये इनवेस्टिगेशन के लिये मेजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दे दिये हैं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

यह बिलकुल झूठ बोल रही हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

[xxx] शब्द का इस्तेमाल न करें मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

यहां पर अधिकारी बैठे हुये हैं और वहां के इनके ही दल के सदस्य बैठे हैं उनकी बात को सुनें । (व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह सारी अव्यवस्था फैला रहे हैं (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

लडकों को गोलियां लगी हैं

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

मान्यवर, इन्होंने [xxx] शब्द का इस्तेमाल किया है यह असंसदीय है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपके कहने से पहले ही मैंने कह दिया है यह निकाल दिया जायेगा ।

*श्री राम शरण दास–

मेरा निवेदन यह है कि जब यह कहते हैं कि दरोगा के खिलाफ हमने कार्यवाही की है तो साफ है कि गलती उसकी है । अब दूसरी तरफ वर्दी फाड़ दी कपड़े दिए यह कहना ठीक नहीं है यह तो अब वह खुद ही करेंगे। वहां लड़के निहत्थे थे वह पढ़ने के लिये जा रहे थे उन पर इन्होंने राईफल चलाई । गोली लड़कों के इधर से ऊपर निकली है । यह बात तो वहां के कांग्रेस के लोकल एम0 एल0 ए0 श्री राणा भी कह रहे हैं हम दोनों एक बात कह रहे हैं मैं भी वहीं से आता हूं । जो आपको सूचना आई है वह बिलकुल गलत है सत्य से परे हैं । आप इसकी छानबीन करा कर मालूम करलें ।

श्री रघुवर दयाल जर्मा–

मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने यह गंभीर प्रश्न उपस्थित किया है । पुलिस द्वारा गोलियां चलाने से एक छात्र की मौत हुई है।

नोट– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उसी बात को माननीय सदस्य श्री महाबीर सिंह राणा, कांग्रेस (आई) ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि वहां कोई मौत नही हुई है और दरोगा के खिलाफ कार्यवाही कर दिया, तो उनका तारतम्य कहां बैठता है। इसलिए आप स्वयं मान्यवर, इसको देखें और सत्य ही उत्तर दिलायें तो पता चल जायेगा।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

जिस छात्र की मौत हुई है उसका नाम बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी कह रहे हैं कि मौत नहीं हुई है।

श्री राम शरण दास–

मौत हुई है।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इस संबंध में और अधिक सूचना मंगा ली जायेगी।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, इसलिये इनके खिलाफ में विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, श्रीमती रोहतगी से निवेदन है कि श्री महाबीर सिंह राणा सत्ता पक्ष के जिम्मेदार सदस्य हैं और मा0 मंत्री जी संजीदा महिला हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे जो उत्तर देंगी वह सदन को संतुष्ट करने की दृष्टि से देंगी लेकिन जिस तरह से कल से गृह मंत्री जी जवाब दे रही हैं उससे उत्तेजना सदन में होना स्वाभाविक है। कल एक सवाल डाक्टर दिनेश जौहरी साहेब का था और उन्होंने पूछा था कि वहां एक कमल नाम का व्यक्ति पुलिस चौकी में मरा है लेकिन जवाब दिया कि मोहन नहीं बल्कि कमल नाम का व्यक्ति नहीं मरा है और मोहन जो मरा है उसकी सूचना नहीं है। आज भी श्री राम शरण दास जी ने सदन का ध्यान एक छात्र की मौत की ओर आकर्षित किया और इसी संबंध में श्री राणा जी जो कांग्रेस आई के एक पुराने सदस्य हैं उन्होंने जानकारी दी, वे यहां अनावश्यक नहीं खड़े होते हैं, वह सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने उठकर घटना पर जानकारी दी तो इस पर कम से कम श्री राम शरण दास की मामूली बात पर असर न हो तो आपके पक्ष के जो सदस्य हैं उनकी बात का असर आप पर तो होना चाहिए था और उस पर आपको दुख प्रकट करना चाहिए था और सक्रिय कार्यवाही करने का सदन में आश्वासन देना चाहिए था। क्या यह सरकार पुलिस की गुलाम हो गयी है? क्या यह सदन पुलिस का संरक्षक हो गया? मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें और पुलिस पर अंकुश लगाने के उस दृष्टि से कार्यवाही करें और सदन को विश्वास में लेने का प्रयास करें वरना आपका विभाग का कोई काम यहां नही होने दिया जायेगा, यहां से असफल होकर जायेंगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान और मेरी कर्तव्यनिष्ठा पर कहा कि क्या करना चाहिए। मेरे अनुभव पर जो विश्वास प्रकट किया है मैं उसके लिये उनकी आभारी हूं। मैं सदन को आश्वस्त कराना चाहती हूं कि जो विश्वास आपने, हमारे माननीय सदस्यों ने और हमारे सहयोगियों ने दिया है मैं पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वाह करने में लगी हूं और निवेदन करना चाहती हूं कि इस मामले में दो तरह की बातें हैं। एक पक्ष की वह खबर है और मेरे पक्ष की खबर जो 10 बजे प्राप्त हुई है उसके आधार पर इसमें 3 छात्र घायल हो गये थे जिसमें एक की दशा गंभीर हो गयी थी लेकिन अब सुधार हो गया है और 10 बजे के बाद में....। अगर कोई ऐसी दुखद घटना घट जाती है, तो वह आपके समक्ष होगी। अब जहां तक सच और झूठ की बात है, मैं उसमें नहीं पड़ती हूं, किन्तु आप जानते हैं कि क्या संसदीय है और क्या असंसदीय है। मैजीस्ट्रियल इंक्वायरी इसीलिए प्रस्तावित की गई है, जिससे सच्चाई सामने आ जाए। हमारी इस इंक्वायरी कराने का यह तात्पर्य है कि सच्चाई शीघ्र हम सबके सामने आ सके।

श्री मैनेजर सिंह–

आप सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी कराइये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर हमारा छात्र वर्ग, जिन पर इस प्रदेश और देश का भविष्य निर्भर करता है और लोकतन्त्र की मर्यादा के लिए सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी की मांग की गई है और उससे हमारे छात्र सन्तुष्ट हो जायेंगे तो मैं आपके साथ हूं और इसे भी स्वीकार करती हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस उत्पीड़न की कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उससे हम और आप सभी दुखी है, लेकिन उस सम्बन्ध में यह कहना कि यह सदन नहीं चलेगा, यह सही नहीं है। शासन द्वारा पुलिस उत्पीड़न की जो घटनायें सामने आई हैं, उस पर शासन ने अपना बहुत बड़ा रुख अपनाया है। इस प्रकार के मामलों में जिस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता होती है वह जरूर की जाती है और इतना ही नहीं उनके साथ साधारण क्रिमिनल्स की अपेक्षा और कड़ी कार्यवाही की जाती है। हमारी सरकार इस प्रकार के तमाम पुलिस उत्पीड़न के मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने में स्वत: तत्पर है और वह सब कुछ कर रही है, जो इन मामलों में किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी, जालौन, सहारनपुर और मेरठ आदि में इस तरह की कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं, जहां पर लगा कि वह दोषी है, तुरन्त उस पर दोष पंजीकृत किये गये हैं और साधारण अपराधी की भांति उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है.. (व्यवधान)। मान्यवर, क्योंकि उन्होंने चुनौती दी है, इसलिए मैं यह सब बातें सदन के सामने कहना जरूरी समझती हूं और कुछ तथ्य यहां आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूं। इस सम्बन्ध में हमारे उच्च स्तरीय निर्देश जा चुके हैं और 3 सप्ताह से पहले बड़े स्पष्ट निर्देश इस सम्बन्ध में जा चुके हैं कि कोई भी हमारा दोषी अधिकारी है तो उसके विरुद्ध सबसे गम्भीर कार्यवाही की जाए। हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग हुई है और कड़े निर्देश दिये गये हैं। हमारी सरकार सो नहीं रही है, वह सदैव सच्चाई को सामने लाने के लिए तत्पर है।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय गृह मंत्री जी ने इस गम्भीर समस्या का जवाब दिया और मैं समझता हूं कि इसकी सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी उन्होंने स्वीकार कर ली है और अब दोषी लोगों को वह शीघ्र दंडित करेंगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जरूर-जरूर।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आज इस सरकार के रहते बड़-बड़ अपराध बड़ी तेजी से पनप रहे हैं और इतना ही नहीं बड़े-बड़े अपराध सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। सातिर अपराधियों सत्तापक्ष वालों की छत्रछाया में संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पूरा प्रदेश अपराधों की बाढ़ की चपेट में आ गया है। अपराधियों द्वारा सरकारी संरक्षण पाकर कर्तव्यनिष्ठ और निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। जैसा मान्यवर, देखा आपने कल से कि जालौन, मेरठ, इलाहाबाद, सहारनपुर और जौनपुर आदि तमाम जगहों में तमाम ऐसी घटनाएं घटित हो रहीं हैं। इलाहाबाद में अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधी प्रत्याशी को हराने के लिए हिंसा का नंगा नाच किया है। इसके लिए वहां पर पूरे प्रदेश के छटे और सजायाफ्ता अपराधियों की एक फौज निर्दोष मतदाताओं को आतंकित करने के लिए खड़ी कर दी गई तथा अपराधी पुलिस कर्मियों को भी ढूंढ-ढूंढ कर वहां पर पोस्टिंग कर दी गई, जिससे अपने पक्ष में नागरिकों को डराया धमकाया जा सके। वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि अपराधी लोगों और अपराधी पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर निर्दोष लोगों को बुरी तरह मारा पीटा है। इसी क्रम में हमारे जनपद के थाना घूमनगंज में राजेन्द्र साहू और राजेन्द्र केसरवानी नामक दो नवयुवकों की हत्याएं की गई और 30 सितम्बर को शाहगंज कोतवाली और थाने के लोगों ने परवेज नामक एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला। उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा पूरे इलाहाबाद के लोगों में आतंक और आक्रोश व्याप्त है। इसी तरह से इलाहाबाद के आई0 जी0 श्री बलवीर सिंह बेदी के भतीजे सुरेन्द्र सिंह तक का गनगवां में पीट-पीट कर मार डाला गया है।

इलाहाबाद में आज अपराध इतने अधिक बढ़ गये हैं कि नित्य 2-3 हत्याओं और 3-4 डकैतियों का औसत आता है। इतना सब कुछ होते हुए भी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। यदि कोई कर्तव्य निष्ट और ईमानदार पुलिस कर्मी अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का साहस करता भी है तो उसे 24 घंटे के अन्दर पिथौरागढ़ ट्रांसफर करके भेज दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रवीण सिंह, एस0 पी0 सिटी का ट्रांसफर पिथौरागढ़ केवल इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने जयनारायण सिंह जैसे अपराधी को, जो कि गाजीपुर में दो हत्याओं का सजायाफ्ता है और जिसको इस सरकार ने रायफल का लाइसेंस भी दिया है, जिस पर सदन में भी चर्चा हुई थी, उन्होंने पकड़ कर बन्द किया था। इसके चलते अपराधों की बाढ़ में यह प्रदेश फंसा हुआ है, जनजीवन पूर्णतया असुरक्षित है और उनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हीं लोगों पर लाठी चलाई जाती है जैसे कि परवेज आलम पर चलाई गयी । पुलिस की गलत ढंग से पोस्टिंग की जाती है । अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है । मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

गोपाल दास जी अब आप बैठें एक आदमी ने बात कह दी है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। (व्यवधान) मान्यवर, इलाहाबाद जनपद के धूमनगंज थाने का जिक्र किया गया है। मान्यवर, एक राजेन्द्र साहू सज्जन लड़के को इतनी बेदर्दी से पीटा गया कि वह मर गया । जब लोगों ने वहां घेराव किया तो पुलिस ने वहां गोली चलाई जिससे राजेन्द्र केसरवानी की हत्या हुई। मान्यवर एक महीने के बीच में ही पासी हरिजन लड़के को वहां के पुलिस दरोगा ने पीटा । वह कुछ दिन अस्पताल भर्ती रहा और पिछले 10 दिन में उसने दम तोड़ दिया । इसी तरह मान्यवर, परवेज आलम पर जहां शाहगंज थाना और कोतवाली लगती है, कोई धारा का मुकदमा आई0 पी0 सी0 और सी0 आर0 पी0 सी0 का कोई मुकदमा परवेज आलम पर नहीं था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और शाहगंज से कोतवाली ले जाकर पुलिस ने उसको इतने दर्दनाक तरीके से पीटा, जबकि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता था, उसको पत्थर मारे जिसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया । इसके बाद मान्यवर, जब उसके परिवार के लोग कोतवाली गये तो हवाई फायर किए गये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। वहां दंगा फसाद कराने की साजिश की जा रही है। माननीय मंत्री जी बहाना न करें। अगर आपको कोई दर्द है तो इस मामले की जांच कराइए और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवाइए।

(व्यवधान)

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

अभी हमारे माननीय सदस्य ने इलाहाबाद की तमाम समस्याओं के बारे में बताया । इस प्रदेश की सरकार इलाहाबाद में कानून व्यवस्था सुधारने में अब तक सक्षम नहीं हो सकती है जब तक ग्राम्य विकास मंत्री जी गुन्डों को संरक्षण देना बन्द नहीं करते हैं । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों पर मुकदमें चले उन्हीं सारे लोगों को चुनाव के दौरान घुमाया जा रहा है ग्राम प्रधान ने चुनाव के दौरान जिन लोगों के बूथ कैप्चरिंग की और एस0 पी0 पर गोली चलायी वह गुण्डे ग्राम्य विकास मंत्री के ह

में रहते हैं, उन पर गैंगेस्टर एक्ट और एन0 एस0 ए0 नहीं लगाया गया । ऐसी स्थिति में इस प्रदेश में नून, खून, कानून सबसे ज्यादा सस्ता हो गया है डेढ़ महीने से लगभग 12 थाने ऐसे हैं जहां थानाध्यक्ष नियुक्त नहीं किये गये हैं ।

(व्यवधान)

हंडिया तहसील की बात कहना चाहता हूं जिन लोगों ने बिजली पानी के लिए प्रदर्शन किया--

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

जिस माफिया सरगना ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है उनको कांग्रेस का संरक्षण मिल रहा है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं आप इसमें जांच करा लीजिए । आप देखिए कि ऐसे लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है । ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । अभी पिछले दिनों कोतवाली के 15 मीटर के अन्दर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी । एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट छात्रावास के निकट गुण्डों ने अराजकता का प्रदर्शन किया । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद की शांति और व्यवस्था के बारे में सरकार ध्यान दे और मान्यवर, आप इस विषय पर चर्चा करायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी नयी-नयी मंत्री बनी हैं । आज पूरे प्रदेश की हालत खस्ता है लेकिन इलाहाबाद की हालत इतनी खस्ता हो गयी है कि वहां पर कानून और व्यवस्था की नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है ।

एक सदस्य–

वह मंत्री जी का मायका है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

है मायका, इसमें शर्म की क्या बात है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अगर मंत्री जी वहां का जायजा लें तो वहां की स्थिति के बारे में मंत्री जी को पता चलेगा कि वहां की पुलिस इतनी अक्षम हो गयी है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाने में कोई कारगर कदम नहीं उठा पाती है । कारण यह है कि पिछले जो चुनाव हुए उसमें मंत्रियों की गाड़ी पर, मुख्य मंत्री की गाड़ी पर और तमाम कांग्रेस के सांसदों, विधायकों के साथ जितने इलाहाबाद के शातिर बदमाश थे वह खुले आम घूम रहे थे। मंत्रियों ने उनके घर पर भोजन किया । आप देखें कि मंत्री लोग क्रिमिनल लोगों के यहां भोजन करेंगे और दरोगाओं के हाथ क्रिमिनल लोगों से मिलवायेंगे तो क्या स्थिति होगी ? एस0 पी0 आर्या पर क्रिमिनल रंग बहादुर पांडे ने गोली चलायी ग्राम प्रधानों के चुनाव में । इसके ऊपर 62 मुकदमें चल रहे हैं जिनमें से 22 मुकदमें

कत्ल के हैं । लेकिन उसके ऊपर एन0 एस0 ए0 नहीं लगाया गया क्योंकि चुनाव में उसने आपकी मदद की । अभी जिस गांव में विश्वनाथ प्रताप सिंह के चुनाव में कांग्रेस को केवल 42 वोट मिले वहां से उसका नामिनेशन कराया गया । कितने आश्चर्य की बात है कि एस0 पी0 आर्य पर जिसने गोली चलायी उसके खिलाफ एन0 एस0 ए0 नहीं लगाया गया । ओम प्रकाश जो बी0 एच0 यू0 के छात्रसंघ के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर एन0 एस0 ए0 लगा दिया गया और क्रिमिनलों पर एन0 एस0 ए0 नही लगाया जाता है । राम किशोर पटेल को गंगेस्टर एक्ट में, एन0 एस0 ए0 में करछना थाने में बंद किया गया । लेकिन उनकी राइफल को आप नहीं जमा करा पा रहे हैं । जैसा कि अभी राकेशधर त्रिपाठी ने कहा था, ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में आज इलाहाबाद में कम से कम दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, उनको गिरफ्तार नही कर पा रहे हैं । जनसत्ता में यह निकला है इसको मैं मंत्री जी के पास भेज रहा हूं । जरा इस पर गौर करें । आज इलाहाबाद में कानून और व्यवस्था न होकर जंगल का राज्य हो गया है । मंत्री जी वहां के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के मंत्री हैं । आप वहां की स्थिति को देखें और सुधारें । लखनऊ में बैठे रहने से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायेगी ।

श्री भोला सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद की कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि वहां पर आये दिन जहां जो मर्जी होती है पुलिस कर रही है उन पर कोई अंकुश नहीं है । पुलिस गुन्डों और बदमाशों को संरक्षण दे रही है । हमारे यहां कुरांव क्षेत्र में गंगा के पुल पर 2 आदमियों को मार दिया गया । लेकिन आज तक पुलिस उसकी कोई जांच नहीं कर सकी और न बदमाशों को पकड़ सकती है जितने बदमाश लोग हैं पुलिस उनको संरक्षण दे रही है । माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर इन सारी शिकायतों की जांच कराकर कार्यवाही नहीं की गयी, तो वे गुण्डे वहां पर किसी भले आदमी को नही रहने देंगे । मान्यवर, एलेक्शन में आपने देखा है कि पूरे प्रान्त के गुण्डे वहां पर इकट्ठा कर दिये गये थे ।

मंत्री महोदय जो हैं वे उन गुण्डों को संरक्षण देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है । आप आसन ग्रहण करें । अब कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, सदन जिन घटनाओं के बारे में विचार हो रहा है, यह बहुत व्यापक प्रश्न है । मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि इलाहाबाद पर मुझे नाज है, मुझे गर्व है कि मैं इलाहाबाद की बेटी हूं और इलाहाबाद के नाते और रिश्ते और इलाहाबाद में जो शिक्षा मुझे दी है, उस परम्परा को कायम रखने की कोशिश करूंगी । अगर कहीं पर हल्कापन होता है , तो उसे मर्यादा के साथ हमको , आपको आज मिलकर आगे ले जाना है । साथ ही उन्होंने मुझे याद दिलाया कि क्रिमिनल को सह देती हूं। अगर मेरे पास कोई ट्रांसफर का केस आता है, चाहे आपस में कोई भी लड़ाई हो, मगर इस तरह के केसेज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ट्रांसफर के आते हैं । पुलिस के ऊपर हम बाकायदा हर तरह का अंकुश लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह से उत्तेजित होकर भाषण देने से कोई लाभ नहीं है । मैं आपकी चिन्ता समझती हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

माननीय मंत्री जी ट्रांसफर का मामला बता रही हैं । माननीय, हमने जो इलाहाबाद का मामला बताया, उस पर उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

माननीय दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का जो मामला है, उसकी विवेचना अपराध अनुसंधान शाखा कर रही है । (व्यवधान)

माननीय, वहां पर स्थिति अब सामान्य है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

उन्हें सजा तो देनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

सजा देना तो कोर्ट का काम है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप कृपया यह निर्देश दे दें कि जो माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, माननीय गोपाल दास यादव जी और माननीय राकेशधर त्रिपाठी जी ने बात रखी है, उसके संबंध में विधायकों की एक मीटिंग बुला लें, वहां पर जो क्रिमिनल लोग हैं, जिनके ऊपर गैंगेस्टर और एन0 एस0 ए0 के केस लगे हुए हैं, उन पर आज भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और जुल्मी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं हो रही है ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

माननीय, मैंने सब नोट कर लिया है । सी0 आई0 डी0 की जांच आलरेडी हो रही है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो सुझाव रखा है, वह बिलकुल ठीक है, आप वहां के विधायकों की मीटिंग बुला लें, इससे यह होगा कि वहां की गुण्डागर्दी पर आप कन्ट्रोल कर सकेंगी । माननीय, अभी आपने कहा कि आप इलाहाबाद की बेटी हैं, मुझे खुशी है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय आपकी पुलिस आपके नियंत्रण से बाहर हो रही है आप अपने को इलाहाबाद की बेटी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बेटी मानकर इस निकम्मी पुलिस पर नियंत्रण करिये ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, आपका जो दूसरा भाग है इससे मैं सहमत हूं लेकिन बेटी तो एक ही जगह की हो सकती हूं हर माननीय सदस्य एक ही जगह का हो सकता है । मैं पूरे प्रदेश की पुलिस पर नियंत्रण रखूंगी आपके सहयोग से ।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 की जांच करा दी गयी है और स्थानान्तरण हो गये हैं जो पुलिस कर्मी अपराधी हैं उनका ट्रान्सफर कर्नलगंज से नैनी कर दिया गया है (व्यवधान) इस तरह से अगर ट्रान्सफर होगें तो इस केस में दबाव पड़ेगा उन गवाहों पर और इसमें कार्यवाही निष्पक्ष नहीं हो पायेगी । मान्यवर, इलाहाबाद में जब से चुनाव हुए हैं तब से इनकी सांठगाठ अपराधियों से बढ़ गये हैं आप इस पर चर्चा कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं या चर्चा पर । मैं इसमें निर्णय दे दूंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

मैंने ग्राह्यता पर बुलवा दिया अब आप मेरा निर्णय हो जाने दीजिए ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह मामला मामूली नही है हत्या कर दी गयी और मुकदमा नहीं कायम किया गया । यह इलाहाबाद का मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मसला कहीं का हो आप आसन ग्रहण करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आप लोग बैठें यह तरीका मैं ठीक नहीं समझता, आप लोग बैठें । हरदेव जी आप भी बैठें । एक आदमी खड़ा होकर बोले तो सुन भी लूं । सब लोग बोलेंगे तो किसको सुन लूंगा ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, चुनाव में गुण्डों का प्रयोग किया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आप इस पर चर्चा स्वीकार करिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय बाद में दूंगा आप लोग बैठें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, संसदीय उप चुनाव में इन लोगों ने गुण्डों और पुलिस का प्रयोग किया है इनके अन्दर नैतिक साहस नहीं है ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, यह क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

हरदेव जी आप बैठें, बदन सिंह जी आप भी बैठें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मंत्री जी इन विधायकों को अपने चेम्बर में बुलाकर बात कर लें और उस बैठक में उच्च अधिकारियों को भी बुला लें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, आपने जो सुझाव दिया है, मैं आपको और इलाहाबाद के सभी सम्मानित सदस्यों को शीघ्र से शीघ्र आमंत्रित करूंगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । राकेशधर जी कृपया दूसरों को बोलने का मौका दें ।

(समय 1.40)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जनपद आगरा के थाना डौकी के अन्तर्गत स्थित ग्राम गढ़ी छक्कू के अन्तर्गत 24 सितम्बर को सायंकाल साढ़े 6 बजे एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी । जिन लोगों की हत्या की गयी उनमें लाखन सिंह 60 वर्ष, उनकी पत्नी रामबेरी, 52 वर्ष, उनके पुत्र राकेश 26 वर्ष, और पुत्री ओमवती, 30 वर्ष सम्मिलित हैं । मान्यवर, इन मृतकों के अलावा शिव कुमार और गुड्डी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया । इसके अलावा थाना इरादतनगर में ग्राम हज्जूपुरा के मोहन सिंह और नारायण सिंह की हत्या 20 सितम्बर को कर दी गयी और मान्यवर, इसी एक माह के अन्दर आगरा जनपद में 21 हत्याएं हो गयीं । सैकड़ों अपहरण हुए हैं और चोरी और डकैती की तो गिनती ही नहीं रह गयी है । आगरा के अन्दर पुलिस की व्यवस्था बिलकुल समाप्त हो गयी है । ऐसा लगता है कि पुलिस का अस्तित्व ही नहीं रह गया है । इसके तीन कारण हैं जो यह अव्यवस्था हो रही है :–

(1) वहां की पुलिस ने एतमादपुर थाने के गिर्राज और कालिया नामक निर्दोष लोगों की हत्या करवाई और झूठा इन्काउन्टर पुलिस ने दिखाया ।

(2) किरावली के थानेदार को चौराहे पर गुण्डों ने पीटा लेकिन उनके विरुद्ध आगरा की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और

(3) राजस्थान में कच्छा बनाम घीरू गिरोह आजाद नगर सेवरथाना का लूट और चोरी कर रहा है, उसके लिये 100 पुलिस के लोगों को राजस्थान में थाना सेवार के ग्राम आजाद नगर भेजा गया था । लेकिन वहां के बावरियों को उसका नाम पता न कोई पुलिस कर्मी जानता था न किसी को कोई पहचानता था और न उनके वारंट ही पुलिस के पास थे । वहां के बावरिया जाति के लोगों द्वारा पुलिस के लोगों को पीटा गया । इस तरह से पुलिस को बड़ी बदनामी हुई । आगरा की पुलिस बिलकुल निकम्मी और निष्क्रिय हो गयी है । वह निर्दोष लोगों को मार रही है और गुण्डों को रखकर गुण्डागीरी करवा रही है । ऐसा मालूम पड़ता है कि आगरा में पुलिस का अस्तित्व समाप्त हो गया है ।

इसी कारण थाना ढोकी के अन्तर्गत ये हत्याएं हुई हैं । इसी थाने के अन्तर्गत एक माह पहले विधायक श्री विजय सिंह राणा की राइफल और बन्दूक चोरी हो गयी । लेकिन पुलिस ने उसको गम्भीरता से नहीं लिया और उस घटना के बाद से उनकी रायफल और बन्दूक को बरामद कराने की चेष्टा नहीं की गयी ।

मान्यवर, जहां पर विधायकों के यहां चोरी हो सकती है, गांवों में लूटमार हो सकती है, निर्दोषों को मारा जा सकता है, जहां पुलिस खुद जुल्म करने पर उतर आती है, वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति को समझा जा सकता है । वहां पर आम तौर पर कानून व्यवस्था समाप्त सी हो गयी है । मान्यवर, यह 20 सितम्बर का मामला है । मान्यवर, इसी सितम्बर के महीने में आगरा में हत्या, लूटपाट, डकैती, चोरी, सामूहिक हत्या आदि की घटनायें इतनी भारी तादाद में हुई हैं कि वहां का जनजीवन अपने को बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है । मान्यवर, यह मामला अत्यन्त लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है, इस पर सदन की कार्यवाही रोककर, अविलम्ब चर्चा करायी जाय ।

मान्यवर, जब तक वहां पर वर्तमान एस0 पी0 रहेगा, तब तक दहेशत लूटता रहेगा । मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डी0 जी0 इसमें स्वयं दिल-चस्पी लें और आगरा जाकर वहां की पुलिस व्यवस्था को देखें तथा वहां के अधिकारियों को सचेष्ट करके कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक बनाने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही करें ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, यह जो प्रकरण है, उसमें दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की भी गिरफ्तारी की जा रही है । 82/83 की कार्यवाही हो गयी है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में जो "अन्य हत्याओं के संबंध में" जिक्र किया है, उसके लिये सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जो 82/83 की कार्यवाही हुई है, उसमें तो चारपाई बिस्तर आदि उठाने की बात आ गयी होगी, उसमें प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, विवेचना के दौरान एक श्री प्रेम सिंह जाटव का नाम प्रकाश में आया है, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं इस सदन के संबंध में कोई उत्तर देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, कल से और आज भी देख रहा हूं कि कार्य स्थगन के प्रस्ताव जो आ रहे हैं, वह गृह विभाग के ज्यादा आ रहे हैं । जब से माननीय सुशीला रोहतगी जी गृह मंत्री बनी हैं, तब से इनके विभाग के प्रस्ताव ज्यादा आ रहे हैं, क्या दूसरे विभाग वैसे ही रह जायेंगे ? माननीय बदन सिंह जी को कम से कम ख्याल रखना ही चाहिये । मान्यवर, कृपया करके कोई ऐसी व्यवस्था करें कि यह कुछ कम हो जायं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह–

आप भी हिस्सेदारी कर लीजिये ।

श्री सत्यपाल सिंह–

डाक्टर साहब आप भी इसी ग्रीन लिबास में आने लगिये ।

(श्री अमर चन्द्र के खड़े होने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, क्या उनके अलावा भी दूसरे सदस्य बोल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

जिनके सूचना पर हस्ताक्षर होते हैं, उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन, कभी-कभी अन्य किसी माननीय सदस्य को भी अवसर दे दिया जाता है। माननीय सदस्य जो खड़े हैं आगरा के ही हैं, शायद कोई नयी जानकारी देना चाहें, इसलिये उन्हें अवसर दे रहा हूं ।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, यह जो विषय यहां पर उठा है ।।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जिन लोगों को सरकार ने सदन में तबला बजाने का ही काम सौंपा रखा है, वह बोलेंगे भी ।।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, छक्कू की घड़ी, थाना डौकी में यह जो हत्याकांड हुआ है, मेरे क्षेत्र में लड़की ब्याही है, उसकी भी उसमें हत्या कर दी गयी । मान्यवर, मैं 3-4- दिन पूर्व, वहां मातमपुर्सी में गया था, वहां मैंने देखा कि गांव के लोग काफी भयभीत थे। उनका कहना था कि जो फरार है उनके द्वारा आक्रमण हो सकता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे गांव तासौर, थाना मनसूखा का पूरा तहसील बाह, जनपद आगरा में जगदीश शर्मा के परिवार को, सुरक्षा गार्ड दिलाने की कृपा करेंगे ।।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, नियम 56 आप इस सदन में बहुत दिनों से सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं । मान्यवर, जब से सुशीला रोहतगी जी गृह मंत्री बनी हैं, मैं देख रहा हूं और अभी यहां पर सहारनपुर की बात कही गयी, आगरा की बात कही गयी । केवल वही की स्पेसिफिक बात ही नहीं, आज सारे जनपद के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, जिस पर हमारे माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं । श्री विजय सिंह राणा के यहां चोरी की बात माननीय सदस्य ने कही, मैं बताना चाहता हूं कि उनके यहां चोरी नहीं , बल्कि डकैती पड़ी, लेकिन रिपोर्ट चोरी की दर्ज हुई, 4 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गयी । मान्यवर,

आज पुलिस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है । आज सुबह आगरा जनपद का एक आदमी मेरे पास आया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में शैडो है, उसकी मदर की हत्या कर दी गई । इसमें 396 की रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी । मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं के समाधान के विषय में अपने आई0 जी0 को भेजकर कोई उचित व्यवस्था करें और केवल आगरा में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

माननीय, 4-5 चीजें बड़े स्पष्ट रूप से इस सदन में आयी हैं । पहली यह है कि माननीय सदस्य ने इलाहाबाद के बारे में बताया, आगरा के बारे में ध्यान आकर्षित किया । मैं कहना चाहूंगी कि जब यह सत्र समाप्त हो जाये और हमारे माननीय सदस्य चुनाव वगैरह से खाली हो जायें, तब डिवीजन हर जगह के माननीय सदस्यों को आमंत्रित कर, उनके सुझाव प्राप्त करके स्थिति को सुधारने के बारे में विचार विमर्श करूंगी । जैसा अम्मार भाई ने अभी यहां पर कहा, इसमें ईर्ष्या का कोई प्रश्न नहीं है । अगर कुछ समस्यायें हैं, हमारी पुलिस में कमी है, तो उसके लिये हम लोग आपस में बैठकर उचित तरीके से, सहयोग के तरीके से विचार करेंगे । अभी हमारे माननीय सदस्य ने आगरा की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं माननीय सदस्य से उसका डिटेल ले लूंगी और तुरन्त वायरलेस के माध्यम से, जो भी उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होगी, बात करके प्रदान करवाऊंगी। आप हमारे चैम्बर में आकर मुझे सूचना दे दें । अभी यहां पर यह कहा गया कि सुशीला जी नई-नई मंत्री बनी हैं, हां यह बात सही है कि मैं इस प्रदेश में नई मंत्री बनकर आयी हूं, लेकिन मैं अपने माननीय सदस्यों से बड़ी नम्रतापूर्वक इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि मैंने नगरपालिका का चुनाव भी जीता है और मैंने गली-गली घूमकर नाली, पानी, कूड़ा सभी कुछ देखा है और मैं जनता की समस्याओं को अच्छी तरह समझती हूं, मेरा भी संसदीय परम्परा का थोड़ा बहुत 30 वर्ष का अनुभव है । मैं इन समस्याओं का समाधान करने के लिये आपकी भावनाओं का आदर करते हुये आप सभी का सहयोग चाहूंगी ।

श्री सत्य पाल सिंह–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि चुनाव के बाद वह विचार-विमर्श कर लेंगी उससे मैं सहमत हूं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्यों ने यहां पर उदाहरण दिया है, और स्पैसिफिक बातें कही गयी हैं, उनके संबंध में वहां के डी0 आई0 जी0 तथा एस0 एस0 पी0 को विशेषकर निर्देशित कीजिए, कि वह तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

ठीक है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज इस आदरणीय सदन में पुलिस की बर्बरता से सम्बन्धित कारनामों की चर्चा की गयी । इसी तरह की एक घटना की ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । पिछली 2 अक्तूबर, को जब पूरा राष्ट्र अंहिसा के पूज्य प्रतीक बापू की जन्मतिथि मना रहा था, उसी दिन थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर की पुलिस ने एक निरपराध आदमी, जिसका कोई अपराध नहीं था, न ही कोई आपराधिक इतिहास था अपने क्षेत्र के प्रख्यात पहलवान को पुलिस वाले पीट-पीट कर मौत की गोद में सुला रहे थे । थाना मोहमदी के दो पुलिस कर्मी श्री केदारनाथ व श्री रोशन लाल उस गांव पहुचे । एक झूठी शिकायत पर वहां के सम्भ्रान्त नागरिक श्री शोमेन्द्र सिंह को पकड़कर इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया। अब आप पुलिस की और हृदयहीनता को देखें कि उन्होंने इस मामले को बदलने के लिए उस अधमरे शव को खेत में फेंक दिया। जब लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने कह दिया कि यहां पर कोई बड़ा उत्पात होने जा रहा है । पूरे गांव ने अपनी स्थिति बताई । वह व्यक्ति वहीं पर मर चुका था । मान्यवर, जो दो सिपाही गये थे, जब उन्होंने पूरे क्षेत्र में जनारोष देखा तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया । जिन अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने इस क्राईम को मिनिमाईज करने की चेष्टा की, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब गृहमंत्री जी भाषण देने के लिए खड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा कि पुलिस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है । अब यह कैसा प्रयास किया जा रहा है । यह पुलिस जो अपराधशील लोग हैं, उनको छूट देते चली जा रही है, लेकिन जो अच्छे व सम्भ्रान्त लोग हैं, उनको प्रताड़ित करती है । अभी कुछ दिन पहले सत्तारूढ़ दल की ओर से छात्रों का प्रदर्शन हुआ । मैंने जब अपनी आंखों से जनपद की तरफ देखा तो एक इनकी ट्रक खड़ी थी, उसके आगे दो स्कूटर खड़ी थी स्कूटर वाले चाय पीने चले गये, उनका क्या दोष था । उनकी स्कूटरों को इस तरह से तहस-नहस किया गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता । खूंचे वालों को लूटा गया और राहगीरों को लूटा गया ।

जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य बैठे-बैठे आर0 एस0 एस0 की बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने आर0 एस0 एस0 के साथ गठबन्धन करके उन्हें अपने में मिला लिया था तो वह एक अलग बात है । मान्यवर, इस घटना को देखकर मैं स्वयं दारुलशफा के नजदीक पुलिस चौकी में गया। मैंने वहां पर कहा कि यह सब आपके आंखों के सामने हो रहा है, तो वहां के जो प्रभारी थे, तो उसने मुझसे कहा कि आप तो गुप्ता जी समझदार व्यक्ति हैं । इस पर मैंने उनसे कहा कि यही मेरी भूल है । उसने कहा कि आप जानते नहीं कि यह सत्तादल के लोगों के सामने उत्पात हो रहा है। मैं उन लड़कों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता हूं । पुलिस वालों के सामने स्कूटर जलाये जा रहे हैं, खोंचे वालों को लूटा जा रहा है और राहगीरों को लूटा जा रहा है और सत्तादल के विधायक वहां पर खड़े हैं । यदि इनको गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है तो भगवान के नाम पर कम से कम शान्ति-व्यवस्था के नाम पर तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए था । यह इनकी पुलिस का दोहरा मानदण्ड है । मैंने जिस घटना का यहां पर जिक्र किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, उस पर बल देते हुए पुनः कहना चाहता हूं कि पुलिस पर इस प्रकार का अंकुश लगाया जाये, जिससे शांतिप्रिय व सम्भ्रान्त व्यक्तियों का सम्मान बरकरार रहे, उन्हें प्रताड़ित न किया जाय ।

दूसरा, यह कि जिस मामले को मैंने यहां पर उठाया है मेरी जानकारी में आया है कि जनता के दबाव पर जिस आदमी की मार से वह व्यक्ति मर गया था, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, यह एक अच्छी बात है। लेकिन जिस पुलिस कर्मियों ने इसे दबाने का प्रयास किया था जिन पुलिस कर्मियों की इसमें साजिश रही है, मेरे पास एक जानकारी और है, सत्तादल के दलाल, पुलिस के दलाल जो 2-3 व्यक्ति वहां पर बैठे रहते थे, उनके नाम मेरे पास हैं, उनके खिलाफ भी सी0 आई0 डी0 कार्यवाही होनी चाहिए । जो थाने के प्रभारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए । मेरे पास यह भी जानकारी है कि उस क्षेत्र के विधायक श्री वंशीधर राज जी खुद मौके पर गये थे उन्होंने खुद पुलिस के खिलाफ दुख प्रकट किया है । उन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें । अगर अंकुश नहीं रखा जायगा तो ये पुलिस के लोग जिनको रक्षक का भार दिया गया है, वे भक्षक बन जायेंगे ।

श्री सईदुज्जमा–

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जिस गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें जुडिशियल इन्क्वायरी के आदेश कर दिये गये हैं, चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जुडिशियल इन्क्वायरी के सिलसिले में मेरा तजुर्बा है कि . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप उन्हें कह लेने दें, अपने तजुर्बे की बात उन्हें न बतायें ।

श्री सईदुज्जमा–

तो मैं बता रहा था कि चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की मैजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी हो रही है ।

(पहले ''जुडिशियल इन्क्वायरी'' और बाद में ''मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी'' कहे जाने पर घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

इसमें मा0 मंत्री जी का दोष नहीं है। यह ''जुडिशियल'' और ''मैजिस्टीरियल'' का अन्तर ही नहीं जानते हैं, यह तो ''पुलिसियल'' इन्क्वायरी जानते हैं क्योंकि यह थाने से सम्बन्धित रहे हैं । इसलिये अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि इनको क्षमा किया जाय ।

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

थाना मोहम्मदी खीरी पर दोनों तरफ से अपराधिक मुकदमें दायर किये गये थे, लेकिन इन लोगों की तरफ से मृतक के पिता की तरफ से जो रिपोर्ट आयी है, उसके

आधार पर सिपाही श्री रोशन लाल और श्री केदार वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया है । मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दी गयी है और यह अभी चालू है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने यह मांग की थी कि मृतक के पिता की एफ0 आई0 आर0 पर जो 302 का मुकदमा आया है वह तो सही है लेकिन मैं पूरे थाने के आचरण पर सन्देह कर रहा हूं। वहां पर कुछ लोगों का एक माफिया गिरोह है, जिसके अन्तर्गत पुलिस काम कर रही है । आप इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करायें । यह तो जब जनता ने प्रदर्शन किया तब धारा 304 के बजाय 302 लगायी गयी है । आप इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करा लें । जब कोई ऐसा हादसा होता है तो मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी तो होती ही है इसमें कौन सी खास बात है। इसमें पुलिस का डी0 एस0 पी0 इन्वाल्ड है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

इसमें मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी चल रही है सोमेन्द्र सिंह के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है । सोमेन्द्र सिंह के बारे में कुछ जानकारी हमें मिली है, उसे अभी यहां कहने से कोई अधिक लाभ नहीं है अभी इन्क्वायरी चल रही है, उसे चलने दें यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैजिस्ट्रियल इनक्वायरी से कोई लाभ नहीं होगा । मैजिस्ट्रेट तो खुद वहां पर पहुंचा हुआ था, उसने पहुंचते ही लोगों को प्रताड़ित करने की चेष्टा की, वह क्या जांच करेगा?

श्री उपाध्यक्ष–

302 के संबंध में मुकदमा तो दर्ज हो गया है, इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

302 वाला मामला छोड़कर वहां जो साजिश की गयी थी माफिया गैंग के तहत उसके बारे में मैं आश्वासन चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी इस ओर भी ध्यान देंगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मैंने मान्यवर, अभी बतलाया कि सोमेन्द्र सिंह के बारे में मुझे पता चला है, उनका चालान किया गया है, उनके बारे में अलग-अलग तरह की राय हैं, मैं वह सब चीजें यहां नहीं कहना चाहती हूं। किसी माफिया गैंग को इसमें प्रोटेक्शन देने की बात नहीं है और न इसका कोई प्रश्न ही उठता है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू करने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश का काश्तकार त्रस्त है। उस अधिनियम के तहत यह निश्चित किया गया था कि राज्य सरकार के और काश्तकार के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा लेकिन आगरा में रसीदपुर कनैटा तथा

दतौंजी और जौनपुर में तहसील मछलीशहर व किसुवा खास आज भी जमींदारी की प्रथा से ग्रसित है। वहां का एक-एक आदमी जमींदार के जुल्म का, उत्पीड़न, आतंक का तथा बेगार का शिकार है। वहां के लोग बुरी तरह से परेशान है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगणों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1940 में इसी विधान सभा में एक प्रस्ताव पेश हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश उन्मूलन लागू किया जायेगा। मुझे बड़ा दुख है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आगरा में रसीदपुर कनैटा तथा दतौंजी और जौनपुर में घिसुवाखास में और तहसील मछलीशहर में वाराणसी की अनेक जगहों पर आज तक इसे लागू नहीं करा सकी है और वहां पर आज भी जमींदारी की प्रथा कायम है । रसीदपुर कनैटा में पीने के पानी के लिए कुंआ नहीं कोई खोद सकता है और न सिंचाई के लिए नलकूप बनवा सकता है। वहां पर गांव प्रधान जरूर है लेकिन वहां की पूरी जमीन गांव सभा के नाम न होकर जमींदार के ही पास है, प्रधान बिना गद्दी का है । वहां पर जमींदारों ने गांव समाज की भूमि पर कब्जा कर रखा है, यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की अवमानना है और सरकार अपनी जमींदारी विनाश उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम को वहां पर लागू करने में असफल रही है। वहां भारत स्टोर के नाम से एक संस्था है जो रोजाना जमींदारी बोंच रही है और वहां जमींदार पैदा हो रहे हैं, यह एक अभिशाप और कलंक है उत्तर प्रदेश सरकार पर। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का काम रोक कर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में अभी तक जमींदारी उन्मूलन में पूर्ण नहीं है जहां प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहीं पर आगरा और जौनपुर में, जहां के मा0 राजस्व मंत्री जी है उनके घर में ही सेंध लगी हुई है। उनके घर में भी सेंध लगी तो बनारस, जौनपुर और आगरा में आज भी ऐसे स्थान है, जहां पर यह जमींदारी विनाश उन्मूलन कानून लागू नहीं है और ऐसे स्थानों पर कोई संस्था है भारत स्टोर नामक बिचौलियों के रूप में जो अपने कानून वहां लागू किए हुए है, तो ऐसे लोगों को हमारे प्रदेश के गरीब किसानों से मुक्ति दिलाएं, इसी प्रकार से हमारे यहां बलिया के दियार क्षेत्र में भी यह कानून लागू नहीं है, वहां पर भी इस प्रकार से सीमान्त शाही जोरों पर है, इसलिए माननीय मंत्री जी प्रदेश के अंदर ऐसे जितनी संस्थाएं जहां-जहां है, जानकारी प्राप्त कर तत्काल कोई ठोस कदम उठाए।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मा0 वर्मा जी व मा0 मैनेजर सिंह जी ने जो बातें कहीं है, इससे मैं काफी हद तक सहमत हूं कि इस प्रकार की समस्त उत्पीड़न कार्यवाहियों, सीमान्त शाही व फ्यूडरलशाही को समाप्त करने के लिए जो सन् 52 में जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम बनाया गया था, वह आज भी कहीं-कहीं पर पूरी तरह से लागू नहीं है, जिस कारण ऐसी उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, कहीं-कहीं पर सरकार इस ओर पुनः जानकारी प्राप्त कर इस ओर सख्त से सख्त कार्यवाही करने

के लिए तैयार है, जहां कोई ऐसी चीज सामने आयेगी, साथ ही जिन लोगों के साथ ऐसी उत्पीड़न की कार्यवाही जहां-जहां की जा रही, उनकी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की जायेगी।

एक सदस्य–

महमूदाबाद के बारे में क्या कह रहे हैं, जहां इस प्रकार की कार्यवाही आये दिन होती रहती है। (हंसी)

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी है, बस्ती जिले के 184 लोग देशव्यापी वामपंथी आन्दोलन को लेकर गिरफ्तार थे, 18 तारीख को सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज हुआ। तीन बैरेक्स में यह 184 लोग थे, इन बैरकों से निकाल-निकाल कर लोगों को मारा गया। लगभग 7 बजे यह घटना शुरू हुयी और 9 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहता। इस प्रकार से 182 लोग जेल के अधिकारी/कर्मचारियों के लाठी चार्ज से घायल हुए, जिसमें से मार्क्सवादी पार्टी के नेता श्री राम दुलारे सिंह और भाई कमालुद्दीन साहब व अन्य 40 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं और यह घटना किसी सड़क या किसी थाने की नहीं थी यह ऐसे लोगों के साथ घटी जो किसी प्रकार के अपराधी न थे, सत्याग्रही लोग थे, राजनीतिक लोग थे, प्रदेश के हित में प्रदेश की जनता के हित में उचित मांगों को लेकर गिरफ्तार किये गये थे, जो जेल में अदालत की एक अमानत थे, जिन पर बुरी तरह से अमानवीय व्यवहार का सबूत देते हुए लाठियां चार्ज हुई और उन्हें जमीन पर पीट-पाट कर बुरी तरह से गिरा दिया गया। ऐसे व्यवहार तो ब्रिटिश राज्य में भी सत्याग्रहियों के साथ नहीं किया गया था यह मान्यवर, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है बल्कि लोकतंत्र की हत्या की गयी है, आपको इस मामले में शीघ्र ही विचार करना होगा क्योंकि तभी से बस्ती बन्द का अह्वान चल रहा है, सारे विपक्ष के लोग इस पर धरना दिए हुए हैं, और पूरे जनपद में इस मामले को लेकर रोष व्याप्त हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है, जिस पर सदन में चर्चा होनी आवश्यक है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है। आजाद भारत में शायद पहली बार एक सौ छियासी आदमियों को बस्ती जेल में बन्द थे, मारा गया, कोई बचा नहीं। 40 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। 25 लोग जो बन्दी थे वह सुपीरियर क्लास के इनटाइटिल्ड थे, एक दिन पहले मांग की और धरना दिया। इस पर जेल के अधिकारी नाराज हो गये और उन लोगों ने बैरकों से निकालकर सत्याग्रहियों को मारा जिसमें 40 आदमी घायल हुए। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर घटना है कि जेल में इस तरह से बन्दियों को मारा गया है आन्दोलनकारियों से इस तरह का व्यवहार किया गया है लोकतंत्र में हर नागरिक को आन्दोलन करने का अधिकार है। सरकार की दमनकारी नीति प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है और सरकार के लिए अत्यन्त शर्मनाक है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप निर्देश दें कि तत्काल जेल के सारे कर्मचारियों को निलम्बित किया जाये और इस घटना की सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जाय। मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय पर आप सदन में चर्चा करावें और बस्ती के मा0 सदस्यों को जिन्होंने इसमें दिलचस्पी ली है उनको सुन लें।

श्री राज किशोर सिंह–

मैान्यवर, बस्ती जिला जेल में 18 सितम्बर की घटना है 4 बामपंथी दलों की तरफ से पूरे देश में बड़े पैमाने पर किसानों और मजदूरों के सवाल को लेकर जेल भरो आन्दोलन का कार्यक्रम चलाया गया था उसी के तहत बस्ती में सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 आई0 एम0 के कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन किया जिनको 7 दिन की जेल हो गई। 18 तारीख को जेल का जेलर और वार्डर मिलकर बैरकों में घुसकर सत्याग्रहियों को पीटा जिसमें एम0 सी0 पी0 आई0 के स्टेट कमेटी के सदस्य, बस्ती पार्टी के मंत्री राम दुलारे सिंह का हाथ तोड़ दिया और सी0 पी0 आई0 के मंत्री जमालुद्दीन का पैर तोड़ दिया और 44 लोग बुरी तरह से घायल हो गये। आज तक उन जेल अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी मांग है कि उनको मुअत्तल किया जाये और इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जाये। मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मित्रसेन–

माननीय सदस्यों ने जो बातें जेल के सत्याग्रहियों के संबंध में कहीं, उनको मैं सुन रहा था लेकिन मैं वह प्रश्न उठाना चाहता हूं जो सभी से छूट गया है। जेल के अधिकारियों ने सत्याग्रहियों को बुरी तरह से पीटा, उन पर लाठी चलायी और उल्टे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई है। अपने अपराधों को छिपाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है। उनका अपराध केवल यही था कि जिन सुविधाओं के लिए वह पात्र थे उनकी वह मांग कर रहे थे और जेल अधिकारी उनकी मांगों को नहीं मान रहे थे। इसीलिए 17 तारीख को उन्होंने जेल में ही धरना दिया और मांग की कि उन्हें बी क्लास की सुविधायें मिलनी चाहिए। उन सुविधाओं को न देने के लिए जेल अधिकारियों ने यह कुकर्म किया है और फिर उल्टे मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। आपको चाहिए कि इसके सम्बन्ध में निष्पक्ष कार्यवाही करें और इस घटना की सी0 आई0 डी0 से जांच करावें और जो लोग दोषी हों उन्हें मुअत्तल किया जाये।

*श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बस्ती जेल की जो घटना है वह यह है कि सभी दल के लोग आन्दोलन चला रहे थे, उसके सिलसिले में गिरफ्तारियां हुई थीं और लोग जेल में गये और उन्हें जेल में बन्द किया गया। उन्होंने 17 तारीख को प्रथम श्रेणी के लिए मांग किया जिसके लिए वह पात्र थे। इससे जेल अधिकारी उग्र हो गये। 18 तारीख की सुबह 7 बजे जब दातून की मांग की गई जेल मैनुअल के हिसाब से तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यही नहीं, उसके बाद उत्तेजित होकर उन पर पगली लगा दी गई और उन पर लाठी चार्ज किया गया। बुरी तरह से वहां के राजनीतिक बंदियों को कम्बल में लपेट कर लाठियों से पीटा गया। मैं भी वहां जेल में गया था इन लोगों की पीठ पर फफोले पड़े हुये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी डाक्टरी जेल में नहीं की गई, उनको दवा नहीं दी गई, उनको जिला अस्पताल में नहीं भेजा गया, जिनकी एफ0 आई0 आर0 लिखी गई उनको कोतवाली

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बस्ती में नहीं भेजा गया । उनकी डाक्टरी कराने के लिये एस0 पी0 को दरखास्त किया अगया लेकिन एफ0 आई0 आर0 पुलिस कीर्मयों के खिलाफ दर्ज नहीं की गयी। मैं चाहूंगा कि एसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाय और उनको निलम्बित कर पूरे प्रकरण की जांच की जाय जिससे एसी घटना की पुनरावृत्ति न हो मैंने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से बात की थी उन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया । मान्यवर, यह कहा गया कि वह ताला तोड़ रहे थे . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । औरों का भी ध्यान रखें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उन राजनीतिक बंदियों पर यह आरोप लगाया गया कि वह ताला काट रहे थे सुबह 7 बजे । रात में ताला नहीं काटे, दिन में नहीं काटे, सुबह 7 बजे ताला काट रहे थे । इन्होंने खुद ताला काटकर यह मामला एसा बना दिया है । इसलिये मान्यवर, मुझे आशा है कि आप अविलम्बनीय महत्व के विषय पर आज की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें और इसकी जांच करा दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह मेरे जिले की सबसे बड़ी घटना इस वर्ष की है जिसके बारे में सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि आप इस पर चर्चा करा दें जिससे यह साफ हो जायेगा कि कौन सा पक्ष दोषी है। इसीलिए मैं इस पर आज का कार्य रोक कर चर्चा कराने की मांग पर बल देता हूं ।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, यह एक गम्भीर बात है । बस्ती की जेल में 182 जो बन्द हुये थे उनको मारा पीटा गया । श्री रामा दुलारे सिंह जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके फ्रेक्चर हो गया और डाक्टर जमाल को मारा गया । माननीय सुखपाल पाण्डे जी वहां गये थे उन्होंने देखा कि बैरकों में खून के धब्बे पड़े हुये थे । सबसे अफसोस की बात यह है कि इस प्रदेश के एक मंत्री जगदम्बिका पाल उस समय बस्ती में मौजूद थे उनसे कहा गया कि आप जेल में जाकर देखिये । उन्होंने इस बात को नहीं सुना । बस्ती के कलेक्टर से भी कहा गया । वहां पर जेलर सक्सेना है, उनको सस्पेंड होना चाहिए । इसलिये मैं इस सारे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से करने की मांग करता हूं । इस वजह से आज बस्ती में तनाव का वातावरण फैला हुआ है । 186 लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया । इस तरह की ज्यादती पहले वहां पर कभी नहीं हुई ।

श्री अम्मार रिजवी–

उपाध्यक्ष जी, जो प्राइमाफेसी केस है जो सूचना माननीय सदस्यों द्वारा मेरे पास दी गई है उसको देखने से पता चलता है कि यह काफी गम्भीर मामला है और सूचना अभी विभाग से प्राप्त नहीं हो सकी है। मेरा ख्याल हो कि वह जल्दी आ जायेगी । माननीय सदस्यों की इस पर चर्चा कराने की जो भावना है वह तब उचित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा जब सारी बातें सामने आ जायेंगी । दूसरा प्रश्न यह है कि इस पर अब क्या किया जाय । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक कोई जांच हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है । अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो इस पर फिलहाल हम मैजिस्टीरियल जांच करा देंगे . . . (व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, इसकी न्यायिक जांच करा दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

ठीक है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा दी जायेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब ढाई बज रहा है, अभी काम बहुत है संक्षेप में कहें . . . . . (व्यवधान) आपके ही साथी बीच में खड़े हो रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आज जितने कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण है जिसे आपने 7वें नम्बर पर लगाया है । गाजीपुर के देवकली गांव में सुरेश भर डकैत गिरोह ने 8 व्यक्तियों की हत्या कर दी । यह इस तरह के नरसंहार की बहुत बड़ी घटना है । इससे पहले भी इस गिरोह के द्वारा इस तरह की कार्यवाही होती रही हैं और पुलिस को इसकी सूचना भी दी जा चुकी थी उसके बावजूद पुलिस उदासीन रही सुरेशभर डकैत का गिरोह और पुलिस के लोग मिले हुये हैं उनकी साजिश से ही यह काम करता है क्योंकि उसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है । यह गिरोह उस इलाके में तबाही करता आ रहा है । इस बार उसने देवकली गांव में 8 लोगों की हत्या कर दी टेलीफोन पर इसकी सूचना पुलिस को 7 बजे भेजी गयी और वहां पुलिस 9.45 बजे या लगभग 10 बजे आई । पुलिस ने उसे लूटपाट करने का तीन घंटे का अवसर दिया और वह लोगों को घायल करता रहा जिसमें 8 लोगों की जानें गयीं और 8 लोग घायल हैं । आज सारे जमनियां तहसील में कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न है । इतनी गम्भीर घटना होने के बाद भी वहां के लोगों को कोई राहत नहीं दी गयी है । उस इलाके में सड़कों का अभाव होने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के डकैतों के गिरोह वहां सक्रिय हैं और आतंक मचाये हुये हैं । इसलिये मेरी मांग है कि इस घटना पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय । जो लोग मारे गये हैं उनके आश्रितों को सहायता दी जाय, नौकरी दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री औसान सिंह के खड़े होने पर) बहुत समय हो गया है मैं इसका जवाब दिलवा देता हूं ।

श्री अौसान सिंह–

मान्यवर, हमें भी अवसर मिलना चाहिये अपनी बात कहने का । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई विषय हो नहीं सकता है । गाजीपुर के देवकली गांव में 8 लोगों की पुलिस के संरक्षण में डकैतों ने हत्या कर दी । यह मेरा आरोप है कि पुलिस का संरक्षण उसे प्राप्त है । इस घटना की पुलिस को सूचना दी गयी लेकिन वह वहां तीन घंटे बाद पहुंची । इससे पहले भी इस तरह की घटना की आशंका के बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । इससे स्पष्ट है कि पुलिस का उसे संरक्षण प्राप्त है । इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वहां का दरोगा आज भी वहीं बना हुआ है । घटना के समय भी केबिल से, टेलीफोन से सूचना दी गयी लेकिन तीन घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंची और बदमाश लूटपाट करते रहे और 8 लोगों की नृसंश हत्या की गयी । आज के लिये कार्यस्थगन का इससे ज्यादा महत्व का और कोई विषय नहीं हो सकता है । वैसे भी आपने देखा होगा कि आज जितने भी कार्यस्थगन आये हैं वह सभी पुलिस की बर्बरता के सम्बन्ध में है । इससे लगता है कि इस प्रदेश में कोई कानून का राज्य नहीं है, डकैतों का राज्य है और पुलिस उन डकैतों को संरक्षण देती है । मेरी मांग है कि इस पर चर्चा कराई जाय और दोषी पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की जाय । पुलिस कर्मियों को तुरन्त निलम्बित किया जाय ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जिस बड़ी घटना की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी खुद देवकली गांव गया था यह बहुत ही तकलीफदेह घटना है । मैंने जाकर गांव वालों से बात की और उनको जो भी सहायता हो सकती थी दी गयी । इस घटना से संबंधित 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिये गये हैं बाकी की तलाश जारी है । वहां के हमारे अधिकारी और पुलिस कर्मी सतर्क कर दिये गये हैं और कहा गया है कि इसकी गम्भीरता को देखते हुये जो मुलजिम रह गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें । और इनकी जो वहां सेफ्टी सुरक्षा हो सकती है उसका इंतजाम कर दिया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मंत्री जी ने जिनकी गिरफ्तारी बताया है उसमें सुरेशभर गिरोह का एक आदमी नहीं है बल्कि वे लोग गिरफ्तार किये गये हैं जो निर्दोष हैं । क्षेत्रीय जनता को पुलिस आतांकित करके फर्जी मुकदमें में चालान कर रही है और डकैतों से पैसा लेकर डकैतों को छोड़ दिया और बिहार भेज दिया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सुरेशभर और उसके गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया जाये ।

दूसरी मांग है कि चूंकि सुरेश गिरोह का स्थानीय थानाध्यक्ष को पैसा बंधा है इसलिए हत्या करने के बाद भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है । पुलिस अधिकारी डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं जिससे दरोगा वहां बना है। जनता का विश्वास स्थानीय पुलिस के प्रति नहीं है । इसलिये मैं जानना चाहता

हूं कि किन परिस्थितियों में उस दरोगा को वहां बनाये रखा है ? मेरी मांग है कि उस दरोगा और संबंधित पुलिस कर्मियों को अविलम्ब वहां से हटाया जाये और नये पुलिस कर्मियों को वहां भेजा जाये और दोषी दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

डी0 आई0 जी0 वाराणसी, आई0 जी0 गोरखपुर और डी0 आई0 जी0 जो प्रशासन में हैं, इन तीनों की मिलीभगत से बिहार के चोर डाकू बलिया में आतंक फैलाये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जांय । व्यवधान न पैदा करें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

इस सम्बन्ध में जैसा कि श्री शाही जी ने कहा दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूं कि वे सभी अनुसूचित जाति के बहुत गरीब निर्धन लोग हैं, उन्हें आर्थिक सहायता पर्याप्त दी जानी चाहिए, जो प्राप्त नहीं हुई है ।

दूसरा सुझाव है कि सुरेश भर के गिरोह का कोई आदमी पकड़ा नहीं गया है क्योंकि पुलिस मिली हुई है । तीन-चार घंटे बाद पुलिस का मौके पर पहुंचना सिद्ध करता है कि पुलिस का गिरोह से मेल है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि जो पुलिसकर्मी घटना के समय थाने पर थे उनको तत्काल हटा दिया जायेगा और जिनके घर के लोग मार डाले गये हैं उनको पर्याप्त मुआवजा और क्षतिपूर्ति दिलाई जायेगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, अभी जो माननीय सदस्य ने कहा मैं केवल देवकली के संबंध में नहीं बल्कि सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि न केवल देवकली बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ संविधान की धाराओं के अनुसार कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

इसमें वह क्या कर रहे हैं, यह तो आप इनसे कहलवाइये ? इसमें 8-8 हरिजन मारे गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप चाहते क्या हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उसको वहां से हटाया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो यहां पर नहीं होगा । किसी को हटाने का निर्णय सदन में नहीं लिया जायगा । (घोर व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मात्र दरोगा को हटाने की बात, स्थानान्तरण तक की बात सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हरदेव जी, आपका सवाल हो गया, वह तो हो गया, अब आप बैठिये । आप बात सुनें । (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, यहां पर हरिश्चन्द्र जी ने दो प्वाइन्ट्स रखें । एक तो ट्रांसफर के बारे में, यह तो यहां नहीं कहना चाहिए, वह अलग मामला है और दूसरा क्या मामला था . . .

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

दो बात केवल कही गई इस घटना के संबंध में, जो थानाध्यक्ष वहां का था और जो पुलिसकर्मी थे उनका स्थानान्तरण कर दिया जाए और जो लोग मार डाले गये हैं, वे बहुत निर्धन लोग हैं उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए, यह कितनी उचित बात है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो तब जांच के बाद होगा । मैं अब आगे चलता हूं–ब्रह्म दत्त द्विवेदी । (श्री सूर्य प्रताप शाही व श्री औसान सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

(वहीं से) [x x x x]

(कतिपय सदस्यों के प्रयास से श्री सूर्य प्रताप शाही व श्री औसान सिंह अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

श्रीमन्, इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मंत्री जी से । दो सवाल हैं, एक तो, जिनको मार डाला गया, उनके आश्रित परिवार को यह आर्थिक सहायता देंगे या नहीं देंगे और जो पुलिसकर्मी घटनास्थल पर थे, उनका ट्रांसफर करेंगे या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जांच के बाद ही तो पता चलेगा यह । . . . (घोर व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही व श्री औसान सिंह पुनः सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

(वहीं से) [x x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप जांच की मांग करें । वह करायी जायेगी । आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

(नहीं से) [x x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अब कुछ नहीं सुन रहा हूं। आप अपने स्थान पर खड़े होकर कहिए, तब सुनूंगा । (श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी के प्रयास से फ्लोर पर आये सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री गोपीनाथ–

मेरा व्यवस्था का सवाल आप ले लीजिए, मैं उसे उठा रहा हूं . . (व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जांच कराई जाएगी कि सरेआम देवकली में 8 लोगों को डकैतों ने मार डाला और इतने लोग घायल हुए । क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? . .

क्या इस बात की जांच करायेंगे मुख्य मंत्री जी वहां गए । गृह मंत्री जी वहां गये । मुख्य मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने वहां के लोगों की दहशत को देखा है । इस तरह की घटना हुई और तीन घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंची । वहां की जनता कहती रहती है कि वहां के थानाध्यक्ष और डकैतों में सांठ-गांठ है । क्या यह इस बात की जांच करायेंगे कि मृतकों को मुआवजा दिया जाय ? मान्यवर, हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इस पर गम्भीरता से कार्यवाही करे ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जहां तक मृतकों को मुआवजा देने का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं है । उनको शायद पांच-पांच हजार रुपया दे दिया गया है । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि अगर पांच हजार रुपया काफी नहीं है, तो सदन के बाद हम सब बैठकर बात कर लेंगे । इस मामले में हम पूरी जानकारी करायेंगे अगर इसमें कोई दोषी है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और सजा दी जायगी । इसमें अगर आप सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी कराना चाहते हैं तो मैं सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी कराने को तैयार हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

हमें सी0 आई0 डी0 की जांच नहीं करानी है । आठ आदमी मारे गये हैं इसमें अब आप क्या जांच करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

इस मामले में अभी जांच चल रही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वह दरोगा वहीं पर बना हुआ है वह निर्दोष लोगों को आतंकित कर रहा है जिसकी वजह से जांच में भी बाधा पड़ रही है आठ आदमी मारे गये हैं और आप उसको हटा नहीं सकते हैं ।

(व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सईदुज्जमा–

मैं शाही साहब से दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो मामला उन्होंने रखा है, वह मंत्री जी के कक्ष में आ जायं और बात कर लें । इस मामले से हमें भी दुख है यह किस कदर तकलीफदेह घटना है, इसमें जो सरकार की तरफ से किया जा सकता है वह किया जाएगा । आप मंत्री जी के कक्ष में आ जाएं । इस मामले में गम्भीरता से बात करके समस्या का निवारण किया जायगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री औसान सिंह–

हम दरोगा के निलम्बन की बात नहीं कर रहे हैं, सस्पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं उसके ट्रांसफर की बात कर रहे हैं आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ?

श्री सईदुज्जमा–

जो बात उठाई गई है यह गम्भीर है । इससे पूरे हाउस को तकलीफ पहुंची है आप मंत्री जी के कक्ष में आ जाएं आपकी समस्या का समाधान हो जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इस संदर्भ में वार्ता कब तक हो जाएगी । कब तक इसमें प्रभावी कार्यवाही हो जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप उनसे बात कर लीजिएगा ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपसे इस संदर्भ में आग्रह करना चाहूंगा कि अगर कल मैं इस पर प्रस्ताव लाऊंगा तो आप कहां कि इस पर चर्चा हो गयी है इसलिए इस पर विचार नहीं हो सकता । एक दरोगा के क्षेत्र में 8 व्यक्तियों की हत्या हुई है और 8 लोग घायल हुये हैं । तो ऐसे दरोगा को वहां पर रखने की क्या जरूरत है ? मैं समझता हूं कि उसको वहां रखना हृदयहीनता का सबसे बड़ा द्योतक है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उनके साथ बैठ जायं, आपकी बात हो जायेगी ।

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम पुकारा गया ।)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, इस समय नियम 56 की चर्चा चल रही है जैसे ही यह समाप्त हो जाती है, साढ़े 3 बजे, 4 बजे, जब चाहें आप आयें । हम आपको सुनना चाहेंगे इसमें दो राय नहीं हैं ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल को पुकारे जाने पर)

श्री हरदेव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप दीजिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसको सुन लें नहीं तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जायेगा ।

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है । आप बैठिए ।

श्री हरदेव–

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं । इस पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप धन्यवाद अपने पास रखिए और बैठिए ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, शाही जी के बाद मेरा नम्बर था । क्या क्रम बदल गया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप फिर खड़े होइयेगा । मैं विचार करूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, सदन में कत्ल, खून, डकैती, हत्याओं के महत्वपूर्ण काम रोको प्रस्तावों के बाद मैं जिस कार्यस्थगन प्रस्ताव को रख रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

मान्यवर, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे प्रदेश की राजभाषा है । हिन्दी के बिना हिन्दुस्तान की कल्पना ही नहीं की जा सकती । इसी हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए और उसके त्वरित विकास के लिये, उसकी उन्नति के लिए सन् 1977 में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की स्थापना की गयी थी । उसको एक स्वायतशासी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया । अनेक देश और प्रदेश के अनेक लब्ध-प्रतिष्ठित मूर्धन्य वैज्ञानिक व साहित्यकार उसके पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य बनें, लेकिन उस संस्थान के बनने के बाद से शासन और प्रशासन का हस्तक्षेप लगातार होता रहा और बढ़ता रहा । धीरे-धीरे स्वाभिमानी विद्वान साहित्यकार उससे अलग होते जाते रहे या उदासीन हो गये । 1984 में यह घोषणा की गयी कि अनेक साहित्यकारों को परस्कृत किया जायगा, लेकिन आज 4 साल बीत जाने तक किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया गया। आज स्थिति यह हो गयी है कि उत्तर

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रदेश हिन्दी संस्थान की कार्यकारिणी के अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने जिनमें सर्वश्री विद्या निवास मिश्र, कमलापति मिश्र, भगवती शरण सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह व श्रीमती गौरा पंत शिवानी जैसे दिग्गज साहित्यकारों ने त्यागपत्र दे दिया है और अनेक साहित्यकार त्यागपत्र देने जा रहे हैं । इस प्रकार से आज हिन्दी संस्थान का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है । आज हिन्दी संस्थान दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है और देश और प्रदेश के करोड़ों हिन्दी प्रेमी और देश भक्त की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है । मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को कृपया स्वीकार कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

*शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हिन्दी संस्थान के संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, हमारी मातृ भाषा भी है और हिन्दी के उन्नयन और उत्थान के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और पूर्ण प्रयास हो रहा है कि कैसे हिन्दी भाषा की उन्नति करें और कैसे हम उसके साहित्य का प्रकाशन करें और कैसे उसके साहित्य को उन्नतिशील बनायें और कैसे हम उसकी सहायता करें । हमारी हिन्दी की महान लेखिका स्वर्गीय महादेवी वर्मा जी को अपनी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कर कमलों से भारत भारती पुरस्कार दिया गया और हिन्दी के महान लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी को पुरस्कार दिया गया और जो कोई हिन्दी के उच्च कोटि के लेखक हैं, उनको भी पुरस्कार देने का हमने निर्णय लिया है, जैसे कि हिन्दी के कथाकार अमृत लाल नागर जी, चतुर्वेदी जी आदि लोगों को हमने भारत भारती पुरस्कार देने का निर्णय लिया है और शीघ्र ही उनको पूर्ण रूप से सम्मानित किया जायगा । हम यह भी प्रयास कर रही हैं कि अच्छी से अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन हो । इस तरह से इस कार्य में हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है । इसमें कोई कमी नहीं रहेगी । हां, देर जरूर कभी-कभी किसी काम को करने में अवश्य हो जाती है, लेकिन भावना में कोई कमी नहीं होगी । हिन्दी की प्रगति में और उसके उन्नयन में और साहित्यकारों को पुरस्कार देने और प्रकाशन कार्य आदि के संबंध में हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं और तुरन्त ही हम इस ओर शीघ्र कदम उठायेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, जो 1984 में जिन साहित्यकारों को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गयी थी, वे पुरस्कृत नहीं हुए हैं । इन सबके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा और न ही उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की दुर्व्यवस्था को करने व उसकी स्वायत्तता को बहाल करने के बारे में भी एक शब्द कहा गया है । मान्यवर, इसके बारे में माननीया मंत्री जी को स्पष्ट उत्तर आना चाहिए था ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैंने इस कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह बात उठाई है । श्रीमन्, पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बड़ी गम्भीर स्थिति है लेकिन मैंने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की नाक के तले इस लखनऊ महानगर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

में क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है । मान्यवर, पिछले 3 महीने में इस लखनऊ महानगर में ही कम से कम 40 अज्ञात शव ऐसे मिल चुके हैं जिनको अज्ञात कहा जाता है पुलिस को उसकी जानकारी नहीं है । उनको कभी तो कह दिया जाता है कि वह भिखारी हैं और इसलिए उनको फेंक दिया जाता है, बहा दिया जाता है, जला दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि वह भिखारी हो या कोई अमीर लेकिन अगर किसी की हत्या हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और मरने वाले का, उसके कातिल का पता लगाना चाहिए । चारबाग स्टेशन पर कम से कम 9 लाशें बरामद हुईं, गोमती में लाशें पायी गयीं और महानगर में लाशें पायी गयी है । उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर होता है कि गोली के निशान है, चाकू के निशान हैं । इससे साफ जाहिर होता है कि हत्या हुई है । लेकिन न तो यह पता लगाया जाता है कि हत्या किसकी हुई है और न ही यह कि किसने हत्या की है । आज लखनऊ महानगर में दहशत व्याप्त है लोग गायब हो रहे हैं अब तक दर्जनों लोग गायब हो चुके हैं । उधर लाशें मिलती हैं तो किसी का चेहरा जला दिया जाता है तो किसी को कुचल दिया जाता है जिससे पहचान न हो सके । यह बात सत्य है कि बदमाशों की और पुलिस की सांठ-गांठ से यह सब हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, अपने दुश्मनों की पुलिस की सांठ-गांठ से हत्या कर दी जाय और पुलिस इस महानगर में इस सरकार की नाक की तले यह पता न लगा सके कि कौन निर्दोष मारा गया और मारने वाला कौन था । इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी से वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, जो सूचना है वह एकत्र की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

डाक्टर दिनेश जौहरी, हरीश जी, सरदार सिंह जी और जंयदीप सिंह बरार, मनोहर लाल तथा सुन्दर लाल जी की सूचना पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

ओझा साहब आपकी सूचना पर भी ध्यान आकृष्ट कराये देता हूं, आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, एक करोड़ का मामला है । वह गलत 1.20 लाख लिखा है वह एक करोड़ बीस लाख है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आप कहें तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करा दूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

अगर आप कहें तो दो मिनट में अपनी बात कह दूं । बिना अपनी बात कहे मैं बैठूंगा नहीं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप न बैठें, हरेक आदमी ऐसे कहेगा तो कैसे काम चलेगा ? हरेक की सूचना को नहीं सुना जा सकता है ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मुझे दो मिनट समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ओझा जी, मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया है । सरदार सिंह की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करा दिया है, दिनेश जोहरी की सूचना पर ध्यान आकर्षित करा दिया है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरे मामले में क्या हुआ ?

(समय 3.00)

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । जहां तक ट्रक हड़ताल का मामला है, इसके बारे में कल बात हो गयी है । ट्रक हड़ताल का मसला कल आ चुका है । मैंने आपके मसले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आप मेरे मामले को सी0 बी0 आई0 की जांच के लिए सौंप दें । यह एक चीनी मिल में करोड़ों के घपले का मसला है । उस मिल में आग लगा दी गयी । एक मजदूर मर गया । मैं चाहता हूं इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से करा लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा मसला सारे प्रदेश के किसानों से संबंधित है । यह एक नीति विषयक मामला है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरे मसले में सी0 बी0 आई0 से जांच करा लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

सी0 बी0 आई0 मेरे हाथ में नहीं है । बरार साहब आप भी बैठें । मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

यह पूरे प्रदेश के किसानों से संबंधित मामला है । सरकार सदन में जबाव दे देगी तो क्या होगा ? इतने समय में तो मैं अपनी बात कह लेता । आप इस संबंध में निर्देश दे दें, सदन में बात आ जायेगी । सरकार की नीति सामने आ जायेगी कि सरकार की नीति किसान विरोधी है या उसके पक्ष की है ..

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब 3 बज गये हैं, साढ़े बारह बजे से सुन रहा हूं और कितनी देर सुनूंगा ? मैं कोई समय नहीं दे रहा हूं । सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के किसानों का मामला है । आप सुनना नहीं चाहते हैं । पूरे प्रदेश के 57 जिलों से संबंधित है । आप सुनना नहीं चाहते हैं, क्या वजह है ? इस प्रदेश व्यापी मसले को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरा मसला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार का मसला है । आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ? आज की विधान सभा की कार्यवाही में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है । आप नहीं सुनेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा । बैठूंगा नहीं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, 17 हजार बोरी चीनी का मामला है, सुन लें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें, बड़ा गंभीर मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मैं अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बरार साहब, मैंने आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । आप सब लोग बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, सरकार के लिये इस सदन से अच्छा फोरम और क्या हो सकता है जहां पर वह नीति की घोषणा करे । यह नीतिगत मामला है, सुन लें, दो मिनट में अपनी बात कह लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें, मैं किसी को नहीं सुनूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मैं खड़ा रहूंगा, आप सिर्फ एक मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आभा जी आप जिद्द करते हैं तो मैं एक मिनट भी नहीं दूंगा, आप खड़े रहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 19, मा0 सूर्य प्रताप शाही को बुलाता हूं ।

(श्री जयदीप सिंह बरार, श्री जनार्दन प्रसाद आभा, श्री गोपीनाथ के एक साथ खड़े रहने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें, मैं किसी को नहीं सुनूंगा, अब आगे बढ़ गया हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें, किसानों का करोड़ों रु0 का नुकसान हो रहा है, नीति विषयक मामला है, सुन लें । मैं बाद में कोई इस पर स्पष्टीकरण नहीं पूछूंगा, मान्यवर, सरकार की नीति सामने आ जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आगे बढ़ गया हूं, कोई बात नहीं सुनूंगा ।

श्री गोपीनाथ–

मान्यवर, अब तक आपने सबको 1-1 मिनट सुन लिया होता ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, गम्भीर मसलों को आप नहीं सुन रहे हैं, छोटे-छोटे मामलों को घंटों सुन लेते हैं, दो मिनट सुन लें, 17 हजार बोरी चीनी का मामला है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, सुन लीजिये सदस्यों को, आप तो नाराज से हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण उत्तेजित हैं और मामला 17 हजार बोरे चीनी के घपले का है, इसमें सी0 बी0 आई0 की जांच कराने में आपको क्या हर्ज है ? इसमें जांच हो जाये और दोषी लोग पकड़ जायें, यह तो शासन का ही काम होगा । नेपाल का जो बार्डर है वहां शक्कर चोरी होकर जा रही है, सरकार को तो इसे प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिये, यह तो सरकार के हित का काम है । इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ लीजिये कि उन्हें क्या दिक्कत है अथवा आप सदस्य लोगों की भावना जान लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अस्वीकार कर चुका हूं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आप अपने आदेश को संशोधित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय ओझा जी और बरार जी, जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उसे लेकर वह काफी उत्तेजित हैं तथा गम्भीर भी हैं । मान्यवर, जहां तक चीनी वाले मामले का संबंध है, हमारे चीनी मंत्री जो हैं, उनको भी बुलवाकर माननीय ओझा जी के साथ बैठकर परसों सदन के पूर्व बात कर लेंगे और जो भी कार्यवाही हो सकती है, जिससे ओझा जी संतुष्ट हो जायें, उसको करने का प्रयास करेंगे । माननीय बरार साहब ने जो सवाल उठाया है, वह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह प्रश्न आज नहीं हो सका, लेकिन उपाध्यक्ष जी, आप आज्ञा दें कि इसे कल अवश्य ले लिया जाये क्योंकि यह रीजन विशेष का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों से यह मामला संबंधित है, यह आपसे मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प तथा भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

यह जो अध्यादेश और विधेयक यहां लाया गया है, यह जनविरोधी है । इस प्रदेश की जनता जो पहले ही करों से दबी हुई है, करों से बोझिल है, इस विधेयक के माध्यम से यह उस पर और भार बढ़ाना चाहते हैं । स्टाम्प ड्यूटी पहले से इतनी ज्यादा है कि जनता को किसी भी हस्तान्तरण करने में अनेकों प्रकार की असुविधा होती है । धन की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है । 1985 में ही इस

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेनी प्रसाद वर्मा पीठासीन हुए ।)

जनविरोधी सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी थी, फिर इन तीन वर्षों के अन्तर्गत और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है । वे कौन सी परिस्थितियां आ गईं, जिनके कारण इन्हें स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाना पड़ रहा है । स्टाम्प ड्यूटी की जो वर्तमान दरें हैं, उनमें यह दुगनी वृद्धि करने जा रहे हैं, कई मदें तो ऐसी हैं, जिन पर तिगुनी वृद्धि हो रही है । इस सरकार को जनता का कोई ख्याल नहीं है । इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने के कुछ कारण इसमें दर्शाये हैं विकास संबंधी कार्यकलापों की आवश्यकता हेतु वर्तमान दरों को संशोधित करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण विकास कार्य ठप्प हो गया है । सड़कें नहीं बन रही हैं, कोई ट्यूबवेल नहीं लग रहा है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है । सिर्फ विकास संबंधी वे कार्य किये जा रहे हैं, जिससे माननीय मंत्रियों

व सचिवों की शानों-शौकत पूरा हो सके । यदि मंत्री के यहां एक एयर कंडीशनर लगा है तो दूसरा एयर कंडीशनर कैसे लगे, इस बात के लिए आज इन्हें धन की आवश्यकता है । किसी गाड़ी में यदि मंत्री जी 50 हजार किलोमीटर बैठ गये हैं तो उसकी जगह पर दूसरी नई गाड़ी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इन सारी चीजों के लिए धन जुटाने के वास्ते जनता के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाकर उसे परेशान किया जा रहा है । मान्यवर, 1985 में जो स्टाम्प ड्यूटी पर दरों में वृद्धि की गई थी, वे बहुत ही अधिक थी । वही जनता के बर्दाश्त से बाहर थी । जो इस समय यह जनविरोधी सरकार वृद्धि करने जा रही है, उसमें तो कई मदें ऐसी हैं जिन पर 50 फीसदी से ज्यादा वृद्धि की गई है, एक प्रकार से हन्ड्रेड परसेन्ट वृद्धि की गई है । इस वृद्धि का क्या औचित्य है, इस बिल में यह स्पष्ट नहीं किया गया है । इस स्टाम्प ड्यूटी के मामले में आज सारे प्रदेश में काला बाजारी का सिस्टम बहुत तेजी पर लगा हुआ है । यह पूरी सरकार दोहरी व्यवस्था पर चल रही है । न तो यह कानून के पालन पर विश्वास करती है और न ही उसका पालन करना जानती है । आज पूरे प्रदेश में स्टाम्प का घनघोर अभाव है । 2 रुपये के स्टाम्प पर तीन या साढ़े तीन रुपए खर्च करना पड़ता है ।

आज स्टाम्पस जिला मुख्यालयों कचहरियों व तहसील स्तर पर उपलब्ध नहीं होते हैं । जुडीशियरी व नान-जुडीशियल स्टाम्पस की भी यही स्थिति है । कमीशन लेकर इन्हें दिया जाता है 2/- रुपए के स्टाम्प को 2/- रुपए में मुहैय्या करवाने में यह सरकार फेल रही है । वकालतनामे आदि पर जो टिकट लगते थे, वे डुप्लीकेट छप रहे हैं । फर्जी स्टाम्प के नाम पर करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि सरकार को हो रही है । इन फर्जी टिकटों पर रोक लगाने में यह सरकार फेल हो गई है । इन पर रोक लगाने के बजाय यह सरकार निरीह जनता के ऊपर टैक्स लगाकर एक षडयंत्र रच रही है । हर प्रकार के मामले में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी है । एडाप्सन के मामलों में ड्यूटी बढ़ा दी है । किसी भी प्रकार का ट्रान्सफर का मामला हो, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है । कोई एग्रीमेन्ट होगा, कोई संविदा होगी, उस पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गई है । सारे प्रदेश में लोगों की आर्थिक व माली हालत खराब हो गई है । लोग बैंकों से ऋण लेते हैं कल-पुरजों की खरीद हेतु ऋण लेते हैं, खेती के लिए ऋण लेते हैं, इन सारी चीजों के लिए जो पेपर्स तैयार होते हैं, उन पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गई । यह प्रदेश की जनता के साथ घोर अन्याय है । कई मदों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । यदि मान्यवर, आप देखेंगे तो आपको अचंभा जरूर हो जायेगा । जहां पर 7.50 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, वह 15 रुपये कर दी गई है । जिस पर 18.75 रुपए ड्यूटी लगती थी, उसे 37.50 रुपए कर दिया गया है, जहां पर 75 रुपए स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, उसे 225 रुपए कर दिया गया है, जहां पर 150 रुपए लगा करती थी, उसे 300 रुपए तक बढ़ा दिया गया है । जहां पर 187 रुपए ड्यूटी लगती थी, उसे 375 रुपये तक बढ़ाने का षडयंत्र यह सरकार इस बिधेयक के माध्यम से रच रही है । जहां 48/-रु0 थे वहां 100/- रु0 बढ़ाना है यह पेज 4 पर खण्ड (ख) और (ग) की व्यास्था में सौ फीसदी से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की साजिश की है । जनता के ऊपर इस तरह का कहर किसी भी जनप्रिय सरकार का लक्षण नहीं है, यह सरकार जनविरोधी हो गयी है ।

जनता के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाकर उनकी सुविधा को कम करके जनता को अत्याचार और परेशानी में डालना चाहती है ताकि आम आदमी नमक, तेल और लकड़ी में फंसा रहे और सोच न पाये कि सरकार जन-विरोधी कामों में लिप्त है । आज आप रजिस्ट्रेशन आफिस में चले जाइए, आप देखेंगे कि निर्धारित मात्रा में स्टाम्प्स देने पर भी तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है जब तक 15 प्रतिशत कमीशन न दे दिया जाय । सेल-डीड और ट्रांसफर डीड की ड्यूटी पहले हो ज्यादा है । स्टाम्प ड्यूटी से 15 प्रतिशत ज्यादा जब तक रजिस्ट्रार के पास न पहुंचे तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता । ये इनकी व्यवस्था है । अगर एग्जीक्यूशन करने वाला आदमी मौजूद है तो 4-4 दिन 5-5 दिन परेशान करते हैं, तब तक कोई दूसरी पार्टी तैयार हो जाती है । एक-एक लाख रु0 के खरीदे हुए स्टाम्प बेकार हो जाते हैं । एग्जीक्यूशन तत्काल नहीं होता है । फिर कहते हैं कि शिकायत है तो दीवानी अदालत में जाइए । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्टाम्प ड्यूटी से जनता को क्या रिलीफ देने जा रही है ? सूर्य प्रताप शाही के नाम व ओम प्रकाश रिछारिया खड़े हो जाते हैं और बैनामा लिख देते हैं । फिर होता है कि सूर्य प्रताप शाही दीवानी अदालत में मुकदमा कायम करें । वह मुकदमा कायम करते हैं, इस बीच ओम प्रकाश रिछारिया उनके मकान में प्रवेश कर जाते हैं । मुकदमें का फैसला 15-20 साल तक होता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप में कहें, इस पर आधा घण्टे का समय तय है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

बस मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं ।

यदि सरकार जनता को सुविधा दे दे, उनकी कठिनाईयों को दूर करने की उचित व्यवस्था की हो, स्टाम्प को ठीक तरह से दिलाने का इन्तजाम किया हो, स्टाम्प वैंडर्स जो नकली टिकट बेचते हैं, उनको रोका हो, आज जानना चाहूंगा कि जो असली के नाम पर कोर्ट-फीस पर लगने वाले टिकट फर्जी ढंग से बेचे जा रहे हैं और इस प्रकार करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं ? प्रदेश की जनता पर किस आधार पर दुगनी से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी लादी जा रही है ? इसीलिए मैंने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि यह सदन इसका अननुमोदन करे । मुझे पूरा विश्वास है कि जनविरोधी इस विधेयक का यह सदन अननुमोदन करेगा ।

*वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, जैसे कि यह सदन सहमत है कि प्रदेश के ऊपर रिसोर्सेज और जो अपने संसाधन हैं उनका भार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । चाहे विकास के कार्य हों या श्रीमन्, अभी प्रदेश में वेतन समिति गठित की गयी थी, उसकी सिफारिश का भी बर्डेन पड़ने वाला है, यह सब बर्डेन प्रदेश के रेवेन्यू पर होता है । आप देखें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कि इसकी अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया है और अनुच्छेद 6 में हक-बिलेखों के निक्षेप, पणयाम या गिरवी से संबंधित करार व मुख्तारनामा आदि के शुल्क में परिवर्तन किया गया है ।

अभी माननीय शाही जी ने इन परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कहा कि शुल्क तो पहले से ही लगा रखे थे और हमने इसको बढ़ाया है । आप देखें कि प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में इसकी क्या स्थिति है, इस संबंध में पपोला कमेटी की रिपोर्ट है उसने भी स्टाम्प पर शुल्क बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी । उन्होंने जो परीक्षण किया तो कुछ प्रदेशों को नमूने के तौर पर लिया और उनका परीक्षण किया और मैं 1982 की स्थिति पहले आपको बताता रहा हूं कि उस समय स्टाम्प शुल्क एक हजार पर उत्तर प्रदेश में 85 रु0 पंजाब में 125 रु0 तथा महाराष्ट्र में 100–120–150 रु0 था और हरियाणा में 125 रु0 था अब आप देखें कि सन् 1985 में यह बढ़ाया गया और उत्तर प्रदेश में इसे 95 रु0 कर दिया गया । हमारी बढ़ी हुई दर अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में फिर भी कम रही । आपने अभी कहा कि इन बढ़ी हुई दरों का भार प्रदेश की जनता पर आने वाला है । माननीय, एक कमेटी ने इस बात का भी परीक्षण किया और पाया कि प्रदेश की टोटल आय का प्रतिशत भार उत्तर प्रदेश में 57 प्रतिशत, तामिलनाडू में 92 प्रतिशत, पंजाब में 84 प्रतिशत था । इस तरह से हमारे यहां प्रति व्यक्ति दर अन्य राज्यों के मुकाबिले में बहुत कम थी । इस तरीके से अगर श्रीमन्, देखें, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ रहा था, इसमें स्टाम्प से जो लाभ हो रहा था इसको यदि आप वर्षवार देखें तो आपको स्वयं पता लग जायेगा कि उत्तर प्रदेश में 1977-78 में 11.8, 1978-79 में 11.2, यह थोड़ा कम रहा, आगे फिर 1979-80 में यह 11.4 हुआ और 1980-81 में 10.7 हो गया । वर्ष 1980-81 में यह 10.7 हो गया, 81-82 में 10.6 हुआ और 82-83 में यह 10.2 हुआ । तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो यही महसूस करेंगे कि स्टेट रेवेन्यू में कमी होती जा रही थी और इसकी कमी का कारण श्रीमन्, एक ही था कि आज देश व प्रदेश में चारों ओर विकास कार्य चल रहे हैं तेजी से जैसे कहीं कोई इण्डस्ट्री आ जाती है, या कहीं पर कोई बांध इत्यादि बन गये तो ऐसे स्थानों पर जमीनों की कास्ट एक दम से बढ़ जाती है, लेकिन उसी हिसाब से स्टाम्प शुल्क की दरें नहीं बढ़ीं बल्कि यह व दरें वहीं की वहीं रहीं, इस प्रकार से स्टेट रेवेन्यू में दिन पर दिन कमी होती जा रही थी और इस विभाग के खर्चे आए दिन उसी अनुपात में बढ़ रहे थे, तब इस ओर विचार करना पड़ा और इस कमेटी ने अपनी संस्तुति दी कि जिन-जिन क्षेत्रों में आपने संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं, वह एक तो सेल्स टैक्स और दूसरा यह स्टाम्प ड्यूटी व इक्साईज आदि हैं, तो सेल्स टैक्स के बारे में तो पहले से विचार-विमर्श कर इस ओर नियम निर्धारित कर लिये गये और बचा था यह स्टाम्प ड्यूटी, तो इसको भी आज हम अपने सदन की आज्ञा से लेने जा रहे हैं । वैसे अब यदि आप आपने स्टेट की वित्तीय स्थिति को देखें जैसा कि सभी को ज्ञात है ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

तो कृपया यह मा0 मंत्री जी बता दें कि इस स्टांप ड्यूटी से प्रदेश को कितना राजस्व प्राप्त हो जायेगा और अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ? इस बढ़े हुए दर से ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसी वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ रु0 प्रदेश को प्राप्त होगा और लगभग अगले वित्तीय वर्ष में इससे 210 करोड़ रु0 प्राप्त होंगे और इस पर जो हमारा व्यय होगा, वह करीब 1 प्रतिशत में होगा। तो मैं कह रहा था कि हमारे अपने स्टेट का जो रेवेन्यू है, इसको अगर आप देखें तो पहले जो राज्य कर्मचारियों के वेतन व सुविधायें लोकल बाडीज के कर्मचारियों की सुविधाएं व वेतन पर कुल स्टेट रेवेन्यू का 94 व 95 प्रतिशत खर्च होता था, अब यह जो हमारी दरें बढ़ी हैं इससे यह प्रतिशत 107 तक पहुंच गया है। दूसरे जब हमारे पास अपने कुछ संसाधन मौजूद होंगे तो हर क्षेत्र में स्वावलम्बी बनेंगे और यदि हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम अपने राज्य व कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं उनको देय होंगी नहीं दे पायेंगे, इसी प्रकार से हमारे जो लोकलबाडीज हैं, उनको भी जो उनकी सुविधाएं होंगी, नहीं दे पायेंगे और न ही किसी प्रकार के विकास के कार्यों में भाग ले पायेंगे फिर ऐसी स्थिति में हम विकास नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए मान्यवर, यह आवश्यक हो गया है।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मा0 मंत्री जी ने अभी कहा कि अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हम स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा रहे हैं और करीब 6 माह पहले से लखनऊ कचहरी में, हाईकोर्ट में व अन्य स्थानों . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें तो कोई ऐसा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री शारदानन्द अंचल–

चाहे कलेक्टरी हो या और कोई कोर्ट हो, जहां पर स्टैम्प लगते हैं, वह नहीं है और फर्जी स्टैम्प दूसरी जगह से लाये जाते हैं । इस प्रकार से सरकार को लाखों रुपये का घाटा होता है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

तो मैं निवेदन कर रहा था, हमारे रिसोर्सिज पर जो प्रेशर आ रहा है उसको समाप्त करने के लिए जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को शिक्षकों को और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दे सके । इसके लिए आवश्यक हो गया है कि जिस क्षेत्र में कुछ नहीं बढ़ाया गया है उसमें कुछ बढ़ाया जाय । शाही जी ने कहा कि जनता को इसमें क्या दिया जायेगा और जो दिक्कतें है उनकी ओर उन्होंने

इशारा किया । उन्होंने यह भी कहा कि जो डाकूमेंट है उसके वापस होने में काफी विलम्ब होता है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बारे में शासन में विचार हो रहा है और यह निर्णय लिया जा रहा है कि जिसको डाकूमेंट की तुरन्त आवश्यकता हो उसकी फोटोस्टेट कापी कराकर ले सकता है । इसकी पूरे प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है उन्होंने यह भी कहा कि कहीं-कहीं पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर मेरी प्रापर्टी है तो कोई दूसरा रजिस्ट्री कर सकता है । मान्यवर, इस तरह की जिस जिले में शिकायतें मिलती हैं तो अब फोटो लगाने का प्राविधान कर दिया गया है। जो भी रजिस्ट्री करें, उसकी फोटो रहेगी । इसकी व्यवस्था मौजूद है । एक बात यह कही गई कि फर्जी स्टैम्प पेपर बेचे जा रहे हैं, तो मान्यवर, कानून में पहले से ही व्यवस्था है। लेकिन हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक केश देंगें तो उसकी जांच कराई जायेगी और इसकी भी पहले से ही व्यवस्था है । मैं समझता हूं आप इस बात से सहमत होंगें और इसे पारित करेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 31 दिसम्बर, 1988 तक परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक रखा गया है उस पर जो उन्होंने तर्क दिये हैं, उनको मैं सुन रहा था । सबसे पहले तो मुझे इस बात का खेद है कि सरकार अगर यह समझती कि वित्तीय संसाधनों का संकट है तो पिछले सत्र में सरकार को यह विधेयक लाने का औचित्य समझ में क्यों नहीं आया। यह सही है कि तकनीकी कारणों को देखते हुए अध्यादेश के जरिये दरों में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं लेकिन यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल होता अगर विधेयक के जरिये इसको करते । परन्तु उस समय तक चुनाव होने जा रहे थे और सरकार को पता था कि अगर टैक्स लगायेंगे तो उसकी काली छवि और धूल धूसरित हो जायेगी इसलिए उस समय यह टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं कर सके और 24 जून को अचानक अध्यादेश जारी कर दिया मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब स्टैम्प ड्यूटी बढ़ानी है तो दूसरे प्रदेश दिखाई देने लगते हैं, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र की दरें दिखाई देने लगती हैं लेकिन जब पंजाब में किसानों को पिछले वर्ष धान पर प्रति कुन्तल 17 रुपये बोनस दिया तो उन्हें यह नहीं दिखाई पड़ा इनको यह भी नहीं दिखाई पड़ा कि हरियाणा में किसानों को कर्जा लेने के लिए मात्र 5 रुपये के स्टैम्प पर सम्पत्ति बन्धक करने का प्राविधान है ।

उत्तर प्रदेश में अगर किसी को 25/30 हजार की रजिस्ट्री करनी पड़ती है तो उसे साढ़े चार-पांच हजार रुपये की ड्यूटी देनी पड़ती है। जब इस प्रदेश के किसानों के ऊपर आम आदमी के ऊपर टैक्स लगाने की बात आती है तो अन्य प्रदेशों-पंजाब और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है और उनके आंकड़े दिये जाते हैं लेकिन जब उन्हें कोई राहत देने की बात आती है तो संसाधनों की कमी बतायी जाती है। क्या इस तरह का कोई विधेयक आप सदन में लायेंगे जिससे गरीब जनता को कुछ राहत मिले, उन्हें ज्यादा

ड्यूटी न देनी पड़े, उनकी आय बढ़े, तो हम लोग उसमें आपका सहयोग देंगे। माननीय मंत्री जी अभी आंकड़े दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारी आयसे स्टाम्प शुल्क का जो टैक्स का हिस्सा था वह घटता जा रहा है और उसका कारण यह है कि हमारी टैक्स की दर कम है।

मान्यवर, सब-रीजस्ट्रार आफिस में स्थिति यह है कि वहां पर दरें अलग से बंधी हुई है उनका अपना बोर्फोर चलता है यदि आप उसे रोक नहीं सकते तो उसमें रिश्वत की दर को निर्धारित करा दें। सम्पत्ति के क्रय-विक्रय में घोटाला किया जाता है। सही सम्पत्ति का क्रय-विक्रय सही मूल्य में नहीं दिखाया जाता है। इस तरह से आपकी आय में कमी होगी। इसी को आप रोकें तो आपको इस तरह से ड्यूटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यही देख लें कि सबसे ज्यादा मंहगाई किस चीज में ज्यादा बढ़ी है। आप किसी शहरी भूमि का, मकान का या सम्पत्ति का किसी का अध्ययन कर लें। तब आपको पता चलेगा कि जो स्थायी सम्पत्ति है भूमि है या मकान है उसकी कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। विक्रय दर बढ़ी है लेकिन उसका सही मूल्यांकन नहीं होता है। माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये कि हमारे यहां सबसे कम स्टाम्प ड्यूटी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह उल्लेख नहीं करना चाहिए था कि यहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हमारे यहां के नागरिक की आय सबसे कम है। मुझे यह कहते हुए शर्म लग रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश के नागरिकों की आय पंजाब और महाराष्ट्र के समान कर दीजिये और फिर इस तरह का टैक्स बढ़ाइये। आप यहां के नागरिकों की आय नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि जब नागरिकों की आय बढ़ाने की या कोई चीज देने की बात आती है तो आप कह देते हैं कि प्रयास करेंगे और जब उनसे कोई चीज लेने की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और उसके लिये आर्डिनेंस ले जाते हैं, विधेयक विधान सभा के सामने ले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप उनकी आय बढ़ा दें। आप नहीं बढ़ा सकते हैं। जब आप उनकी आय नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसी अनुपात में टैक्स भी उनके ऊपर लगायें। आप लखनऊ के सब-रीजस्ट्रार आफिस में चले जायें। मुझे एक बंधक पत्र के बारे में वहां जाने का मौका मिला तो मुझे इसका अनुभव हुआ।

अभी विधायकों को जमीन और मकान बनाने की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है, उसी सिलसिले में सब-रीजस्ट्रार आफिस में मैं वहां गया था। क्योंकि हम विधायक हैं इस लिये हमारे साथ वह बात नहीं हुई। आप मंत्री जी वहां से पूछ लीजिए जनता ने जो आज से 10 महीने पहले रीजस्ट्री की उसको प्रतिलिपि क्या उनको मिल गयी है। रीजस्ट्रार कार्यालय से 10, 10 महीने तक प्रतिलिपियां नहीं मिलती हैं लेकिन उसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। जनता की सुविधा के लिये इस तरह के आदेश नहीं देंगे कि रजिस्ट्री होने के तीस दिन के अंदर प्रतिलिपि वापस कर दी जायेगी। हां टैक्स बढ़ाने के लिये अध्यादेश आ जायेगा। स्टैम्प चोरी और फर्जी स्टैम्पों की बात यहां पर हुई। मंत्री जी चाहें तो किसी भी कचहरी में जाकर देख सकते हैं किस तरह से चोरी छिपे स्टैम्प बेचे जाते हैं। एक तो वह फर्जी है और दूसरे 5 रुपये का स्टैम्प 10 रुपये में मिलता है और दो रुपये का स्टैम्प चार रुपये में मिलता है। उसको पकड़ने के लिये कोई व्यवस्था आप नहीं करते हैं क्यों नहीं आप उनमें सीरियल नम्बर डाल देते

हैं और एक काउंटर फाइल उसका बना देते हैं जिसमें नम्बर पड़ा हो और जब वह रजिस्ट्रार के पास जाय तो उसका मिलान काउंटर फाइल के नम्बर से हो सके? रजिस्ट्री करते समय वह उसका मिलान कर लिया करें तथा काउंटर फाइल मुख्यालय पर भेज दें। ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि आप चोरों को पकड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ आप प्रगति और रिसोर्सेज का बहाना लेकर गरीबों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहते हैं। मैं मिशाल देना चाहता हूं पूरे प्रदेश में एक सरकुलर भेजा गया है रजिस्ट्रार कार्यालय से जिसमें कहा गया है कि इन-इन जगहों की भूमि का इस तरह से विक्रय मूल्य होगा और उस दर से स्टेम्प फीस लेनी होगी। चाहे वहां की जमीन जिस समय उसकी कीमत निकाली गयी आज नदी से कट जाने से या ऊपर हो जाने से उसकी कीमत कम हो गयी हो, चाहे वह गांव मुख्यालय से एक कि0 मी0 हो या 10, 20 कि0मी0 दूर हो उस पर दरें इनके हिसाब से ही लागू होंगी।

आज आपका एक ही तरीका रह गया है कि किसानों से किस तरह से अधिक से अधिक स्टेम्प शुल्क वसूला जाय। अभी मैंने बरेली के सुभाष छात्रावास का प्रकरण उठाया था उसमें आपने शासन को वक्तव्य के लिये कहा है। बरेली नगर के अंदर एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति को कम आंक कर इनके सब-रजिस्ट्रार ने 6 लाख में रजिस्ट्री कर दी। बरेली नगर के अंदर आज इस तरह की भूमि निश्चित ही एक करोड़ से कम की नहीं है। चोरी करने वालों को यह पकड़ना नहीं चाहते हैं, उनको तो तभी पकड़ा जा सकता है जबकि इनके राज्य में चोरी करने वालों को संरक्षण न मिलता हो। यह पकड़ते किसको हैं जो गरीब हैं जो दो बीघा या तीन बीघा जमीन बेचता या खरीदता है। या जो बैंक से कर्ज लेकर अपना काम करता है जिसके पास इतना धन नहीं है कि वह अपना काम कर सके। तो कर्ज लेकर जो काम करता है उसको पकड़ने की निचोड़ने की यह योजना बनायेंगे।

मान्यवर, यह कुछ बातें थीं जिनको मैंने आपके सामने रखा। इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि इस विधेयक को पारित करने से पहले यह जनता में परिचालित कर दिया जाय क्योंकि यहां पर तो यह अपने बहुमत से इसे पास ही कर लेंगे। परिचालित करके इस पर जनता की राय जान ली जाय और जनता भी जान सके कि किस तरह से गरीबों पर यह सरकार टैक्स बढ़ाती है और बड़े आदमियों को या हेराफेरी करने वालों को किस तरह यह सरकार बचाती है। यदि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जायेगा और उनकी राय ली जायेगी तो हम इसका समर्थन करेंगे अन्यथा हम इसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और जिसके चलते इन्हें 30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। उसके संबंध में आपने विभिन्न प्रान्तों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत कर आपने बढ़ी हुई दरों को सही साबित करने का प्रयास किया। मान्यवर, इसमें बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जिससे साधारण आदमी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभावित होता है। एक किसान जो जमीन खरीदना चाहता है वह धनवान होता है लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो बैंकों से कर्जा लेकर जमीन क्रय करना चाहता है तो उस पर भी स्टैम्प का खर्चा बढ़ा दिया। तो जो आदमी कर्ज के बोझ से दबा था उत्तर प्रदेश का, उसके कर्जे में आपने और वृद्धि करने के लिए दर बढ़ा दिया। समय कम है, इसलिए मा0 मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन आफिस की बड़ी चर्चा की तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रेशन का आफिस नहीं है बल्कि अधिकतर तहसील के कोने के एक कमरे में रजिस्ट्रेशन का आफिस खुला है। मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही है जिससे वहां रखे स्टैम्प खराब हो जाते हैं और उसकी प्रतिलिपि नहीं उपलब्ध होती है। इसलिये जहां इतना राजस्व आप प्राप्त करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आफिस ठीक से होने चाहिए।

मान्यवर, तीसरी चीज जैसा वरार जी ने कहा तो उससे मैं भी सहमत हूं कि रजिस्ट्रेशन की प्रति 5 से 8 महीने मिलने में लग जाते हैं और कभी-कभी इस अवधि में भी नहीं मिलती है, इसलिये नाम दर्ज कराने में परेशानी होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन प्रति की एक फोटो कापी क्रेता को दिलवा दें या तहसील स्तर पर रखवा दी जाये तो अच्छा होगा जिससे क्रेता वह कापी कहीं लेकर जाये तो उसको मान्यता मिल सके। यह मेरा प्रस्ताव है।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, जो बात श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कही यह सही है कि हर जगह भवन बहुत ही खराब हैं, इसलिये उनको बेहतर बनाया जाना चाहिए।

मान्यवर, यह भी सही है कि रजिस्ट्रेशन की नकल रजिस्ट्रेशन के समय फोटो कापी करवाकर दे दी जाये और रजिस्ट्रेशन की नकल जल्दी हासिल की जानी चाहिए जिससे खरीददार अपना नाम दर्ज करा सके।

तीसरी चीज स्पूरियस मैन्यूफैक्चरिंग बहुत बढ़ रही है उससे आपको स्वयं राजस्व का बहुत बड़ा घाटा होता है। चौथी चीज रजिस्ट्रेशन विभाग में सम्पत्ति की जो मालियत है उसको कम दिखाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, यदि इस तरफ ध्यान दें तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जातीं, शहरों और उससे लगे क्षेत्र में सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन में यह चीज हो रही है जैसे कांस्ट्रैक्ट 10 हजार रुपये बीघा में हुआ है तो रजिस्ट्रेशन परपज के लिये 5 हजार रुपये दिखाते हैं, इसलिए इसमें कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जितना एक्चुअल में कांट्रेक्ट हो उसके मुताबिक ही रजिस्ट्रेशन किया जाये। मान्यवर, इस संबंध में यह भी कहना चाहूंगा कि जो सम्पत्ति ड्यूटी बढ़ाई गयी है यह बहुत अनुचित बात नहीं है क्योंकि हमको अपना राजस्व रेज करना है। तो कोई न कोई रास्ता हमको खोजना पड़ेगा। जो जमीनों का ट्रांजक्शन होता है, उसमें वह थोड़ा-बहुत ज्यादा रकम दे देंगे तो कोई गलत बात नहीं है। कोई इससे भागना नहीं चाहता है, बस जनता को समुचित सुविधाएं मिल जाएं और इसके संबंध में आने वाली उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। आज जमीनों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए उस पर भी सरकार का ध्यान देना आवश्यक है। आपका रेवेन्यू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और बढ़ सकता है, यदि आप इसमें सतर्क हो जाएं । जो आपने प्रपोज किया है वह उचित है, उसका विरोध करने से कोई लाभ नहीं है । इसका किसानों पर कोई भार पड़ने वाला नहीं है ।

*श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैंने अभी कहा, लखनऊ की कचहरी में चाहे वह हाईकोर्ट हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो, चाहे जजी हो और चाहे कलक्टरी हो या बिक्री-कर हो हर जगह आज स्टाम्प की समस्या बनी हुई है । 20 रुपये से नीचे के जितने स्टाम्प्स हैं वह सभी ब्लैक किये जा रहे हैं । काफी दिनों से, 6 महीने से वहां के स्टाम्प लाने वाले अधिकारी केवल इसलिए स्टाम्प नहीं लाते हैं कि फर्जी तौर पर बनाए गये स्टाम्प्स और दूसरे जिलों से लाए गए स्टाम्प्स यहां पर बढ़े हुए दामों पर बेचे जा सकें। इसी सप्ताह हमने दो रुपये का स्टाम्प चाहा । मैं खुद स्टाम्प लेने गया था । तो वहां लोगों ने बताया कि यहां 2 रुपये का स्टाम्प नहीं मिलेगा–अवैध स्टाम्प तो मिलेगा, हम आपको इसलिए नहीं देंगे कि उसे जिसके पास जाना है–ए0 डी0 एम0 के पास वह जान जायेंगे तो हम पर कार्यवाही हो जायेगी । मान्यवर, ऐसी स्थिति में दो रुपये के स्थान पर 20 रुपये के स्टाम्प हमको इस्तेमाल करना पड़ा । 6 महीने से लखनऊ की किसी कचेहरी में 20 रुपये से कम का वैध स्टाम्प उपलब्ध नहीं है । मजबूरी में हमें बाराबंकी से मंगाना पड़ा, तब जाकर कार्यवाही पूर्ण हुई । प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसी समस्या है और अगर मंत्री जी की नाक के नीचे रोज इस प्रकार का घपला हो रहा है तो निश्चित रूप से मंत्री जी की जानकारी में यह होगा और वह उस साजिश में शामिल होगें । नहीं होगें, तो 6 महीने से जो समस्या है, उस पर उन्हें सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, तब तक हम जैसा आदमी समझेगा कि मंत्री जी का इसमें हाथ नहीं है । नहीं तो, मैं और जनता यह समझेगी कि उसकी जो तस्करी हो रही है और स्टाम्प के नाम पर सरकारी खजाने का पैसा खर्च किया जा रहा है, और ब्लैक मार्केटियर्स लोग कमा रहे हैं, उनको आपका संरक्षण प्राप्त है । इसलिए मैं आदरणीय सदन से मांग करता हूं कि स्टाम्प तस्करी का जो घपला सारे प्रदेश की कचहरियों में हो रहा है, उसकी तत्काल जांच कराई जाए और उसकी जांच के लिए राजस्व अधिकारियों की कमेटी भेजी जाए, जो छानबीन करे कि कितना गलत स्टाम्प कचहरी में दिया जा रहा है बेनामी और दूसरे नामों से । इन शब्दों के साथ मैं फिर मांग करता हूं कि तत्काल तीन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर कचहरियों में जांच कराई जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 शाही जी, अब बहुत संक्षेप में आप अपनी बात कहें ।

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मैं केवल दो बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । एक तो यह कहा गया कि स्टाम्प के राजस्व में कमी हो रही है और यह 11.8 से घटकर 10 प्वाइन्ट कुछ रह गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संदर्भ में 1978 के

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मुकाबले में जो स्थिति है, उसमें ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गया और उसके माध्यम से आपका परसन्टेज जहां बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि आपकी दरें कम थीं इसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा व्याप्त हो गया है कि वह स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर रहे हैं । रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार के कारण जितने स्टाम्प पेपर्स की जरूरत होती है वांछित मात्रा में स्टाम्प नहीं लगाए जाते हैं और कर्मचारी इस धनराशि को खुद अनुचित तरीके से ले लेते हैं जिससे सरकार के राजस्व की हानि होती है । एक ही जनपद के अन्दर इतने प्रकरण ऐसे आए हैं क्या आप इसकी जांच करायेंगे? जो स्टाम्प की चोरी हो रही है यह आपके अधिकारियों की वजह से हो रही है । जिस हिसाब से प्रदेश में ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सरकार को मिलने वाली स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है । आप स्पष्ट रूप से बतावें क्या राजस्व है आप कहते हैं कि 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व की वृद्धि होगी, 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन अगर आप धांधली और अनियमितताओं को रोकते तो 10 करोड़ रुपये का नुकसान जो आपको फर्जी जुडीशियल टिकटों से हो रहा है वह नहीं होता अभी अंचल जी ने कहा कि 2 रुपये का स्टाम्प नहीं मिल रहा था, जो कि मतदाता सूची में लेट पेमेन्ट के साथ लगाना था । जहां 50 पैसे के स्टाम्प लगाने थे वह नहीं मिल रहे थे अगर मिल भी रहे थे तो वह दो रुपये में मिल रहे थे, 50 पैसे की जगह लोगों ने ज्यादा के स्टाम्प लगाए हैं, तो इन अनियमितताओं को, ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं । विधान सभा बैठने वाली थी जून के महीने में इस अध्यादेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । हम सब लोग बैठते इस पर विचार करते और कोई रास्ता निकालते कि स्टाम्प ड्यूटी को कैसे बढ़ाया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आपकी जनतांत्रिक मूल्यों में कोई आस्था नहीं रह गई है इसीलिए आप स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा रहे हैं । आपने यह अध्यादेश लाकर जनतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी है । इसलिए मैं इसके अननुमोदन का प्रस्ताव कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको कुछ कहना है ।

श्री जगदीश सिंह बरार–

मंत्री जी कुछ कह दें फिर मैं कहूं ।

*श्री रामशरण दास–

मान्यवर, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी आप जरा मेरी तरफ देख लीजिए । बिल का मामला कार्यमंत्रणा में आया था, खान गुफरान जाहिदी जी भी मौजूद हैं, नरेश जी भी उस मीटिंग में थे, उस दिन भी मैंने यह बात

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कही थी कि आप बढ़ाने तो जा रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक हो रहा है उसका क्या उपाय करने जा रहे हैं?

तो मान्यवर, उन्होंने डायरी दिखायी और नोट किया और कहा कि हम इसके ऊपर कुछ न कुछ करेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपको गुमराह किया था ।

श्री राम शरण दास–

गुमराह तो वहां हुये यहां थोड़े होंगे । मान्यवर, यह भी आज हो रहा है कि स्टाम्प खरीद लिये जाते हैं । मान लिया कि शतरुद्र प्रकाश के नाम खरीदे गये तो स्याही को मिटा कर सरदार सिंह के नाम कर दिया जाता है । इसी तरीके से पुराने स्टाम्प भी आपको मिल जायगें और घर बैठकर चाहे जो लिख लीजिये । यह सब चीजें आज चल रही हैं इसलिये आप इस व्यवस्था को ठीक करें, व्यवस्था ठीक करें तो बढ़ा लीजिये । लाल प्रताप जी के पास तो एक ही किताब है दिल्ली वाली । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो स्टाम्प पेपर्स का ब्लेक हो रहा है इसको रोकिये ।

(समय 4.00)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, माननीय बरार साहब ने एक बात कही, जब मैंने हरियाणा और पंजाब का उदाहरण दिया था उस संदर्भ में, कि वहां पर-कैपिटा इन्कम ज्यादा है और उससे अपनी तुलना नहीं की जा सकती । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय 28.80 रुपये हरियाणा में 18.79 रुपये है । उत्तर प्रदेश में 8.80 रुपये है । तो यह जो फर्क है यह इसी वजह से है कि उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है । आपने एक बड़े चैलेंज के साथ कहा कि क्या आप अपने प्रदेश की आय बढ़ाने के लिये कानून बना सकते हैं । आय बढ़ाने के लिये कानून नहीं बनाया जा सकता लेकिन आय बढ़ाने के लिये जिम्मेदारी लेजिस्लेटर्स का सहयोग लिया जा सकता है । वह एक सहयोग कर दें कि अगले पांच 10 वर्षों में प्रदेश की आबादी न बढ़े तो आय बढ़ जायगी । जो इकोनामिक ग्रोथ है इस प्रदेश की वह 6.5 प्रतिशत के हिसाब से है लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है उसका कारण यह है कि 25 प्रतिशत के हिसाब से आबादी बढ़ रही है । अगर वह थोड़ा सा सहयोग कर दें, खुद ही कर दें किसी और से न कहें तो निश्चित रूप से प्रदेश की आय बढ़ जायगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा था कि प्रदेश में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से आय नहीं बढ़ रही है। मैंने कहा था कि जो हमारी आय के विभिन्न सोत हैं उसमें प्रदेश के अनुपात में उसका प्रतिशत कम हो रहा है । यदि पिछले दिनों से तुलना की जाय तो आय बढ़ी है । 83-84 में 111 करोड़ रुपये आय हुयी थी । 84-85 में 121 करोड़ रुपये आय हुयी थी । 85-86 में 151 करोड़ रुपये आय हुयी थी । 86-87 में 180 करोड़ रुपये आय हुयी थी । 87-88 में 210 करोड़ रुपये की आय हुयी। तो करीब 16 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । ऐसा नहीं है कि इसमें आय नहीं बढ़ रही है, आय तो बढ़ रही है । माननीय माता प्रसाद जी ने और जयदीप सिंह बरार साहब ने और शाही जी ने कुछ सुधार करने की बात कही । विभिन्न स्थानों पर बिक्री बनाने की बात कही, स्टाम्प की कालाबाजारी को रोकने के लिये सुझाव दिये गये तो यह जो

तमाम सुझाव आये हैं उन पर हम विचार करेंगे और निश्चित रूप से कुछ कार्यवाही करूंगा । बरार साहब ने कहा कि इसको जनता में जाना चाहिये तो मान्यवर, जून से यह जनता के बीच में और इसकी बारे में कोई चीज नहीं आयी इसलिये मैं समझता हूं कि दोनों लोग अपने संशोधन को वापस ले लेगें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मुझसे आबादी को नियंत्रित करने के लिये कहा है तो अगर ऐसा अधिकार मुझे दे दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । सरकार जिस प्रकार से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिये अध्यादेश लाती है वह अध्यादेश वापस लेकर आबादी को न बढ़ाने के बारे में अध्यादेश लाये तो मैं समर्थन करूंगा । मैं स्वत: तैयार हूं । फिर मैं ऐसे विधेयक का समर्थन करूंगा और मान्यवर, मैं अधिक नहीं कहूंगा चूंकि समय कम है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बरार जी आपको जब बोलने का अवसर आया था, तो उस समय आप नहीं बोले, अब माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हों, तो वह स्पष्टीकरण कर लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

आपने उस समय मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी को बुला लिया था, इसलिए मैं बैठ गया था । मान्यवर, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसे कोई नियम नहीं है कि मंत्री जी के बोलने के बाद आपको बुला लिया जाय। अब भाषण नहीं हो सकता है, कोई स्पष्टीकरण आप चाहते हों, तो वह आप पूछ सकते हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिस तरह से वह इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं, क्या इसी समय वह घोषणा करेंगे कि स्टाम्प पेपर इस तरह से छापा जायगा कि उसको काउन्टर फाइल हो और दोनों पर सीरियल नम्बर हो, जिससे फर्जी स्टाम्प पकड़े जा सकें और उसी तरह का दूसरा स्टाम्प न छापा जा सके ? दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि क्योंकि स्थायी सम्पत्ति अर्थात् भूमि तथा मकान इत्यादि की है । क्या यह स्टाम्प शुल्क की भारी चोरी का स्पष्ट सबूत नहीं है ? तीसरा स्पष्टीकरण कीमतें शेष चीजों की कीमतों के मुकाबिले में सर्वाधिक तेजी से बढ़ी हैं, इसीलिए स्टाम्प शुल्क से प्राप्त होने वाली आय प्रदेश की कुल आय में बढ़नी चाहिए थी, परन्तु वह घटी यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह अभी घोषणा करेंगे कि रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत किया गया अभिलेख 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्री करके लौटा दिया जायगा ? ऐसा कानूनी प्रविधान अधिनियम अथवा नियमों में करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

आपने जो एक बिन्दु यह उठाया था कि रजिस्ट्री वाला अभिलेख 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति को दे दिया जाय, श्रीमन् उसके बारे में मैंने अपने ओपेनिंग भाषण में संकेत किया था कि इसके बारे में शासन द्वारा विचार किया जायगा कि इसको हम फोटोस्टेट के द्वारा करेंगे या कैसे करेंगे । इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । श्रीमन्, दूसरा बिन्दु जो काउन्टर फाइल के बारे में कहा था, उसके

संबंध में श्रीमन् मैं विचार कर लूंगा । तीसरा बिन्दु श्रीमन् जो भूमि और मकान की कीमतों के संबंध में कहा था, उसके संबंध में आप स्वयं जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको समय-समय पर निर्धारित करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 31 दिसम्बर, 1988 तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 3 का संशोधन

2––भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी, जिसे आगे उक्त अनुसूची कहा गया है, में, अनुच्छेद-3 (दत्तक विलेख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से सम्बन्धित स्तम्भ में, शब्द "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ?

खण्ड—3

उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 6 का संशोधन

3—उक्त अनुसची में, अनुच्छेद 6 (हक-विलखों के निक्षेप, पणयम या गिरवीं से सम्बन्धित करार) में, खण्ड (2) में, उपखण्ड (क) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से सम्बन्धित स्तम्भ में, निम्न सारणी के स्तम्भ—1 में दिये गये अंकों के स्थान पर क्रमशः उनके सामने स्तम्भ—2 में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

स्तम्भ—1		स्तम्भ—2	
रुपया	पैसा	रुपया	पैसा
1	50	3	00
3	00	6	00
4	50	9	00
6	00	12	00
7	50	15	00
9	00	18	00
12	00	24	00
18	75	37	50
37	50	75	00
56	25	112	50
75	00	150	00
112	50	225	00
150	00	300	00
187	50	375	00
225	00	450	00
75	00	150	00

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, खण्ड 3 पर मेरा संशोधन है ।

मान्यवर, खण्ड 3 के स्तम्भ 2 में अंक 300, 375 तथा 450 के स्थान पर क्रमशः अंक 200, 200 तथा 250 रख दिये जायं । मान्यवर, यह जो खण्ड 3 में एक स्तम्भ के स्थान पर दूसरा स्तम्भ रखा जा रहा है उसमें ध्यान दें । यह स्तम्भ एक में डेढ़ सौ रुपया है इसको सीधे बढ़ाकर 300 रुपया कर दिया जा रहा है यानि एक बार में 100 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ाई जा रही है कुछ में थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है इसमें शतप्रतिशत बढ़ा दिया इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि 300 के स्थान पर उनका भी कम हो जाय 300 के स्थान पर डेढ़ सौ की जगह 200 का प्रस्ताव किया है फिर आप देखेंगे कि जिस पर स्टैम्प ड्यूटी 187.50 लगाती थी अब उसको 375 रुपया कर दिया गया है । 225 की जगह 450 कर दिया गया है तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि शतप्रतिशत बढ़ाया जाय । जैसा अभी आपने बताया कि हरियाना में पंजाब है, उसी हिसाब से बढ़ाते तो यह संशोधन न रखते । आपने तो शतप्रतिशत बढ़ाया है जो न्यायोचित नहीं है । कोई भी टैक्स शतप्रतिशत नहीं बढ़ाया जाता केवल मैंने देखा है कि इक्साइज ड्यूटी जो नैपाल वगैरह

में सामान पकड़ा जाता है उस पर 100 प्रतिशत लगाया जाता है उसी तरह से आप भी क्या यह जुर्माना लगा रहे हैं किसानों पर, गरीबों पर । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप भी बुन्देलखण्ड से आये हैं गांव से आये हैं, इससे किसान प्रभावित होगा, गरीब प्रभावित होगा इसलिए इस संशोधन को स्वीकार कर लें और इसे इतने बड़े पैमाने पर न लगायें । इसीलिए यह संशोधन रखा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, संशोधन स्वीकार है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के खण्ड 3 के स्तम्भ 2 में अंक 300, 375 तथा 450 के स्थान पर क्रमश: 200, 200 तथा 250 रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–4 से खण्ड–6 तक

उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 15 का संशोधन

4––उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 15 (बन्धपत्र) में "उचित स्टाम्प शुल्क" से सम्बन्धित स्तम्भ में निम्न सारणी के स्तम्भ–1 में दिये गये शब्दों के स्थान पर, क्रमश: उनके सामने स्तम्भ–2 में दिये गये शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:––

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
रुपया	पैसा	रुपया	पैसा
एक रुपया		एक रुपया	पचास पैसे
दो रुपये	पचास पैसे	तीन रुपये	
चार रुपये	पचहत्तर पैसे	पांच रुपये	पचास पैसे
नौ रुपये	पचास पैसे	ग्यारह रुपये	
चौदह रुपये	पच्चीस पैसे	सोलह रुपये	पचास पैसे
उन्नीस रुपये		बाइस रुपये	
तेइस रुपये	पचहत्तर पैसे	सत्ताइस रुपये	पचास पैसे
अट्ठाइस रुपये	पचास पैसे	तैंतीस रुपये	
तैंतीस रुपये	पच्चीस पैसे	अड़तीस रुपये	पचास पैसे
अड़तीस रुपये		चवालीस रुपये	

	स्तम्भ—1	स्तम्भ—2	स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
	रुपया	पैसा	रुपया	पैसा
	बयालीस रुपये	पचहत्तर पैसे	उन्चास रुपये	पचास पैसे
	सैंतालीस रुपये	पचास पैसे	पचपन रुपये	
	तेईस रुपये	पचहत्तर पैसे	सत्ताइस रुपये	पचास पैसे

उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 23 का संशोधन

5—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 23 (हस्तान्तरण पत्र) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से सम्बन्धित स्तम्भ में, निम्न सारणी के स्तम्भ–1 में दिये गये अंकों के स्थान पर क्रमशः उनके सामने स्तम्भ–2 में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
रु0	पै0	रु0	पै0
4	75	6	25
9	50	12	50
19	00	25	00
28	50	37	50
38	00	50	00
47	50	62	50
57	00	75	00
66	50	87	50
76	00	100	00
85	50	112	50
95	00	125	00
47	50	62	50

उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 24 का प्रतिस्थापन

6—उक्त अनुसची में, अनुच्छेद 24 (प्रतिया उद्धरण) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

"24—प्रति या उद्धरण—जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी के द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है:—

(1) यदि उसका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है या यदि वह शुल्क जो उस पर प्रभार्य है, तीन रुपये से अधिक नहीं है।	दो रुपये पच्चीस पैसे, जब प्रति या उद्धरण किसी कृषि पट्टा का या कृषि भूमि के बन्धक-विलेख या विक्रय-वि लेख का हो; किसी अन्य स्थिति में पांच रुपये।

(2) किसी अन्य मामले में जो धारा 6क के उपबन्धों के अधीन न आते हों।

तीन रुपये, जब प्रति या उद्धरण किसी कृषि पट्टा का या कृषि भूमि के बन्धक-विलेख या विक्रय-विलेख का हो और मूल पाठ के विषय-वस्तु का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो; किसी अन्य स्थिति में दस रुपये।

या

छूट

(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिये उसे बनाये या दे;

(ख) जन्म, बपतिस्मा, नामकरण, समर्पण, विवाह, विवाह-विच्छेद, मृत्यु या दफन से सम्बन्धित किसी रजिस्टर की या, उसमें से किसी उद्धरण की प्रतिलिपि।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 तक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—7

उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 48 का संशोधन

7—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 48 (मुख्तारनामा) में—

(क) खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबन्धित स्तम्भ में, शब्द "छः रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिए जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबन्धित स्तम्भ में, शब्द "चौबीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिए जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "अड़तालीस रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिए जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबन्धित स्तम्भ में, शब्द "छः रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं खण्ड 7 (ख) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 50 रुपये के स्थान पर शब्द 25 रुपये रख दिये जायं। तथा खण्ड 7 (ग) की द्वितीय पंक्ति में शब्द एक सौ रुपये के स्थान पर शब्द पचास रुपये रख दिए जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसमें भी आप देखें कि माननीय मंत्री जी ने 7(ख) में देखें 6 रुपये की जगह 10 रुपये और ग में देखें 50 रुपये की जगह 100 रुपये सीधे-सीधे स्टैम्प शुल्क मंत्री जी ने बढ़ा दिया है । अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में जो भी अनुबन्ध हो रहे हैं वह सब गरीब किसान ही कर रहे हैं । जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भूमि क्रय करते हैं उसमें भी ज्यादातर किसान ही प्रभावित हो रहा है । जो बहुत बड़े धन वाले लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कम्पनियां जो कर रही हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे चार गुना 6 गुना बढ़ जाय लेकिन जो किसान प्रभावित हो रहा है इसीलिए इसमें निवेदन किया है । कुछ तो माननीय मंत्री जी ऐसा रखें कि गरीब इससे बहुत अधिक प्रभावित न हों और माननीय मंत्री जी की आय भी बढ़ जाय । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था मा0 बरार जी के ऊपर कि आबादी के ऊपर कन्ट्रोल करा दें तो सबकी आय बढ़ जायगी । मान्यवर, 2 वर्षों से लगातार मंत्री जी की सरकार को फैमिली प्लानिंग में एवार्ड मिल रहा है, वह धन कहां खर्च हो रहा है । क्या बराबर एवार्ड प्राप्त करने के बावजूद भी आबादी पर कन्ट्रोल नहीं हो पा रहा है । मा0 मंत्री जी खर्च पर कन्ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं । दाम बढ़ा दिए जायं, चीजों के मूल्य बढ़ा दिए जायं, वसूली बढ़ा जी जाय पर खर्च पर प्रतिबन्ध न लगे तो इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है । इसीलिए हमने यह संशोधन प्रस्तावित किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपको यह संशोधन स्वीकार है या नहीं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 7(ख) की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस रुपये'' रख दिए जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 (ग) की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास रुपये'' रख दिए जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-8, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 24 जून, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 1988 का निरसन और सन् 1988 अपवाद

8—(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 8, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 1988 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह सौभाग्य है सहकारिता राज्य मंत्री जी का कि इनके कार्यकाल में सहकारी समितियों के निर्वाचन संपन्न हो गये । व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन दुःख इस बात का है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन होने के पश्चात ज़ो जन विरोधी यह अध्यादेश था उसको विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और मरे हुए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव लाए हैं जिसमें सुसंगतता नहीं रह गयी है । यह विधेयक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाये जाने के लिए और 31 दिसम्बर तक करने के लिए आया है । सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन हो गये हैं, फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाये जाने और इस अध्यादेश को विधेयक बनाये जाने का क्या औचित्य है, यह मेरी समझ में नहीं आया । दूसरी बात यह है कि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सहकारी समितियों के निर्वाचन हुए हैं, उनमें व्यापक रूप से अनियमितताएं और धांधली की गयी है । मैं अपने जनपद का उदाहरण देना चाहता हूं । जहां एक बैंक के सचिव का कार्यकाल 4 साल से समाप्त हो चुका है , देवरिया बैंक के सचिव का, तो जब पहली बार जून के पश्चात् नामिनेशन हुए थे और मतदाता सूचियां प्रकाशित हुई थीं, उस सूची को सितम्बर में जो चुनाव प्रक्रिया चालू हुई है उसकी सूची से मिला लें, उसकी दोनों सूचियों में व्यापक अंतर आया है । जो डिमाण्ड और वसूली की गयी था, उसमें भारी हेर-फेर कर मनमाने ढंग से देवरिया में बनाया गया और मनमाने ढंग से उन समितियों को डिफाल्टर घोषित किया गया जहा उनके चाहने वाले लोगों को डायरेक्टर बनने में कठिनाई थी और चेयरमैन न बना पाने की स्थिति में हो, जानबूझकर डिफाल्टर बनाने की को की । पथरदेवा ब्लाक का उदाहरण देना चाहता हूं कंठी-पंठी साधन सहकारी समिति के लोग वसूली और डिमांड के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए थे, 85 प्रतिशत से अधिक वसूली थी, पहला चुनाव तो आपने स्थगित कर दिया था, जब दुबारा घोषित हुआ तो उनका नाम मतदाता सूची में ही नहीं था। रामनगर साधन सहकारी समिति की 86 प्रतिशत वसूली थी, इसी तरह से कंठी-पंठी, बघड़ा मदुवारी न्याय पंचायत की साधन सहकारी समिति की और रामपुर न्याय पंचायत की साधन सहकारी समिति की थी । लेकिन, दुर्भावनापूर्वक मतदान को प्रभावित करने के लिये एक ब्लाक की सभी साधन सहकारी समितियों को डिफाल्टर घोषित कर दिया । जब इसकी शिकायत हुई तो यह दिखाने के लिये कि दुर्भावनापूर्वक नहीं किया गया सूची प्रकाशित होने के अंतिम दिन बघड़ा मदुवारी न्याय पंचायत की समिति को इन्कल्यूड कर दिया । ताकि यह साबित न हो सके कि दुर्भावनावश किया गया है ।

मान्यवर, देवरिया कोआपरेटिव बैंक के सचिव ने खुलकर धांधली किया है, अनेक डायरेक्टरों ने क्षेत्र में धांधली किया है, खुद जाकर लोगों से वोट मांगा है। चार वर्षों से वे सचिव वहां मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उस सचिव को वहां बनाये रखने का क्या औचित्य है ? क्या उसे चुनाव प्रभावित करने के लिये रखा गया था । आप एक साफ-सुथरे मंत्री हैं हम सबको आशा है कि आप इस सचिव की जांच कराके इसे अन्यत्र स्थापित करने का काम करेंगे । यह जो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, उसके क्या परिणाम आये हैं ? मैं किसान सेवा सहकारी समिति लि0 नटकटिया खुर्द विकास खंड कसया का उदाहरण देना चाहूंगा । इसकी बेलेंसशीट में 6 लाख का अन्तर आया है । इसकी एक प्रति मैं आपके पास अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से भिजवा रहा हूं, आप इसे दिखवा लें । एक सहकारी समिति का यह है, सरकार की तरफ से प्रशासक नियुक्त किया गया ए0डी0ओ0 कोआपरेटिव प्रशासक नियुक्त किये गये, 1982 के बाद से 1988 तक इसमें 6 लाख 5 हजार 571 रु0 का वर्किंग स्टेटमेंट और बेलेंसशीट में अन्तर आया है । यानि गबन कर लिया गया है । एफ0 आई0 आर0 जून 1988 में दर्ज हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं इसे आपके पास लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं । आप इसकी जांच करायें और दोषी लोगों को दंडित करें । इसी तरह से अधिकांश समितियों में धांधलियों के प्रकरण सामने आये हैं । यह इस बात का संकेत है कि प्रशासकों के कार्यकाल में गबन निरन्तर बढ़ता जा रहा है, अकेले जनपद देवरिया में ही एक करोड़ रुपये का गबन इन समितियों में हुआ है । किसी प्रकरण में आरबिट्रेशन की कार्यवाही, वसूली की कार्यवाही इन सचिवों के माध्यम से नहीं की गयी । इसका दुष्परिणाम यह है कि जो निरीह किसान हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया, जिसने कर्ज के फार्म नहीं भरे, उन पर फर्जी लोन दर्ज करके आपके सचिवों ने लाखों लाख रुपये का गबन किया । कई सचिव तो घर छोड़कर नौकरी छोड़कर भागे हुए हैं । आपने किसी मामले में आरबिट्रेशन की कार्यवाही शुरू भी की तो मामूली रकम वसूल की गयी । उ0 प्र0 में आपका इंटेलिजेंस कोआपरेटिव है उसमें 6 सौ करोड़ रुपये के गबन के मामले विगत वर्षों के हैं । अभी माननीय वित्त राज्य मंत्री जी बोल रहे थे कि कैसे उ0 प्र0 का राजस्व बढ़ाया जाय ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके । जो जनता का शेयर है, जो जनता का रुपया है, 6 सौ करोड़ रु0 का अकेले साधन सहकारी समितियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में गबन हुआ है । इसके लिये क्या उपाय कर रहे हैं।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यदि आपने इसे इस विधेयक के भीतर प्रदर्शित किया होता तो मैं समझता कि आप एक अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं । इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, जिससे गबन करने वालों पर कोई रोक लग सके । मैं कहना चाहता हूं कि आप रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी को बुलवाकर पूछ लें कि प्रक्रिया रूल्स में क्या दिया हुआ है। आपने कहीं भी नहीं कहा है कि जो कर्मचारी गबन करेगा, उसकी निजी संपत्ति जब्त कर ली जायगी, यदि आप इसे शामिल करते तो ज्यादा अच्छा होता और मैं यह मानता कि आप कोआपरेटिव आन्दोलन में कोई सुधार करने वाले हैं ।

अन्तिम निवेदन मेरा यह है कि एक ऐसा जाल है, जिसके चलते सहकारी समितियों में करोड़ों रुपये का घपला है। अगर सरकार यही तय कर देती और निर्धारित मानक बना देती, जिससे मालूम होता कि आप कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी उत्तर प्रदेश की साढ़े 12 करोड़ जनता को आश्वस्त कर दीजिए कि रुपये की वसूली किसानों से नहीं, बल्कि गबनकर्ताओं से की जायेगी, जिससे लोग जान जायेंगे कि आपका चेहरा कितना साफ है। देवरिया जनपद में आपके सचिव ने व्यापक पैमाने पर लूट खसोट किया है। आडिट रिपोर्ट में दो रिपोर्ट आई हैं, कोआपरेटिव बैंक के बारे में, उसमें उसके खिलाफ आडिट नोट्स हैं और 80 लाख से ज्यादा का धांधली का प्रकरण आया है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस संदर्भ में आपकी कलम कुछ कार्यवाही करे और ऐसी व्यवस्था करें तथा ऐसा विधेयक यहां पर लायें, जिसका हम लोग अनुमोदन करें। जिसमें इन खामियों को दूर करने की व्यवस्था हो। चूंकि इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये मैं इसका अननुमोदन करता हूं।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं माननीय शाही जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अच्छे शब्दों के साथ सम्बोधन किया, लेकिन इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि प्रदेश में बड़े वृहद् स्केल पर चुनाव कराये गये। उत्तर प्रदेश में 8 हजार के करीब प्राथमिक समितियां, 400 के करीब संघ, 400 क्रय विक्रय समितियां, जिला सहकारी संघ, जिला सहकारी बैंक, प्रादेशिक स्तर की समितियां तथा बुनकर समितियां आदि सब मिलाकर करीब 10 हजार भांति-भांति की समितियां हैं। इसके साथ ही सभी माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि सहकारिता का ढांचा एक संघीय ढांचा होता है। इसमें सभी समितियां होती हैं। जिस तरह ग्राम सभाओं के चुनाव होते हैं, इसी तरह यहां चुनाव एक साथ नहीं कराये जा सकते हैं। सबसे पहले नीचे के स्तर के चुनाव होते हैं, जिनकी संख्या हमारे पास 8600 थी। फिर उसके बाद संचालक मण्डल सभापतियों, उप सभापतियों और प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद उससे ऊपर वाली समितियों का, जिसके कि वह सदस्य होते हैं, चुनाव होता है। जब उन समितियों का चुनाव हो जाता है, फिर उसके बाद उससे ऊंचे केन्द्रीय समितियों का चुनाव होता है, फिर जिला स्तर की समितियों का चुनाव होता है, जब इसका चुनाव हो जाता है, तब इसके ऊपर की समितियों का चुनाव कराया जाता है। यह एक लम्बी प्रक्रिया है, जिसमें बहुत समय लग जाता है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने इन चुनावों को करीब-करीब जिला स्तर तक सम्पन्न करा दिया है। आपने इसकी प्रशंसा भी की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन अभी तक वह चुनाव सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ बाधाएं हमारे सामने आ गयीं। जिला सहकारी बैंकों को ले लीजिए। 57 जिला सहकारी बैंक हैं। हमने एक साथ चुनाव कराने के आदेश दिए, क्योंकि हमारे पास सामान्य निकाय के सदस्य

मौजूद थे, लेकिन केवल 46 बैंकों में चुनाव घोषित किए गए, 11 बैंक अभी भी शेष हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रोक दिए गए हैं । न जाने माननीय उच्च न्यायालय उन स्थगन आदेशों को कब समाप्त करे और हम चुनाव सम्पन्न करायें । इस प्रकार के व्यवधान रास्ते में आ जाते हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी हो जाती है ।

हमारा जो यह अधिनियम है, इसमें प्राविधान है । आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए जिससे शून्यता आ जाय । चुनाव हों, अवश्य हों । हम जानते हैं कि सहकारी बैंक एक व्यवसायिक संस्थाएं हैं परन्तु इनका संचालन लोकतांत्रिक आधार पर होता है । लेकिन अगर किसी वजह से, आपकी वजह से या हाईकोर्ट की वजह से चुनाव न हो, तो क्या आप पसंद करेंगे कि वहां शून्यता आ जाय, वहां कोई प्रशासक ही न हो । इसलिए हमें भी मजबूरीवश प्रशासक नियुक्त करना पड़ता है । जहां चुनाव नहीं हो पाये हैं, वहां प्रशासक नियुक्त करने की बात है । यह अध्यादेश उस वक्त जारी किया गया था, जब सदन सत्र में नहीं था । ज्योंही सदन का सत्र प्रारम्भ हुआ, आपकी स्वीकृति हेतु यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है । यह एक मासूम विधेयक है, इसमें बहस की कोई आवश्यकता ही नहीं है । सभी जानते हैं कि सहकारिता के चुनाव अवश्य होने चाहिए । समय मांगने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जब तक चुनाव न हो जायं, तब तक वहां पर शून्यता न आये । बिना प्रशासक के कोई संस्था कैसे चलेगी, इसे तो आप भी भली प्रकार जानते हैं । श्री शाही जी ने चहेते प्रशासकों की बात कही, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शासन की कोई ऐसी मंशा नहीं है, शासन की नीयत साफ है और नीति बिल्कुल साफ है । हम चुनाव कराना चाहते हैं । चुनाव करीब-करीब हो भी गए हैं । अब तो नाम मात्र की संस्थायें रह गयी हैं । उनका चुनाव शीघ्र कराना हमारे वश में नहीं है, यह तो उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के हट जाने के बाद ही हो पायेगा, अन्यथा इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती ।

श्री शाही जी ने कई बातें ऐसी कही, जिनकी यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं थी, चूंकि उन्होंने कहा, इसलिए उनका उत्तर देना आवश्यक हो गया था । हमने कुछ दिनों का समय मांगा है, वह भी 31 दिसम्बर तक का समय मांगा है, हमें आशा है कि सभी चुनाव जल्दी ही सम्पन्न हो जायेंगे यदि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त हो गया तो । जान बूझकर प्रशासकों का समय बढ़ाना या चहेते प्रशासकों को नियुक्त करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है । यह बिल्कुल अपने दिमाग से इस भ्रांति को निकाल दें । आपने कहा चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ । मैं इसकी कोई सफाई नहीं दे सकता । आप स्वयं सुविज्ञ हैं कि जहां चुनाव होते हैं छोटी-मोटी गड़बड़ियां होती हैं लेकिन अधिनियम में, नियमों में इसका प्राविधान है । हर बात का उपचार है अगर उपयोग न करें तो दोष न अधिनियम का है न शासन का है । अगर भ्रष्टाचार हुआ हो अनियमितता हुई हो तो धारा-70 के अन्दर पिटीशन

कर सकते हैं और उसका जो फैसला होगा आपको भी मान्य होगा और शासन को भी मान्य होगा लेकिन अगर पिटीशन नहीं करते हैं तो शासन या प्रशासन दोषी नहीं है । आपने कहा प्रतिनिधियों की सूची में फेर बदल हुई, मेरी जानकारी में तो नहीं है लेकिन इसमें एक यह भी हो सकता है कि अधिनियम और नियमावली में प्राविधान है कि चुनाव जब किए जाते हैं तो ऐसी समितियां, जिन्होंने अपने 75 प्रतिशत कर्जे को अदा नहीं कर दिया है अर्थात् जो 25 प्रतिशत तक ही बकायेदार हैं, ऐसी समितियों के सदस्य चुनाव में भाग ले सकते हैं । यह हो सकता है कि शुरू में जब उन सदस्यों की सूची देखी हो तो वह शायद बकायेदार में हों लेकिन यह भी प्राविधान है कि नामीनेशन के दिन तक भी अगर कोई समिति और सदस्य अपने बकाये का पैसा अदा कर सकता है तो गैर बकायेदार माना जायगा और चुनाव में भाग लेने का अधिकारी होगा । यह नहीं हो सकता है कि यह जानबूझकर किया गया । अगर किया तो उसका उपचार भी है, आप शिकायत कर सकते हैं, अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही कर सकते हैं ।

दूसरी बात, आपने कही कि फर्जी कर्जा दिया गया, गबन किया गया । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने बड़े सहकारिता के साम्राज्य में . . .

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या आप हृदय से कह रहे हैं इस बात को ?

श्री समर पाल सिंह–

मैं 40 साल का कार्यकर्ता हूं । आपको सहकारी समिति और सहकारिता में अन्तर करना होगा । सहकारिता एक आन्दोलन है, सहकारी समिति एक संस्था है, उसमें कोई कमी हो सकती है लेकिन सहकारिता आंदोलन में नहीं । आन्दोलन में जो विश्वास नहीं करता है वह कोसों दूर है इसकी अच्छाइयों से । अगर आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश की गरीबी दूर हो, तो सहकारिता को चलाना होगा ।

इसी के साथ ही मेरा अनुरोध है कि यह एक मासूम सा संशोधन विधेयक है, इसे स्वीकार करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिये 31 दिसम्बर, 1988 तक परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह उनका मासूम सा विधेयक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में जितना अनुभव उनको है उससे वे भलीभांति जानते हैं कि कितना मासूम यह विधेयक है । मुझे दुख तो इस बात का है कि सहकारिता विभाग की सारी करतूतों को जानते हुए उन्होंने उसको डिफेन्ड किया है, यह दुख का विषय है । माननीय मंत्री जी जिस सिद्धान्त को प्रतिपादित करना चाहते हैं, हमारा विरोध उससे है । आज प्रश्न यह नहीं है कि प्रशासन 1988 तक था और उसका चुनाव अब तक ये क्यों नहीं करा पाये हैं? प्रश्न तो यह है कि आप सहकारिता के चुनाव समय से क्यों नहीं कराते हैं ?

मान्यवर, मेरी समझ में माननीय मंत्री जी की बात नहीं आयी क्योंकि एक तरफ तो वे कहते हैं और जानते हैं कि सहकारिता में चुनाव की प्रक्रिया लम्बी होती है लेकिन फिर भी वे उसे समय से आरम्भ नहीं करते हैं । यदि आप समय से चुनाव की प्रक्रिया को आरम्भ करें तो आपको प्रशासक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । परन्तु जान बूझ कर शासन किसी न किसी स्टेज पर रूकावट डाल देता है । अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ सहकारी समितियों के चुनाव के रुक जाने में हाईकोर्ट का हवाला दिया कि उसके स्टे आर्डर की वजह से चुनाव रुक गये । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गन्ना फेडरेशन भी एक सहकारी संस्था है , वहां का रजिस्ट्रार भी इसी कानून के तहत काम करता है, उसका चुनाव रुकवाने के लिये शासन ने कई बार प्रयास किया । जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव था, उनका रजिस्ट्रार गन्ना आयुक्त उस दिन कार्यालय गया ही नहीं और यहां एनेक्सी में पूर्व मुख्य मंत्री के पास बैठा रहा । तो मा0 मंत्री जी शासन अपने सबोटाज के जरिये इसमें व्यवधान डालता है । मैं पूछना चाहता हूं कि मई के महीने में क्या आपको मालुम नहीं था मंत्री जी कि आप 30 जून तक चुनाव सम्पन्न नहीं करा पायेंगे ? उस समय आप यह विधेयक क्यों नहीं लाये ? यदि आप उस समय विधेयक ले आते तो जून में आपको इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता न पड़ती । इससे पता चलता है कि आप जानबूझ कर ऐसा करते हैं ।

मान्यवर, प्रशासकों के सिद्धांत: विरोध में मैं क्यों हूं ? मैं इसके विरोध में इसलिये हूं कि मैं सैद्धान्तिक बात कहना चाहता हूं । आप देखें कि पिछले सालों में बरेली में उरला साधन सहकारी समिति ने 70 लाख रुपये का गबन किया गया और उस समिति के हजारों कृषकों की वसूली हो रही है परन्तु एक बोरा खाद उन्हें नहीं दिया गया है । आपकी साधन सहकारी समितियां प्रशासकों के तहत चल रही है और उनकी स्थिति आप स्वयं ही देख लीजिये कि क्या है ? जिस संशोधन को आप मासूम कहते हैं उसकी भाषा जो कि धारा 29 में दी हुई है उसको जरा आप देखें तो इसकी मासूमियत का अन्दाजा आप स्वयं ही लगा लेंगे ।

माननीय मंत्री जी क्या जो प्रशासक आपने कुर्सियों पर बैठाये हैं तो क्या उन्होंने प्रयास किया कि इन सोसाइटीज के विधिवत चुनाव कराने के लिए ? उन्होंने क्या प्रयास किये इन सोसाइटियों के विधिवत चुनाव कराने के संबंध में । ठीक है जिन 11 जिला सहकारी बैंकों के बारे में हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए कि इनके चुनाव न कराये जायें, वहां तो हम आपसे सहमत हैं कि और वहां आप अपने प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जहां-जहां आप प्रशासक रखना चाहते हैं, वहां आपसे आपत्ति है हमें, क्योंकि यह न्यायसंगत नहीं है । क्योंकि हम सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि प्रशासकों के कार्य-काल में कितनी काली करतूतें हुआ करती हैं, रामपुर जिला सहकारी समिति को ही देख लीजिए यहां कैसी करतूतें हुयी हैं, और निडर होकर यह सारे काम यह करते हैं क्योंकि यह कहीं से चुनकर तो जाते नहीं हैं, जो लोग कहीं से चुनकर जाते हैं तो उन्हें उसका फल भी कुछ दिना में भोगने को मिल जाता है, यदि कोई भी जन-प्रतिनिधि कोई गलती करेगा तो उसे 5 सालों बाद या और जल्दी उसका फल सामने

अवश्य आ जायेगा, लेकिन इन प्रशासकों की कहीं पर कोई जवाबदेही नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं इन्हीं सहकारी समितियों के माध्यम से देश व प्रदेशों में समाजवाद आयेगा । मैं कहता हूं कि इन समितियों के माध्यम से जब तक समाजवाद नहीं आ सकता है जब तक इस प्रकार की जोकें इसमें लगी रहेंगी जो इन गरीबों का खून पीती हैं । आप समाजवाद नहीं ला पायेंगे इन जोकों के रहते हुए । यह रामपुर वाले मामले को आप स्वयं जानते होंगे, यह प्रदीप श्रीवास्तव जिनके बड़े भाई मुरादाबाद में बैंक में सचिव हैं, जहां पर आप प्रशासक रहे हैं, इनकी नियुक्ति 22 अप्रैल, 1983 में दिखाई गयी है, जबकि यह वहां आए हैं वर्ष 1984 में और कागजों में दर्शाया गया है वर्ष 1983 में ताकि एक साल पहले दिखाकर इनको रेगुलर किया जा सके, यही नहीं इसी प्रकार से कानपुर जिला सहकारी बैंक है, जिसके प्रशासक रहे हैं श्री जगदीश अवस्थी सत्तापक्ष के एम0 पी0 भी हैं, जिनके कारनामों पर सी0 आई0 डी0 जांच चल रही है करोड़ों रुपयों का मामला इन्वाल्व है, फर्जी बुनकर समितियां बना कर करोड़ों रुपये का गबन किया गया । उस जांच में क्या हुआ ? इसी प्रकार से और भी बहुत सी समितियां हैं, जिनके यदि आप यहां कारनामों के चिट्ठे रखें तो मालूम होगा कि यह कितना मासूम सा विधेयक है हां यदि इन्होंने कोई अच्छे काम किए हों तो वह भी हमारे सब के सामने यहां रखिये उसका हम सब स्वागत करेंगे ।

मैं आपसे यहां सिर्फ यही कहूंगा कि इस वक्त जिन-जिन समितियों के इस प्रकार के काले कारनामों की जांच मामले चल रहे हैं, उनके अब तक क्या परिणाम निकले वही यहां रख दें तो स्थिति स्वयं में सामने आ जायेगी मैं यह सारी बातें इस लिए कह रहा हूं कि विधेयक जैसा कि आपने कहा कि मासूम सा है, इसे ऐसे ही पास कर दीजिए । सवाल यहां पर इस मामले को ऐसे ही हलकेपन से ले लेने का नहीं है सवाल यहां पर सिद्धान्तों का है । वैसे आप तो सिद्धान्त: चुनाव प्रक्रिया के इस मामले में पूर्णतया खिलाफ हैं, आप चुनाव नहीं पर कर पाते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के आदेश होते हैं अथवा नहीं । वैसे सिद्धान्तया होना यहां चाहिए था कि प्रशासक जब ही मजदूरी में नियुक्त होगा जब किन्हीं कारणों से कहीं चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसी प्रक्रिया को यदि आप अपनाएं तो किसी हद तक यह उचित हो सकता है और तब ऐसे विधेयक रखें और अगर आपके हर जगह जन प्रतीनिधि मौजूद रहें, समय पर जन प्रतीनिधि चुने जाते रहें, अगर आप यह व्यवस्था रखें तब हम आपके अधिनियम का स्वागत करेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री माता प्रग्राद पाण्डेय–

राज्यपाल ने 5 बजे का समय बजट प्रस्तुत करने का रखा है, तो अब क्या करें?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

5 मिनट तक हम आपको देखते रहेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, बरार जी ने जिस बात पर बल दिया है, उसको मैं और बढ़ाना चाहता हूं। मैं प्रशासकों की नियुक्ति के विरुद्ध हूं । जब एक बार निर्वाचन हो चुका है, तो फिर इस विधेयक को यहां पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां पर समिति का निर्वाचन हो गया है और संचालक मंडल बन गया है, तो फिर जहां पर निर्वाचन नहीं हो सका है, तो उन्हीं समितियों के लिए लाया जाना चाहिए, लेकिन आपकी नियत ठीक नहीं है, इस वजह से पूरे प्रदेश में प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव लाये हैं। निर्वाचन में जो धांधलियां की जाती हैं, उनके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर किसी समिति का सचिव अनियमितता करता है, मतदाता सूची में फेर बदल किया जाता है, तो सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि सचिव गलती करे और दूसरा आदमी इलेक्शन पेटीशन में साल दो साल गुजार दे, यह शासन की जिम्मेदारी है कि उसके कर्मचारी ईमानदार हों । तो आपके माध्यम से निवेदन है कि देवरिया में सचिव ने तमाम गड़बड़ियां की हैं, तो उसके कार्यवाही हो, इसी प्रकार की अन्य जगहों से भी शिकायतें आयी हैं। गरीबी को समाप्त करने के लिए सहकारिता आन्दोलन को चलाया जा रहा है, लेकिन जिस उद्देश्य से यह चलाया जा रहा है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1200 करोड़ के गबन का जो प्रकरण बताया है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। 20 वर्ष से 10 वर्ष से यह प्रकरण लगातार चल रहा है, लेकिन आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आप बतायें कि 1985 से अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है? जो गबन किया गया है, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, उसको आप समाप्त करने वाले हैं, या वसूल करना चाहते हैं ? इस बात को आप बता दें और इसके लिए आप कोई नियम या कानून बना दें, तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैं इस पर बल देता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

बजट 5 बजे पास करा दें और चर्चा जारी रखें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है , उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि यह एक मासूम विधेयक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह गला घोटू विभाग के मंत्री बन गये हैं। जो समितियों के चुनाव होते हैं, जो उनके बकाया-दार होते हैं, 75 प्रतिशत जमा नहीं होता है। चुनाव में हिस्सेदार नहीं करते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस अधिनियम में परिवर्तन करें और इस प्रकार की व्यवस्था करें मान लीजिये उस समिति में 25 छोटे बड़े ऋणदाता हैं, कर्जदार हैं उनमें अगर छोटे कर्जदार ने अपना कर्जा दे दिया और बड़े ने नहीं दिया तो बड़ा कर्जदार सोसाइटी के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे प्रत्येक समिति में उसकी अपनी हिस्सेदारी हो जाय। यह मेरा सुझाव है।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1988-89 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं।)

वित्तीय वर्ष 1982-83 के अतिरिक्त अनुदान

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1982-83 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 (क्रमागत)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह से जो बकायेदार समितियां होती हैं वे अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही लोग जो तिकड़मी होते हैं वे उनको किसी न किसी तरह से बकायेदार के रूप में डलवा देते हैं। आप कहते हैं कि इससे सहकारिता आन्दोलन आन्दोलित हो जाता है। आप चुनाव की प्रक्रिया देखें। उसमें कितनों ने हिस्सा लिया । एक ब्लाक में 8/10 समितियां होती हैं और केवल 2/3 समितियां ही हिंसा ले पाती । इस तरह से अल्पमत में चुनाव होता है और वह बड़े लोगों की होती है। जब कि सहकारिता आन्दोलन में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यह निवेदन किया कि इसमें आप परिवर्तन करिये।

अधिनियम में आपने जो नियम बना रखा है, चुनी हुई समितियों का ए0 आर0 या डी0 आर0 भंग करता है जो ए0 डी0 ओ0 (कोआपरेटिव) की रिपोर्ट पर होता है। इस प्रकार साधन सहकारी समिति का अध्यक्ष बरखास्त कर दिया जाता है और प्रशासक बना दिया जाता है। इसलिए आप इसमें परिवर्तन करिये। यदि वहां पर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जांच करिये तब उसे पद मुक्त किया जाय। इस तरह की व्यवस्था कीजिये कि जब आप कभी प्रशासक बनायें तो इन्हीं समितियों में से प्रशासक बनाते हैं लेकिन होना यह चाहिए कि उन्हीं सदस्यों में से प्रशासक

नियुक्त करें न कि कोई सरकारी अधिकारी प्रशासक बनायें। चूंकि कानून में यह व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण सहकारिता आन्दोलन को आन्दोलित करने के लिए आप एक कमेटी बना दें जो इन सारे तथ्यों पर विचार करके नियमों में इस तरह की व्यवस्था कर सके।

*सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय बरार साहब ने गन्ना समितियों का उदाहरण प्रस्तुत किया, हालांकि यह विभाग मुझसे संबंधित नहीं है लेकिन चूंकि सहकारिता अधिनियम का जिक्र किया तो उसमें भी मजबूरी है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश हुये हैं । कभी कोई पार्टी कोर्ट चली जाती है कभी दूसरी पार्टी । वहां चुनाव हो भी गये हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश हैं इसलिये हम कार्यान्वित नहीं कर पाये हैं । इसका दोष न तो अधिनियम को जाता है और न शासन को । शासन की नीयत तो स्पष्ट है, यह सरकार सहकारिता आंदोलन को लोकतांत्रिक आधार पर चलाना चाहती है लेकिन अगर उच्च या उच्चतम न्यायालय स्थगन आदेश दे दें तो क्या उनके आदेशों का हम पालन न करें ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उससे संविधान की उपेक्षा होगी । हम जानबूझ कर प्रशासक नहीं बैठाते हैं । उन्होंने धारा 29(2) का हवाला दिया लेकिन उन्होंने धारा 35 की (3) और (4) को नहीं पढ़ा । उसमें प्राविधान है एक साल की अवधि बढ़ाई जा सकती है । मैं बरार साहब से कहूंगा कि वह धारा 29 व 35 को पूरा पढ़ें तो बात स्पष्ट हो जायेगी ।

आपने जो सुझाव दिये हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर हम सहकारिता आंदोलन में एक व्यक्ति को महत्व देने लगें तो सहकारिता की भावना ही समाप्त हो जायेगी और व्यक्तिवाद शुरू हो जायेगा । सहकारिता की भावना है सब के लिये, एक के लिये नहीं । सहकारिता में विश्वास रखने वाला इस बात की कभी वकालत नहीं कर सकता है कि एक आदमी को ही महत्व दिया जाय । आपने देखा होगा कि जिस साल चुनाव होते हैं उस साल सहकारी समितियों की वसूलयाबी सबसे ज्यादा होती है ।

माननीय शाही जी ने 12 सौ करोड़ के गबन की बात कही, मुझे मालूम नहीं है कहां से वह यह कब ले आये 12 सौ करोड़ तो टोटल ऋण नहीं होगा । बरार साहब ने 70 लाख गबन की बात कही (व्यवधान) शाही जी विपक्ष में रह कर आपको बढ़ा चढ़ा कर बात कहने की आदत पड़ गयी है । मैं वह नहीं कहता कि गबन नहीं हुआ है क्योंकि 9 हजार मामले सहकारी समितियों के कचहरियों में पेंडिंग हैं इसलिये कहा जा सकता है कि वहां कुछ न कुछ अनियमितताऐं हुई हैं । यह प्रासंगिक है कि जो अनियमितताऐं होगी वह रुपये पैसे से संबंधित होगी । इस पर सरकार हर स्टेज पर सजग है, हमारी नियत बिल्कुल साफ है हम लोकतांत्रिक आधार पर सहकारिता आन्दोलन को चलाना चाहते हैं । आपने एक बात कही यह प्रक्रिया आप पहले से कर सकते थे । तो आपको मालूम होगा मई से यह प्रक्रिया शुरू हो गयी थी कभी

*नोट:–वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बारिश हो गयी कभी आपने कहा । इसके अलावा प्रत्येक चुनाव में कुछ न कुछ समय लग जाता है । एक समिति के चुनाव में एक महीना लग जाता है हालांकि तारीख एक ही दी जाती है निबंधक द्वारा लेकिन अलग-अलग समितियां हैं । इसके अलावा हमारे सामने जो मजबूरी है वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की है जिला बैंकों के चुनाव हो गये फिर शीर्षस्थ संस्थाओं के चुनाव होते । तो इसमें स्थगन आदेश को भी हमें देखना होता है ।

यह जो संशोधन विधेयक पेश हुआ है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । 31 दिसम्बर तक का समय इसमें है हम आशा करते हैं कि तब तक सभी चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मासूम विधेयक में भी आप आपत्ति करते हैं तो यह सोचने का विषय है । अब मैं समय बचाने के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जयदीप सिंह बरार और सूर्य प्रताप शाही से कि उन्होंने जो संशोधन पेश किये हैं उनको वह वापस ले लें क्योंकि सरकार की नीयत में कोई भी भ्रांति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वापस ले रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 31 दिसम्बर, तक परिचालित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) यह 24 जून, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1988

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 तक, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के अननुमोदन संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इसके पहले जो अध्यादेश प्रस्तुत किया यया था ठीक उसी मंशा को लेकर यह प्रस्तुत किया गया है । सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं एवं टाउन एरियाज के चुनाव के लिये एक तिथि निर्धारित कर दिया है और सदन को बताया कि उनका यह कार्यक्रम है । तो उस परिस्थिति में इस अध्यादेश के आने का क्या औचित्य है, यह समझ में नहीं आता है । इस सरकार का स्वरूप ''अर्धनारीश्वर'' का सा है और उसी प्रकार यह सरकार जवाब देती है कुछ हां में और कुछ न में । सहकारी समितियों में कुछ के चुनाव करा दिये हैं और कुछ के बाकी हैं। एक लाख आबादी से ऊपर नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं के चुनाव अधर में लटका दिये हैं। एक लाख से कम आबादी के नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज के चुनाव की घोषणा कर दिये हैं । तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कैसी सरकार की नीति है । सरकार की नीति है कि हर जगह अपनी लगाम बनाये रखें और इसी नीति के तहत नगर महापालिकाओं में नगरपालिकाओं में आई0 ए0 एस0 प्रशासकों को बिठा रखा है । इसी सिद्धान्त के तहत सरकार ने इस अध्यादेश को यहां प्रस्तुत किया है ।

मान्यवर, नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज की स्थिति क्या है ? अपने क्षेत्र के कुशी नगर का मैं उदाहरण देना चाहता हूं जहां हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, उसकी स्थिति यह है कि वहां की रोड्स ग्रान्ट्स, गत वर्ष को छोड़कर, विगत वर्षों में जो दी गयी, उसका उपभोग प्रशासक ने नहीं किया जिससे कई वर्षों से रोड ग्रान्ट बन्द है। यह प्रशासन आई0 ए0 एस0 है जो पडरौना में है, जिसके कारण दो वर्षों से कुसी नगर योजना को रोड ग्रान्ट नहीं दी जा रही है। यदि चुने हुए प्रतिनिधि होते तो जनता उनके सर पर सवार होकर सड़कें बनवाती । लेकिन प्रशासक आई0 ए0 एस0 है जो बड़ी कोठी में रहता है और 5 बजे के बाद जनता उनसे नहीं मिल सकती है। इसलिए रोड ग्रान्ट्स यूटिलाइज नहीं हो सकी है। मान्यवर, वहां न तो बत्ती है और न पानी मिल रहा है तथा शौचालयों की सुविधा है । यह स्थिति कुशी नगर की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश के नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं की है तथा टाउन एरियाज की है। चाहे लखनऊ महापालिका को ही ले लें जहां दिन में सड़कों पर भैंसें घूमती रहती है ।

मेरे क्षेत्र कसया कचहरी के पास पानी का जल जमाव रहता है । नालियां नहीं हैं। पेयजल की व्यवस्था का अभाव है। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण न होने से गन्दगी का साम्राज्य है। स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

यही हालत अन्य नगर पालिकाओं महापालिकाओं की भी है । यहां सफाई नहीं है, यहां सड़कें नहीं हैं और प्रकाश नहीं है । इसके चलते देवरिया जिला कचेहरी इस वर्ष की बाढ़ में 20 दिन बन्द रही है । दो वर्ष पहले की बाढ़ में भी, वह बन्द रही, उसके पहले 85 की बाढ़ में भी बन्द रही । वहां 4 करोड़ रुपया नगर की जल निकासी के लिए दिया गया था, जिसके प्रशासक जिलाधिकारी हैं, लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं हुआ या सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ । यह सब प्रशासक की देन है । स्ट्रीट लाईट नहीं है, सड़कें नहीं बन रही हैं, पानी का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है । यह अवश्य किया जा रहा है कि प्रशासक के घर पर मस्टर रोल में काम करने वाले आदमियों की वृद्धि होती जा रही है । एक प्रशासक के बंगले में 4-4 और 5-5 सोडियम लाइट्स लग रही हैं । जन मार्ग में जहां लाखों जनता दिन रात गुजरती है बल्ब तक नहीं लगे । अकेले देवरिया के जिलाधिकारी के बंगले में कम से कम 12 मकरी और 4 सोडियम लैम्प्स लगे हुए हैं । क्या वह जनता का धन नहीं जा सकते थे । यह इसलिए हो रहा है कि आज कोई लोकतांत्रिक शक्ति नहीं है, जो इनको नियन्त्रित कर सकें । इसीलिए यह जनता के धन का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं । इसी प्रकार चुंगी कर की चोरी भी इनकी मिलीभगत से इनके कर्मचारी कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि इस अलोकतांत्रिक विधेयक और अध्यादेश को मंत्री जी वापस ले लें और मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सदन इसका अननुमोदन करें ।

*नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय । मान्यवर, माननीय शाहो जी ने दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया । 3 अक्टूबर को एक प्रस्ताव इसी विषय में इस सदन में आया था और इसी सम्मानित सदन में मैंने उस पर सम्मानित सदस्यों के लिए सूचित किया था कि सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि 8 नगर महापालिकाओं के और 23 पालिकाओं के चुनाव-जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो चुकी है उनको छोड़कर, सभी नोटिफाइड एरियाज और पालिकाओं के चुनाव इसी 4-12-88 को होना निश्चित हो चुका है । यह हमारा पहला फेज है, यह पहला चरण है । यह भी जानकारी कराई थी कि केवल 5 ऐसी नगर पालिकाएं हैं, जिनके चुनाव हम कोर्ट्स के निर्णय के कारण नहीं करा पा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के नाते इनके चुनाव शीघ्र और सही ढंग से हों । 10 अगस्त, 77 को एक फैसले-आदेश के तहत यह तमाम नोटीफाईड एरिया और पालिकाएं समाप्त कर दी गई थीं और तब से नगर पालिकाओं में प्रशासक और नोटीफाइड एरिया व पालिकाओं में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इनका प्रबन्ध देख रहे हैं, इसका सारा कार्य देख रहे हैं । हमारा प्रयास था कि हम 30 जून, 1988 तक इनके सबके चुनाव करा दें, किन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से नहीं करा सके । यह अध्यादेश

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इसीलिए लाना पड़ा, 30 जून के बाद सदन नहीं बैठ रहा था । और यह भी आवश्यकता थी, देखा गया कि तमाम मेयर, प्रेसीडेन्ट और चेयरमैन इस समय नहीं हैं, जिन्हें व्यारगुजारी की ताकत है और एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासक में ताकतें निहित हो रही तो वह शक्तियां 30 जून 1988 को समाप्त हो रही थी उसको बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाना पड़ा । प्रथम चरण चुनाव का 12/11 को है ।

शाही जी ने एक बात यह कही कि पालिकाओं और नगरमहापालिका में कार्य नहीं हो रहा है । आप तो जानते ही हैं कि पालिकाओं और नोटीफाइड एरिया के संसाधन जो आय के हैं वह सीमित है । ऐसी कम ही पालिकायें हैं जिनकी आय ज्यादा हो । जो धनराशि इनके लिए मिलती है वह भी सीमित होती है । हमारी सरकार की जो मंशा है वह यह है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हर नोटीफाइड एरिया में जाएं और काम को देखें । आठ महापालिकायें और 23 नगरपालिकाओं के चुनाव प्रथम चरण में क्यों नहीं किए गये ऐसा कहा गया, तो इस बात का स्पष्टीकरण मैंने उस दिन भी दिया था कि लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद इन तीनों जगहों पर परिसीमन चल रहा है । मतदाता सूची तैयार हो रही है । सरकार ने निश्चय किया है कि 21 वर्ष के युवा मतदाता भी इसमें मत दे पायेंगे, तो उनकी सूची भी तैयार करने की आवश्यकता पड़ रही है । दूसरी बात जिला परिषद् के चुनाव होने जा रहे हैं लगभग 199 नगर पालिकायें 417 नोटीफाइड एरिया, 20 नोटीफाइड एरिया के चुनाव प्रथम चरण में हो रहे हैं, तो जो यह कहते हैं कि जान-जानकर किया गया है, तो यह सही नहीं है । जो सरकार ने निश्चय कर लिया है चुनाव कराने का इसमें कोई बात हटने की नहीं है । 12, 11 को चुनाव हो रहा है यह बात मैंने कही है, लेकिन हम सबका सहयोग चाहते हैं । जो नगरपालिकायें हैं, टाउन एरिया हैं, नोटीफाइड एरिया हैं उनको चुनाव तो होंगे ही लेकिन इसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए । मैं एक बार फिर शाही जी से अनुरोध करूंगा कि वह संशोधन को वापस ले लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 की राय जानने के लिए 31 दिसम्बर, 1988 तक परिचालित किया जाए । इससे पहले भी मैंने कहा था सहकारिता के संबंध में जो पहले विधेयक आया था उसी के सिद्धांत के आधार पर मैं विरोध करता हूं । कितना समय चुनाव के लिए दिया जाए कितना समय परिसीमन के लिए दिया जाय हमारा विरोध इस आधार पर नहीं है । मैं कहना चाहता हूं और महात्मा गांधी जी की भी यही इच्छा थी कि स्थानीय निकाय जो हैं इसकी संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि पार्लियामेंट और विधान सभा के चुनाव की सीमा निर्धारित है उसी तरह से इनके चुनाव की भी सीमा निर्धारित होनी चाहिए । अगर मान्यवर, आज भी सरकार की नीयत साफ है और सरकार आज यह कहे कि वह ऐसी संकल्प विधान सभा में लायेगी और केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी कि संविधान में ऐसा संशोधन किया जाय। जिससे स्थानीय निकायों, पंचायतों आदि के चुनाव समय पर हो सकें और प्रदेश में

एक चुनाव आयोग की स्थापना की जायगी जो इस बात के लिए बाध्य होगा कि इन संस्थाओं का चुनाव समय के मुताबिक करायेगा तो मैं समझूंगा कि आपकी नीयत साफ है । लेकिन सरकार अपनी मर्जी से भंग कर देती है और प्रशासक नियुक्त कर देती है । अगर सन् 1977 में उन लोगों ने इन संस्थाओं को भंग किया, जनता सरकार ने इनको भंग किया था तो उसका परिणाम भी उन्होंने भोगा । उन्होंने यह पाप एक बार किया लेकिन सरकार यह पाप बार-बार कर रही है और अल्प कालिक व्यवस्था के नाम पर प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाया है । यह जो सरकार का सिद्धांत है मैं इसका विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार सदन में आश्वासन दे कि वह एक संकल्प पारित करेगी और भारतीय संसद को भेजेगी और उसमें कहेगी कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर हो सकें और इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक चुनाव आयोग प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जायेगा तो मैं इस संशोधन को वापस ले लूंगा और स्वीकार कर लूंगा कि मंत्री जी की नीयत साफ है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी नीयत साफ नहीं है । इस समय उनके लिए सुविधाजनक है इसलिए चुनाव करायेंगे ।

आप स्वतंत्रता के पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिये । यह संस्थायें सबसे पहले लोकतांत्रिक सस्थायें हैं । जिनको भारत की जनता ने अंग्रेजों से संघर्ष करके प्राप्त किया था । अंग्रेजों ने भी उनके अधिकार नहीं छीने थे । 70-80 वर्षों तक ये संस्थायें कार्यरत रहीं । कलकत्ता कारपोरेशन, बाम्बे कारपोरेशन इनको अंग्रेजों ने भी भंग नहीं किया । इनको जनता सरकार ने भंग किया या इस सरकार ने भंग किया यह बात नहीं है बल्कि बात तो यह है कि इन संस्थाओं को सुपरसीड करने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए । इन संस्थाओं में जन प्रतिनिधि होते हैं अगर उनके कारनामे काले होंगे तो जनता खुद उनको चुनकर नहीं भेजेगी । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 1977 से प्रशासक नियुक्त हैं । 11 वर्षों वह चले आ रहे हैं और वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं । लेकिन देखा यह जा रहा है कि सरकार उनकी गलतियों का जवाब देती है । गलतियां वह करते हैं और सरकार आलोचना सहर्ष सुनने के लिए तैयार है । इससे लगता है कि वहां पर जो मिस मैनेजमेंट हो रहा है जो बोफोर्स चल रहा है, जो रिश्वत चल रही है । उसमें शासन का भी हिस्सा है । गलतियां वह करें और सुने यह-यह लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है । लोकतंत्र का सिद्धांत यह है कि जो गलती करे वही सजा भोगे । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । आपने बरेली को नगर महापालिका बनाया । 50 गांवों को उसकी सीमा में ले आये । पिछले 7 सालों से जो डिस्ट्रिक्ट बजट का पैसा है वह उन गांवों को नहीं मिलता । डी0 आर0 डी0 ए0 से पैसा मिलना बन्द हो गया है और महापालिका ने भी एक पैसे का काम वहां पर नहीं किया है । इसका नतीजा यह है कि वहां पर किसी प्रकार की नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । वहां पर मकानों का मूल्यांकन हो रहा है ।

मान्यवर, टेक्सेशन का यह सिद्धांत है कि टेक्सेशन का अधिकार चुने हुये जनप्रतिनिधियों को है, अमेरिका में इसी बारे में सिद्धांत पर रेव्योल्यूशन हुआ

था जिसको सारे देशों ने माना और संविधान भी स्वीकार करता है कि टैक्सेशन का अधिकार जनप्रतिनिधियों को है अफसरों को नहीं । आपने जो प्रशासक बैठा रखे हैं वह इस सिद्धांत की अवहेना करते हैं । जो संविधान का मूल सिद्धांत है उसको उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इस ईंट्रौडिक्सन को दूर करने के लिए यह जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक बनानी होगी । वहां पर रूह कर लगाने का अधिकार आप प्रशासक को न दें । तीन-तीन, चार-चार गुना कर का मूल्यांकन कर बढ़ा दिया, जहां पर हरिजन और गरीब लोग रहते हैं और जहां पर बड़े-बड़े लोग रहते हैं जहां पर बड़ी-बड़ी को दिया है, वहां पर डेढ़ गुना और दो गुना किया है । 10 दिन से इलाहाबाद में बिजली और पानी बन्द रहा है । वहां पर ईद के दिन से आपके नगरपालिका के अधिकारियों ने पानी बन्द कर दिया था । उस बात पर इस सरकार ने आश्वासन दिया था कि वहां के स्टाफ की जो गलतियां हैं, उसकी इन्क्वायरी करके दंडित किया जायेगा । आज तक आपने क्या दंडित किया है ? आप आज इसका जबाब सदन में दें दे । उनकी करतूतों पर आप पर्दा क्यों डालते हैं ? आपने किस आदमी को दंडित किया ? उस इन्क्वायरी का क्या नतीजा निकला ? उनको पब्लिक दंडित नहीं कर सकती है । आप इसका जबाब दें । वहां पर 30 कालोनी अनअथराइज्ड बनी हुई हैं, क्या आप उनको अथराइज्ड करते जा रहे है या वह ऐसे ही अनअथराइज्ड बनी रहेंगी, जिससे कि कर्मचारी चौथ वसूलते रहें ? कानपुर की समस्या को आप देख लीजिए । इसको आप खुद स्वीकार करते हैं कि 11 साल से वहां पर आपके प्रशासक बैठे हैं, फिर नगर की आवश्यकता का आधा ही पानी नागरिकों को मिलता है । अगर आप यहां पर इसका जवाब दें, तब तो आप कहने के अधिकारी हैं कि इन प्रशासकों का कार्य-काल बढ़ा दिया जाय ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया अधिनियम 1977 तथा उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 को समाप्त करने का आश्वासन यह सरकार इस सदन को दे तथा एक संकल्प संविधान में संशोधन करने के लिए पारित करने का आश्वासन दें, जिससे स्वायत्त शासी संस्थायें संवैधानिक ढांचे के अन्दर बने, जब मान्यवर, हम अपने संशोधन को वापस लेने के लिए तैयार हैं और इनका विधेयक निर्विरोध पारित कराने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हमें अपने संशोधन पर बल देना ही पड़ेगा।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने विचार प्रकट करते हुए बार-बार यह कहा कि सरकार की नियत पर कोई शंका न की जाय और वे इन स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए और जो 23 नगरपालिकाएं और 8 नगर महापालिकाएं बाकी बची है, उनके चुनाव कराने के लिए सरकार कटिबद्ध हैं । मान्यवर, नियत पर

शंका तब पैदा होती है, जब कि उसके अनुसार काम नहीं होता है । इस नवीं विधान सभा में सन् 85 के उसके बाद हर 6 महीने के उपरांत सरकार को बार-बार इस प्रकार के अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी और बार-बार प्रशासकों के कार्य-काल बढ़ाये जाते रहे हैं और आज भी वही स्थिति कायम है कि 31 दिसम्बर, 1988 तक उनका कार्य-काल बढ़ा दिया जाय । अभी भी माननीय मंत्री जी यह घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं कि जो 23 नगरपालिकाएं और 8 नगर महापालिकाएं हैं, उनके चुनाव शीघ्र करा दिये जायेंगे या 31 दिसम्बर, 88 तक करा ही दिये जायेंगे । इसका मतलब यह है कि एक बार फिर यह अध्यादेश आयेगा । जो बची हुई नगर पालिकाएं और नगर महापालिकाएं हैं उनमें प्रशासक का कार्यकाल बना रहे और फिर से एक बार अध्यादेश आयेगा कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के बारे में और नगरमहापालिकाओं के बारे में कि वहां शहरों की हालत आज क्या है, मंत्री जी ने अपनी वक्तृता में बताया कि शहरों की हालत में बहुत कुछ किया जा रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हालत बहुत बदतर व शोचनीय है । नगरमहापालिकाओं में पिछले अनेकानेक वर्षों से आगरा की लाखों जनता पानी की एक-एक बूंद के लिए भीषण गर्मी में तरसती रही है । पानी के लिए न तो कोई वहां बैराज बनाया गया है और न नगरमहापालिका कोई प्रबन्ध कर सकी और न नगर विकास मंत्रालय या सरकार कोई साधन उपलब्ध करा सकी बैराज की बात केवल घोषणा बन कर रह गई है । आज शहरों की हालत यह है कि शहर पूरी तरह नर्क दिखाई पड़ते हैं, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा लखनऊ कहीं भी चले जाइये सब तरफ सड़कें टूटी हुई दिखाई देती हैं । स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, पीने को पानी नहीं मिलता, सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं वहां के रहने वाले भीषण गंदगी का सामना करते हैं और दुर्गन्धयुक्त नारकीय जीवन जी रहे हैं । लेकिन सरकार ने इन संस्थाओं में जो जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए था जिनके हाथ में यह नगरपालिकाएं और नगर महापालिकाएं होती जो चुने जाने के बाद कुछ कर सकते, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है और आज भी हमारी नगरपालिकाएं और नगर महापालिकाएं इन अधिकारों से वंचित हैं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी नगरपालिकाओं के साधन बहुत सीमित हैं । मैं कहता हूं कि नौकरशाही के हाथ में फंसी यह नगरपालिका और महापालिका आज चोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गयी है । आज चुंगी से और टाल से जिस प्रकार की आमदनी हो सकती है वह नहीं हो रही है । आगरा नगरपालिका के बारे में बताना चाहता हूं कि 50-60 हजार रुपये रोज की चुंगी से आमदनी होती है । अगर कोई प्रशासक सख्ती बरतता है तो आमदनी चुंगनी हो जाती है और ढील हो जाती है तो फिर कम हो जाती है । कई लोगों ने यह कहा है कि अगर हमको इसकी ठेका दे दिया जाय तो आगरा महापालिका में 2 लाख रुपये रोज की आमदनी हो सकती है । सरकार चाहे तो इसकी घोषणा करे और उनको अधिकृत करे ।

(व्यवधान)

विकास या निर्माण के जो भी कार्य होते हैं, सड़कें आदि बनती हैं उनमें घोर भ्रष्टाचार होता है । आज की बनी सड़कें कल टूटी और जर्जर नजर आती हैं । मान्यवर, मैं अंत में और फिर से बड़े जोरों के साथ कहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी श्री राम औतार दीक्षित राज्य मंत्री जी अगर बड़े जोरों के साथ घोषणा करते कि 31 दिसम्बर, 88 तक इन नगर पालिकाओं और नगरमहापालिकाओं के चुनाव करा दिये जायेंगे तो मुझे लगता कि सरकार की नीयत साफ है और वह चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाय और चुनाव करा दिये जायं, लेकिन वह नहीं करा रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, इधर भी बुलवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

(समय 5.30)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जहां तक टाउन एरिया और नगरपालिकाओं के चुनाव की बात है मैं समझता हूं कि वह गलती नहीं की जायेगी जो गलती ग्राम प्रधानों के चुनाव में हुआ है । ठीक तरह से उनकी मतदाता सूची भी नहीं बनाई गयी थी और जो मतदाता सूचियां बनाई गयी थीं उनकी आखिर समय तक जब तक उनकी प्रेस में छपाई नहीं हो गयी थी, बड़े पैमाने पर हेरफेर किया जा रहा था । पिछली सरकार जिसके मुखिया वीर बहादुर सिंह जी थे, इलाहाबाद का उप चुनाव टालने की घोषणा तो उन्होंने कर दी थी लेकिन जिस तरीके से ग्राम प्रधानों के चुनाव हुए हैं उसका नतीजा जरूर सरकार के सामने आया है । लेकिन जिस अफरातफरी में चुनाव कराये गये हैं यह सरकार कहने लगी तो ऐसा लगा कि बात कहने की है करने की नहीं है । मैं जहां तक समझता हूं कि टाउन एरिया और नगरपालिकाओं के चुनाव में वही होने जा रहा है लेकिन इस समय जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है । नगरपालिकाओं और कनाल टाउन्स के प्रशासकों की जो भूमिका रही है, मैं नहीं समझता हूं कि सरकार उसको गम्भीरता से ले रही है । लेकिन यह सही है कि पिछले दो माह में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हैजा फैला है । यह इसलिए फैला कि महापालिकाओं और टाउन एरिया में सफाई का काम नहीं हो रहा है । कई जगह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री दौरे के लिए आए, मण्डलीय स्तर पर मंत्रिपरिषद् के सदस्य गये और स्वास्थ्य मंत्री ने कई बैठकें कीं । नगर विकास मंत्री भी गये कई जगह । सरकार से कई बार यह कहा गया कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाय । बनारस में 500 सफाई कर्मचारी बढ़ाने की बात कही गयी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया । कई जगहें ऐसी हैं जहां पीने के पानी के साथ सीवर का पानी मिलाकर पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है और बनारस के बारे में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है कि वहां 300

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जगह पीने के पानी की पाइप लाइन और सीवर की पाइप लाइन मिली है । लेकिन उसको रोकने का इंतजाम नहीं किया गया । जो राजकीय नलकूपों से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है, वहां बिना क्लोरीन मिलाए आपूर्ति की जा रही है ।

बनारस, कानपुर, आगरा, लखनऊ सभी जगहों में, बलिया में, छोटे मोटे जनपदों में टाउन एरिया में सभी जगह यही हालत है । लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि सरकार इसके लिए चिंतित है या नहीं । जितनी नगरपालिकाएं हैं ये आर्थिक रूप से कंगाल हो गयी हैं, लेकिन प्रशासकों की आर्थिक स्थिति का आकलन कर लिया जाय तो कितनी जगह ऐसी हैं कि प्रशासक जाते हैं तो 2-3 ट्रक में सामान लेकर जाते हैं । यह स्थिति हो गयी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है । कुछ दिन पहले मा0 प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है, तो जिस तरह से पंचायतों के चुनाव में संशोधन जरूरी है उसी तरह से स्वायत्तशासी संस्थाओं में जनतंत्र लाने के लिये संविधान में संशोधन आवश्यक है । सन् 77 में पहली बार जब मैं यहां आया तब भी मैंने यही कहा था कि नगरपालिकाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए । अभी जनतंत्र दो खम्भों पर चल रहा है, उसे 4 खम्भों पर चलाना पड़ेगा । जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर । मेरा कहना है कि मा0 सदस्य ने जो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की सिफारिश की है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जाय और इन संस्थाओं को जनतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव लाया जाय ।

*श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, आज जब यह विधेयक लाया गया तो मैं विश्वास करता था कि कम से कम आज सदन को यह पक्ष अवश्य बधाई देगा और बधाई देगा हमारे मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी को । जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या इन लोगों ने की थी, आज हमारे मुख्य मंत्री ने दृढ़ संकल्प होकर उनको पुनः जीवित करने का फैसला किया और कर रहे हैं । लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि कभी-कभी लोगों को सच बोलने से भागना पड़ता है । आज जब आप खड़े हुए तो एक बार भी आपने मुख्य मंत्री जी को बधाई नहीं दी, हमारे नगर विकास राज्य मंत्री को बधाई नहीं दी । मैं यह समझता हूं कि यदि कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसके लिए बधाई देना चाहिए कि आप उसको प्रवर समिति को सौंप दें । कहें कि मतदाता सूची नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, फिर चुनाव मत कराए । इस तरह की सलाह मैं नहीं समझता कि आप जैसे विद्वान लोगों के मुंह से अच्छी लगती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेन्द्र देव–

मैं अन्त में इस विधेयक के अनुमोदन के प्रस्ताव का और प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और इस विधेयक के समर्थन में, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नगर विकास राज्य मंत्री जी को धन्यावाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य अभी बड़े धैर्य के साथ माननीय मुख्य मंत्री को बधाई दे गये लेकिन असलियत को छिपाते हुए अपनी सही बात नहीं कह पाये । मान्यवर, जिन 23 नगरपालिकाओं में जहां अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां दो तरह के संवैधानिक संकट पैदा हो गये हैं । पहला तो यह कि जो मकानों के असेसमेंट हो रहे हैं तो कर बढ़ाना या घटाना यह तो चुनी हुई संस्था का काम है, लेकिन वह प्रशासकों के हाथ में देकर, जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है । दूसरा अवैधानिक कार्य यह हो रहा है कि जो टाउन एरिया नोटीफाईड एरिया के लोग चुनकर आयेंगे जो उसका अध्यक्ष होगा, वह क्षेत्र समिति बी0 डी0 सी0 का मेम्बर होगा । क्षेत्र समिति का चुनाव और ब्लाकों के चुनाव तो 16 अक्तूबर को हो जायेंगे, टाउन एरिया के चेयरमैन चुने जायेंगे नवम्बर में वे क्षेत्र समिति के चुनाव में किस प्रकार हिस्सेदारी करेंगे ? यह यह बात समझ में नहीं आ रही है । यह सरकार जनतंत्र को कहां ले जा रही है ? किस तरह से अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, इसे मान्यवर, आप देखें । मान्यवर यह एक गम्भीर प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

23 नगरपालिकाओं की बात कही गयी जिनकी आबादी एक लाख से ऊपर है, जहां अभी चुनाव नहीं होने वाले हैं, वहां स्थिति कितनी गम्भीर होगी ? मान्यवर, जल भराव की समस्या फिरोजाबाद में है, आगरा में भी यह समस्या है । चार मोहल्ले चन्द्रावल गेट के ऐसे हैं जहां पानी भर जाता है, रेलवे लाइन बीच में पड़ जाती है, वहां से ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है । अगर वहां चुनी हुई नगरपालिका होती तो उस तरफ उसका ध्यान जाता । इसी तरह से पूरब की ओर रसूलपुर में पानी भर जाता है । नगला करनसिंह और नगला मिर्जा नगला बारी में भी पानी भरा रहता है । श्रीमन्, इससे वहां गंभीर स्थिति बनी हुई ह । उनका चुनाव होना बहुत जरूरी है । चुनावों के लिये जो मतदाता सूची की बात है उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि इस बार तो आपने 21 साल उम्र रखी, उसकी भी पूरी सूची अभी तक बनी नहीं, प्रकाशित नहीं हुई, कैसे होगा ? आप अगली बार में 18 साल की उम्र मतदाता के लिये रख रहे हैं, तो यह बेहरी व्यवस्था क्यों है ? कितना कुठाराघात हो रहा है जनतंत्र पर । मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं ।। जहां तक फिरोजाबाद जनपद आगरा के लिये पानी की बात ह, 5 लाख मिलियन गैलन पानी देना चाहिये और आप देंगे 3 लाख मिलियन गैलन । मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्षतिपूर्ति के लिए आप कितने कुंए बनायेंगे ? इसी के साथ अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, अभी मेरे प्रिय साथी के पुत्र ने जनता शासन को दोषी ठहराते हुए कहा कि उसने हत्या की है इन संस्थाओं की । मान्यवर, ढाई साल तक जनता शासन रहा, ढाई साल के हम अपराधी हैं लेकिन शेष वर्षों के अपराधी तो हमारे सामने बैठे हुए साथी हैं यदि हम उस ढाई साल के अपराधी हैं तो उसके लिये जिम्मेवारी लेते हैं और उसे हम स्वीकार करते हैं लेकिन हमारे सामने बैठे हुए साथी और हमारे मित्र के सुपुत्र इसे नहीं स्वीकार करते हैं जो शेष वर्षों के अपराधी हैं । शेष वर्षों के अपराधी होने की बात उन्हें स्वीकार करनी चाहिए । हमने तो नींव डाली थी, लेकिन हमारे ही लोगों को आपने मिलाकर उसको ध्वस्त करवा दिया, इस बात को आप स्वीकार कीजिये । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने चुनाव कराने का निश्चय किया है क्योंकि मुझे इस शासन पर भरोसा ही नहीं था कि यह सरकार कभी चुनाव करायेगी । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की बात कही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह अपने वचन पर अडिग रहेंगे और यह उनकी उपलब्धि होगी, इसको मैं स्वीकार करता हूं । मान्यवर, जिन नगरपालिकाओं के चुनाव न्यायालय के आदेशों के कारण रोके जा रहे हैं, उनके चुनाव भी होने चाहियें और न्यायालयों के सामने इस महत्वपूर्ण सवाल को रखना चाहियें कि वह नागरिकों के अधिकारों का हनन न होने दें । इसलिये जहां-जहां भी स्थगन आदेश हैं, उसके लिये विशेष व्यवस्था द्वारा स्थगन आदेशों को समाप्त करवाया जाये और चुनाव करवाये जायें ।

मान्यवर, प्रशासकीय व्यवस्था में भी बड़ी धांधली हुई है । अभी सोडियम लाइट लगवाने की चर्चा हो रही थी । मेरे यहां प्रशासक अशोक कुमार थे, उन्होंने अपने बंगले पर सोडियम लाइट नगरपालिका से लगवाई और जब वह वहां से जाने लगे, तो उन्होंने दो ट्रकों पर नगरपालिका का सारा सामान जैसे सोडियम लाइट, पंखों, फूलों के गमले आदि लदवाया और कानपुर चले गये । मान्यवर, इसके साथी हरदेव जी हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी प्रशासकीय व्यवस्था समाप्त हो जायें, उतना ही यह नगरपालिकाओं के हक में होगा । एक बात और मैं कहना चाहता हूं बलिया के नगरपालिका में जो पेयजल की व्यवस्था है, वह अत्यन्त गड़बड़ है । वहां जो जलकल की लाइन है, वह गन्दे नाले (पाखाने) की लाइन से मिल गयी, जिसके कारण वहां पानी अत्यन्त दूषित हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां तमाम लोग बीमारी का शिकार हुये । डाक्टरों ने एकमत से यह स्वीकार किया कि वहां पर जो बीमारी फैली है, उसका कारण पानी का दूषित होना ही था, जिसके कारण बलिया में तमाम मौतें हुयीं मान्यवर, इस मामले को वहां के जिलाधिकारी ने दबाने की कोशिश की । मान्यवर, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, इन नगरपालिकाओं की जनप्रतिनिधियों के हाथ आ जानी चाहिये, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में अपनी बात कहूंगा । मैं इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि अभी माननीय मैनेजर सिंह जी कह रहे थे कि इन्होंने यह तो आरोप लगा दिया कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी,

जिसमें हम सब भागीदार थे और हम लोगों ने नगरपालिकायें भंग कर दीं, यह आरोप सही है और हम इसे स्वीकार करते हैं । लेकिन मान्यवर, आधी बात कहने के बजाय अगर यहां पूरी बात कही जाती तो ज्यादा अच्छा होता कि उस सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था, वह यह था कि 18 साल के नवयुवकों को स्थानीय निकायों के चुनाव में भाग लेने के लिये अधिकार दिया गया था । हम मतदाताओं की सूचियां बना रहे थे । यदि हमें समय मिलता तो हम नगर पालिकाओं का चुनाव करके नये-नये नवयुवकों को भागीदार बनाते । आज नगरपालिकाओं का प्रशासन जो नौकरशाही के हाथ में है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, ये सब आप लोग जानते हैं । अभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर में माननीय मंत्री जी गये थे । आपके सामने में भी लोगों ने समस्यायें रखी थी । पिछले महीने वहां पर ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा हृदयहीनता का काम किया कि मुख्य मार्ग पर जो 20 से लेकर 50 साल से पुरानी गरीब बेचारों के खोखे थे, पट्टे पर जिन लोगों ने खोखे बना रखे थे, जिनके सहारे वे लोग अपने बच्चों का पेट भर रहे थे, एक दिन प्रातः बिना किसी की सूचना के उन लोगों के खोखे व खोंचे ध्वस्त कर दिए गये । हम लोग राज्यस्तर पर आये । यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले और उन्होंने लिख भी दिया और नगर विकास सचिव ने भी उदारतापूर्वक लिखा और टेलीफोन पर वार्ता भी की । हमने कहा भी कि जिन लोगों को आपने हटा दिया है, उन्हें बसा भी दीजिए । जगह भी हमने बता दी कि स्टेशन से शहर को जो मार्ग, जाता है, उस पर 48 फिट चौड़ी सड़क है, उसके किनारे 6-6 फिट की दुकानें उनके लिए बना दीजिए । कचहरी के पास एक पट्टी सी पड़ी है, उस पर बसा दीजिए, लेकिन आज तक मात्र चन्द जो लाटरी वाले लोग थे, उन्हें पुनर्वासित किया गया है और अन्य लोगों को अभी तक कोई स्थान नहीं दिया गया है । इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इसे भी गम्भीरता से देख लें ।

यहां पर हरिजनों की बात हो रही है । मैंने विधान सभा में एक प्रश्न उठाया था । राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश दिनांक 23-1-1974 को किया । शासनादेश संख्या 554/द/9·1·312/एस0 स0/73 है । इसके तहत सफाई मजदूरों को 50 प्रतिशत सफाई नायक बनाया जायेगा, लेकिन मंत्री जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 11 में से केवल 7 लोगों को नायक बनाया गया है, शेष 4 को क्यों नहीं बनाया गया । इसलिए आपसे निवेदन है कि इन हरिजनों को आप न्याय दिलवायें ।

मान्यवर, मिर्जापुर नगरपालिका के सफाई मजदूरों का जो प्रोविडेन्ट फण्ड है, उसका गबन कर लिया गया । यह मामला मैंने विधान सभा में भी उठाया था । सरकार ने मिर्जापुर नगरपालिका को 14 लाख 70 हजार रुपये यहां से भेजे लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह पैसा तनख्वाह देने व अन्य कामों में लगा दिया । एक भी पैसा उनके प्रोविडेन्ट फण्ड में नहीं गया । मैं इन्हीं मुद्दों पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हरदेव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक के पक्ष में बोलते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनावों की घोषणा करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है । वोटर लिस्ट में कुछ

गड़बड़ी हो, चुनाव से पहले कुछ नियम बने हैं, हम सबका यह दायित्व है कि जितनी भी गड़बड़ियां हैं, उन्हें दूर करें । यह केवल मुख्य मंत्री जी व नगर विकास मंत्री जी का ही दायित्व नहीं है । अधिकारी बनाये गए हैं, कर्मचारी बनाए गए हैं, जैसे पंचायतों के चुनाव में शिकायतें आई थीं, यदि अधिकारी/कर्मचारी मुकर जायेंगे तो आप और हम सबकी बदनामी होगी । नगरपालिकाओं, महापालिकाओं, व टाउन एरियाज के चुनाव होने वाले हैं, प्रजातंत्र में यह उचित भी है और होना भी चाहिए और हो भी रहे हैं । अब यह है कि जहां कोर्ट के मामले का बिन्दु आप लोगों ने उठाया, सरकारी पक्ष से या अधिकारी पक्ष से जो "स्टे" हो जाता है, उसमें बहुत देर हो जाती है । मैं यह बताना चाहता हूं रसड़ा, बलिया की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, पैसे का दुरुपयोग नगरपालिकाओं में या नोटीफाइड एरियाज में हो रहा है, उसकी रोकथाम जरूरी है । वहां पर 6·50 लाख रु0 नालियों को बनाने के लिए दिया गया था, उसका दुरुपयोग वहां के सचिव ने कर लिया और नाली नहीं बनी । इस बरसात के बाद वहां पर व्यापारिक केन्द्र में जाना मुश्किल हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरदेव–

वहां की नारकीय दशा हो गयी है क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो रही है । इसके लिए 12·50 लाख रु0 मांगा गया है । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराकर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी सड़क और खड़ंजे की व्यवस्था करायें । इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र–

मैं श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री मैनेजर सिंह जी का आभारी हूं कि इतनी देर से यहां पर सिर्फ बरेली और आगरा की ही बात चल रही थी, उसके साथ बनारस और बलिया भी जुड़ गया । श्री जयदीप सिंह बरार ने बहुत से विषय उठाये और जो डेट आफ नोटीफिकेशन, चुनाव की तिथि, नामांकन की तिथि, विदड्रावल की तिथि...

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आगरा के लोगों को विशेष ख्याल है कि दूसरों के मस्तिष्क को ठीक रखने का काम करें ।

(हंसी)

श्री नरेश चन्द्र–

महत्वपूर्ण बात जो बरार जी ने कही कि म्युनिसपल एरिया में जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है चाहे लखनऊ हो, बरेली हो या इलाहाबाद हो, म्युनिसपल एरियाज में एक्सटेंशन होता है, गांव अधिगृहीत होते हैं, उनके विकास का कार्य सरकार के अधिगृहीत होते हैं, उनके विकास का कार्य सरकार के विचाराधीन है । अभी इण्डिया

मार्क-2 हैण्डपम्प, जो जल निगम द्वारा लगाये गये हैं, उनके लिए उन एरियाज में भी आदेश दिये गये थे। जहां और विकास का काम नहीं हो पाया है, वहां इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं। एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित किया कि प्रगर समिति को सौंप दिया जाय, तो अब चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है, अब तीन महीने बाद प्रवर समिति की रिपोर्ट आयगी तो क्या आपका विचार है कि चुनाव की प्रक्रिया रोक दी जाय ? इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रवर समिति का प्रस्ताव वांछित नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि वोटर्स लिस्ट की जो बात है, नगर-पालिका या नगर महापालिका नहीं तैयार करती है बल्कि इलेक्शन डिपार्टमेंट तैयार करता है। निर्देश है कि 21 से 18 वर्ष तक के लोगों की लिस्ट तैयार की जाय। यह प्रयास है कि जितनी वोटर्स लिस्ट हैं, निष्पक्षता से सही सूची तैयार की जाय।

दूसरी बात श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने कही बनारस के बारे में, पानी की जहां-जहां क्राइसिस आयी है सरकार का उत्तरदायित्व है, आज उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बनारस में, जहां इण्टरनेशनल टूरिस्ट सेण्टर है, पानी की व्यवस्था की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक बात कही...

(श्री श्रीनाथ सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

श्री श्रीनाथ सिंह–

माननीय मंत्री जी बनारस के जो 288 बिन्दु हैं उसके बारे में भी बतला दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह आप क्या कर रहे हैं ?

(श्री श्रीनाथ सिंह अपने आसन पर बैठ गये।)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय राज्य मंत्री, श्री श्रीनाथ सिंह जी ने प्रभारी मंत्री जी से जो कि इस समय जवाब दे रहे हैं, एक बिन्दु के बारे में जानकारी चाही है, 288 बिन्दु के बारे में जिससे कि हैजा और जो अन्य पेट के रोग हैं वह न फैलें, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? इसकी जानकारी जब नगर विकास मंत्री जी बनारस गये थे तब उनको दी गयी थी।

श्री नरेश चन्द्र–

माननीय शतरुद्र प्रकाश ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश से एक हफ्ते तक सारे प्रदेश में सफाई अभियान चलाया गया और उन्होंने स्वयं जाकर प्रदेश का जायजा लिया। उस समय यह निर्देश दिया गया था कि कहीं भी सफाई की परेशानी हो और कर्मचारी कम हों तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त कर लिये जायं और उनसे कार्य कराया जाय। इस सम्बन्ध में काफी प्रयास हुआ और आपने देखा होगा कि प्रदेश में जो हैजे की लहर दौड़ रही थी, काफी प्रयास के बाद, सरकार के सफाई अभियान चलाने और बचाव-राहत कार्य के तहत उससे शीघ्र ही मुक्ति पा ली गयी है।

मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इस समय हैं नहीं, चले गये हैं। उन्होंने एक बात सीतापुर के बारे में कही थी कि वहां पटरियों पर से खोंचे वालों को उजाड़ा गया है। मैं भी वहां पर गया था तो पता लगा कि अधिकतर लोग उनमें ऐसे थे जो कि मूविंग थे जैसे कि ठेला आदि लगाते थे, और फिर चले जाते थे। यह सही है कि जो 15–20 साल से यदि वहां स्थापित था तो उसे नहीं उजाड़ा जाना चाहिए था, ऐसे लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था अवश्य ही की जायेगा।

फिरोजाबाद के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां भी मैं गया था और वहां पर निर्देश दिया गया है कि 21 दिन के अन्दर समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाया जाय। इसके बाद मैं फिर फिरोजाबाद जाऊंगा और देखूंगा। शीघ्र ही मैं वहां पर पहुंचने वाला हूं।

मैं माननीय बरार साहेब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री जगदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी देते हुए जानना चाहूंगा जैसा कि उन्होंने कहा कि बरेली महा-पालिका के चारों ओर के गांवों को अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि वहां ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, मैंने यह कहा कि अधिग्रहण जो हो चुके हैं, उनके संसाधन की व्यवस्था जुटाने हेतु सरकार विचार कर रही है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह नगरपालिकाएं हमारे यहां लगभग 5 वर्ष पहले से बनी हैं और जब से यह मामले विचाराधीन ही चल रहे हैं आखिर कब तक विचार अन्तिम रूप से करेंगे। दूसरा बिन्दु जो मैंने यह उठाया था कि इलाहाबाद में ऐन "ईद" के अवसर पर पानी बन्द हुआ था इसके क्या कारण रहे, उस समय भी जब यह मामला उठाया गया था तो तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रीगण ने यही कहा था कि हम मामले की जांच करा रहे हैं, तो जांच तो पूरी हो गयी होगी, अब आप यह बता दें कि उसमें कौन-कौन लोग दोषी पाये गये और दण्डित करने की क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नरेश चन्द्र–

इस मामले में संबंधित इलाहाबाद के प्रशासक का स्थानान्तरण हो गया है और अब वह वहां नहीं हैं, इलाहाबाद से कहीं अन्यत्र चले गये हैं, यही कार्यवाही हुई है।

श्री उपाध्यक्ष–

तो माननीय बरार साहब क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री सूर्य प्रताप शाही व माननीय विकल जी क्या आप लोग वापस ले रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री सत्य प्रकाश विकल)–

(दोनों ने एक साथ कहा) नहीं मान्यवर, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को राय जानने के लिए 31 दिसम्बर, 1988 तक परिचालित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड –2 से 5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखत अधिनियम बनाया जाता है:––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) यह 24 जून, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइट एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "30 जून, 1988" आये हों उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "30 जून, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

4–उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "30 जून, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1988

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 6 एवं 7 अक्टूबर, 1988 के उपवेशन में लिये जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

6 अक्टूबर, 1988
गुरुवार

(क) वित्तीय वर्ष 1988-89 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(ख) वित्तीय वर्ष 1982-83 के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(ग) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार एवं उसका पारण ।

(घ) उ0 प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार एवं उसका पारण ।

2–प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, गोंडा आदि जनपदों में अगस्त, 1988 से अब तक 400 से भी अधिक व्यक्तियों की मस्तिष्क ज्वर से हुई मृत्यु के संबंध में सरकार द्वारा की गयी लापरवाही और उदासीनता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रताप शाही व श्री औसान सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के विषय पर एक घंटे की चर्चा ।

7 अक्टूबर, 1988
शुक्रवार

1–विधायी कार्य

2–नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचनाओं पर क्रमानुसार एक-एक घन्टे की चर्चा––

(क) प्रदेश में बाढ़ से धन जन की भारी हानि तथा पर्याप्त राहत कार्य के अभाव के सम्बन्ध में सर्वश्री माता प्रसाद पाण्डे, सूर्य प्रताप शाही तथा औसान सिंह की सूचना ।

(ख) आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन यादव की सूचना ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज सदन में दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विशेषाधिकार हनन/सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना के निम्नलिखित 14 मामलों में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है–

1–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 30 सितम्बर, 1986

2–श्री गोपाल दास यादव द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 10 मई, 1987

3–श्री मयंकर सिंह द्वारा सूचना दिनांक 15 अक्तूबर, 1987.

4–श्री बदन सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 27 अक्तूबर, 1987.

5–श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 3 नवम्बर, 1987.

6–डाक्टर दिनेश जौहरी द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 1987.

7–श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 1987.

8–श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 1 जनवरी, 1988.

9–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 10 फरवरी, 1988.

10–श्री त्रिभुवन प्रसाद द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 9 तथा 25 फरवरी, 1988.

11–श्री शारदा प्रताप द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 23 फरवरी, 1988.

12–कुमारी कृष्णा रावत द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 22 तथा 23 फरवरी, 1988.

13–श्री मनोहर लाल तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 27 फरवरी, 1988.

14–श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 29 फरवरी, 1988.

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी सदस्य विधान सभा द्वारा क्षेत्राधिकारी, गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद) के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[''श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 30 सितम्बर, 1986 को श्री धीरेन्द्र सिंह यादव क्षेत्राधिकारी गुरसहायगंज, फर्रुखाबाद के विरुद्ध सदन की

नोट :–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया ।

अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है, जो मुझे दिनांक 9 अक्तूबर, 1986 को प्राप्त हुई। सूचना में माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि दिनांक 30 सितम्बर, 1986 को फर्रुखाबाद कचहरी से अपने घर वापस आते समय उनके साथ सी0ओ0 गुरसहायगंज, फर्रुखाबाद ने दुर्व्यवहार किया और विधायकों तथा विधान सभा के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। माननीय सदस्य की शिकायत है कि श्री यादव ने जानबूझकर सदन की अवमानना की है। माननीय सदस्य ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है।

प्रश्नगत मामले में माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। माननीय गृह राज्य मंत्री के पत्र दिनांक 18 मार्च, 1988 द्वारा उपलब्ध जानकारी तथा प्रश्नगत मामले में करायी गयी जांच आख्या के अनुसार इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि श्री धीरेन्द्र सिंह यादव, क्षेत्राधिकारी गुरसहायगंज ने श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ अभद्र व्यवहार किया है।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह उल्लेख किया है कि वे उक्त घटना के समय फर्रुखाबाद कचहरी से अपने घर जा रहे थे जो उनके विधायक की हैसियत से किसी विधायी अथवा सदन के कृत्य से संबंधित नहीं था।

वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में सदन की अवमानना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है।

अत: उपरोक्त परिस्थिति में मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।"]

श्री गोपालदास यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा अधिशासी अभियंता, पंचम निर्माण शाखा जल निगम, इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

["श्री गोपाल दास यादव सदस्य, विधान सभा ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63 के अंतर्गत श्री वृजेन्द्र वर्मा, अधिशासी अभियंता, पंचम निर्माण शाखा, जल निगम इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 10 मार्च, 1987 को दी थी। माननीय सदस्य ने उक्त सूचना में शिकायत की है कि दिनांक 23 फरवरी, 1987 को जब वे उक्त अधिकारी के पास अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गये तो उक्त अभियन्ता ने मा0 सदस्य, सदन तथा इसकी समितियों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और वहां पर अन्य कर्मचारियों और ठेकेदारों को बुलाकर धक्का-मुक्की कराने की कोशिश की।

माननीय सदस्य की सूचना एवं इस संबंध में शासन से प्राप्त जानकारी पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिनांक 23 फरवरी, 1987 को उक्त अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में माननीय श्री गोपाल दास यादव का जाना सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से संबंधित नहीं था। इसके अतिरिक्त श्री गोपाल दास यादव ने अपनी प्रश्नगत सूचना के प्रसंग में दो समाचार पत्रों में छपे समाचार के उद्धरण की जो फोटो स्टेट प्रति संलग्न की है, वह भी अपर्याप्त है क्योंकि पूर्व में

नोट–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

अध्यक्ष पीठ से इस आशय के निर्णय हुए हैं कि विशेषाधिकार संबंधी सूचनाओं के साथ समाचार-पत्र की पूरी प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना विलम्बित भी है क्योंकि प्रश्नगत घटना 23 फरवरी, 1987 की बतलायी गयी है और उसके संबंध में मा0 सदस्य की विशेषाधिकार हनन की प्रश्नगत सूचना लगभग 15 दिन बाद विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुई है।

अतः उपर्युक्त के आधार पर मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।''

श्री मयंकर सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा तहसीलदार कैसरगंज (बहराइच) के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[''श्री मयंकर सिंह, सदस्य विधान सभा ने तहसीलदार कैसरगंज, जनपद बहराइच द्वारा उनके प्रति शिष्टाचार का पालन न करने तथा उनकी अवमानना करने के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 1987 को दिया है। माननीय सदस्य ने उक्त पत्र में कहा है कि जब वे सूखा पीड़ित किसानों के मांग पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार कैसरगंज से मिले तो तहसीलदार ने मांग पत्र लेने से इंकार कर दिया तथा उनसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, जो विधान मण्डल की अवमानना है। माननीय सदस्य ने तहसीलदार के प्रति कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

माननीय सदस्य की उक्त शिकायत के संदर्भ में शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई। शासन ने राजस्व अनुभाग-9 के पत्र दिनांक 12 जुलाई के साथ प्राप्त संलग्न तहसीलदार कैसरगंज, जनपद बहराइच के स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त तहसीलदार ने न तो मांग पत्र लेने से इन्कार किया था और न ही माननीय सदस्य के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया था।

माननीय सदस्य की सूचना तथा दोषारोपित तहसीलदार के स्पष्टीकरण का अवलोकन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न तभी उठ सकता है जब सदन या उसकी समिति के सदस्य के रूप में किये जाने वाले कार्य में कोई गतिरोध पैदा किया जाय। माननीय सदस्य की सूचना से स्पष्ट है कि वह तहसीलदार से सूखा पीड़ित किसानों के मांग पत्र के सन्दर्भ में मिलने गये थे जो सदन या समिति के सदस्य के रूप में उनके कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में नहीं था। अतः उपरोक्त कारणों से इसे अस्वीकार करता हूं।'']

श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय मार्ग आगरा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[''श्री बदन सिंह, सदस्य विधान सभा ने श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग, आगरा के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 27 अक्टूबर, 1987 को दी थी। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह शिकायत की है कि जब वे दिनांक 20 अक्टूबर, 1987 को जनहित के कार्यों को लेकर श्री

नोट–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

श्रीवास्तव से मिलने उनके कार्यालय कक्ष में गये तो उक्त अभियंता ने उनसे कहा कि माननीय सदस्य बाहर हो लें । माननीय सदस्य ने आगे कहा है कि एक जनप्रतिनिधि को बिना सुने कार्यालय से निकाल दिया जाना पूरी विधायिका का घोर अपमान है । अंत में माननीय सदस्य ने इसे विशेषाधिकार-हनन के मामलों के रूप में स्वीकार कर उक्त अधिशासी अभियंता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की मांग की है ।

प्रश्नगत मामले में मैंने राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी । सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 2 जुलाई, 1988 द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार माननीय विधायक जब अधिशासी अभियंता के कमरे में पहुंचे तो वे मुख्य अभियंता से टेलीफोन पर बात करने में व्यस्त थे। अधिशासी अभियंता ने माननीय सदस्य से कमरे में बैठकर कुछ समय इन्तजार करने को कहा, किन्तु माननीय सदस्य कुछ क्षण बाद अपने जाने का आशय बताये बिना कमरे से बाहर चले गये ।

माननीय सदस्य की सूचना और उसके संबंध में शासन से प्राप्त पत्र का अध्ययन करने के पश्चात नतीजा निकलता है कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न उसी दशा में उठाया जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाये कि दोषारोपित व्यक्ति ने मा0 सदस्य के ऐसे कृत्य में बाधा पहुंचायी है या पहुंचाने का प्रयास किया है जो सदन या उसकी समिति के सदस्य के रूप में किये जाने वाले कार्य के प्रसंग में हो । प्रश्नगत मामले में मा0 सदस्य ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह उक्त अधिकारी से जनहित के कार्यों के संबंध में मिलने गये थे । इस प्रकार के अनेक निर्णय दिये जा चुके हैं कि यदि कोई विधायक स्वेच्छा से स्वतः किसी अधिकारी के कमरे में जाता है और वहां उसके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है तो विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस मामले को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं । तथापि मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से यह अपेक्षा करूंगा कि वे कृपया संबंधित अधिकारी को लिखित चेतावनी दें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके ।"]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय सदस्य विधान सभा द्वारा थानाध्यक्ष झींझाना (मुजफ्फरनगर) आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

["श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 3 नवम्बर, 1987 को दी थी ।

माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 3/4 अक्टूबर, 1987 की रात को उनके दल के विधायक श्री अमीर आलम खां के साथ थाना-झींझाना जनपद मुजफ्फर-

---

नोट :–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया ।

नगर के थानाध्यक्ष श्री बाबू राम यादव द्वारा दुर्व्यवहार आदि किये जाने के संबंध में वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में उक्त थाने पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने के लिए दिनांक 1 नवम्बर, 1987 को थाना झींझाना के मुख्यालय पर उनकी पार्टी द्वारा आयोजित सभा की समाप्ति के बाद, उक्त थाने की ओर जा रहे थे तो थाने से दो सौ मीटर दूर पर उक्त थानाध्यक्ष, अन्य पुलिस कर्मियों एवं असमाजिक तत्वों सहित आ गये और उन्होंने उनके तथा विधान सभा के प्रति अपशब्द कहे । माननीय सदस्य के अनुसार दो पुलिस कर्मियों अर्थात् थानाध्यक्ष, श्री यादव और सिपाही श्री हुकुम सिंह के इस कृत से विधान सभा की अवमानना हुयी है । माननीय सदस्य ने इस प्रकरण को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग की है ।

इस संबंध में माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी । शासन के पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1988 द्वारा यह सूचित किया गया कि प्रश्नगत मामले में जिला मैजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मैजिस्टीरियल जांच अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (वित्त) से करायी गयी थी । जांच के अनुसार घटना के संबंध में ऐसा कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है जिससे सत्यापित हो कि श्री बाबू राम यादव, थानाध्यक्ष, झींझाना द्वारा विधायक महोदय के साथ दुर्व्यहार या विधान सभा के प्रति अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया गया हो । यह भी सूचित किया गया है कि उपर्युक्त थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण "स्पेशल इन्वेस्टीगेशन स्क्वाड" मुजफ्फरनगर में किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में स्वयं यह स्वीकार किया है कि वे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से उक्त थाने पर धरना देने के लिये गये थे, जो सदन अथवा उसकी समिति के सदस्य की हैसियत से किये जाने वाले किसी कार्य के संबंध में नहीं था । इस प्रकार इसमें विधान सभा की अवमानना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता । शासन से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण भी किया जा चुका है । अतः उपर्युक्त परिस्थिति में इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति मैं नहीं देता हूं ।"]

डाक्टर दिनेश जौहरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

["डाक्टर दिनेश जौहरी, सदस्य, विधान सभा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 1987 को दी थी । उक्त सूचना विधान सभा के प्रथम सत्र, 1986 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर से संबंधित है ।

चूंकि प्रश्नगत सूचना बहुत विलम्ब से दी गई है, अतः उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।"]

नोट :–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया ।

श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य, विधान सभा द्वारा तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

["श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य, विधान सभा ने सदन में दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 को पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के संबंध में सदन को गुमराह करने की शिकायत करते हुए तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 को दी थी ।

माननीय सदस्य की शिकायत की पुष्टि में उनकी सूचना के साथ कोई लेख्य या प्रमाण नहीं दिये गये थे । अतः इस संबंध में माननीय श्री पाण्डे से विधान सभा सचिवालय के पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1988 के माध्यम से वांछित लेख्य एवं प्रमाण मांगे गये । उन्हें कई बार स्मरण भी कराया गया, परन्तु माननीय सदस्य ने वांछित लेख्य आदि उपलब्ध नहीं कराया ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मैं उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।"]

श्री विजय सिंह राणा आदि सदस्य विधान सभा द्वारा सिंचाई राज्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

["सर्वश्री विजय सिंह राणा एवं रघुवर दयाल वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अंतर्गत विशेषाधिकार- हनन की एक सूचना श्री सीताराम निषाद, सिंचाई राज्य मंत्री के विरुद्ध दिनांक 1 जनवरी, 1988 को दी थी । उक्त सूचना में यह कहा गया है कि दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 का मा0 मंत्री जी ने गलत उत्तर देते हुए बताया कि आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति के लिए महल बादशाही के निकट यमुना नदी पर एक बैराज बनाये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है । मा0 सदस्यों का कथन है कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाये जाने का मामला शासन द्वारा निर्णय किया जा चुका है और इसकी पुष्टि में मा0 सदस्यों ने अपनी शिकायत के साथ उक्त बैराज बनाये जाने के निर्णय के संबंध में श्री विजय सिंह राणा के पत्रों को, सचिव, सिंचाई विभाग को भेजे जाने विषयक मा0 मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव के दो पत्रों के अतिरिक्त दो अन्य पत्रों एवं दिनांक 24 जुलाई, 1988 के दैनिक "आज" (आगरा) की कटिंग की फोटोस्टेट प्रतियां संलग्न की है ।

मा0 सदस्यों की उपरोक्त सूचना के संदर्भ में मा0 सिंचाई राज्य मंत्री से वस्तु-स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । मा0 राज्य मंत्री ने संदर्भित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर को सही बताते हुए कहा कि प्रश्नगत सूचना के साथ प्रमाणस्वरूप संलग्न किये गये पत्रों में केवल यह कहा गया है कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाये जाने हेतु स्थान के चयन के विषय पर उनके पत्र सचिव , सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे हैं, किन्तु उन पत्रों में आगरा में महल बादशाही के निकट उक्त बैराज

नोट :–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया ।

के निर्माण के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । इसी प्रकार उक्त सूचना के साथ संलग्न किये गये अधीक्षण अभियन्ता के पत्रों के संबंध में मा0 राज्य मंत्री ने कहा है कि उन पत्रों के माध्यम से उक्त बैराज के बारे में स्थल चयन हेतु केवल संयुक्त परीक्षण करने के लिए श्री विजय सिंह राणा से अनुरोध किया गया था, किन्तु श्री राणा ने अधीक्षण अभियन्ता के साथ स्थल का निरीक्षण नहीं किया ।

मा0 सदस्यों की उपयुक्त सूचना तथा मा0 सिंचाई राज्य मंत्री के पत्र का अध्ययन करने के पश्चात मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उपलब्ध कराये गये लेखों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष स्थल पर उक्त बैराज के निर्माण का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका था । जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा संलग्न की गयी समाचार पत्र की कटिंग का प्रश्न है, इसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । यदि उपरोक्त प्रश्नोत्तर की तिथि अर्थात दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 के बाद माननीय मुख्य मंत्री या अन्य किसी मंत्री द्वारा आगरा में किसी स्थान पर बैराज बनाये जाने का आश्वासन दिया भी गया हो, तो पहले की स्थिति के अनुसार माननीय सिंचाई राज्य मंत्री द्वारा दिया गया दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 का उत्तर असत्य एवं निराधार नहीं कहा जा सकता ।

अतः श्री विजय सिंह राणा एवं श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा की विशेषाधिकार हनन की उक्त सूचना को मैं आधारहीन घोषित करता हूं''।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी इलाहाबाद के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

[''श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, सदस्य, विधान सभा ने श्री प्रभात चन्द चतुर्वेदी जिलाधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 10 फरवरी, 1989 को दी है । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह शिकायत की है कि उन्हें दिनांक 5 फरवरी, 1989 को अपने क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं के निदान हेतु जिलाधिकारी से मिले तो बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने झल्लाहट में उल्लेखित होकर विधायकों के प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और श्री विद्यार्थी के साथ अशोभन व्यवहार किया, जिससे सदन के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप हुआ है । श्री विद्यार्थी ने यह भी कहा है कि उक्त जिलाधिकारी ने ऐसा करके विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया ।

माननीय सदस्य की सूचना तथा उसके संदर्भ में सामग्री तथा जिलाधिकारी इलाहाबाद की आख्या पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अंतर्गस्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में स्वयं कहा है कि वह क्षेत्रीय समस्याओं के निदान हेतु जिलाधिकारी से मिलने गये थे, अर्थात माननीय सदस्य का जिलाधिकारी से मिलना सदन अथवा उसकी समिति के सदस्य के रूप में किसी कृत्य से संबंधित नही था ।

नोट—[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया ।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस मामले को सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।"]

श्री त्रिभुवन प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा पुलिस उपाधीक्षक बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

["श्री त्रिभुवन प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 9 फरवरी, 1988 को श्री स्वामी नाथ निगम, पुलिस उपाधीक्षक जनपद बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की एक सूचना, सभापति, विशेषाधिकार समिति को भेजी थी, जो उन्हें 10 फरवरी, 1988 को प्राप्त हुयी। इसी विषय पर एक सूचना माननीय सदस्य ने श्री अध्यक्ष को भी संबोधित करके दिनांक 25 फरवरी, 1988 को भेजी। उक्त सूचनाओं में माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि दिनांक 4 फरवरी, 1988 को जब माननीय सदस्य थाना इकौना के बभनियावा गांव में दिनांक 31 जनवरी, 1988 को हुई हरिजन उत्पीड़न की घटना के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक से मिलने गये थे, तो उक्त अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

प्रश्नगत मामलों में माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की थी। माननीय गृह राज्य मंत्री के पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1988 के माध्यम से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार श्री स्वामी नाथ निगम, उपाधीक्षक (पुलिस) जनपद बहराइच ने संदर्भित दिनांक को माननीय सदस्य से कोई अपमानजनक या आपत्तिजनक वार्तालाप नहीं किया था और हरिजन उत्पीड़न की कथित घटना के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर माननीय सदस्य स्वयं भी संतुष्ट हैं।

माननीय सदस्य की प्रश्नगत सूचना एवं गृह राज्य मंत्री के पत्र का अध्ययन करने के पश्चात मैं इस मत का हूं कि प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामला विशेषाधिकार हनन की परिधि में आता हुआ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि माननीय सदस्य ने घटना के बारे में शिकायत की है, उसका संबंध उनके द्वारा सदन अथवा उसकी किसी समिति के सदस्य के रूप में किये गये किसी कार्य से नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत मामले को सदन में उठाने की अनुमति मैं नहीं देता हूं।"]

श्री शारदा प्रताप सदस्य विधान सभा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर (लखनऊ) के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[दिनांक 23 फरवरी, 1988 को श्री शारदा प्रताप शुक्ल, सदस्य, विधान सभा ने खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ के विरुद्ध अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी। इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त खण्ड विकास अधिकारी ने यह जानते हुए कि विधान सभा का सत्र दिनांक 23 फरवरी, 1988 से शुरू हो रहा है, क्षेत्र समिति, सरोजनी नगर की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 1988 को 11 बजे

नोट–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

बुला ली, जबकि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष तथा शासन द्वारा समय-समय पर जिलाधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों को निदेश जारी हुए हैं कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो किसी भी ऐसी समिति या विभागीय समिति की बैठक नहीं बुलायी जायेगी। उक्त अधिकारी के इस कार्य को विधान सभा की अवमानना मानते हुए माननीय सदस्य ने उक्त सूचना को ग्रहण कर प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करने का अनुरोध किया है।

माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रति माननीय ग्राम्य विकास मंत्री को भेज कर उनसे वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री के पत्र दिनांक 8 अप्रैल, 1988 में बताया गया है कि 23 फरवरी, 1988 को क्षेत्र समिति, सरोजनी नगर की बैठक की तिथि प्रमुख, क्षेत्र समिति, सरोजनी नगर के आदेशानुसार खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनी नगर द्वारा निर्धारित की गयी थी। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने यह भी अवगत कराया है कि खण्ड विकास अधिकारी को अपने प्रस्ताव में यह अवश्य इंगित करना चाहिए था कि विधान मण्डल के सत्र के दौरान बैठक आयोजित न की जाय, ऐसा इंगित न करने के लिए उन्हें सचेत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शासन के ग्राम्य विकास विभाग ने इस आशय के आदेश समस्त जिलाधिकारियों एवं अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को जारी कर दिये हैं कि विधान मंडल के सत्रकाल में उक्त विभाग के अंतर्गत गठित ऐसी समितियों आदि की बैठकें न रखी जायें जिनमें विधायकगण सदस्य होते हैं और यदि सत्रकाल में बैठक बुलाना आवश्यक हो तो केवल रविवार को ही बैठक आयोजित की जाय।

अतः मैं उक्त मामले को विशेषाधिकार या अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।]

कु0 कृष्णा रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[''कुमारी कृष्णा रावत, सदस्य, विधान सभा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की दो सूचनाएं क्रमशः दिनांक 22 फरवरी, 1988 तथा 23 फरवरी, 1988 को दी थीं। माननीया सदस्य ने अपनी सूचनाओं में यह शिकायत की है कि उनके द्वारा विधान सभा के 4 जनवरी, 1988 के उपवेशन में नियम 301 के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन के सम्बन्ध में मामला उठाये जाने से क्षुब्ध होकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने दिनांक 11 फरवरी, 1988 को बरीकलां गांव पहुंचकर अपराधियों की सहायता से किसानों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और गांव वालों पर गोली चलायी। माननीया सदस्य ने आगे यह भी कहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से उक्त घटना के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उन्होंने विधान सभा और विधायकों के सम्बन्ध में अपमानजनक एवं

नोट–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

मर्यादा के प्रतिकूल बातें कहीं जो सदन एवं विधायक के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। कुमारी रावत ने उक्त मामले को विशेषाधिकार हनन के मामले के रूप में उठाने एवं प्राधिकरण के अधिकारियों को दण्डित करने की मांग की है।

प्रश्नगत मामले में मैंने माननीय नगर विकास राज्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। तत्कालीन माननीया राज्य मंत्री, नगर विकास ने अपने पत्र दिनांक 17 जून, 1988 द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करायी है उसके अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण को हरदोई रोड परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में ही सभी भूमि पर कब्जा मिल चुका था किन्तु चूंकि सभी भूमि पर विकास कार्य की प्रक्रिया एक साथ प्रारम्भ नहीं की जा सकती थी अतएव किसानों को फसल बोने से रोका नहीं गया और केवल उसी भूमि को अधिकार में लाये जाने की कार्यवाही की जाती रही जिस पर प्राधिकरण को विकास कार्य करना पड़ता था। माननीया राज्य मंत्री के अनुसार दिनांक 11 दिसम्बर, 1988 को प्राधिकरण के कर्मचारियों को कतिपय काश्तकारों ने न केवल कार्य करने से रोका अपितु हिंसात्मक रवैया अपनाया जिसके सम्बन्ध में दोनों तरफ से पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है तथा पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। उक्त पत्र में यह भी कहा गया है कि तथ्यों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विधान सभा तथा माननीय विधायिका के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है।

माननीय सदस्या की सूचना तथा तत्कालीन माननीय नगर विकास राज्य मंत्री से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्गस्त प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कथित घटना से सदन या उसकी किसी समिति के सदस्य के रूप में कुमारी कृष्णा रावत के किसी कृत्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ था और लखनऊ विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा अपमानजनक शब्द कहे जाने की पुष्टि भी नहीं हो पायी है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस मामले को सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।"]

श्री मनोहर लाल आदि सदस्य, विधान सभा द्वारा परगनाधिकारी छाता (मथुरा) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

["सर्वश्री मनोहर लाल तथा रघुवर दयाल वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा ने श्री बसन्त लाल, परगनाधिकारी, छाता, जनपद मथुरा के विरुद्ध दिनांक 27 फरवरी, 1988 को विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। उक्त सूचना में यह शिकायत की गयी है कि उक्त परगनाधिकारी ने नागरिकों एवं पत्रकारों के समक्ष कहा है कि "छटे-छटाये गुण्डे मंत्री होते हैं और घटिया स्तर के सभी लोग विधायक, सांसद या नेता बनते हैं।" माननीय सदस्यों का कथन है कि इस प्रकार परगनाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से मंत्रि परिषद् के सदस्यों एवं सदन के

नोट–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

सदस्यों की अवमानना की है। माननीय सदस्यों ने समाचार-पत्र (जिसका नाम नहीं बताया गया है) में छपे परगनाधिकारी के उक्त बयान की कटिंग संलग्न करते हुए उक्त परगनाधिकारी को सदन में तलब करने तथा दण्डित करने की मांग की है।

इस संबंध में शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। शासन ने सूचित किया है कि जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा श्री बसन्त लाल शाह से प्राप्त आख्या के अनुसार दैनिक ''स्वराज्य टाइम्स'' में दिनांक 1 फरवरी, 1988 को छपी खबर को निराधार, असत्य एवं तथ्यों से परे बताया गया है, तथा कहा गया है कि जन प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, सदस्य एवं महोदय के प्रति कोई अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा कभी नहीं किया गया तथा उनके द्वारा कोई संवाददाता बैठक भी आहूत नहीं की गयी। यह भी सूचित किया गया है कि जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा की गयी जांच में कोई आरोपित तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन अथवा अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि समाचार-पत्र में छपे किसी समाचार के आधार पर, जो कि अपुष्ट श्रोत है, अवमानना का आधार नहीं माना जा सकता। इस संबंध में पूर्व में अध्यक्ष-पीठ से यह निर्णय हो चुके हैं कि केवल समाचार-पत्र में छपे किसी समाचार के आधार पर विशेषाधिकार या अवमानना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, और ऐसे प्रश्न की सूचना के साथ समाचार-पत्र की पूरी प्रति संलग्न करनी चाहिए, उसकी कटिंग पर्याप्त नहीं होती।

उपरोक्त कारणों से मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।'']

श्री रिछपाल सिंह बंसल आदि सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान भवन गेट नं0 3 पर तैनात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[''सर्वश्री रिछपाल सिंह बंसल एवं लक्ष्मी नारायण चौधरी, सदस्यगण, विधान सभा ने विधान भवन के गेट नं0 3 पर तैनात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 29 फरवरी, 1988 को दी थी। माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में यह शिकायत की है कि उक्त दिनांक को जब वे विधायक श्री दीपक कुमार के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेने आ रहे थे तो विधान सभा के गेट नं0 3 पर ''लाक'' लगा था । माननीय सदस्यगण का कहना है कि सदन की कार्यवाही में भाग लेने में पुलिस ने उन्हें बाधा डाली । अतः माननीय सदस्यों ने उक्त मामले को विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में उठाने तथा उसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किये जाने की मांग की है ।

इस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गयी थी । शासन के पत्र दिनांक 19 मार्च, 1988 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय से प्रश्नगत मामले की जांच करायी गयी । जांच के अनुसार घटना के दिन गेट नं0 3 पर ताला नहीं लगा था और गेट पर तैनात सुरक्षा दल के किसी कर्मचारी द्वारा किसी माननीय विधायक

नोट [ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया ।

को प्रवेश करने से रोका नहीं गया था, किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश-पत्र की कड़ी जांच के बाद ही भवन में प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी । शासन के पत्र दिनांक 21 मार्च, 1988 द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 29 फरवरी, 1988 को विधान भवन के सामने घटित पूरे प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया जा चुका है । शासन ने यह भी सूचित किया है कि इस संबंध में श्री निरंजन प्रसाद गौतम, पुलिस उपनिरीक्षक, हजरतगंज का स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

माननीय सदस्यों की सूचना तथा इसके संबंध में शासन से प्राप्त जानकारी पर सम्यक रूप से विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि घटना के दिन प्रदर्शनकारियों की उग्रभीड़ जबरदस्ती उक्त गेट पर विधान भवन में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी, अतः सचिवालय सुरक्षा दल द्वारा विधान भवन के गेट नं0 3 का एक फाटक बंद करके दूसरा थोड़ा खुला रखा गया था, और प्रवेश-पत्र या परिचय-पत्र की जांच करने के बाद ही उस गेट से प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी । ऐसे समय में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित उपाय करना आवश्यक भी था । विधान भवन में प्रवेश हेतु गेट नं0 3 के अलावा अन्य प्रवेशद्वार भी हैं, जिन्हें बन्द किये जाने की शिकायत माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में नहीं की है, और वर्णित असाधारण परिस्थिति में गेट नं0 3 पर कठिनाई होने की दशा में वे विधान भवन के अन्य प्रवेश-द्वार से अन्दर आ सकते थे । इस प्रकार यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने में बाधा पहुंचायी गयी । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत सूचना में सामान्य रूप से पुलिस के विरुद्ध सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है, पुलिस के दोषारोपित अधिकारियों या कर्मियों में से किसी का नाम नहीं बताया गया है । इस दृष्टि से सूचना अस्पष्ट भी है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं इस मामले को विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न के रूप में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं ।"]

श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर) द्वारा लखनऊ के कतिपय प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

["श्री अध्यक्ष ने विशेषाधिकार की एक अन्य सूचना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है–

श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर) की विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 11 नवम्बर, 1987, जो 10 नवम्बर, 1987 को लखनऊ नगर के कतिपय प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस के अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा विधायक निवास, रायल होटल स्थित उनके कमरे में उन्हें अपमानित किये जाने तथा श्री राम गोविन्द चौधरी, सदस्य विधान सभा के कमरा नम्बर 53 में घुस कर तोड़ फोड़ करने के सम्बन्ध में है, को जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु मैं सदन की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं ।"]

नोट–[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का अष्टम् प्रतिवेदन†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन पर विचार किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का अष्टम् प्रतिवेदन पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज जो प्रस्ताव तिवारी जी ने रखा है, तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि उसमें जिन दरोगा का नाम है, उनको शास्ति के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आज इसे सदन ने स्वीकार किया है, अध्यक्ष जी इस पर डेट लगायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यही तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तो यह सरकार का काम है कि शस्ति के लिये उन्हें यहां पर कब प्रस्तुत किया जायेगा । आप सरकार की ओर से जानकारी दिला दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुये हैं वे बता दें कि कब वह उन्हें प्रस्तुत करेंगे । इतने दिन पहले यह रिपोर्ट आ गई थी इसका प्रस्ताव जो आज आया है वह पहले आना चाहिए था । आज यह प्रस्ताव इस तरफ से लाना पड़ा । यह मजबूरी में लाया गया है । यह सरकार की तरफ से आना चाहिए था । इसलिए मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री की ओर से यह आश्वासन दिला दें कि कब उन्हें यहां पर प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा हम लोगों के दिमाग में वही आशंका की दीवाल बनी रहेगी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, गुप्ता जी ने यह बात कही कि इसमें विलम्ब किया गया । मान्यवर, आप देखें, आठवीं विधान सभा में यह पारित हुआ था और उसके बाद विधान सभा समाप्त हो गई । फिर उसके बाद कोई जानकारी इसके लिये नहीं दी गई . . (व्यवधान)

---

† छापा नहीं गया ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मैं तो आपको 10 बार कहता रहा ।

श्री अम्मार रिजवी–

आप सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हो सकता है जानकारी इन्होंने दी हो लेकिन वह भाषण पुनरीक्षित न किया गया हो।

श्री अम्मार रिजवी–

इसमें भी गुप्ता जी चूके नहीं । जब कार्य मंत्रणा समिति में इस पर तिथि निर्धारित हुई तो फिर सदन उठ गया । अब आज यह आया है । परसों तक हमारा कार्य यहां का है । मैं समझता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसमें यह सारा कार्य पूरा हो जायेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से श्री अकबर हुसैन बाबर की सूचना जो दिनांक 20-9-88 को झांसी पुलिस द्वारा की गई पिटाई से बबलू नामक 14 वर्षीय बालक की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य के लिये तथा दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है जो जिला सीतापुर में पटरी दुकानदारों के खोखे, चबूतरे आदि को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गई है । बाकी सब सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ

5 अक्टूबर, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

संलग्नक–"अ"

गत दो वर्षों में आपात कालीन व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित सारिणी के अनुसार विद्युत आपूर्ति की गई:—

वर्ष 1986–87		वर्ष 1987–88	
माह	आपातकालीन अधिकतम डिमान्ड मेगावाट में	माह	आपातकालीन अधिकतम डिमान्ड मेगावाट में
7/86	57.33	7/87	57.00
8/86	52.50	8/87	54.67
9/86	56.17	9/87	51.00
10/86	54.33	10/87	56.00
11/86	56.33	11/87	55.00
12/86	56.33	12/87	58.83
1/87	40.75	1/88	58.33
2/87	53.00	2/88	59.00
3/87	56.00	3/88	55.83
4/87	59.50	4/88	55.00
5/87	54.17	5/88	55.50
6/87	35.00	6/88	58.83

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में परगना अधिकारी, टाण्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 28-8-1987 को नगरपालिका, टाण्डा क्षेत्र के अन्तर्गत व्याप्त विद्युत अव्यवस्था में उत्पन्न हुई स्थिति के निराकरण हेतु एक बैठक का आयोजन परगना अधिकारी, टाण्डा की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में सुरेन्द्र नाथ कपूर, प्रबन्धक त्रिलोकी नाथ डिग्री कालेज, टाण्डा श्री गोपी नाथ वर्मा, भूतपूर्व विधायक, श्री बजरंगी लाल जायसवाल, कांग्रेस कार्यकर्ता, श्री हयात मुहम्मद, चेयरमैन भूतपूर्व श्री धर्मराज तिवारी एस0 डी0 ओ0 टाण्डा, श्री टी0 आर0 गोंगा, सहायक अभियन्ता, सिंचाई ने भाग लिया।

मीटिंग की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही श्री बजरंगी लाल जायसवाल ने एस0 डी0 ओ0 हाइडिल पर आरोप लगाया कि यह हर शिकायत पर यही कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है जबकि नगर के अन्दर 8.30 से बिजली नहीं रहती। जगह-जगह पर केबिल भ्रष्ट कर गए हैं। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने भी इसी प्रकार का आरोप लगाया। अन्त में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया :—

1—कुंडा ट्रान्सफार्मर पर लोड अधिक रहता है इसलिए बिजली का वोल्टेज कम हो जाता है अतः ट्रान्सफार्मरों की संख्या बढ़ाई जाय। इस पर एस0 डी0 ओ0 हाइडिल ने अपनी सहमति व्यक्त किया।

2—बिजली के तारों को जोड़ने के लिए जो कुटियां लगी हैं बहुत ढीली हैं उनको ठीक किया जाय तथा जो तार लटक रहे हैं वे आपस में न लड़ें इसके लिए यह आवश्यक है कि इसमें बांस की खपच्चियां बांध दी जायं। एस0 डी0 ओ0 हाइडिल इससे सहमत थे और शीघ्र इस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

3—रोस्टिंग पीरियड अनियमित है इसे नियमित किया जाय।

4—अन्त में यह तय पाया गया कि रोस्टिंग पीरियड सबेरे दस बजे से 11 बजे तथा सायं 4 से 5 बजे के बीच रखा जाय।

5—सबसे गम्भीर बात जो जनता ने उठाया वह यह कि बिजली में कोई शिकायत अनुभाग से नहीं है परगना अधिकारी ने एस0 ओ0 हाइडिल को निर्देशित किया कि छोटी बाजार चौराहे के पास स्थित बिजली आफिस में 24 घंटे कार्यरत कम्पलेन्ट सेक्शन की स्थापना की जाय। एस0 डी0 ओ0 हाइडिल ने इसे कराने का आश्वासन दिया।

6—एस0 डी0 ओ0 हाइडिल ने अपनी समस्या रखते हुए यह कहा कि करीब 2 वर्ष से केबिल इत्यादि की पूर्ति अधिशासी अभियन्ता स्टोर्स,

फैजाबाद द्वारा नहीं की जा रही है इस कारण से ट्यूबवेलों को कनेक्शन देने में कठिनाई हो रही है। ट्यूबवेल मालिक केबिल अपने पैसे से ही खरीदते हैं जबकि बिजली विभाग द्वारा बनाये गये स्टीमेट में केबिल का भी मूल्य जुड़ा रहता है। इसलिए विद्युत उपभोक्ताओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: अधिशासी अभियन्ता, स्टोर्स फैजाबाद को निर्देशित किया जाय कि वे सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करें। यदि सामान उपलब्ध न हो तो वे खरीद कर दें क्योंकि उनके पास खरीदारी का अधिकार है।

बिजली की सप्लाई में काफी चढ़ाव उतार है परिणामत: बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में एस0 डी0 ओ0 हाइडिल ने बताया कि ऐसा बिजली के खम्भों में जुड़े तारों के बीच जमें कार्बनों के कारण हो रहा है उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इसे शीघ्र ठीक करवा देंगे।

चौक से आये हुए लोगों ने यह आपत्ति किया कि श्री एम0 क्यू0 खान अवर अभियन्ता बहुत ही अकर्मण और बदनाम शुदा अधिकारी हैं इसलिए इनको यहां से हटा कर इनके स्थान पर किसी दूसरे अभियन्ता की नियुक्ति की जाय। श्री हयात मुहम्मद ने बताया कि श्री आर0 एन0 विश्वकर्मा का कार्य बहुत अच्छा है इसलिए चौक पर इनकी नियुक्ति कर दी जाय। एस0 डी0 ओ0 हाइडिल ने आश्वासन दिया कि आज ही श्री विश्वकर्मा की नियुक्ति चौक के ट्रान्सफार्मर नं0 2 पर कर दी जायेगी और आज से ही वे चौक का कार्य देखेंगे।

अन्त में उपखण्ड अधिकारी टाण्डा ने बताया कि अवर अभियन्ता एम0 क्यू0 खान के साथ ही साथ अन्य और भी कर्मचारी जैसे लाइनमैन आदि यहां 15–20 साल से कार्यरत हैं उनका यहां के अनैतिक कार्यों एवं राजनैतिक कार्यों में काफी दखल रहता है। उन्होंने कहा कि वे इन लोगों के स्थानान्तरण के लिए कई बार अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को लिख चुके हैं परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने अकेले यहां की स्थिति सुधारने में अपनी असमर्थता व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने सुझाव दिया कि परगना अधिकारी जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मिलकर शासन से इन पुराने कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाने की कार्यवाही करें।

उपरोक्त विचार-विमर्श के बाद मीटिंग की कार्यवाही समाप्त की गई।

हस्ताक्षरित
(ओ0 एन0 सिंह),
परगना अधिकारी,
टाण्डा।
28-8-1987

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1–जिला अधिकारी महोदय, फैजाबाद।
2–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, फैजाबाद।
3–अधिशासी अभियन्ता, स्टोर्स विद्युत विभाग, फैजाबाद।
4–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर।
5–उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, टाण्डा।
6–श्री हयात मुहम्मद, भूतपूर्व चेयरमैन।
7–श्री गोपीनाथ वर्मा, भूतपूर्व विधायक, टाण्डा।
8–बजरंगी जायसवाल, टाण्डा ।
9–श्री मुख्तार अहमद किदवई।
दिनांक 28-8-1987

हस्ताक्षरित
(ओ0 एन0 सिंह),
परगना अधिकारी,
टाण्डा।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

संलग्नक–1

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा नरोरा के नागरिकों तथा भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी की मुख्य मांगें

1–सहायक अभियन्ता, श्री बी0 पी0 सिंह ने दिनांक 26-3-87 से 31-3-87 तक 25.00 लाख रुपये का ठेकेदारों द्वारा फर्जी माल सप्लाई दिखाकर व 10 प्रतिशत ठेकेदारों को देकर बाकी बिना मौके पर कार्य कराये सरकार द्वारा दिया गया धन हजम कर लिया तथा 6 प्रतिशत बोल्डर व 4 प्रतिशत लोहा बिक्री कर की चोरी की।

2–गंगा के पावन तट पर सरकार द्वारा दिये गये धन का दुरुपयोग कर कार्य न करना जिसके कारण 11 कर्मियों की मृत्यु का होना है।

3–श्री बी0 आर0 खान, इंजीनियर, सिंचाई विभाग, लखनऊ के सुपुत्र जावेद खां, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके साथ दिल्ली स्थित पाक दूतावास के प्रथम व द्वितीय सचिव तथा कई लोग नरोरा आये और हेड वर्क्स व उच्च अधिकारियों से रिश्तेदारों के बल पर खुलेआम निषिद्ध क्षेत्र व घाटों पर फोटोग्राफी की गयी व दो दिन ठहरे भी।

4–नरोरा वर्जित क्षेत्र में मछली मारना निषिद्ध है। साथ ही भारतीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद श्री बी0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, हेड वर्क्स व उच्च अधिकारियों से रिश्तेदारों के बल पर खुलेआम निषिद्ध क्षेत्र व घाटों पर 20,000/- प्रतिदिन की मछली मरवा रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं।

5–सहायक अभियन्ता, बी0 पी0 सिंह की कोठी पर पांच अलशेसियन व दो चौकीदार हर समय तैनात रहते हैं। चार पुराने बदमाश रख रखे हैं। निवास गेट पर पूछताछ कक्ष बना रखा है। बिना एन्ट्री व तलाशी के अन्दर बी0 पी0 सिंह से मुलाकात नहीं हो सकती है। मिलने पर कभी-कभी अभद्र व्यवहार करते हैं और प्रधान मंत्री महोदय से सीधे सम्बन्ध की बातें कर कालोनी को आतंकित करते हैं।

6–सहायक अभियंता, बी0 पी0 सिंह के अधीनस्थ कर्मचारियों ने आपस में अपने रिश्तेदारों के नाम सरकारी आराजी के पट्टे करा रखे हैं तथा करा रहे हैं जिसमें मुख्य भूमिका नैनसिंह, जिलेदार प्रथम व ानवारी लाल अमीन निभा रहे हैं।

7—सिंचाई विभाग की झील में 29/30 मार्च, 1987 की रात्रि को कांटेदार तार व चार फुट की ऊंची रेलिंग के अन्दर एक युवती की हत्या काण्ड के जांच के सम्बन्ध में माननीय लोकपति त्रिपाठी, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश व श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश के 16-4-87 को नरोरा आगमन पर कोठी नं0—1 पर ज्ञापन देते हुए सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं की सहायक अभियन्ता, बी0 पी0 सिंह ने हत्याकाण्ड की जांच की मांग से क्षुब्ध होकर अपने गुण्डों द्वारा पिटाई करवा दी। यह सिद्ध करता है कि सहायक अभियन्ता का उस निर्दोष महिला हत्याकाण्ड में किन्हीं स्वार्थवश हाथ है। साथ ही धमकी दी है कि कोठी नं0—1 व 2 पर मंत्री या अन्य अधिकारियों से मिले तो बुरा परिणाम होगा।

8—महिला हत्याकाण्ड पुलिस थाना, नरोरा से मिलकर बिगड़वाया गया और सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को डराया गया है कि मैं हरिद्वार में भी गोली काण्ड करा आया हूं यहां भी मर्डर करवा दूंगा तथा बी0 पी0 सिंह ने अपने गुण्डों व कर्मचारियों को 100 डण्डे व 60 कट्टे दिला रखे हैं। क्योंकि सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करवा सकते हैं जिसमें मुख्य भूमिका थानाध्यक्ष तारन सिंह निभा रहे हैं।

———

नत्थो 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

संलग्नक

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1988 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित श्री शारदानन्द अंचल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या--47 के संबंध में विवरण ।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	देशी शराब की दुकान की संख्या	विदेशी शराब की दुकानों की संख्या	ताड़ी के दुकानों की संख्या
1	2	3	4	5
1	दुबहड़ . .	6	1	11
2	गड़वार . .	2	—	11
3	बैरिया . .	5	1	2
4	बेलहरी . .	2	—	2
5	सोहांव . .	5	—	5
6	हनुमानगंज . .	1	—	—
7	मुरलीछपरा . .	—	—	1
8	बांसडीह . .	1	—	3
9	रेवती . .	1	—	4
10	बेरूआरारी . .	1	—	8
11	मनियर . .	1	—	4
12	पन्ढह . .	1	—	10
13	नवानगर . .	3	—	5
14	रसड़ा . .	3	1	18
15	नगरा . .	2	—	8
16	रतनपुरा . .	2	—	4
17	सीयर . .	2	1	14
18	चिलकहर . .	3	—	1
	योग . .	41	4	111

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

विवरण

क्रम-संख्या	श्रेणी	कालोनी का नाम	प्रत्येक आवास का लीविंग एरिया		पूल रेंट रु0 में
1	2	2	4		5
1	एक	अशोक नगर	210	वर्गफीट	58-80
2	,,	दारुलशफा	252	,,	70-50
3	,,	विधायक निवास-3	233	,,	65-24
4	,,	विक्रमादित्य मार्ग	124	,,	34-72
5	,,	ओल्ड स्पीकर हाउस	143	,,	40-09
6	,,	कैबिनेटगंज	146	,,	40-88
7	,,	बिष्णुपुरी	339	,,	94-92
8		स्टेट गेस्ट हाउस	187	,,	52-36
9		डालीबाग कालोनी	185	,,	51-80
10		तालकटोरा	242	,,	67-76
11		नैपियर रोड	266	,,	74-48
1	दो	सचिवालय कालोनी, महानगर	463	वर्ग फीट	129-64
		सचिवालय कालोनी, महानगर टाइप-2	486	,,	136-08
2	,,	बादशाहनगर	365	,,	102-20
3	,,	नैपियर रोड	398	,,	111-44
4	,,	तालकटोरा	484	,,	135-52
	,,	तालकटोरा	402	,,	112-50
5	,,	हैवलक रोड	396	,,	250-88
6	,,	बशीरत गंज	388	,,	108-99
1	तीन	सचिवालय कालोनी, महानगर के बी टाइप के आवास।	332	वर्ग फीट	183-04
	,,	टाइप-3	649	,,	142-78
2	,,	बादशाहनगर कालोनी	648	,,	142-50
	,,	बादशाहनगर टाइप-3	696	,,	153-12
3	,,	डायमण्ड डेरी	673	,,	148-06
4	,,	हैवलक रोड सी टाइप	829	,,	182-38
5	,,	बशीरत गंज मिडिल क्लास आवास	604	,,	132-88

1	2	3	4		5
					रु0
1	चार	दिलकुशा कालोनी . .	919	वर्गफीट	459–50
2	,,	पार्करोड . .	1277	,,	638–50
3	,,	डायमण्ड डेरी एम.आई. जी. टाइप। . .	884	,,	442–00
	,,	डायमण्ड डेरी . .	834	,,	417–00
4	,,	राम सागर मिश्रा नगर . .	863	,,	431–50
5	,,	राम सागर मिश्रा नगर . .	732	,,	366–00
	,,	राम सागर एम.आई.जी. दुकानों के ऊपर । . .	990	,,	495–00
6	,,	अलोगंज एम.आई.जी. . .	701	,,	350–50
	,,	अलोगंज ,, ,, . .	732	,,	366–00
	,,	,, ,, . .	747	,,	373–50
7	,,	डालीबाग कालोनी . .	947–40	,,	423–70
8	,,	तालकटोरा . .	723	,,	361–50
9	,,	सचिवालय स्टाफ कालोनी महानगर। . .	1175	,,	587–50
	,,	सचिवालय स्टाफ कालोनी महानगर ए टाइप मिडिल क्लास । . .	1612	,,	806–00
10	,,	डी0एम0 कम्पाउण्ड . .	918	,,	459–00
1	पांच	दिलकुशा कालोनी बी टाइप । . .	1564	वर्गफीट	328–44
2	,,	राजभवन कालोनी टाइप–4। . .	1393	,,	292–53
3	,,	बटलर पैलेस कालोनी–4 . .	1231	,,	258–51
	,,	बटलर पैलेस टाइप–बी . .	1398	,,	293–58
	,,	बटलर पैलेस टाइप–सी . .	1282	,,	269–22
	,,	बटलर पैलेस टाइप–डी . .	1219	,,	255–99
4	,,	गुलिस्तां कालोनी . .	1163	,,	244–23
5	,,	निरालानगर टाइप–सी . .	1480		310–08
		निरालानगर टाइप–डी . .	1364		286–44
1	छः	माल एवेन्यू सचिव अवास . .	4077	वर्गफीट	896–94
	,,	,, ,, उपसचिव आवास . .	4725	,,	1039–50
	,,	,, ,, सचिव आवास . .	4260	,,	937–20
	,,	,, ,, मुख्य सचिव आवास	5752	,,	1265–44
	,,	,, ,, बंगला नं0 4-ए, 5-ए, 6-ए व 6-बी, 13-ए	8536	,,	1877–92

1	2	3	4	5
				रु0
2	छः	कालिदास मार्ग पुराने उपमंत्री ..	2678 वर्ग फीट	589–16
	,,	कालिदास मार्ग पुराना मंत्री 3 ..	6094 ,,	1340–88
	,,	काविदास मार्ग पुराने उपमंत्री ..	3638 ,,	800–30
	,,	कालिदास मार्ग पुराने उपमंत्री नं0 10, 11, 12, 12ए, 14, 15 16 और 17 ..	2287 ,,	503–14
3	,,	विक्रमादित्य मार्ग नये उपमन्त्री आवास 1 से 6 ..	2260 ,,	497–20
	,,	विक्रमादित्य मार्ग नये उपमंत्री आवास 7, 8, 10 तथा 11 ..	2253 ,,	495–66
	,,	विक्रमादित्य मार्ग नये मंत्री आवास 1 से 5 तक ..	2810 ,,	618–30
4	,,	गौतमपल्ली 1 से 10 ..	2351 ,,	527–30
	,	गौतमपल्ली 11 ..	3722 ,,	818–84

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 84 व 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

संलग्नक

वर्ष 1985–86, 1986–87 तथा 1987–88 (फरवरी, 88 तक) उ0 प्र0 निर्यात निगम में की गई नियुक्तियों में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की स्थिति तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की प्रोन्नति की स्थिति।

वर्ष	वेतनमान रु0	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या	नियुक्त कर्मचारियों में अनुसूचित/अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	आवेदन करने वाले अनुसूचित/अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	प्रोन्नत किये गये अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1985–86	—	—	—	—	—
1986–87	305–390	3	3	12	—
	410–640	7	2	9	—
	620–1100	—	—	—	1
	690–1420	2	—	2	—
	900–1770	3	—	—	—
	1350–2100	1	—	—	—
1987–88 (फरवरी, 88 तक)					
	320–460	1	—	3	2
	335–495	1	—	—	—
	410–640	3	—	1	—
	490–760	3	—	2	—
	620–1100	1	—	—	—
	690–1420	5	—	—	1
	900–1770	2	—	—	—
	1350–2100	4	—	—	—
	1840–2400	1	—	—	—

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 118 का उत्तर पीछे पृष्ट 81 पर)

नलकूप खण्ड, लखनऊ के लिये विद्युत सामग्री की आपूर्ति का विवरण।

क्रम-संख्या	एजेन्सी का नाम	विद्युत सामग्री का नाम	मार्का का विवरण
1	2	3	4
1	मैसर्स ई0एम0ई0एन0 इन्जी0 कारपोरेशन, 15 न्यू मार्केट लखनऊ।	किलवर्न स्टार्टर स्पेयर	किलवर्न मैक
2	मैसर्स विजय इन्टर प्राइजेज, 66 गौतम बुद्ध मार्केट, लखनऊ	1–फिल्म पेपर 2–लेटराइट पेपर 3–ट्रिपलेक्स सीट	गारवारे फिनलैण्ड वैल्स क्रिम्पिल
3	मैसर्स सुपर ट्रेडिंग कारपोरेशन, 54, गोयल मार्केट, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।	4–पी0वी0सी0 वायर 5–आयल सील 6–काटन टैप 7–स्ट्रील ग्रिपटेप 8–पी0वी0सी0 टेप	नेशनल मैकोडा लोटस मोर मोरे
4	मैसर्स इलेक्ट्रो मैक सेल्स इण्डिया, 49, गौतमबुद्ध मार्ग लखनऊ।	1–सीमेन्स स्टार्टर स्पेयर 2–सीमेन्स कान्ट्रैक्टर टाइप (1) (टी) 3–हेवेल्स मेकक्विटकैट 63 एमप्रीर्स 4–पी0वी0सी0 वायर 7/18 5–फ्यूज वायर 6–पी0वी0सी0 टैप 7–सीमेन्स रिले	सीमेन्स मैक तदैव हैवेल्स मेक सीमेन्स मेक
5	मैसर्स बल स्क्वायर इंजी0 कारपोरेशन, 86, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।	1–एल0एण्ड0टी0 स्टार्टर स्पेयर 2–थर्मल ओवर लोड रिले माउंटिंग टाइप 10–16 एम्पियर	एल एण्ड टी मेक एल0एण्ड0टी0 मेक
6	मैसर्स हैवेल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, 1826, भागीरथ प्लेस, दिल्ली।	मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स	हेवेल्स मैक
7	मैसर्स ई0एम0ई0एन0इन्जी0 कारपोरेशन, 15 न्यू मार्केट लखनऊ।	बिलवर्न ब्लाक टाइप कान्टेक्टर	बिलवर्न मेक

1	2	3	4
8	मैसर्स आर0 के0 ट्रेडर्स, लखनऊ।	पी0वी0सी0 वायर 7/18	.. नेशनल
9	मैसर्स राइला मशीनरी एक्सपर्ट, लखनऊ। ..	1–कान्ट्रेक्टर ज्योति	.. ज्योति मेक
		2–स्पेयर किट	तदैव
		3–ओवर लोड रिले	.. तदैव
10	मैसर्स भारत इंजी0 ट्रेडर्स, कानपुर। ..	1–काटन टैप	.. लोटस
		2–पी0वी0सी0वायर	.. नेशनल
		3–लेटराइट पेपर	.. फिन लैण्ड एण्ड वेल्स
		4–पी0वी0सी0 वायर 7/20	.. नेशनल
11	मैसर्स आश ट्रेडर्स, .. सिविल लाइन, उन्नाव ..	1–किट कैट	
		2–वाशर	
12	मैसर्स शक्ति इन्जी0 ट्रेडर्स, उन्नाव	1 काटन टेप	लोटस
		2–लेटराइट पेपर	.. फिन लैण्ड एण्ड वेल्स

नत्थी 'ज'

(देखिए अता 0 प्र 0 सं 0 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर)

संलग्नक

दि यू 0 पी 0 स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लि 0, आगरा
वार्षिक प्रतिवेदन 1983–84

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी तुलापत्र	निदेशक मण्डल का स्पष्टीकरण
1—संचित कोष तथा आविक्य (अनुसूची) "ए"	
रु 0 27761559.76 इसमें रु 0 26810433.75 पूंजीगत मदों के व्यय हेतु प्राप्त अनुदान सहायता (इस पर अर्जित व्याज भी शामिल है) भी सम्मिलित है। यद्यपि अनुदान का प्रयोग सम्पत्तियों के अधिग्रहण में किया गया है। अनुपातिक घनराशि को (जिन सम्पत्तियों का आधार (उनका जीवनकाल माना गया है) लाभ-हानि को हस्तान्तरित नहीं किया गया है।	निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान से अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों पर ह्रास चार्ज किया जा रहा है। ह्रास की घनराशि को संपत्तियों के मूल्य पर लिया जा रहा है न कि संपत्तियों के जीवन-काल को आधार मानकर। इस प्रवृत्ति को निगम अपनी स्थापना वर्ष से ही अपना रहा है। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।
2—अनुदान सहायता आवर्तक व्ययों का अवशेष अनुसूची "बी"	
रु 0 716846.35 1—शासन द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान काम-धेनु योजना के लिये कोई आवर्तक अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। कामधेनु योजना पर किये गये अनुरक्षण व्यय रु 0 189610.15 अन्तिम रूप से लाभ-हानि खाते को चार्ज किये जाने चाहिए।	निगम ने इस योजना के अन्तर्गत रु 0 436–0000 प्राप्त किया। इसमें से 194000 रु 0 आवर्तक व्यय हेतु जिनको तुलापत्र के अनुसूची (बी) में दर्शाया गया है इस अनुदान (रु 0 194000) में से निगम द्वारा रु 0 189610.15 व्यय किया गया है। सही स्थिति प्रकट हो, इसलिये इसको लाभ हानि खाते में दर्शाया गया।
11—यह कुल प्राप्त अनुदान रु 0 2210309-.15 से अवशेष प्रकट करती है प्रत्येक अनुरक्षण प्रवृत्ति को आय एवं खचे सम्बन्धित लेखा मद के अन्तर्गत लाभ-हानि खाते में प्रकट किये जाने चाहिए आवर्तक व्ययों के प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवर्तक अनुदान एवं उसके अन्तर्गत किये गये खर्चों को लाभ हानि खाते के द्वारा दर्शाये जाने चाहिए न कि उनको सीधे ही अन्तिम रूप से तुला पत्र में शुद्ध प्राप्तियां देय के रूप में दर्शाकर।	विभिन्न योजनाओं पर आवर्तक अनुदान से किए गए व्ययों को अनुसूची "बी" एवं सह अनुसूची बी-1 में दिखलाया गया है। योजनाओं से अनुरक्षण प्रवृत्ति की आय एवं व्ययों को पहले से ही योजनाओं के लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया यहां यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आंकड़े अन्तिम रूप से तुलापत्र में ले लिये गये हैं, जबकि योजनाओं एवं व्यापारिक कार्यक्रमों में लाभ-हानि की स्थिति विगत में अपनाई गई प्रणाली के आधार पर अलग ही दर्शायी गयी है।

3—चालू दायित्व और प्राविधान (अनसची) "ई"

रु0 4789840.84

(1) इसमें नगर महापालिका, आगरा को गृहकर के भुगतान का दायित्व रु 034632 सम्मिलित नहीं है जिसके कारण चालू दायित्व एवं प्राविधान व हानि आलोच्य वर्ष के लिये कम प्रभावित हुई समझी जाती है।

स्वामित्व पट्टा दस्तावेज को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और न ही 31—3—84 तक कोई मांग इस संबंध में नगर महापालिका आगरा से प्राप्त हुई। आवश्यक लेखा इन्दराज उस आलोंच्य वर्ष में किया जायेगा जिसमें वह प्राप्त होगा।

(2) अवशेष दायित्व रु0 1344294.60

इसमें शासन को 211231 अर्जित ब्याज एवं देय सम्मिलित नहीं है। ऋणोंको सुरक्षित ऋणों के अन्तर्गत ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसूची-6 भाग—1 अपेक्षित हैं।

ब्याज रु0 211231 धनराशि रु0 1344-294.60 में शामिल नहीं किया गया। इसको असुरक्षित ऋण केअधीन दर्शाया गया है जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसूची—6 के भाग—1 में अपेक्षित है।

(3) स्थायी सम्पत्ति

अनुदान से अधिग्रहण डी0वी0पी0/एच0एफ0 रु0 5256485.79

ये सम्पत्तियां मुख्यालय से सम्बन्धित हैं, अनुदान से अर्जित नहीं को गई थी। तुलापत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रकटीकरण सही नहीं था।

यह वर्ष 1984—85 में सही दिखाया गया है।

(4) विविध व्यय रु0 10,32,833.30

इसमे रु0 468358.30 शासन से वसूल होना है एवं रु0 525000 सम्मिलित है जिसको ऋण एवं अग्रिम आयकर अग्रिम के अन्तर्गत दिखाना चाहिए।

ऐसा पिछली रीति के अनुसार ही किया गया है। फिर भी इसको भविष्य के लिये नोट कर लिया है। आयकर विभाग को किया गया भुगतान वर्ष 84—85 में सही दिखाया गया है।

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0प्र0सं0 147 का उत्तर पीछे संख्या 95 ..... पर)

वर्ष 1987 में विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर फैजाबाद की ड्रेनों का कार्य (शारदा सहायक खंड–43)

क्रमांक	नाले का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0)	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत कराया गया						
			2701 अनुरक्षण एवं मरम्मत		4701 शारदा सहायक परियोजना	आर0एल0ई0जी0पी0 मद के अन्तर्गत नवीन ड्रेन			
			लम्बाई जिसमें सफाई का कार्य कराया गया	व्यय	लम्बाई जिसमें कार्य किया गया	व्यय	लम्बाई	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	अजरौली ड्रेन	1.100	1.0	3100.00	—	—	—	—	
2	लिंक ड्रेन 31.700 दाहिनी पटरी सुल्तानपुर शाखा ..	3.400	2.0	4956.00	—	—	—	—	
3	पाराधनेथवा	2.200	2.2	9404.00	—	—	—	—	
4	उधैला ताल	32.0	—	—	15.0	757708.94	—	—	
5	नन्दौली ड्रेन	8.6	—	—	6.0	48859.00	—	—	
6	गोकुला ड्रेन ..	4.00	—	—	3.6	20952.00	—	—	
7	कन्जी ड्रेन	8.400	—	—	7.20	56400.00	—	—	
8	चमरूपुर ड्रेन	3.200	—	—	2.90	14150.00	—	—	
9	कोयला ताल ड्रेन ..	12.200	—	—	4.20	120182.00	—	—	
10	महोली ड्रेन	6.400	—	—	5.10	39188.00	—	—	
11	सरूरपुर ड्रेन	7.90	—	—	3.80	20445.00	—	—	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

II. माइनर ड्रेनों का निर्माण								
12—विनायकपुर ड्रेन	..	1.200	—	—	—	—	1.200	20410.50
13—लिंक ड्रेन 53.200		1.0	—	—	—	—	1.00	8797.50
सुल्तानपुर शाखा								
14—रामपुर जोहन	..	1.2	—	—	—	—	1.20	12075.50
15—रामपुर जोहन लिंक	..	1.0	—	—	—	—	1.0	9236.50
16—बन्जी लिंक	..	1.60	—	—	—	—	1.6	92931.50
17—लेथू बुजुर्ग लिंक	..	1.0	—	—	—	—	0.8	8625.00
18—विरौली झाम	..	1.40	—	—	—	—	1.4	35756.00
19—मानूडीह लिंक	..	3.40	—	—	—	—	3.4	469310.40
20—चफारा कल्यानपुर	..	8.40	—	—	—	—	3.50	126948.50
21—कटघर लिंक	..	3.60	—	—	—	—	2.60	46736.00
22—लिंक ड्रेन 31.700 बांई पटरी सुल्तानपुर शाखा	..	2.50	—	—	—	—	—	—
योग	..	115.70	5.2	17460.00	47.80	1077884.94	17.70	408448.40

वर्ष 1987 में हुआ कुल व्यय: रु0 1680259.90

नत्थी "ञ"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 168 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 104 पर)

वर्ष 1985--86, 86--87 एवं 87--88 में नालियों एवं पाइप लाइनों के निर्माण का विवरण।

विकास खंड	नलकूप संख्या	चिनहट क्षेत्र										
		1985–86			1986–87			1987–88				विवरण
		पक्की गूल	पी.वी.सी. पाइप लाइन	कच्ची गूल	पक्की गूल	पाइप लाइन	कच्ची गूल	पक्की गूल	पाइप लाइन	कच्ची गूल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
चिनहट	109 एल0जी0	0.300	—	—	0.200	—	—	—	—	—		
	110 एल0जी0	—	—	—	0.900	—	—	—	—	—		
	65 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	200	—	0.715		
	102 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	0.200	—	0.105		
	180 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	0.600		0.980		
	179 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	—	0.850	—		
	215 एल0जी0	—	3.3किमी.	—	—	—	—	—	—	6 कि0मी0		
	221 एल0जी0	—	—	—	—	4 कि0मी0	—	—	—	6 कि0मी0		
	217 एल0जी0	—	—	—	—	3.7 कि0मी0	—	—	—	5.4 कि0मी0		
चिनहट	योग:—	0.300	3.3किमी0	—	1.100	7.7 किमी0	—	0.800	0.850	19.200 कि0मी0		

बक्शी का तालाब	49 एल0जी0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
	अकडरियाप0के0	—	—	—	—	0.630	—	—	—	—
	182 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	—	1 किमी0	—
	195 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	0.650	—	—
	186 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	0.350	—	—
	140 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	0.550	—	—
	141 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	0.850	—	—
	122 एल0जी0	—	—	—	—	—	—	0.100	—	—
	219 एल0जी0	—	4 कि.मी.	—	—	—	4.6 कि.मी.	—	—	—
	220 एल0जी0	—	—	—	—	4 कि0मी0	—	—	—	6 कि0मी0
	योग ..	—	4 कि.मी.	—	—	5.830	4.6 किमी0	2.500	1.00	6 कि0मी0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(दर्शिए अता0 प्र0 सं0 185 का उत्तर पीछे पृष्ठ 111 पर)

सेवा में,

माननीय सिंचाई मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय:—श्री कुलजीत सिंह सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड तृतीय, बांदा द्वारा बांदा जनपद के विकास कार्यों में व्यवधान एवं व्यापक भ्रष्टाचार के जरिये योजना धनराशि का गबन।

महोदय,

पैरावार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।

1—यह कि श्री आर0 पी0 सिन्हा (अधिशासी अभियन्ता, मौदहा बांध निर्माण खण्ड प्रथम महोबा) सचिव जांच समिति द्वारा उक्त सहायक अभियन्ता श्री कुलदीप सिंह के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों के आदेश पर जांच की जा रही है किन्तु जांच की कार्यवाही अतिशय धीमी है। उल्लेखनीय है कि श्री शाउराम, श्री जागेश्वर यादव, श्री हमीद व श्री गुलाब चन्द्र आदि ठेकेदारों के नाम लाखों रुपये के फर्जी भुगतान किये गये हैं। तथाकथित फर्जी कार्यों की माप श्री सिंह सहायक अभियन्ता के आदेश पर श्री केशवराम यादव, तत्कालीन जूनियर इंजीनियर ने अंकित की है जिसे प्रथम दृष्टया में दोषी पाये जाने के कारण मुख्य अभियन्ता बेतवा झांसी में एहतियाती तौर पर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया है।

2—यह कि क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा अनेकों बार भ्रष्ट सहायक अभियन्ता श्री कुलदीप सिंह के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों से शिकायतें की गयी हैं। उल्लेखनीय है कि विधायक द्वारा हजारों हजार श्रमिकों की बकाया मजदूरी के भुगतान हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तिथि निर्धारित करने हेतु जांच समिति से कहा गया किन्तु सहायक अभियन्ता के नियंत्रणाधीन बरियारपुर उपखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत ठेकेदारों ने अनुचित दबाव डालकर जांच को लम्बित कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई है। परिणामस्वरूप गरीब श्रमिक भुगतान हेतु दर-दर की ठोकर खा रहे हैं।

3—यह कि श्री कुलजीत सिंह सहायक अभियन्ता के आदेश पर आये दिन सरकारी सीमेन्ट घृणित तरीके अपनाकर खुलेआम बाजारों में बेची जाती है। उल्लेखनीय है कि सीमेन्ट बेचने हेतु ले जाते समय अनेकों बार पुलिस तथा इन अधिकारियों द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है किन्तु पैसे के प्रभाव से मामला दबा दिया गया है जिसकी पुष्टि संबंधित विभागों के अभिलेखों से की जा सकती है।

4–यह कि अनुबन्ध संख्या–2/एस0 ई0/85-86 के तहत बरियारपुर हेड रेगुलेटर के निर्माण कार्य में व्यक्तिगत स्वार्थों की प्रतिपूर्ति हेतु निर्माण कार्य सम्पादित करने वाली एजेन्सी के विरुद्ध श्री कुलजीत सिंह सहायक अभियन्ता अनेकों निराधार व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं जबकि यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अति प्रतिष्ठा एवं लाभ का प्रश्न बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की जनता और जन प्रतिनिधि भी सदैव से उक्त कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते रहे हैं तथा उसके विरोधी रहे हैं। इसी कार्य के क्रियान्वयन के सद्प्रयासों में गये हुए निवर्तमान तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) श्री जे0 सी0 जैन के साथ अमानवीय व्यवहार भी किये गये थे।

5–यह कि श्री कुलजीत सिंह सहायक अभियन्ता द्वारा जो फर्जी कार्य श्री केशवराम यादव की भागीदारी से सम्पादित कराया जाता था अब वह कार्य श्री ओम प्रकाश राव जूनियर इंजीनियर की सहायता से निर्बाध गति से चल रहा है।

6–यह कि बरियारपुर हेड रेगुलेटर के कार्य में व्यवधान एवं विवाद का प्रमुख मुद्दा सीमेन्ट है क्योंकि रेगुलेटर बनाने वाली एजेन्सी खपत की सीमेन्ट की मात्रा की ही प्राप्तगी स्वीकार करती है जबकि उक्त भ्रष्ट सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग की रीति नीति के अनुसार लगने वाली अपेक्षित सीमेन्ट के मात्रा की प्राप्तगी स्वीकार करा-कर अतिरिक्त अवशेष सीमेन्ट एजेन्सी को कुछ प्रलोभन देकर बेचना चाहते हैं किन्तु एजेन्सी तुच्छ प्रलोभन न लेकर कार्य को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार करना चाहती है। उल्लेखनीय है कि इस विवाद के फलस्वरूप एजेन्सी को परेशान करने हेतु उसके द्वारा निर्मित बम्फर डैम का भुगतान संभवत: सहायक अभियन्ता ने अपने अपने पालतू ठेकेदारों के नाम करा दिया है।

7–यह कि हेड रेगुलेटर पर कार्य कराने वाली एजेन्सी चुनाई में छोटे साईज के सेन्डी स्टोन का प्रयोग करती है किन्तु अधिकारी एजेन्सी को उक्त गलत कार्य से नहीं रोकते हैं क्योंकि अधिकारियों ने उक्त पत्थर की छंटाई आदि पर लाखों रुपये का अपव्यय एवं फर्जी भुगतान कराकर अपनी जेबें भर ली हैं।

8–श्री महेश प्रसाद ठेकेदार के मील 0.5 के पुल के नीचे कराये गये ब्लास्टिंग कार्य का आज तक भुगतान नहीं किया गया है जबकि उक्त कार्य ठेकेदार ने टेन्डर द्वारा लिया था। आश्चर्य तो यह है कि 6 माह व्यतीत हो जाने पर भी आज तक ठेकेदार को अनुबन्ध की संख्या तथा उसकी मात्रा व दर से मौखिक रूप से भी अवगत नहीं कराया गया। उक्त कार्य के अन्य नामों से फर्जी भुगतान कराने की सुनियोजित योजना श्री कुलजीत सिंह सहायक अभियन्ता द्वारा लगातार अपनाई जा रही है किन्तु आज तक जांच समिति अथवा किसी उच्च अधिकारी ने कोई भी महत्वपूर्ण कार्यवाही कर ठेकेदार के भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया है।

9–यह कि श्री कुलजीत सिंह सहायक अभियन्ता व्यापक भ्रष्टाचार के जरिये कमाये गये धन से असामाजिक तत्वों, ठेकेदारों एवं जिले के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से सांठ-गांठ कर एक संगठन खड़ा किये हुए हैं जिनकी छत्रछाया में निर्भय होकर

भ्रष्टाचार की कार्यवाही दिनों-दिन और विस्तृत होती जा रही है। उल्लेखनीय है कि शिकायत करने पर जनप्रतिनिधियों के साथ अमानवीय तरीके व हथकंडे उनके द्वारा अपनाये जाते हैं। साधारण आदमी तो अपनी समुचित समस्या कहने में ही घबड़ाता है।

10—यह कि सिंचाई संयंत्र संघर्ष समिति बांदा द्वारा भी उनकी अनेक कुकृत्यों को समय-समय पर अधिकारियों की जानकारी में लाया गया है। किन्तु जनपदीय अधिकारी भी उनके प्रभाव व आतंक के शिकंजे में आ चुके हैं तथा किसी भी सीधे कार्यवाही, जो उनके विरुद्ध हो, को करने में असुरक्षित समझते हैं।

ऐसी स्थिति में भ्रष्ट शिरोमणि एवं देश द्रोही सहायक अभियन्ता श्री कुलजीत सिंह के बांदा में रहते बांदा जैसे पिछड़े जनपद का विकास सम्भव नहीं है। अतः बुन्देलखण्ड के इस अतिशय पिछड़े जनपद के शीघ्र विकास हेतु विकास धन का असमय सदुपयोग करने हेतु श्री कुलजीत सिंह सहायक अभियन्ता तृतीय बांदा को तत्काल स्थानान्तरित करके शीघ्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निष्पक्ष जांच करायी जाये। ताकि उन्हें कृत्यों का उचित दण्ड मिल सके तथा भविष्य में कोई भी अधिकारी ऐसा कोई भी कदम उठाने का दुस्साहस न कर सके।

शीघ्र कार्यवाही की प्रत्याशा में

अतिशय आभार सहित।

भवदीय,

ह0/- (युवराज सिंह) उपाध्यक्ष,

कांग्रेस (आई) बांदा तथा अध्यक्ष,

बुन्देलखण्ड विकास समिति कांग्रेस (आई)

नत्थी 'ठ'

(देखिए अता० प्र० सं० 186 का उत्तर पीछे पृष्ठ 111 पर)

व्यय विवरण

(व्यय लाख रु० में)

क्रमांक	अनुभाग	योजना	कार्य का नाम	85-86	86-87	87-88	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	माधोगंज	एन० आर० इ० पी०	शुक्लापुर मा० पर साईफन का कार्य	0.049	—	—	0.049
2	,,	,,	परचल स्केप पर पुलिया का निर्माण	0.126	—	—	0.126
3	,,	,,	सोनहार रा० पर पुलिया का निर्माण	0.188	—	—	0.188
4	,,	,,	पूछतेरा मा० पर कंकड़ रोड का कार्य	0.119	—	—	0.119
5	,,	,,	कुरसठ ड्रेन पर 4 नं० पुलिया का निर्माण	0.239	0.216	—	0.455
6	,,	,,	परचल स्केप पर कंकड़ रोड का कार्य	2.151	—	—	2.151
7	,,	,,	उमरापुर जल्लामऊ गूल निर्माण कार्य	0.676	—	—	0.676
8	,,	,,	हरदोई ब्रांच पर कंकड़ रोड का कार्य	1.055	—	—	1.055
9	,,	,,	नेवादा ड्रेन की सिल्ट सफाई	—	0.278	0.653	0.931
10	,,	,,	शाहजना ड्रेन सिल्ट सफाई	—	0.419	—	0.419
11	,,	,,	ससडा ड्रेन का निर्माण	—	—	0.282	0.282
12	,,	,,	अटवाअली मर्दानभुर ड्रेन निर्माण	—	—	0.359	0.359
13	,,	,,	उमरापुर हेड का निर्माण	—	—	0.280	0.280
14	,,	,,	जल्लामऊ गुल की बैक मजबूत करने का कार्य	—	—	0.146	0.146
15	,,	,,	उमरापुर माईनर पर बी० आर० बी० का कार्य	—	—	0.224	0.224
			योग माधोगंज अनुभाग	4.603	0.913	1.944	7.460

1	2	3	4	5	6	7	8
1	एन0पी0 कोड	एन0आर0 ई0पी0	हरदोई ब्रांच पर कंकड़ रोड का कार्य	0.500	1.909	..	2.409
2	,,	,,	बांसा ड्रेन की सिल्ट सफाई का कार्य	..	0.489	..	0.489
3	,,	,,	अखडिया नाले का नहरी-करण	..	..	0.571	0.571
4	,,	,,	रामदीन खेड़ा ड्रेन की सिल्ट सफाई का कार्य	..	..	0 025	0.025
5	,,	,,	ब्योली ड्रेन की सिल्ट सफाई का कार्य	..	..	0.098	0.098
6	,,	,,	रामकोट ड्रेन की सिल्ट सफाई का कार्य	..	..	0.067	0.067
7	,,	,,	बांसा राज0 पर कंकड़ रोड का कार्य	..	..	0.534	0.534
8	,,	,,	बोसवाड्रेन का निर्माण	..	..	0.962	0.962
			योग एस0पी0 कोट अनुभाग	0.500	2.398	2.257	5.155

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 219 विधान सभा (367)-1989-813 ।